~~Friday, 8th May, 1987~~

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No............
Date............

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 28, आठवां सत्र, 1987/1909 (शक)

अंक 48, शुक्रवार, 8 मई, 1987/18 वैशाख, 1909 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 966, 967, 969 से 971, 976 और 979	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	23—161
तारांकित प्रश्न संख्या : 964, 975, 968, 972, 973, 974 से 978, और 980 से 983	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 9507 से 9509	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	166—167 व 172—185
राज्य सभा से संदेश	185
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	186
उनतीसवीं से छत्तीसवीं तक बैठकों के कार्यवाही-सारांश	
याचिका समिति	186
चौथा प्रतिवेदन	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	186
आठवां प्रतिवेदन	
गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन विधेयक—पुरःस्थापित	186
संविधान (सत्तावनवां संशोधन) विधेयक - पुरःस्थापित	187
अरुणाचल प्रदेश राज्य (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	187
नियम 377 के अधीन मामले	188—191
(एक) देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिये उपाय करने की मांग	
श्री कमला प्रसाद रावत	188
(दो) हाथ से बुने गलीचों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कच्ची ऊन पर आयात शुल्क कम करने की मांग	
श्रीमती चन्द्रा त्रिपाठी	188
(तीन) महाराष्ट्र के यवतमाल शहर में और अधिक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की आवश्यकता	
श्री उत्तमराव पाटिल	189
(चार) राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच सुचारु संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये चाऊमेहला और सीतामऊ के बीच चम्बल नदी पर एक ऊपरि-पुल का निर्माण करने की मांग	
श्री जुझारसिंह	189
(पांच) पश्चिम बंगाल में विभिन्न मूल्य के पोस्टल आर्डरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग	
कुमारी ममता बनर्जी	190
(छः) आन्ध्र प्रदेश में मनुगूर ताप संयंत्र को मंजूरी देने की मांग	
श्री गोपाल कृष्ण थोटा	190
(सात) पश्चिम बंगाल ने पाल्दा और मुदियाली मछुआरे सहकारी समितियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता	
श्री रेणुपद दास	190
(आठ) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा-विवाद को हल करने के लिये विवादग्रस्त क्षेत्र में जनमत संग्रह कराने की मांग	
डा० दत्ता सामन्त	191

विषय	पृष्ठ
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक	191—220
विचार करने लिये प्रस्ताव	
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी	192
प्रो० एन० जी० रंगा	195
श्री रेणुपद दास	196
श्री गिरधारी लाल व्यास	201
श्री नरेशचन्द्र चतुर्वेदी	202
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	204
श्रीमती किशोरी सिंह	208
श्री हरीश रावत	209
श्री के० एन० प्रधान	212
श्री राजकुमार राय	213
श्री नारायण चौबे	215
श्री वाई० एस० महाजन	215
श्री जगदीश अवस्थी	217
श्री आर० जीवरत्नम	219
11 मई, 1987 को लोक सभा की बैठक के बारे में घोषणा	221
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	221
छत्तीसवां प्रतिवेदन	
विधेयक-पुरःस्थापित	
(1) चिकित्सक तथा अभियन्ता (विदेश प्रवास का विनियमन) विधेयक	
डा० पी० वल्लल पेरुमन	222
(2) उपभोक्ता संरक्षण (गैर-सरकारी क्षेत्र में निर्मित उत्पादों का मूल्य निर्धारण) विधेयक	
श्री चिन्तामणि जेना	222
(3) अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (कल्याण संघों को मान्यता) विधेयक	
डा० पी० वल्लल पेरुमन	223

विषय पृष्ठ

(4) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 25 में संशोधन, आदि)

श्री शान्ताराम नायक 224

(5) खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक
(धारा 16 क का अन्तःस्थापन, आदि)

श्री हुसैन दलवाई 224

धार्मिक स्थानों संबंधी विवादों का निवारण विधेयक 223

पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव अस्वीकृत

श्री जी० एम० बनातवाला का

बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक 225—258

विचार करने के लिये प्रस्ताव

श्री चिन्तामणि जेना 225

डा० ए० कलानिधि 230

श्री सलाउद्दीन 234

श्री अनूपचन्द शाह 237

श्री भद्रेश्वर तांती 239

श्री सोमनाथ रथ 241

कुमारी ममता बनर्जी 243

श्री सी० जंगा रेड्डी 247

श्री मनोज पांडे 251

श्री हरीश रावत 257

सुशील मुनि की अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर, की यात्रा एवं प्रो० दर्शन सिंह से उनकी बातचीत के बारे में

श्री तेजा सिंह 258

सरदार बूटासिंह 258

लोक सभा

शुक्रवार, 8 मई, 1987/18 वैशाख, 1909 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमारे दो भूतपूर्व सहयोगियों डा० पूर्णेन्दु नारायण खान तथा श्रीमती पद्मावती देवी के निधन की सूचना सभा को देना मेरा दुःखद कर्तव्य है । डा० पूर्णेन्द्र नारायण खान पश्चिम बंगाल के उलूबोरिया निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुये 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा के सदस्य थे ।

व्यवसाय से एक चिकित्सक होते हुए भी डा० खान सभा की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेते थे । एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में वह विभिन्न सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहे तथा 1960 में मध्य हावड़ा असम राहत कोष के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सेवा की । उन्होंने बहुत अधिक यात्राएं कीं और 1937-38 के दौरान वह एक चिकित्सा पत्रिका के सम्पादक थे । डा० खान का 76 वर्ष की आयु में, 7 मार्च, 1987 को हावड़ा में निधन हो गया ।

श्रीमती पद्मावती देवी 1967–70 के दौरान मध्य प्रदेश के राजनन्दगांव निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुये चौथी लोक सभा की सदस्य थीं । इससे पहले वह 1952-67 के दौरान मध्य भारत तथा मध्य प्रदेश विधान सभाओं की सदस्य थीं उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य में 1956 से 1967 तक मंत्री के रूप में सेवा की ।

एक सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में वह विभिन्न सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहीं । एक योग्य एवं प्रतिष्ठित शिक्षाविद् के रूप में शिक्षा के प्रसार में उन्होंने सक्रिय भाग लिया तथा अनेक शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संगठनों की अलग-अलग हैसियत से सेवा की । उन्होंने बहुत अधिक यात्राएं कीं, उन्होंने 1960 तथा 1961 में क्रमशः जिनेवा तथा नयी दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य सेवा के तेरहवें तथा चौदहवें शिखर सम्मेलन में भाग लिया था । उन्होंने 1964 में सामाजिक कार्य पर एथैंस में 12वें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया था ।

श्रीमती पद्मावती देवी का 69 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 1987 को भोपाल में निधन हो गया ।

इन मित्रों के निधन पर हम गहरा दुःख प्रकट करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवारों तक हमारी समवेदनाओं को पहुंचाने में सभा हमारे साथ है ।

अपना दुःख प्रकट करने हेतु अब सभा थोड़ी देर के लिए मौन रखे ।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

भारतीय रुई निगम को निर्यात व्यापार में हुआ घाटा

+

*966. श्री अतीश चन्द्र सिन्हा :

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई निगम को गत एक वर्ष के दौरान रुई को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तत्कालीन मूल्य की तुलना में अत्यधिक कम मूल्य पर निर्यात किये जाने के कारण भारी वित्तीय हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रुई निगम ने वास्तव में किस मूल्य पर रुई का निर्यात किया और निर्यात के लिए ठेके लिये जाने के समय रुई का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य कितना था; और

(ग) इस कारण कुल कितनी हानि हुई और यह हानि पूरी करने के लिये कौन सी कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) रुई की कीमतों पर एक तुलनात्मक विवरण तथा साथ ही भारतीय रुई निगम को मई, 1986-अप्रैल, 1987 के दौरान रुई के निर्यातों में हुई हानियों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

रुई की कीमतों पर एक तुलनात्मक विवरण

(कीमतें अमरीकी सैंट प्रति पौंड)

पंजीकरण का महीना	निर्यातित प्रमुख भारतीय किस्में	तुलनीय किस्मों की की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें		सी०सी०आई० द्वारा वसूल की गई औसत कीमतें	घरेलू कीमत	समर्थन कीमत
		किस्म	औसत कीमत			
1	2	3	4	5	6	7
मई,	एच-4	कल अरिज	42.00	41.00	36.66	44.50
1986	एस-4	कल अकाला	42.00	39.50	46.66	47.00
	एस-6	— वही —	42.00	46.00	39.46	46.00
जून	एस-6	कल अकाला	39.50	42.00	45.87	46.00
1986	एच-4	कल अरिज	36.00	35.00	35.86	44.50

1	2	3	4	5	6	7
जुलाई, 1986	एच-4	कल अरिज	32.00	33.00	35.86	44.50
	एस-6	कल अकाला एस०जे०वी०	36.50	41.50	45.00	46.00
	दिग्विजय अफजल (एस.जी.)		26.00	26.00	27.50	33.00
अगस्त, 1986	एस-4	कल अरिज	34.00	34.00	34.90	44.50
	एस-6	कल अकाला एस.जे.वी.	38.00	38.50	44.46	46.00
	दिग्विजय अफजल (एस.जी.)		24.50	21.00	27.00	33.00
	ए-51 /9/ वी 797					
सितम्बर, 1986	एस-4	कल अकाला एस.जे.वी.	46.50	40.00	47.88	47.77
	ए.पी.एच.-41					
	जे.के.एच.वाई.-1 (ओल्ड क्राप)	कल अरिज (न्यू क्राप)	40.50	31.00	34.74	47.67
	ए-51(9 एच.777) (ए.जी.ए.टी.टी.आई./ एफ.414) (ओल्ड क्राप)	पाक अफजल (न्यू क्राप)	23.70	17.00	31.00	33.00
अक्तूबर, 1986	एस-4/ एस-6	कल अकाला एस.जे.वी.	56.00	44.00	46.00	47.77
	एम.पी.एच-4	कल अरिज	53.00	33.00	35.00	47.67
	ए.51/9/ एच.777 ए.जी.ए.टी.आई/ एफ.414)	पाक अफजल	37.00	22.00	32.00	33.00
नवम्बर 1986	एस-4/ एस-6	कय अकाला एस.जे.वी.	59.00	45.00	46.00	47.77
	एच-4	कल अरिज	53.00	37.00	35.00	47.67
	एच.777/ए. जी.ए.टी.टी.आई. एफ.414	अफजल	37.00	31.00	32.00	33.00
मार्च, 1987	एच-4	कल अरिज	60.00	65.00	52.93	47.67
अप्रैल, 1987	एच-4	,,	63.00	65.00	61.33	47.67
	एफ-414 (एस.जी.)	अफजल	55.25	57.00	53.08	33.00

मई, 1986—अप्रैल 1987 के दौरान भारतीय रुई निगम को निर्यातों में हुई हानियों का विवरण

	निर्यातित गांठों की संख्या	लाभ/हानि लाख रु० में (+) (—)
1985-86 फसल	3,91,841	(—) 1770.12
1986-87 फसल	1,50,000	(+) 168.98
	5,41,841	(—) 1,601.14

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, समा पटल पर रखे गये विवरण से यह प्रतीत होता है कि 1985-86 की फसल में भारतीय रुई निगम ने 3,91,841 गांठों का निर्यात किया था तथा उसे 17.70 करोड़ रुपये की हानि हुई। यह भी प्रतीत होता है कि ज्यादातर क्षति सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर 1986 के महीनों के दौरान हुई। यह जानकर आश्चर्य होता है कि उस समय इन तीन महीनों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य क्या था तथा भारतीय रुई निगम द्वारा प्राप्त किया गया मूल्य क्या था। प्रति पौंड दर लगभग 20 अमरीकी सेन्ट तक का अन्तर है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भारतीय रुई निगम की सितम्बर, अक्टूबर तथा नवम्बर 1986 के महीनों के दौरान इतना अधिक घाटा उठा कर भारतीय रुई बेचने के लिये किस बात ने बाध्य किया जब अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य और प्राप्त किए मूल्य में 20 सेंट प्रति पौंड से कम अन्तर नहीं था।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, इस विशिष्ट मामले में भारतीय रुई निगम के फैसले को 1986 वर्ष के उत्तरार्द्ध में रुई की बाहुल्यता की स्थिति की पृष्ठभूमि में देखना होगा। हमारे यहां दो या तीन जोरदार फसलें हुई हैं। भारतीय रुई निगम के पास जुलाई 1986 में लगभग 50 लाख गांठों का भण्डार था। भारतीय रुई निगम के बोर्ड ने अग्रिम संविदा पर निर्णय किया था जिससे कि सरकार की नयी रुई निर्यात नीति की परिणामस्वरूप भारतीय रुई निगम को जैसे ही कोटा प्राप्त हो, उसे विदेशी खरीदकों के पीछे दौड़ने की आवश्यकता न रहे। वे अपनी अग्रिम व्यवस्था कर सकें।

यह सही है कि यद्यपि उन्होंने नौ विदेशी खरीददारों के साथ 8 एवं 9 सितम्बर 1986 को संविदा किया था तथा वचन दिया था, फिर भी संविदे का पंजीकरण केवल दिसम्बर में हो सका क्योंकि कोटे को नवम्बर में जारी किया गया था। जब तक संविदे का पंजीकरण हुआ, अन्तर्राष्ट्रीय रुई की कीमतें बढ़ चुकी थी। भारतीय रुई निगम ने बताया है कि व्यापार व्यवहार के अनुसार यह अपेक्षित है कि वे वचन निभाये जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात व्यापार में वह एक दीर्घकालीन उपस्थिति बना सकें। दूसरी तरह से तर्क दिया जाए तो भारतीय रुई निगम ने यह आशा नहीं की कि यदि मूल्य गिर जाएंगे तो विदेशी क्रेता संविदे से पीछे हट जाएगा। जब भारतीय रुई निगम ने निर्णय लिया था, तब अनुमान यह था कि रुई की कीमतें बढ़ेंगी नहीं।

ये परिस्थितियां हैं जिनमें ये हानियां हुई। यह हानि केवल एक काल्पनिक हानि है। उस समय के सम्बन्ध में आप गणना कर रहे हैं जब वचन दिए गए थे और उस समय के मूल्य क्या थे।

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं माननीय मंत्री जी से सहमत नहीं हो सकता हूं कि यह एक काल्पनिक हानि है। यह हानि 17 करोड़ रु० से अधिक की है। यह एक काल्पनिक हानि कैसे हो सकती है ?

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगस्त में सितम्बर से केवल एक महीना पहले, भारतीय रुई निगम द्वारा प्राप्त की गई कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से अधिक थी। कुछ दिनों के भीतर क्यों हुआ कि भारतीय रुई निगम द्वारा प्राप्त की गयी कीमतें 20 सेन्ट प्रति पौंड से ज्यादा नीचे गिर गयी ? क्या यह बाध्यकर है कि अग्रिम संविदाओं का भारतीय रुई निगम द्वारा अनुपालन किया जाये तथा अचानक अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें कम हो गई या कुछ उसी तरह की बात हो गई जिसने भारतीय रुई निगम को इतनी बड़ी हानि पर भी रुई बेचने के लिये बाध्य किया ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, 17 करोड़ रुपये की यह हानि, जिसके विषय में माननीय सदस्य कह रहे हैं, भारतीय रुई निगम के 1985-86 तथा 1986-87 के पूरे रुई मौसम में निर्यात व्यापार में हुई हानि है। इस विशेष सौदे के परिणामस्वरूप हुई हानि केवल 1.8 करोड़ रु० है। हानि की गणना लागत या किसानों को दिये गये समर्थन मूल्य अर्थात भारतीय रुई निगम द्वारा रुई की वसूली लागत और निर्यात द्वारा प्राप्त किये गये मूल्य के अन्तर से की जाती है। 8 तथा 9 सितम्बर को भारतीय रुई निगम की विक्रय समिति ने उस समय प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के संदर्भ में संभरकों को कतिपय वचन तैयार किये थे। उस समय कीमतें कम हो रही थीं। उसके पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एक-के बाद एक अप्रत्याशित घटनाएं, यथा, अमरीका द्वारा सहायता रोकने अथवा उसे देने में विलम्ब आदि घटी कीमतें बढ़ गई। प्रश्न यह था कि क्या भारतीय रुई निगम मूल वचनबद्धता से मुकर सकता है। वस्त्र कमिश्नर तथा भारतीय रुई निगम ने सरकार को बताया कि वचन से पीछे हटना गलत होगा तथा इससे मुकदमे-बाजी प्रारम्भ हो सकती है तथा अन्तर्राष्ट्रीय खरीददार इस व्यवहार के लिये उन्हें काली सूची में भी रख सकते हैं।

श्री नारायण चौबे : आपने कहा है कि 17 करोड़ रु० की हानि केवल एक वर्ष से संबंधित नहीं है, यह दो वर्षों से सम्बन्धित है। पिछले वर्ष 15 करोड़ रु० की हानि हुई थी तथा इस वर्ष 1.8 करोड़ रु० की। इसका तात्पर्य यह है कि चूंकि पिछले वर्ष में हानि ज्यादा थी इसलिये अधिक सावधानी बरती जानी चाहिये थी तथा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिये था और स्थिति को सुधारने के प्रयास किये जाने चाहिये थे। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं किया गया। अचानक कुछ दिनों में कीमतें गिर जायें, हमें निश्चित रूप से कुछ छलसाधन का आभास होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय गैर-सरकारी कम्पनियों ने निर्यात करके लाभ कमाया था, केवल भारतीय रुई निगम को ही हानि हुई है। भारत की गैर-सरकारी कम्पनियां, जो निर्यात करती रही हैं, ने लाभ कमाया था। चाहे जो भी बाध्यतायें रही हों, क्या वे उन पर बाध्यकारी नहीं थी ? हमारा विश्वास है कि कुछ छल साधन किया गया है। आप केवल वही दोहरा रहे हैं जो भारतीय रुई निगम ने आपको बताया है। इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुये कि पिछले वर्ष हानि काफी अधिक थी, भारतीय रुई निगम को ऊंची कीमत के निर्धारण हेतु कहने के लिये किस बात ने रोका था जबकि दिसम्बर महीने में पंजीकरण किया गया था तथा सितम्बर में गैर-सरकारी संविदा किया गया था ? क्या आप इस बात की जांच करवायेंगे ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : भारतीय रुई निगम के 1986-87 के कार्य से हानि नहीं हुई है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, केवल सौदों की इस विशेष शृंखला से ही हानि हुई है। उस वर्ष का कुल लाभ लगभग 1 करोड़ रु० है।

दूसरे, वास्तव में, भारतीय रुई निगम ने कीमतों को बढ़ाये जाने का प्रयास किया था लेकिन संभरक, जिनको पहले वचन दे दिया गया था और विवरण तैयार किया गया था तथा टेलेक्सों का आदान-प्रदान हो गया था, वस्त्र कमिश्नर द्वारा निर्धारित न्यूनतम निर्यात मूल्य तक ही कीमतों को बढ़ाने के लिये इच्छुक थे। भारतीय रुई निगम की राय यह भी थी कि केवल इसलिये समझौते से पीछे हटना उचित नहीं है कि ज्यादा कीमत देने के लिये वे तैयार नहीं हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अप्रत्याशित घटनाओं के परिणामस्वरूप केवल भारतीय रुई निगम को ही हानि नहीं हुई है बल्कि गुजरात निगम तथा अन्य गैर-सरकारी पार्टियों को भी हानि हुई है। महाराष्ट्र कारपोरेशन तथा कुछ अन्य पार्टियां, जिन्होंने संविदा किया था और वार्ता प्रारम्भ की थी, को केवल बाद में ही कुछ लाभ हुआ। निर्यात व्यापार में ये सारी सामान्य घटनाएं हैं और हमें सौदों में किसी प्रकार की बेईमानी का संदेह नहीं है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, अगस्त में जब कॉटन प्राइस ज्यादा थी, तो उस वक्त कम दाम के ऊपर किस प्रकार से कान्ट्रैक्ट किया गया ? इसी पीरीयड में जैसा कि आपने बताया है, महाराष्ट्र और गुजरात में इन्हीं लोगों से कान्ट्रैक्ट किया गया और मुनाफा कमाया। आपने बताया है कि दो करोड़ रुपये का घाटा है, जबकि घाटा चार करोड़ रुपये से ज्यादा है। इस सम्बन्ध में टाइम्स आफ इण्डिया में लिखा है कि सी. सी. आई. के अधिकारियों की मिली-भगत की वजह से यह काम होता है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या यह बात सही है कि अधिकारियों की मिली-भगत की वजह से कम पैसे में यह डील की गई ? और बीच में ही दूसरे लोगों ने इसमें इस प्रकार की गड़बड की।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, यह सौदा विश्व के 9 ख्यातिप्राप्त खरीददारों के साथ था तथा राज्य स्तर पर सरकारी क्षेत्र की अन्य कम्पनियों के माल के लिए खरीददारों की हमें जानकारी नहीं है। भारतीय रूई निगम द्वारा खरीदी गई रुई के खरीद मूल्य अथवा लागत और बिक्री मूल्य के संदर्भ में 2 करोड़ रुपये की हानि हुई। यदि इसकी तुलना उस समय के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से की जाए तो यह हानि 4 करोड़ रुपये थी और मैं इसे काल्पनिक इसलिए बताता हूं क्योंकि यह अनुमान पर आधारित है। भारतीय रुई निगम ने इस मामले को वस्त्र आयुक्त के पास भेजा था और वस्त्र आयुक्त का यह मत था कि यह संविदा पंजीकृत होना चाहिये नहीं तो इसे अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाएगा।

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, मैं भारतीय रुई निगम की समस्या भली-भांति समझता हूं क्योंकि 1985-86 में इसके पास कपास का भारी भंडार जमा हो गया था और इसके समापन की समस्या उत्पन्न हो गई थी, आदि। जमा भंडार को निपटाने की तुरन्त आवश्यकता थी। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि भारतीय रुई निगम को सितम्बर में अग्रिम संविदा करने तथा तीन महीनों तक

सरकार के पंजीकरण आदेशों की प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता थी ? यह कैसा कार्य है ? क्या यह कार्य अग्रिम मूल्य संविदा प्राप्त करने की सरकारी नीति के अनुसरण में है अथवा उन्होंने सरकारी निर्देशों के उलंघन में ऐसा किया है ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, भारतीय रुई निगम ने सरकारी निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। वर्ष 1985-86 में जब भी उन्हें कोटा मिला, तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वे विलम्ब से पहुंचे। खरीददार पहले ही गैर-सरकारी कम्पनियों से सौदे कर चुके थे। इसलिए भारतीय रुई निगम के सम्पूर्ण बोर्ड ने अपनी समस्या जुलाई, 1986 में यह निर्णय किया कि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपना माल शीघ्र भेजना चाहिए ताकि जब उन्हें निर्यात कोटा प्राप्त हो तो अनुकूल सौदा मिल सके।

पटसन प्रौद्योगिकी संस्थान, कलकत्ता को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने का प्रस्ताव

*967. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पटसन प्रौद्योगिकी संस्थान, कलकत्ता को अपने अधिकार में लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो संस्थान को पुनः सक्रिय बनाने के लिये कौन से कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) एक विवरण सभा पर रखा जाता है।

विवरण

सरकार पटसन विनिर्माण विकास परिषद की निधियों में से पटसन प्रौद्योगिकी संस्थान, कलकत्ता को उनके नियमित आवर्ती व्यय के बड़े भाग की पूर्ति करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। प्रयोगशाला सुविधाओं को अद्यतन बनाने हेतु मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा 1986-87 के दौरान 35 लाख रु० की राशि भी स्वीकृत की गई है। संस्थान को आवश्यक सहायता देने के उद्देश्य से, सरकार ने संस्थान के कार्य की गहराई के साथ समीक्षा करने के लिए पहले ही उपाय किये हैं जिससे कि उनकी प्रशिक्षित जनशक्ति उपयुक्त जगह पा सके।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मन्त्री महोदय ने मुझको बहुत आसान उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप एक जटिल उत्तर चाहती हैं ?

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं उनसे एक गंभीर उत्तर चाहती हूं। कलकत्ता स्थित पटसन प्रौद्योगिकी संस्थान न केवल पूरे देश में बल्कि सम्पूर्ण एशिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थान है। जब सरकार पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण करने और उसका दर्जा बढ़ाने की इच्छुक है तो फिर भारत सरकार इस संस्थान को अपने हाथ में लेने की इच्छुक क्यों नहीं है ? महोदय, यह एक रुग्ण संस्थान

नहीं है। इसमें अन्तःशक्ति है, क्षमता है इसलिए यह एक रुग्ण संस्थान नहीं हो सकता। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगी कि भारत सरकार पटसन उद्योग का विकास करने के लिए इस उद्योग का प्रबन्ध ग्रहण क्यों नहीं कर रही है ?

मैं मन्त्री महोदय से इसका विशिष्ट उत्तर चाहती हूं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं.....

अध्यक्ष महोदय : कोई असहमत हो भी कैसे सकता है ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि कलकत्ता स्थित पटसन प्रौद्योगिकी संस्थान अपने क्षेत्र का प्रमुख संस्थान है, वास्तव में विश्व का यह अकेला संस्थान है जो पटसन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा प्रदान कर रहा है। यह कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्बन्ध एक स्वायतशासी संस्थान है और सरकार का यह मत नहीं है कि प्रबन्धग्रहण किए बिना इसमें सुधार नहीं किया जा सकता। सरकार इस संस्थान को चलाने के लिए बजट में योगदान कर रही है।

हम उनके 10 लाख रुपए के बजट में प्रति वर्ष लगभग 3 से5 लाख रुपए दे रहे हैं। सरकार का विचार माननीय प्रधान मंत्री के निर्देश के अन्तर्गत पहले से ही गठित 100 करोड़ रुपए की पटसन विकास निधि के माध्यम से इस संस्थान को और अधिक सहायता देने और इसका और अधिक विकास करने का है।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं विशेष रूप से यह जानना चाहती हूं कि क्या आप इस संस्थान का प्रबन्ध ग्रहण करने के इच्छुक हैं अथवा नहीं। यह 35 लाख रुपए की धनराशि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा दी गई है। आपने अपने विभाग से कितनी धनराशि दी है ? यदि आप पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण की वास्तव में इच्छा रखते हैं, तो पटसन संस्थान में प्रशिक्षित शिक्षित कर्मचारियों को उद्योग में लगाया जाए। सरकार छात्रों को इस संस्थान में प्रशिक्षण पाने के लिए आकर्षित करने हेतु कोई रचनात्मक नीति क्यों नहीं बना रही है ? यह संस्थान कुप्रबन्ध और वित्तीय अभाव के कारण भी ठीक ढंग से नहीं चला। मैं इस पहलू की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहती हूं और मैं यह जानना चाहती हूं कि इस संस्थान की सहायता करने और इस संस्थान में प्रवेश पाने के लिए अधिक से अधिक छात्रों को आकर्षित करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं माननीय सदस्य से इस बात पर अधिक सहमत नहीं हूं कि देश के पूर्व और पूर्वोत्तर भाग में पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के मामले में प्रौद्योगिकीविदों और निरीक्षकों का एक बड़ा संवर्ग तैयार करने की आवश्यकता है। सरकार इस संस्थान की आवश्यकताओं से पूरी तरह अवगत है। जैसा कि मैंने कहा हम संस्थान के विकास के लिए न केवल बजट में अधिक धनराशि, का योगदान करेंगे बल्कि पटसन विकास निधि, जिसमें ऐसे प्रयोजनों के लिए सहायता देने का प्रावधान है, से काफी अधिक धनराशि देने का प्रयास करेंगे। परन्तु इस समय सरकार का यह मत है कि हम कलकत्ता विश्वविद्यालय से जुड़े अथवा सम्बद्ध इस संस्थान की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है।

श्री अमल दत्त : महोदय, मेरी सदैव पश्चिम बंगाल के पटसन में रुचि रहती है। पहले भी मैंने यह प्रश्न पूछा था जिसका श्री मिर्धा ने उत्तर दिया था। पटसन उत्पादों की मांग बढ़ाने के लिए विविधता लाने की संभावनायें हैं। इस दिशा में अब तक बहुत कम प्रयास किया गया है यद्यपि, कलकत्ता में सरकार द्वारा वित्त पोषित दो अनुसंधान संस्थाओं ने पहले ही कुछ उत्पादों और कुछ प्रक्रियाओं का पता लगाया है जो आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कपड़ों की लागत कम करने और पटसन की मांग बढ़ाने के लिए पटसन का बहुत लाभप्रद ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। मैं जे०पी०आर० एल० और ई० जी० आई आर० ए० नामक संस्थानों के बारे में कह रहा हूं, जो दोनों कलकत्ता में स्थित हैं। जैसाकि मैं समझता हूं इन दो अनुसंधान संस्थानों और पटसन अनुसंधान संस्थान, जो अब विचाराधीन है, के बीच कोई सम्पर्क नहीं है। विभिन्न संस्थानों के बीच यह सम्पर्क स्थापित करने और यह देखने के लिए कि इस पटसन प्रौद्योगिकी संस्थान में विविधता लाई जाए ताकि संस्थान से प्रशिक्षण लेकर निकलने वाले व्यक्ति न केवल परम्परागत उत्पादों का उत्पादन करने बल्कि विविध प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करने के लिए पटसन उद्योग का लाभदायक ढंग से आधुनिकीकरण कर सके सरकार का क्या करने का विचार है ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, पटसन उद्योग को आधुनिक बनाने और देश तथा विदेश में पटसन के लिए बाजार ढूंढने के सरकारी प्रयासों में सर्वाधिक जोर दिये जाने वाले क्षेत्रों में से एक विविधता के सम्बन्ध में है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री मिर्धा जी ने अभी दो दिन पहले ही उस समय इन कदमों के बारे में विस्तार से बताया था जब पटसन पैकेजिंग के अनिवार्य प्रयोग सम्बन्धी विधेयक पर चर्चा हो रही थी। पटसन का व्यापार करने वाले सरकारी क्षेत्र निगम ने पहले ही कुछ ऐसे उत्पाद प्रस्तुत किए हैं जिनका वे कलकत्ता के आस-पास, भारत में और विदेश में परीक्षण के तौर पर विपणन कर रहे हैं। हम अनेक उपाय करने जा रहे हैं और इस पहलू पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।

गोवा, दमन और दीव में होटल

*969. **श्री शांताराम नायक :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा, दमन और दीव संघ राज्य-क्षेत्र में होटलों को सितारा-वार वर्गीकृत किया गया है अथवा श्रेणीबद्ध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गोवा संघ राज्य-क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के होटलों को कौन-कौन सी श्रेणी में रखा गया है और ऐसा किस आधार पर किया गया है;

(ग) क्या सरकार इस संघ राज्य-क्षेत्र में और अधिक पांच सितारा होटल स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी पार्टियों के किन्हीं प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो ये होटल किन स्थानों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) पर्यटन विभाग द्वारा गोआ, दमन और दीव में निम्नलिखित 16 होटलों का वर्गीकरण किया गया है :

क्रम सं०	होटल का नाम	स्टार श्रेणी
1.	होटल फोर्ट आगुआदा बीच रिसार्ट, गोआ	5-स्टार डीलक्स
2.	होटल मजोरदा बीच रिसार्ट, गोआ	5-स्टार डीलक्स
3.	होटल सिदादे दा-गोआ, गोआ	5-स्टार
4.	होटल ओबराय, डेबोलिन-गोआ	5-स्टार
5.	होटल केनीज, पणजी	3-स्टार
6.	होटल मांडवी, गोआ	3-स्टार
7.	होटल फिडाल्गो, पणजी-गोआ	3-स्टार
8.	होटल डेलमन, गोआ	2-स्टार
9.	होटल बाइआ-दि-सोल, गोआ	2-स्टार
10.	होटल लेपाज, गोआ	2-स्टार
11.	होटल मैट्रोपोल, मारगोआ	2-स्टार
12.	होटल नोहज आर्क, पणजी, गोआ	2-स्टार
13.	होटल जुआरी, गोआ	2-स्टार
14.	होटल नोवा, गोआ	2-स्टार
15.	होटल गोल्डन गोआ, पणजी	2-स्टार
16.	होटल सोलमार, पणजी	1-स्टार

(क) से (घ) पर्यटन विभाग ने निम्नलिखित होटल परियोजनाओं को भी उनके सामने दर्शाई गई स्टार श्रेणी के लिए परियोजना स्तर पर अनुमोदित किया है :–

क्रम सं०	होटल परियोजना का नाम और स्थान	अनुमानित स्टार श्रेणी	कमरों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स सीमा होटल्स, आगुआदा बीच केनाकोना, गोआ	5-स्टार	300	1984 में अनुमोदित परियोजना को ऋण क्लीयरेंस से संबंधित समस्याओं के कारण और समय दिया गया है।

1	2	3	4	5
2.	इंडियन होटल्स कम्पनी लि० कालनगुटे बीच, गोआ	5-स्टार	69	30 कमरे चालू हो चुके हैं।
3.	श्री एस० एल० अडवाणी, वार्सा बीच, गोआ	5-स्टार	140	
4.	होटल सिदादे-दा-गोआ, पणजी।	5-स्टार	110	यह विद्यमान होटल का विस्तार है।
5.	होटल मांडवी, पणजी	3-स्टार	24	–यथोपरि–

श्री शांताराम नायक : महोदय, गोआ जैसे छोटे से स्थान पर हमारे पास पहले ही लगभग चार पंचतारा होटल हैं। आपने विस्तार से जो आंकड़े दिये हैं उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी आप चार और पंचतारा होटल बनाने की अनुमति दे रहे हैं। इनमें से एक का विस्तार किया जाना है। कुछ लोगों के मन में यह धारणा उत्पन्न हो सकती हैं कि हमें जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिल रहा है वह पंचतारा होटलों के कारण मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है। वास्तव में हम गोआ में आम आदमी को ऊपर उठाना चाहते हैं। अतः इस दृष्टिकोण से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन पंच तारा, तीन तारा दो तारा और एक तारा होटलों पर नियंत्रण करने के लिए क्या कोई कानून है।

दूसरे तीन तारा, दो तारा और एक तारा होटल में क्या अन्तर हैं ? जहां तक पंच तारा होटल का संबंध है उसके बारे में हम पहले ही जानते हैं कि वे क्या हैं ? मैं एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ कि क्या ये होटल देश के किसी कानून द्वारा विनियमित हैं, यदि हां तो वह कानून क्या है ?

मुफ्ती मोहम्मद सईद : जहां तक पंचतारा होटल का संबंध है इसके लिए वर्गीकरण किया हुआ है, अर्थात, पंचतारा होटल में सिंगल रूम डबल रूम और लाउंज स्पेस की व्यवस्था है। शौचालय के लिए आपके पास पर्याप्त स्थान होगा। तत्पश्चात तैरने के तालाब (स्विमिंग पूल), स्वास्थ्य क्लब और अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाता है।

उदाहरण के तौर पर एक छोटे कमरे वाले होटल को एक तारा होटल कहा जाता है। यदि कमरा बड़ा हो तो उसे दो तारा होटल कहा जाता है। यह कमरे के आकार के अनुसार है। पर्यटक कमरा और अन्य कमरों में सम्बन्ध है।

श्री शांताराम नायक : महोदय, दुर्भाग्यवश सही ढंग से उत्तर नहीं दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा कानून है जो इन तीन तारा, दो तारा और एक तारा होटलों पर लागू होता हो ?

मुफ्ती मोहम्मद सईद : जहां तक पंचतारा होटल का सम्बन्ध है, उसमें सिंगल रूम का क्षेत्र 185 वर्ग फुट होना चहिए।

जहां तक दो तारा होटल का सम्बन्ध है, उसमें सिंगल रूम का क्षेत्र 100 वर्ग फुट और डबल रूम का क्षेत्र 120 वर्ग फुट होना चाहिए।

श्री शांताराम नायक : क्या यह विधि के अनुसार है ?

मुफ्ती मोहम्मद सईद : हां यह नियमों के अनुसार है। ये नियम पर्यटन विभाग द्वारा जारी किये गये हैं।

श्री शांताराम नायक : मैंने आपसे एक विशेष प्रश्न पूछा है, क्या इस सम्बन्ध में कोई कानून है; यदि हां तो वह कानून क्या है ?

मुफ्ती मोहम्मद सईद : इसके लिए नियम हैं।

श्री शांताराम नायक : कानून के अंतर्गत नियम बनाये जाते हैं कानून के बिना नियम नहीं बन सकते।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ज्यादा तारे चाहते हैं तो छत पर सोइये।

श्री शांताराम नायक : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि गोवा में केनाकोना नामक गांव में जो मेरे संसदीय क्षेत्र श्री फैलीरो के निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है, एक कम्पनी ने पांच तारा होटल का निर्माण करने का प्रयास किया है। यह गरीब और सीधे-साधे लोगों का एक छोटा सा गांव है। यहां होटल बनाया जाना है। लोगों को डराया धमकाया गया है। इन निजी मालिकों ने कुछ कीमत देकर लोगों से सीधे भूमि खरीदना शुरू कर दिया और किरायेदारों को किसी प्रकार का मुआवजा दिए बिना निकाल दिया गया। यह बताया गया है कि यह होटल पांचतारा डीलक्स ही नहीं है अपितु यह सात तारा ट्रेक होटल है क्योंकि "होर्स ट्रैक" भी है और इस बात की भी सुविधा है कि यात्रियों को हवाई अड्डे से सीधे इस होटल में लाया जा सके।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि केनाकोना गांव में इस प्रकार का कोई होटल बन रहा है और क्या आपने यहां के सांस्कृतिक पहलू का अध्ययन किया है जिसका गांववासियों पर असर पड़ेगा। क्योंकि गांववासियों को भय है और यहां तक कि उनकी निर्दोष लड़कियों को वैश्यावृत्ति अथवा अन्य कार्यों के लिए सीधे गांव से इस सात तारा होटल में ले जाया जा सकता है।

अतः मैं जानना चाहूंगा कि इस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से क्या आपने होटल बनाने की अनुमति दे दी है और क्या आप इस होटल के बारे में कुछ जानते हैं ?

मुफ्ती मोहम्मद सईद : महोदय, किसी भी होटल के निर्माण की योजना अथवा परियोजना की स्वीकृति पर्यटन विभाग द्वारा दी जाती है। यदि यह होटल समुद्र के किनारे स्थित हो तो इसकी स्वीकृति पर्यावरण मंत्रालय तथा स्थानीय अधिकारियों जैसे राज्य सरकार तथा अन्य स्थानीय निकायों से भी ली जाती है। अतः किसी भी परियोजना को जिसे शुरू किया जाना है, कुछ शर्तों तथा मानदंडों को अवश्य पूरा करना होता है।

[हिन्दी]

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, गोवा दमन और दीव हिन्दुस्तान के खूबसूरत टूरिस्ट सेंटर के रूप में विख्यात है और लाखों की संख्या में मिडिल क्लास लोग भी प्रतिवर्ष यहां की यात्रा करते हैं। वहां पर जितने भी होटल बनाये गये हैं, वे सभी फाइव स्टार थ्री स्टार और टू स्टार हैं, सिर्फ एक होटल वन स्टार है। क्या कामन मैन के लिये टूरिज्म डिपार्टमेंट कुछ व्यवस्था करेगा ? गरीब लोगों की भी तमन्ना होती है कि वे देश के खूबसूरत स्थलों को देखें, क्या विभाग उनके लिए कुछ करने जा रहा है ?

[अनुवाद]

मुफ्ती मोहम्मद सईद : पंचतारा होटलों के अलावा निर्जा लोगों द्वारा निर्मित अप्राधिकृत श्रेणियों के होटलों में 9000 शैय्याओं की व्यवस्था है। पर्यटन विभाग और गोआ पर्यटन विकास निगम ने 1,000 शैय्याओं के होटलों का निर्माण किया है। अतः मध्य वर्गीय पर्यटकों के लिए 10,000 शैय्या उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा ठक्कर : माननीय अध्यक्ष जी, कच्छ में मांडवी बड़ी सुन्दर जगह है। मांडवी में पर्यटन धाम बनाने के लिये गुजरात सरकार के मिनिस्टर ने शिलान्यास भी किया। लेकिन मुझे दुःख है कि भारत सरकार मन्जूरी नहीं दे रही है, तो क्या माननीय मन्त्री जी कच्छ में पर्यटन धाम के लिये मन्जूरी देने की कृपा करेंगे।

[अनुवाद]

मुफ्ती मोहम्मद सईद : महोदय ऐसा लगता है कि वह गुजरात को सुविधायें देने के बारे में बोल रही हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में मेरे पास आकर चर्चा करनी चाहिए।

[अनुवाद]

भारतीय मशीनरी औजारों का निर्यात

*970. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मशीनी औजारों का आयात करने वाले देशों के नाम क्या क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन देशों द्वारा आयात की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन औजारों के निर्यात के मामले में विकासशील और विकसित देशों में भारत की क्या स्थिति है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) भारतीय मशीनी औजार 60 से भी अधिक देशों द्वारा आयात किए जा रहे हैं। इनमें से भारतीय मशीनी औजारों के प्रमुख आयातक देश हैं, बल्गारिया, कनाडा, ब्रिटेन संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ तथा पश्चिम जर्मनी। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख आयातक देशों को इण्डियन मशीन टूल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन (इमटमा) द्वारा संकलित मशीनरी औजारों के निर्यात आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

देश	1984	1985	1986 (लाख रु०)
सोवियत संघ	459	1656	1920
बल्गारिया	197	554	1780
पश्चिम जर्मनी	88	103	466
ब्रिटेन	52	71	71
संयुक्त राज्य अमरीका	118	148	262
कनाडा	46	39	77
	960	2571	4576
मशीनी औजारों के कुल निर्यात	2070	3245	5338
प्रतिशत अंशदान	46·37	79·22	85·72

(ग) विश्व में मशीनी औजारों के उत्पादन में भारत 18वें स्थान पर है : यद्यपि अन्य देशों द्वारा निर्यातित मशीनरी औजारों के विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं है। भारतीय निर्यातकों को पश्चिम जर्मन, इटली, जापान और स्विट्जरलैंड जैसे परम्परागत प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा है जोकि अपने कुल उत्पादन के 60% से भी अधिक का निर्यात करते हैं। हाल के वर्षों में भारतीय निर्यातक ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन और ब्राजील से बढ़ती हुई प्रतियोगिता का सामना कर रहे हैं। 1986 में भारत ने अपने उत्पादन का केवल 12% निर्यात किया।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : जैसा कि आप जानते हैं औद्योगिक दृष्टि से भारत का स्थान विश्व के 10 विकसित देशों में एक है, लेकिन मशीन के औजारों के उत्पादन में भारत का स्थान 18वां है, जैसा कि मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस स्थिति में सुधार करने, उत्पादन में वृद्धि आदि करने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ताकि हमारा स्थान 10 से भी नीचे आ जाये और भारत की स्थिति के अनुरूप यह स्थान 1 से 10 के बीच रहे, अर्थात् औद्योगिक दृष्टि से यह स्थान विश्व के 10 विकसित देशों में से एक हो। इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; मशीन के औजारों के उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है; इनमें से कितने का निर्यात किया जा रहा है; इस निर्यात की क्या प्रतिशतता है और इस स्थिति में सुधार करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर देना चाहूंगा। इस समय कुल उत्पादन 320 करोड़ रुपए का है और निर्यात 53 करोड़ रुपए का है। माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 1986 के 53 करोड़ रुपए के जो निर्यात संबंधी आंकड़े मैंने अभी उन्हें बताये हैं वह वर्ष 1985 के आंकड़ों से 64 प्रतिशत अधिक है, अर्थात् इससे पहले निर्यात कम था।

दूसरे, उत्पादन में सुधार करने और बड़े बाजारों में प्रवेश करने के लिए हमने अब जो कदम उठाए हैं उनके बारे में यह सत्य है कि शुरू-शुरू में आयात के विकल्प के रूप में अर्थात् स्वदेशी मांग को पूरा करने के लिए भारत में मशीन के औजारों पर विचार किया गया था। ये औजार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता करने के लिए उच्च श्रेणी की प्रोद्योगिकी के मानकों के अनुसार नहीं थे।

अब हम दो श्रेणियों, अर्थात् सी० एन० सी० किस्म और एन० सी० किस्म के मशीन के औजारों का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय सदस्य कम्प्यूटरीकृत तटस्थ संघटक और तटस्थ संघटक से परिचित होंगे। 20 केन्द्रों पर इनका विकास किया जा रहा है। लेकिन अब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वे मूल्यवार बहुत प्रतियोगी नहीं है। वर्ष 1986 के दौरान हमें 4 करोड़ रु० की 20 सी० एन० सी० मशीनों का निर्यात करने में सफलता मिली।

माननीय सदस्य यह भी जानना चाहते थे कि निर्यात में हमारा कितना हिस्सा था। मशीन के औजारों के कुल उत्पादन का बारह प्रतिशत निर्यात किया गया। मैं माननीय सदस्य को यही सब बताना चाहूंगा।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि मशीन के औजारों के निर्यात के सम्बन्ध में भारत का योगदान 12 प्रतिशत रहा है। लेकिन इटली जापान और स्विटजरलैण्ड जैसे भी देश हैं जो अपने कुल उत्पादन 60 प्रतिशत निर्यात करते हैं। हाल के वर्षों में भारत को ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन और ब्राजील से कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है।

आम तौर पर यह आरोप लगाया जाता है या ऐसा समाचार होता है कि भारत में भारतीय औजारों के निर्माता और इन औजारों का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों के बीच सम्पर्क नहीं होता है; वे अपनी भावी मांग का पूर्वानुमान नहीं लगाते और वे उन्नत प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत सी चीजें जिसका वे अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, छठे दशक की प्रौद्योगिकी और अनुसंधान तथा विकास आदि चीजें हैं। पूर्ण ढांचे में सुधार करने के लिए नई प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ताकि उत्पादन और निर्यात के सम्बन्ध में हमारी स्थिति संतोषजनक बनी रहे ?

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत होंगे कि कुल उत्पादन में दो सरकारी क्षेत्र के एककों–हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और प्रागा टूल्स का भारी योगदान रहा है। प्रौद्योगिकी के विकास के लिए हमने तब से ही काफी उपाय किए हैं। हम बाजार में प्रवेश करते हैं और मशीन के औजारों सहित इंजीनियरी के कुल उत्पादन के निर्यात सवंर्द्धन के रूप में इंजीनियरिंग निर्यात सवंर्द्धन परिषद के माध्यम से प्रयोक्ताओं के साथ बातचीत करते हैं। इसके अलावा एक देश से दूसरे देश, एक पार्टी से दूसरी पार्टी के साथ जब द्विपक्षीय व्यापार वार्ता होती है तो हम उन

क्षेत्रों का पता लगाने का प्रयास करते हैं जिन्हें हम अपने मशीनों के औजारों की पूर्ति कर सकें। यह सच है कि हमारा दक्षिण कोरिया, चीन और ब्राजील से कड़ा मुकाबला है। यह भी सच है कि ताइवान हमारा बहुत बड़ा प्रतियोगी है। किन्तु जैसा कि मैंने कहा है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ समय पहले हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के भूतपूर्व चेयरमैन श्री मनसुखानी द्वारा विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई थी। उन्होंने पिछले ही सप्ताह कुछ सिफारिशें की हैं कि हम इस क्षेत्र में कैसे सुधार कर सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में और आगे बढ़ने के लिए हम अवश्य ही इन सिफारिशों पर विचार करेंगे।

श्री कुलमवईवेलू : माननीय मन्त्री द्वारा दिए गए उत्तर (ग) के अनुसार विश्व में मशीनी औजार उत्पादन में भारत का 18 वां स्थान है जबकि ताइवान तथा दक्षिण कोरिया जैसे देश मशीनी औजारों में जापान के साथ मुकाबला करने में समर्थ हैं। यहां तक कि आप भी अधिक जानते होंगे। यदि हम सिंगापुर जाएं तो हमें वहां ताइवानी माल देखने पर ऐसा लगेगा मानो ये जापान द्वारा निर्मित हो। वे इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ताइवान तथा दक्षिण कोरिया में शारीरिक श्रम सरलता से उपलब्ध है। यहां हमारे देश में भी शारीरिक श्रम सरलता से उपलब्ध है। तो फिर भारत का 18 वां स्थान क्यों है जबकि ताइवान तथा दक्षिण कोरिया जैसे छोटे देश अन्य देशों के साथ मुकाबला करने में सक्षम हैं? कठिनाई क्या है?

श्री प्रियरन्जन दास मुन्शी : माननीय सदस्य ने बहुत ही रोचक प्रश्न उठाया है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि स्वदेशी उद्योग के आयातित माल के प्रतिस्थापन के लिए मशीनी औजारों का निर्माण शुरू करने हेतु हमारी क्षमता छठे, सातवें तथा यहां तक कि आठवें दशक की है। इसलिए, उन्नत प्रौद्योगिकी के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार को बनाए रखने के लिए निर्यात के प्रति पूर्वाभिमुखता उसमें थी ही नहीं। अब नीति को उदार बनाए जाने के पश्चात, यहां तक कि ओ. जी. एल. के अन्तर्गत हम बहुत ही उन्नत किस्म की प्रौद्योगिकियों का आयात कर रहे हैं जो हमारे मशीनी औजारों के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की आवश्यकताओं के अनुकूल हमारी क्षमता को बढ़ाने में हमें शक्ति प्रदान करेगी तथा हमें आशा है कि हम और सुधार करेंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि हमने पहले ही 1985 के आंकड़ों की तुलना में 64 प्रतिशत का सुधार कर चुके हैं।

समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात

*971 **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान समुद्री खाद्य पदार्थों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(ख) समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात की मात्रा इस प्रकार थी :–

1984–85	86187 मे० टन
1985–86	83651 मे० टन
1986–87	85843 मे० टन

(ख) समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात के संवर्धन के लिए उठाये गये कदमों में शामिल हैं : पाली गई झींगा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए झींगा फार्मिंग का संवर्धन, मूल्य वर्धित मदों जैसे आई. क्यू. एफ. (इनडिविक्यूअलि क्विक फोजन) श्रिम्प, के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, झींगा अंडल उत्पत्तिशालाओं की स्थापना करना तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के उपयोग संबंधी उपाय।

प्रो० के० वी० थामस : समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात में केरल एक अग्रणी राज्य है। एक समय तो, लगभग 10 वर्ष पहले, समुद्री उत्पाद निर्यात में उनका एकाधिकार था, किन्तु गत पांच वर्षों से यह उद्योग कई कारणों की वजह से संकटों का सामना कर रहा है। उनमें से एक है, विदेशों से, थाइलैण्ड जैसे देशों से कड़ा मुकाबला। दूसरा है, हमारे समुद्री खाद्यों की गुणवत्ता के बारे में एक प्रश्न। इसमें अक्सर कीटाणु होते हैं। तीसरा है, इस उद्योग को हमारे बैंकों से उचित सहायता नहीं मिल रही है। इन कारणों की वजह से कोचीन में, जो अधिकांश समुद्री खाद्य उद्योगों का मुख्यालय है, एक के बाद दूसरा उद्योग बन्द हो रहा है। यह गम्भीर चिन्ता की स्थिति है।

माननीय मन्त्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि इस उद्योग को बचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : सर्वप्रथम माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहता हूं कि यह सच नहीं है कि समुद्री उत्पाद निर्यात तथा समुद्री खाद्य निर्यात की अब अधिक बुरी स्थिति है। इसके विपरीत यह बहुत उत्साहवर्धक है तथा देश के लिये काफी विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि इस वर्ष के निर्यात निष्पादन में समुद्री उत्पाद क्षेत्र हमारे अग्रणी क्षेत्रों में से एक था, जिसमें हम विदेशी मुद्रा की अधिकतम राशि कमा रहे हैं। आशा से भी अधिक राशि कमा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को आंकड़े दूंगा तथा वे स्थिति को समझ सकते हैं। समुद्री उत्पादों के सम्बन्ध में कुल निर्यात, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, दस वर्ष पूर्व वह एक एकाधिकार था—यदि दस वर्ष पूर्व—नहीं तो, 9 वर्ष पूर्व और हमने 240 करोड़ रुपये मूल्य के समुद्री उत्पादों का निर्यात किया तथा इस वर्ष हमने अब तक 470 करोड़ रु० मूल्य के उत्पाद निर्यात किये हैं तथा मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक अन्तिम आंकड़े आएंगे यह उससे भी अधिक हो जाएगी। यह सच नहीं है कि हम सुधार नहीं कर रहे हैं तथा समुद्री उत्पाद विकास निगम द्वारा इससे भी अधिक उपाय अपनाए गए हैं।

माननीय सदस्य को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उड़ीसा के गोपालपुर में हम एक कृत्रिम रूप से अंडे सेने का फार्म (हैचरी) बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश में एक अण्डे सेहने का फार्म है ही।

एक माननीय सदस्य : केरल में ?

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : केरल में पहले से ही एक है। पश्चिम बंगाल में हम ऐसा एक फार्म स्थापित कर रहे हैं, वह मीठा जल झींगा, मछली सेहन कार्यक्रम के लिये है। इसके अलावा हम राज्य सरकारों से मछुवारों को उत्पादन की खरीदों के लिये 25 प्रतिशत की राजसहायता दिलवा रहे हैं। ये कदम हैं जो हमने उठाये हैं तथा इनसे बढ़िया परिणाम निकल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत को बहुत जल्दी ही सफलता मिलेगी।

श्री के० वी० थामस : मुझे खेद है कि मन्त्री जी ने स्थिति का ठीक तरह से अध्ययन नहीं किया है क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। हमें इस समस्या को केवल अर्जित की गयी राशि की दृष्टि से ही नहीं देखना चाहिये क्योंकि निर्यात किये गये समुद्री खाद्यों की मात्रा बढ़ गई है। दस वर्ष पूर्व मूल्य 1000 रु० था तथा अब यह 2000 रु० अथवा इससे भी कहीं अधिक है। इसीलिए, विदेशी मुद्रा की वह यह मात्रा नहीं है जो हमने कमाई है। किन्तु यह समुद्री खाद्य की वह मात्रा है। जो हमने निर्यात की है। वह महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हू कि कोचिन में हमारी अधिकांश समुद्री खाद्य निर्यात कम्पनियां हैं तथा वे एक के बाद एक बन्द होती जा रही हैं। यह गम्भीर चिन्ता की स्थिति है। यदि इसी प्रकार से स्थिति जारी रही तो पांच अथवा दस वर्षों के पश्चात् हमारे देश में कोई भी समुद्री खाद्य निर्यात कम्पनी नहीं रहेगी। स्थिति यह है। इसीलिये बात यह नहीं है कि हमने कितनी धनराशि कमाई बल्कि यह है कि हमने समुद्री खाद्य की कितनी मात्रा निर्यात की।

दूसरे प्रश्न पर आते हुए मैं यह कहता हूं कि समस्या यह है कि हमें निर्यात के योग्य समुद्री खाद्य की पर्याप्त सामग्री नहीं मिल रही है। उदाहरण के तौर पर, झींगा। हमारे अरब सागर में पर्याप्त झींगा उपलब्ध नहीं हैं। हमें यह पता लगाना है कि इन्हें कैसे पाला जाए। यहां तक कि थाईलैन्ड जैसे देश, जिन्होंने यह उद्योग काफी बाद में शुरू किया था, हमारे साथ मुकाबला कर रहे हैं। उनके यहां कृत्रिम रूप से अण्डे सेने के अच्छे-अच्छे फार्म हैं। इसीलिए, केरल के पश्च जल में इन झींगों के पालन के लिये हमारी सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं न केवल केरल के लिये ही बल्कि समूचे देश के समस्त समुद्री उत्पादों ने लिये माननीय सदस्य की चिन्ता से समान रूप से चिंतित हूं। यह सच है कि मात्रा के हिसाब से कोई खास सुधार नहीं हुआ है। कुछ मामलों में गिरावट आई है जो 1000 अथवा 2000 टन है। परन्तु यह बिल्कुल सच है कि मुकाबला बहुत अधिक है तथा वह भी पड़ोसी देशों के बीच। परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि झींगा फार्मों, जो हमारे समुद्री उत्पाद निर्यात का एक मुख्य तथा प्रधान क्षेत्र हैं, के सुधार का हमने एक बहुत ही आधुनिक तथा वैज्ञानिक नजरिया अपनाया है। पहले स्थान पर नम्बर आता है झींगा का दूसरे पर नम्बर आता है श्रिम्प का तथा फिर आता है प्रशीतित मछली का। उसके बाद अन्य चीजों का नम्बर आता है।

अब आधुनिक प्रथा यह है, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि हम इस स्थिति में किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं ताकि झींगा ठीक तरह से उतर सके। झींगा अण्डज फार्म समुद्र से ही शुरू होते हैं। हमने उन फार्मों को विकसित किया है तथा हमारा प्रयास है कि ग्रामीण किसानों को झींगा अण्डज योजनाबद्ध तरीके से उपलब्ध हो सके। झींगा फार्मों के लिए परियोजनाओं का पता लगाने तथा उन्हें तैयार करने हेतु उस बारे में सूक्ष्म स्तर सर्वेक्षण किए जाते हैं तथा बहुत सी कई आधुनिक चीजें शुरु की गई हैं जैसे व्यक्तिगत रूप से तुरन्त प्रशीतित श्रिम्प। श्रिम्पों को एक साथ एकत्रित कर लिया जाता है। एक ब्लक में इन्हें बेच दिया जाता है। 5 कि० के वजनों में इन्हें यह बेच देते हैं। किन्तु अब अधिक मूल्य पर निर्यात की मांग की जा रही है। प्रत्येक अलग झींगा श्रिम्प को प्रशीतित करना पड़ता है, सही पैक करके फिर बाजार में बेचा जाता है। इस बारे में हमने एक बड़ा कदम उठाया है।

झींगा के बारे में सातवीं योजना के दौरान इस बात पर जोर दिया गया है कि उन राज्यों में जिनमें कृत्रिम रूप से अण्डे सेने के फार्म नहीं हैं उनमें इन फार्मों की स्थापना की जाए। मुझे आशा है कि इन सभी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के पश्चात- सातवीं योजना के अन्त तक हमारे परिणाम अब के विद्यमान परिणामों से भी अधिक अच्छे निकलेंगे। जहां तक केरल की बात है मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि मैं स्थिति का अध्ययन करने, विशेष रूप से कि वहां क्या समस्याएं हैं, इस महीने की 21 तारीख को वहां जा रहा हूं।

श्री के० एस० राव : आंध्र प्रदेश पीछे नहीं है। हजारों कि०मी० का इसका समुद्री तट है तथा कोल्लेरू और अन्य झीलों में विस्तृत क्षेत्र है। यह एक सच्चाई है कि उन स्थानों को वैज्ञानिक आधार पर विकसित करने के लिए काफी कुछ नहीं किया गया है हालांकि उनमें विदेशी मुद्रा अर्जित करने की बहुत अधिक संभावना है। इस संबंध में मैं यह बात मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता संस्थानों में लिये जाने हेतु प्राथमिकता दी जाए और उन्हें इस आधुनिक प्रौद्योगिकी में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें ऋण भी दिया जाए बजाय इसके कि इसे उन लोगों को दे दिया जाए जो इस क्षेत्र के लिए बिल्कुल नये हों और इससे अपरिचित हों मैं समझता हूं कि टाइगर झींगे, के साथ सैकड़ों टनों में आने वाली मछलियों को फेंक दिया जाता है क्योंकि इनका निर्यात बिल्कुल ही नहीं होता। मेरा ख्याल है कि इस मछली के परिस्करण की भी एक तकनीक है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने झींगों के साथ आने वाली मछलियों के परिस्करण के लिए कोई कारखाना स्थापित करने का और इसके निर्यात का कोई विचार किया है।

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : आंध्र प्रदेश के बारे में मैं भी माननीय सदस्य की चिन्ता से समान रूप से चिंतित हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आंध्र प्रदेश उन राज्यों में से एक है जहां हमारी झींगा 'हैचरी' (कृत्रिम रूप से अंडे सेने का फार्म) बनेगी। राज्य सरकार ने दो स्थान बताये हैं। इनमें से एक है-काकीनाडा। एम०पी०डी०ए० इस विषय में शीघ्र निर्णय करने वाला है कि क्या 'हैचरी' इसी स्थान पर बनाई जाए। अन्य प्रकार की मछलियों से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है कि कौन कौन सी मछली झींगे के साथ आती है। परन्तु झींगे के अलावा हम जो वास्तविक चीजें निर्यात कर सकते हैं वे हैं :— लोब्सटर, फिलेट्, स्क्विड। यदि ऐसी चीजें वहां हैं तो हम निश्चिय ही इनके लिए भी इन्तजाम करेंगे। जहां तक निर्यात का संबंध है, और चीजों से हमें सहायता नहीं मिलेगी। मैं आन्ध्र प्रदेश में 'हैचरी' स्थापित करते समय माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करूंगा।

लद्दाख की यात्रा करने वाले पर्यटकों को विमान किराये में रियायत

*974. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का श्रीनगर की यात्रा करने वाले पर्यटकों को दोराहो विमान किराये में छूट की भांति लद्दाख की यात्रा करने वाले यात्रियों को भी मूल वापसी विमान किराए में 30% की छूट देकर वर्तमान विषमता को दूर करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) लेह (लद्दाख) के हवाई किराए में रियायत देने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) परिचालन संबंधी कारणों से हवाई जहाजों की यात्रियों को वहन करने की क्षमता में कमी करने और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति के कारण हवाई सेवाओं को रद्द करने की अधिक वारदात की वजह से लेह के लिए हवाई सेवाओं के मामले में परिचालन संबंधी लागत ज्यादा है।

श्री पी० नामग्याल : मेरा एक विशिष्ट प्रश्न है। यह इस तरह से है : क्या सरकार का श्रीनगर की यात्रा करने वाले पर्यटकों को दोराही विमान किराये में छूट की भांति लद्दाख की यात्रा करने वाले यात्रियों को भी मूल वापसी विमान किराये में 30 प्रतिशत की छूट देकर वर्तमान विषमता को दूर करने का विचार है। सरकार विषमता होने की बात स्वीकार करती है और इसे दूर करना नहीं चाहती। प्रश्न यह है कि क्या यह सच नहीं है कि हजारों विदेशी पर्यटक विभिन्न कारणों से श्रीनगर को एक ओर छोड़ते हुये लद्दाख की यात्रा करते हैं और लाखों स्वदेशी यात्री हर वर्ष जम्मू स्थित पूजा स्थल वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं। क्या सरकार जम्मू और लद्दाख क्षेत्र से इस विषमता को दूर करने पर विचार करेगी और जम्मू और लद्दाख की यात्रा करने वाले सभी प्रकार के यात्रियों को मूल वापसी विमान किराये में 30 प्रतिशत की छूट देगी तथा इन तीनों ही क्षेत्रों को एक समान मानेगी।

मुफ्ती मोहम्मद सईद : महोदय, नागर विमानन मंत्रालय ने उन पर्यटकों को, जो श्रीनगर और जम्मू की यात्रा करते हैं, 30 प्रतिशत की छूट दी है, मैंने अभी-2 नागर विमानन मंत्री जी से इस मामले पर चर्चा की है कि इन पर्यटकों को भी इसी प्रकार की छूट दी जाए जो लद्दाख की यात्रा करें। इसलिए, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि यह छूट उन पर्यटकों को भी दी जायेगी जो लद्दाख की यात्रा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नामग्याल जी. आजकल आप सभी मामलों में सुविधायें प्राप्त करते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री टी० बशीर — अनुपस्थित हैं।
श्री संतोष कुमार सिंह— ,,
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : महोदय, मैं इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।
श्री तेजा सिंह दर्दी—अनुपस्थित हैं।
श्री मोती लाल सिंह— ,,

मुझे सदस्यों की इस प्रकार से हमेशा अनुपस्थित रहना पसन्द नहीं है। मुझे खेद है कि इतने तनाव, इतने खर्च और इतने सारे प्रयास करने के बावजूद सदस्य गण अनुपस्थित रहते हैं। मैं इसे पसन्द नहीं करता।

बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में जनता कपड़ा उपलब्ध न होना

*979. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में जनता कपड़ा उपलब्ध न होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में कौन से सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) भारत सरकार को बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में जनता कपड़ा उपलब्ध न होने के कारण होने वाली कठिनाई के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीमती किशोरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि 1985 और 1986 में बिहार को कुल कितने जनता कपड़े का आवंटन किया गया था । और वास्तव में कितना वहां भेजा गया था ।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, बिहार के लिये 1979-80 में 189.4 लाख वर्ग मीटर (कपड़े का आवंटन किया गया था । 1985-86 में 438.2 लाख वर्ग मीटर कपड़े का आ र 1986-87 में 550 लाख वर्ग मीटर कपड़ा था ।)

श्रीमती किशोरी सिंह : महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने विभिन्न जिलों में कपड़े के वितरण के कई मानदण्ड निर्धारित किये हैं जैसे जनसंख्या के आधार पर, और क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं कि यह कपड़ा वास्तव में पिछड़े जिलों को ही भेजा जाये जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र ।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय मूल वितरण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया था लेकिन इस योजना को कार्यान्वित करने में राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य निष्पादन और प्रत्येक राज्य सरकार की कार्यकुशलता को देखते हुए समय समय पर कुछ अन्तर किए गए हैं ।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि ठीक बिहार के बगल में हमारा जिला है और पूर्वान्चल के उस भाग में तो जनता कपड़ा मिलता ही नहीं है जबकि हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी 11 करोड़ है तो क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के लिए कितना कपड़ा एलाट किया गया और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं विशेषकर बलिया, गोरखपुर देवरिया आदि वहां जनता कपड़ा नाम को भी नहीं जाता, तो उस गरीब इलाके में भी गरीब लोगों तक जनता कपड़ा पहुंचाने का प्रबन्ध किया जायेगा ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, उत्तर प्रदेश को अवंटित किये गए जनता कपड़े का कोटा राष्ट्रीय योग का 24 से लेकर 32 प्रतिशत तक रहा है । हमारे पास जिलावार आंकड़े नहीं हैं ।

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, जनता क्लाथ के डिस्ट्रीब्यूशन के सम्बन्ध में यह नीति तय की गई थी कि रिमोट विलेजेज में भी हम जनता क्लाथ सप्लाई करेंगे।

वहां पर डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम की दुकानें रहेंगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं, रिमोट विलेजेज में गरीबों को जनता कपड़ा देने के लिए आप वचनबद्ध हैं, तो इसके अन्तर्गत आपने बिहार में कितनी दुकानें खोली हैं, जिससे जनता को जनता कपड़ा मिल सकें ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय जनता कपडा समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के कमजोर वर्गों, के लिए दिया जाता हैं और हम उस पर 2 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से राज सहायता दे रहे हैं। भारत सरकार जनता कपड़ा योजना पर हर वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि बिहार में कितने वितरण केन्द्र खोले गए हैं। मुझे बिहार में खोले गए केन्द्रों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं है। यह वितरण निर्धारित 'नीडल' एजैंसियों द्वारा किया जाता है जैसे कि विभिन्न राज्यों में शीर्ष सहकारी समितियों और नागरिक आपूर्ति निगमों द्वारा। महोदय, यह सच है कि ऐसी कुछ शिकायतें मिली हैं कि वितरण अभीष्ट लाभार्थियों तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता और यह वितरण शहरी इलाकों तक ही सीमित रह जाता है। महोदय, जैसा मैंने शुरू में ही कहा है कि जनता कपड़ा योजना की सफलता अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है जो उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति, अर्थात, प्रत्येक राज्य में इसके प्रसार पर निर्भर है।

[हिन्दी]

श्री जगदीश अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है, जनता क्लाथ के अन्तर्गत जनता धोतियां ब्लेक में बिक जाती हैं चोर बाजार में चली जाती हैं और फिर बाद में छापकर बेची जाती हैं जिससे जनता को कपड़ा नहीं मिल पाता है ? इसकी रोकथाम के लिए आपने कोई उपाय किये हैं ?

[अनुवाद]

श्री कृष्ण कुमार : महोदय यह सच है कि कुछ राज्यों में कभी-कभी ऐसी कुछ शिकायतें आती है कि इस योजना का दुरुपयोग किया जा रहा है अभीष्ट लाभार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और शिखर स्तर पर बहुत सी घपले बाजी की जा रही है कभी-कभी तो कपड़े का उत्पादन ही नहीं होता, खातों में जालसाजी की जाती है और सरकार से राज सहायता की राशि ले ली जाती है परन्तु अनिवार्यतः यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है हमारे यहां वस्त्र मंत्रालय में किसी प्रकार का पर्यवेक्षण, निगरानी अथवा सतर्कता तंत्र नहीं हैं लेकिन हमने सख्त मार्ग निर्देश जारी कर दिये हैं और हम इस योजना की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री भट्टम श्री राममूर्ति नहीं है। श्री अमर सिंह राठवा, श्री यशवंतराव गडाख पाटिल, श्री प्रकाश चन्द्र, श्री सुभाष यादव और मोहन लाल पटेला नहीं हैं।

अब प्रश्न-काल समाप्त हो रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में विद्युत चालित करघे

*964. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में गत दो वर्षों में कितने विद्युत चालित करघे पूरी क्षमता पर काम कर रहे थे, कितने क्षमता से कम पर कार्य कर रहे थे और कितने करघे बंद पड़े थे और उत्पादन की कितनी हानि हुई;

(ख) क्या सरकार ने विद्युत चालित करघों को प्रोद्योगिकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है, ताकि उनमें तैयार उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सके और भारत तथा विदेशों में उनके व्यापार का विकास हो सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में अलग-अलग विद्युत करघा एककों की क्षमता उपयोगिता की दरों के कोई सही प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है। बाजार परस्थितियों, विद्युत सप्लाई की उपलब्धता और विद्युत करघा स्वामियों के आर्थिक निर्णयों के अनुसार बुनाई कार्यकलाप के स्तरों में समय-समय पर परिवर्तन होता है। उपलब्ध जानकारी से महाराष्ट्र में विकेन्द्रीकृत विद्युत करघा क्षेत्र में बुनाई कार्यकलाप में किसी गंभीर कमी का संकेत नहीं मिलता।

(ख) और (ग) विद्युत करघों को तकनीकी सहायता प्रदान करने तथा उनके प्रोद्योगिकीय उन्नयन और उत्पाद में सुधार लाने में सहायता देने के लिए विद्युत करघा सेवा केन्द्र स्थापित करने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। महाराष्ट्र में मालेगांव में 1977 में एक विद्युत करघा सेवा केन्द्र स्थापित किया गया था तथा इछलकरंजी में एक और सेवा केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया है।

चीन के साथ व्यापार

*965. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान चीन से किन-किन वस्तुओं का आयात किया गया और उनका मूल्य कितना था; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान चीन को किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया गया और उनका मूल्य कितना था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) डी जी आई एण्ड एस द्वारा संकलित अद्यतन आंकड़ों के आधार पर एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

वर्ष 1984-85 के दौरान चीन जनवादी गणराज्य के साथ भारत के मुख्य वस्तुवार व्यापार आंकड़ों को दर्शाने वाला विवरण

मुख्य वस्तुएं	मात्रा का यूनिट	1984-85 मात्रा	मूल्य
1	2	3	4
		(मूल्य लाख रु० में)	
निर्यात			
अपरिष्कृत वनस्पति सामान	...	....	16
रसायन और संबद्ध उत्पाद	...	....	7
अधातुकीय खनिज उत्पाद	...	...	57
लोह अयस्क और सान्द्रण	'000' मे० टन	30	
लोहा व इस्पात	,,	18	431
मशीनरी व परिवहन उपस्कर	...	...	36
अन्य	...	....	12
कुल निर्यात	...	....	633
पुनर्निर्यात	...	....	शून्य
आयात			
सब्जियां तथा फल	...	....	52
मसाले	'000' किग्रा.	1168	330
अपरिष्कृत सामान, अखाद्य ईंधन को छोड़कर	...	....	1685
रसायन व संबद्ध उत्पाद	...	....	2023
टेक्सटाइल यार्न, फैब्रिक्स, मेड-अप वस्तुएं तथा संबद्ध उत्पाद	....	....	392
अधातुकीय खनिज उत्पाद	...	—	209
लोहा व इस्पात	'000' मे. टन	2	59
अलोह धातु	....	....	129
धातुकीय उत्पाद	—	...	242

1	2	3	4
मशीनरी व परिवहन उपस्कर	....	...	1671
जमा हुआ वनस्पति तेल व वसा	'000' किग्रा	4161	373
कागज व गत्ता	,,	29	6
अन्य	...	....	85
कुल आयात	....	...	7256

(करोड़ रु० में)

वर्ष	आयात	निर्यात	योग
+1985-86	165.31	28.83	194.14
+1986-87	129.12	12.42	141.54

(अप्रैल 1986—दिसम्बर, 86)

+डी जी सी आई एण्ड एस द्वारा अभी 1984–85 के बाद के मुख्य वस्तु-वार ब्यौरे संकलित नहीं किए गए हैं।

जोधपुर जेल में बंदियों के मामलों पर पुनर्विचार

*968. श्री लक्ष्मण मलिक :
श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जोधपुर जेल के सभी बंदियों के मामलों पर पुनर्विचार करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, इसे संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मामला विचाराधीन है।

कपड़ा मिलों को नकद प्रतिपूर्ति सहायता

*972. श्री वी० कृष्ण राव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने कुछ कपड़ा मिलों में भी नकद प्रतिपूर्ति सहायता योजना प्रारम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कुछ मिलों में इस योजना को प्रारम्भ न करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) सरकार द्वारा निर्यातकों को नकद मुआवजा सहायता करों में छूट न मिलने तथा उनके द्वारा उठाये जाने वाले अन्य अलाभों के लिए उनकी क्षतिपूर्ति हेतु दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत, नकद मुआवजा सहायता राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों सहित कपड़ा मिलों को उनके कपड़ा उत्पादों के निर्यातों की मात्रा के आधार पर दी जाती है,

उड़ीसा में हथकरघा उद्योग

*973 **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में हथकरघा उद्योग के विकास की बहुत अधिक क्षमता है, जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा में वर्तमान हथकरघा उद्योगों की लाभप्रदता के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है; और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इन एककों को अपनी प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने के लिए कोई वित्तीय सहायता देती है; यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और उससे अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा और क्या सहायता दिए जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हाँ।

(ख) उड़ीसा में वर्तमान हथकरघा उद्योग की लाभप्रदता का ऐसा कोई आंकलन नहीं किया गया है।

(ग) हथकरघा उद्योग के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की बराबर की सहायता से एक योजना कार्यान्वित कर रही है। इनमें सहकारी तथा राज्य हथकरघा विकास निगम क्षेत्रों में करघों का आधुनिकीकरण/नवीकरण उनकी खरीद शामिल है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा रिलीज की गई वित्तीय सहायता तथा उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आधुनिकीकरण/नवीकृत/ खरीदे गए करघों की संख्या निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	रिलीज की गई मात्रा	आधुनिकीकृत करघों की संख्या
1984-85	21.00	10,906
1985-86	3.00	4,521
1986-87	16,50	4,159

(घ) हथकरघा क्षेत्र की सहायता अन्य कई योजनाओं द्वारा भी की जाती है जैसे प्राथमिक तथा शीर्ष हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों, राज्य हथकरघा विकास निगमों में अंशपूंजी सहायता, प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के लिए प्रबंधकीय उपदान, करघा-पूर्व तथा करघा-पश्चात प्रोसेसिंग सुविधाओं की स्थापना तथा कल्याणकारी उपाय जैसे ग्रिफ्ट निधि तथा वर्कशेड-सह-आवास योजनाएं। इन योजनाओं के अन्तर्गत सहायता राज्य सरकार से प्राप्त अर्थक्षम प्रस्ताव के आधार पर तथा निधियों की उपलब्धता के अनुसार रिलीज की जाती है।

हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए नियत की गई धनराशि का उपयोग

*975. **श्री टी० बशीर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी योजनाएं आरंभ की हैं तथा प्रत्येक योजना के लिये, राज्य-वार, कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) क्या इन योजनाओं के लिये नियत की गई धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कुल कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया;

(घ) क्या केरल राज्य सरकार ने और अधिक धनराशि दिये जाने के लिये अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) हथकरघा के संवर्धन के लिए निधियों का आवंटन योजना वार किया जाता है ना कि राज्य-वार। 1986-87 के लिए बजट प्राक्कलन में किए गए आवंटन तथा अन्तिम रूप से निधियों का उपयोग निम्नोक्त प्रकार थे : —

क. योजना

योजनाएं	बजट प्राक्कलन 1986-87	31-3-87 तक उपयोग
1	2	3
	(लाख रुपये में)	
1. बुनकर सेवा केन्द्र	60.00	*27.17
2. भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान	27.81	*37.00

1	2	3
3. डब्ल्यू. एस. सी./आई. आई.एच.टी.के. लिए विनियम	62.19	*52.14
4. ए. आई. एच. एफ एम. सी. एस. को सहायता	20.00	34.91
5. बाजार सर्वेक्षण तथा अध्ययन	10.00	1.59
6. एन. सी. डी. सी. को सहायता	500.00	500.00
7. प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रशिक्षण	30.00	18.00
8. प्रचार तथा प्रदर्शिनी	105.00	245.00
9. एन. एच. डी. सी.	150.00	25.00
10. आंकड़े	70.00	50.00
11. एन. ई. एच. एच. डी. सी. को सहायता	10.00	– –
12. थ्रिफ्ट निधि	100.00	61.66
13. प्राथमिक को शेयर पूंजी ऋण	160.00	170.36
14. प्रबन्धकीय उपदान	40.00	30.00
15. ई. पी. डी. एस./एच. डी. पी. एस.	150.00	90.00
16. एस. एच. विकास निगमों को शेयर पूंजी सहायता	200.00	205.00
17. एस. अपैक्स समितियों को शेयर पूंजी सहायता	240.00	2200.00
18. करघा पूर्व /करघा पश्चात संसाधक सुविधाएं	200.00	215.00
19, करघों का आधुनिकीकरण	175.00	180.00
20. वर्कशेड-सह-हाउसिंग योजना	140.00	207.67
21. फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	145.00	158.00
22. आर० एण्ड डी० परियोजनाएं	20.00	21.00

1	2	3
23. विकास आयुक्त हथकरघा(प्रवर्त्तन)	15.00	19.73
24. एन. एच. डी. सी. (ऋण)	50.00	25.00
25. राज्यों को प्रवर्तन व्यवस्था	—	25.00
	2680.00	2602.41

* अनन्तिम

ख. गैर-योजना

1. विकास आयुक्त (हथकरघा)	33.85	33.55
2. बुनकर सेवा केन्द्र	215.00	232.41
3. हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान	38.81	38.81
4. ए. आई. एच. एफ. एम. सी. एफ. को सहायता	150.00	102.24
5. जनता कपड़े पर उपदान तथा हथकरघा कपड़े पर विशेष छूट	11055.00	12297.955
6. राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी महासंघ	15.00	25.00
7. जनता कपड़े पर उपदान तथा हथकरघा कपड़े पर विशेष छूट	15.00	10.00
8. एन. ई. एच. एच. डी. सी./आर. आई.सी./एन. एच. डी. सी./यू. टी. को विशेष छूट	25.00	30.00
	11547.66	12797.26

1986-87 में योजना के अन्तर्गत 2680.00 लाख रु० के कुल आवंटन में से 1986-87 में 2602.41 लाख रु० की राशि का उपयोग किया गया था। गैर-योजना के अन्तर्गत कुल प्रावधान 11547.66 लाख रु० था और 1986-87 में लगभग 12797.26 लाख रु० की राशि खर्च की गई थी। इस प्रकार 1986-87 के लिए योजना तथा गैर-योजना के अन्तर्गत 14227.66 लाख

रु० के कुल आवटन के मुकाबले 15399.67 लाख रु० की राशि का उपयोग किया गया था। ऐसा समग्र मन्त्रालय की उन योजनाओं में से जिनके लिए कम प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, निधियों का उन योजनाओं में से पुनः विनियोजन करके किया गया है जिनके लिए अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी हां। कुछ मामलों में केरल राज्य सरकार ने इसे रिलीज की गई निधियों से अधिक के लिए अनुरोध किया था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अधीन की गई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार की सहायता में कमी करनी पड़ी क्योंकि अधिकांश योजनाएं समतुल्य आधार पर हैं। कुछ अन्य मामलों में स्पष्टीकरण के अभाव और प्रस्ताव देर से प्राप्त होने आदि की वजह से अपेक्षतया कम सहायता प्रदान की गई।

पर्यटक गाइडों/भाषान्तकारों के लिए प्रशिक्षण

*976. **श्री संतोष कुमार सिंह** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पर्यटक गाइडों, एस्कार्ट और विदेशी भाषाओं के भाषान्तरकारों के लिये कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये निर्धारित आवश्यक और वांछनीय अर्हतायें क्या हैं;

(घ) उनके कार्य स्थल और उसके अतिरिक्त स्थानों पर काम करने के लिए उनके लिए सरकार द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक और भत्तों की न्यूनतम दरें क्या हैं; और

(ङ) देश में, विशेषकर दिल्ली में, इस समय मान्यता प्राप्त भाषान्तरकारों की संख्या कितनी है तथा प्रत्येक भाषा के कितने-कितने भाषान्तरकार हैं ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय भारत स्थित अपने पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से पर्यटक गाइडों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है। यह मंत्रालय अनुमोदित गाइडों के लिए भाषा पाठयक्रमों का भी आयोजन करता हैं। भारत सरकार के कुछ पर्यटक कार्यालयों द्वारा आयोजित किए गए गाइड प्रशिक्षण पाठयक्रमों की संख्या इस प्रकार है :—

दिल्ली	: 9
आगरा	: 5
जयपुर	: 6
वाराणसी	: 6
मद्रास	: 10
कोचीन	: 5
बम्बई	: 14

औरंगाबाद	:	9
खजुराहो	:	2
श्रीनगर	:	1
कलकत्ता	:	6

(ग) प्रवेश के लिए अनिवार्य तथा वांछनीय योग्यताएं इस प्रकार हैं :–

(1) न्यूनतम : एक मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा एक मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पर्यटन में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

(2) वांछनीय : अंग्रेजी के अलावा अन्य विदेशी भाषाओं का ज्ञान । भारत के इतिहास, संस्कृति और परम्परा तथा विशेष रूप से स्मारकों एवं इस क्षेत्र की अन्य ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी ।

(3) आयु सीमा : गाइड पाठ्यक्रम के लिए प्रेस में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख को 20-30 वर्षों के बीच (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में 32 वर्ष तक)

(घ) सरकार द्वारा निश्चित फीस और भत्ते की दरें इस प्रकार हैं :–

दल का आकार	आधा दिन 1-4 घंटे	पूरा दिन 4-8 घंटे	8 घंटे से अधिक
1-4 व्यक्ति	48.00 रु०	72.00 रु०	दल के आधार का ध्यान किए
5-15 व्यक्ति	60.00 रु०	85.00 रु०	बिना प्रति घंटा अथवा उसके
16-40 व्यक्ति	80.00 रु०	95.00 रु०	किसी भाग के लिए 10.00
	प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 2.00 रु० अलग से	प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 2.00 रु० अलग से	रुपए ।

लंच भत्ता : निशुल्क लंच अथवा 20 रु० यदि पूरे दिन के स्थानीय कार्यों के लिए उसे स्वयं व्यवस्था करनी हो और आउट स्टेशन कार्यों के लिए 30 रुपए।

आउट स्टेशन भत्ता : यदि गाईड को अपने कार्य स्थान से रात भर बाहर रहना पड़े तो उसे भोजन तथा आवास एवं अन्य आकस्मिक खर्चों यथा यात्रा, लांड्री, आदि के एवज में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सहित उपयुक्त स्तर के होटल में मुफ्त आवास उपलब्ध कराया जाएगा या प्रति दिन (24 घंटे) 100 रुपए दिए जाएंगे । ऐसे आउट स्टेशन कार्यों के मामले में जहां रात-भर ठहराना शामिल न हो, निशुल्क लंच/लंच भत्ते के अलावा आउट-स्टेशन भत्ता 30 रु० है ।

परिवहन प्रभार : यदि गाइड के लिए सुबह 7.30 बजे रिपोर्ट करना अथवा रात को 8.30 के बाद अपना कार्य समाप्त करना अपेक्षित हो तो अभिकरण या तो उसे उसके घर से लाने/घर पर छोड़ने के लिए वाहन मुहैया कराएगा या उसे परिवहन भत्ते के रूप में 20 रुपए देगा। यदि गाइड के पास पूरे दिन का काम है और उसे सुबह 7.30 से पहले चल कर रात 8.30 के बाद प्रस्थान करना है तो वह परिवहन भत्ते के रूप में 20 रुपए का पात्र होगा।

(ङ) दिल्ली में 106 पर्यटक गाइड हैं जिन्हें अंग्रेजी के अलावा अन्य विदेशी भाषाओं का ज्ञान है। इनका भाषा-वार ब्यौरा इस प्रकार है :–

जर्मन	- 31
फ्रेंच	- 30
स्पेनिश	- 16
इतालवी	- 13
जापानी	- 5
रूसी	- 4
फारसी	- 3
चीनी	- 2
हंगेरियन	- 1
पुर्तगाली	- 1

[हिन्दी]

धागा वितरण नीति

*977. श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :
श्री तेजा सिंह दर्दी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई धागा वितरण नीति के संबंध में सिफारिशें करने के लिए संयुक्त सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो कब और इस समिति द्वारा अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या सरकार ने इस समिति में उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

निर्यात निरीक्षण परिषद के व्यय

*978. श्री मोतीलाल सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात निरीक्षण परिषद और इसके क्षेत्रीय कार्यालय, यदि कोई है, के सभी व्यय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिये गये अनुदानों में से किये जा रहे हैं ; और

(ख) निर्यात निरीक्षण परिषद के वित्तपोषक कौन हैं और सम्बद्ध पार्टियों/सरकारी एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इनके द्वारा दिये गये चंदे का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) के कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं हैं। ई० आई० सी० के खर्चों को अनिवार्यतः सरकारी अनुदानों के जरिये पूरा किया जाता है। निर्यात निरीक्षण परिषद को थोड़ी राशि निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (ईआईए) से भी प्राप्त होती है। गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुई राशियां नीचे दिये गये अनुसार हैं :–

वर्ष	सरकारी अनुदान (लाख रु० में)	ई आई ए से (रु०)
1984-85	21.71	67,104.45
1985-86	21.19	71,413.67
1986-87	29.60	72,201.30*

(* अनन्तिम तथा लेखा परीक्षा के अध्यधीन)

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा हथकरघों की गणना

*980. श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद इस समय हथकरघा उद्योग में हथकरघों की गणना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस गणना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और यह कार्य कब तक पूरा किया जाना है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले गणना कार्यों सम्बन्धी कार्यक्रम बनाने तथा मानीटर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद को प्रतिधारित किया गया है।

(ख) गणना का मूलभूत लक्ष्य, हथकरघा विकास कार्यक्रमों के अधिक प्रभावकारी आयोजना तथा कार्यान्वयन हेतु, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं सहित उद्योग के कतिपय आवश्यक पक्षों पर जानकारी एकत्रित करना है। गणना का क्षेत्र कार्य जून-जुलाई 1987 के दौरान किए जाने की उम्मीद है तथा मुख्य गणना आंकड़े जनवरी 1988 के अन्त तक अनन्तिम रूप में उपलब्ध होने की उम्मीद है।

वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में वन्य विश्राम गृहों का निर्माण

*981. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन अभ्यारण्यों में अब तक वन्य विश्राम गृहों का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में पर्यटकों के लिए वन विश्राम गृहों का निर्माण किए जाने की भारी मांग है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन-किन अभ्यारण्यों का चयन किया गया है और इन अभ्यारण्यों में कब तक पर्यटक विश्राम गृहों का निर्माण कर दिये जाने की संभावना है ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) पर्यटन मंत्रालय द्वारा दी गई केन्द्रीय सहायता से अभी तक निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों/वन्य-जीव अभ्यारण्यों में वन-गृहों का निर्माण किया गया है :–

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान		मध्य प्रदेश
माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	....	मध्य प्रदेश
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	....	असम
गिर राष्ट्रीय उद्यान	....	गुजरात
सरिसका राष्ट्रीय उद्यान	....	राजस्थान
भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य	....	राजस्थान
जलदापारा वन्य-जीव अभ्यारण्य	....	पश्चिम बंगाल
दांडिली वन्य-जीव अभ्यारण्य	....	कर्नाटक
पेरियार राष्ट्रीय उद्यान	....	केरल

(ख) और (ग) वन्य-जीव अभ्यारण्यों में वन-गृहों की काफी मांग है। बेतला (बिहार), एंजल (गुजरात), बांधवगढ़ (मध्य प्रदेश), सिमलीपाल (उड़ीसा), मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर (राजस्थान), रणथम्बोर (राजस्थान), मानस (असम), सिजू (मेघालय), मदुमलाई (तमिलनाडु), और परम्बीकुलम (केरल) में वन-गृह निर्माणाधीन है। ऐसी सम्भावना है कि ये लगभग दो वर्षों में पूरे हो जाएंगे।

कार्बेट और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (उत्तर प्रदेश), नेय्यार बांध (केरल), सुन्दरबन (पश्चिम बंगाल) और जिंग-मेई-जिंग (मणिपुर) में वन-गृहों का निर्माण करने सम्बन्धी प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम के लिए एक धारक कम्पनी

*982. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम, दोनों को एक प्रबन्ध मंडल के अधीन लाने के लिए एक धारक कम्पनी बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) इस प्रकार की कार्यवाही के औचित्य का अध्ययन किया जा रहा है। कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हांगकांग में रहने वाले भारतीयों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बसाया जाना

*983. **श्री प्रकाश चन्द्र** :
श्री सुभाष यादव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हांगकांग में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उस ब्रिटिश उपनिवेश के वर्ष 1997 में चीन को वापस सौंपे जाने के पश्चात, उन्हें अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में बसाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उनके अभ्यावेदन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

विदेश मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सरकार को हांगकांग के भारतीय समुदाय से इस तरह का कोई औपचारिक अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है कि 1997 के बाद उन्हें अन्डमान और निकोबार द्विपसमूह में बसाया जाए। बहरहाल हांगकांग के भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों ने अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में पूंजी लगाने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है और वहां "फ्री पोर्ट" को स्थापित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। सरकार ने इस प्रस्ताव के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

पुलिस आयुक्त, दिल्ली कार्यालय में लोक शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया

9507. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस आयुक्त के कार्यालय में लोक शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया क्या है; और

(ख) क्या शिकायतकर्ताओं को उनकी शिकायतों पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाता है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) पुलिस मुख्यालय स्थित पुलिस उपायुक्त (सतर्कता) के कार्यालय द्वारा शिकायतें प्राप्त की जाती हैं। शिकायतों की जांच जिले में सतर्कता एककों में की जाती है। जांच अधिकारी तथ्यों का सत्यापन करने के लिए शिकायतकर्ताओं को भी बुलाते हैं। जांच के परिणाम से शिकायतकर्ताओं को भी सामान्यतः अवगत कराया जाता है।

आधुनिकीकरण के पश्चात कल्याण मिल, इन्दौर में उत्पादन

9508. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कल्याण मिल, इन्दौर (राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिल) के रैपिंग विभाग में 1983 से पूर्व पुरानी 'सेमी-हाई-स्पीड मशीन' का औसत उत्पादन 40,000 प्रति पारी था किन्तु फरवरी, 1987 (प्रथम सप्ताह में आधुनिकीकरण के पश्चात् 'नई हाई स्पीड मशीन' का औसत उत्पादन केवल 34,000 प्रति पारी रह गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है; और

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा मध्य प्रदेश में अपनी कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है और इस पूंजी निवेश से उत्पादन और कार्यकुशलता में मिलवार कितनी वृद्धि हुई है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी नहीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कल्याणमल मिल में जुलाई 1980 के बाद कोई नई हाई स्पीड वार्पिंग मशीन नहीं लगाई गई। इन वार्पिंग मशीनों का फरवरी 1987 में औसत उत्पादन 52,507 गज प्रति पारी रहा जबकि 1982-83 में 31,474 गज था।

(ग) सितम्बर 1986 के अन्त तक एन. टी. सी. (म० प्र०) के अधीन वस्त्र एककों के आधुनिकीकरण पर 29·42 करोड़ रु० की राशि खर्च की गई है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप एन. टी. सी. (म० प्र०) के अधीन मिलों के कार्य निष्पादन में सुधार आया है। 1985-86 की तुलना में 1975-76 अवधि के सम्बन्ध में तकनीकी पैरामीटर नीचे दिए गये हैं :—

ब्यौरा	1975-76	1985-86
औसत काउन्ट	21·4 एस	29 एस
कताई उपयोग (प्र० श०)	78·7	75·2
बुनाई उपयोग (प्र० श०)	73·1	80·7
कताई उत्पाद (40 एस कन्व)	53·8 ग्राम	60·9 ग्राम
करघा उत्पादकता सूचकांक (एल. पी. आई.)	219	222

अशोक होटल में न्यूनतम मजदूरी लागू करना

9509. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक होटल में विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिये कितनी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है और इस होटल में ये न्यूनतम मजदूरी किस तिथि से लागू की गई है ; और

(ख) क्या मजदूरी की ये दरें ट्रेड यूनियनों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद लागू की गई थीं और यदि हां, तो समझौता किन-किन पक्षों के बीच हुआ था ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) अशोक होटल में विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी संलग्न विवरण में दी गई है । अशोक होटल सहित भारत पर्यटन विकास निगम की विभिन्न स्थापनाओं की ट्रेड यूनियनों के साथ हस्ताक्षरित पिछले मजदूरी समझौतों के अनुसार इन्हें । जुलाई 1982 से लागू किया गया था ।

(ख) जी, हां । मजदूरी की ये दरें ट्रेड यूनियनों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद लागू की गई थीं । अशोक होटल एम्पलाईज यूनियन, अशोक होटल मजदूर जनता संघ और अशोक होटल कर्मचारी संघ के साथ समझौता हुआ था ।

विवरण

क्रम सं०	पदों की श्रेणी	वेतनमान	1.7.82 को प्रति माह मजूरी (रु० में)	1.4.87 को प्रति माह मजूरी (रु० में)
1	2	3	4	5
1.	भंडारी ग्रेड III, कामचलाऊ कर्मचारी, संदेशवाहक ग्रेड-III, पोर्टर/पेजबाय/पालिश बाय/लिफ्ट बाय ग्रेडV, परिचारक ग्रेड V, अमानती सामान-घर परिचारक ग्रेड V, हैल्पर/क्लिनर, वार्ड परिचारक/कल्याण परिचारक ग्रेड III, मैन्डर, केड्डी (गोल्फ कोर्स)	300-8-340-9-385-10-465	680.40	1048.00
2.	माली ग्रेड III	320-9-347-10-407-11-495	707.60	1075.20
3.	भंडारी ग्रेड I, संदेशवाहक ग्रेड II, लांड्री परिचारक ग्रेड III, दफ्तरी ग्रेड II, माली ग्रेड II, तरणताल परिचालक ग्रेड II, कामिV,कामिस वि रंग ग्रेड I, पोर्टर/पेजबाय/पलिश बाय/लिफ्ट बाय ग्रेड II, परिचारक ग्रेड II, अमानती सामान-घर परि-	330-10-390--11-445-12-505	721.20	1088.80

1	2	3	4	5
	चारक ग्रेड II, कक्ष परिचर ग्रेड II, तकनिशियन ग्रेड I I, सुरक्षा गारद ग्रेड I, दरबान ग्रेड II, वार्ड परिचारक/कल्याण परिचारक ग्रेड II, जिल्दसाज I			
4.	वरिष्ठ भंडारी, संदेशवाहक ग्रेड I, दफ्तरी ग्रेड-I, लांड्री परिचारक ग्रेड II, माली ग्रेड I, तरणताल परिचारक ग्रेडI, कामिस IV, वरिष्ठ कामिस दि रंग पोर्टर/पेज बाय/पालिश बाय/लिफ्ट बय ग्रेड I, परिचारक ग्रेड I, अमानती सामान-घर परिचारक ग्रेड I, कक्ष परिचर ग्रेड I, तकनिशियन ग्रेड II, सुरक्षा हवलदार ग्रेड II, दरबार ग्रेड I, वार्ड परिचारक/ कल्याण परिचारक ग्रेड I, मैन्डर I	350-10-380-12-452-14-550	748.40	1116.00
5.	लिपिक-सामान्य, समय कार्यालय, भंडार, बिल, रोकड़, लेखा आदि, ड्राईवर ग्रेड II, कामिस-(पैंट्री), सिलेक्शन ग्रेड कक्ष परिचारक, कक्ष परिचारक।	360-11-382-12-430-14-570.	762.00	1129.60
6.	वरिष्ट लिपिक ग्रेड I,-सामान्य, समय कार्यालय, भंडार, बिल, रोकड, लेखा आदि, टेलीफोन आपरेटर ग्रेड II, लांड्री परिचारक ग्रेड I, ड्राईवर ग्रेड I, वरिष्ठ माली, दर्जी ग्रेड II, बारबर ग्रेड I, कामिस-II (रसोईघर/बेकरी/कनफैक्शनर/पैंट्री) वरिष्ठ तकनिशियन ग्रेड III	380-11-391-13-420-14-570-15-630.	789.20	1156.80
7.	लाइफ गारद ग्रेड II, शेफ दि-रंग, सुरक्षा हवलदार ग्रेड I, वरिष्ठ दरबान, वार्ड परिचारक, कनिष्ठ संचार डेस्क परिचारक	400-12-448-14-532-15-592-17-660.	816.40	1184.00
8.	वरिष्ठ क्लर्क ग्रेड I-सामान्य, समय कार्यालय, स्टोर, बिल, रोकड़, लेखा आदि, स्टैनो-टाइपिस्ट, टेलीफोन आपरेटर ग्रेड I, उद्यान पर्यवेक्षक ग्रेड II, वरिष्ठ ड्राईवर, दर्जी ग्रेड I, सीनियर बारबर, कामिस-I (रसोईघर/बेकरी/कनफेक्शनरी/पैंट्री), वरिष्ठ तकनिशियन ग्रेड II, ड्रेसर, सोडा वाटर फैक्ट्री का सहायक, टेनिस मार्कर, टैलेक्स आपरेटर	430-12-442-15-577-17-730.	857.20	1224.80

1	2	3	4	5
9.	कनिष्ठ सहायक-सामान्य, समय कार्यालय, स्टोर, बिल, रोकड़, लेखा आदि, स्टैनो-टाइपिस्ट, वरिष्ठ टेलीफोन आपरेटर, लांड्री पर्यवेक्षक ग्रेड II, वरिष्ठ दर्जी, डेमी शेफ दि पार्टी (रसोईघर/बेकरी/कनफैक्शनरी/पैंट्री) जूनियर मेट्रे दि होटल, वरिष्ठ तकनिशियन ग्रेड I, वरिष्ठ टेलीफोन आपरेटर	460-14-516-18-606-23-790.	898.00	1265.80
10.	सहायक, टेलीफोन मोनिटर, लांड्री पर्यवेक्षक ग्रेड I, शेफ दि पार्टी ग्रेड III, मेट्रेल-दि-होटल ग्रेड I, रेस्तरां सत्कारिणी, अग्र कार्यालय सहायक ग्रेड I, गृह प्रबन्धक ग्रेड I, फोरमैन ग्रेड III, सहायक सुरक्षा अधिकारी, केन्टीन पर्यवेक्षक, कल्याण दुकान प्रभारी, कोम्पटिस्ट रसोईघर पर्यवेक्ष, कल्याण केन्द्र प्रभारी, लेफ्ट लगेज इंचार्ज, एन/पर्यवेक्षक	500-18-590-23-705-25-905	952.40	1320.00
11.	सहायक, टेलीफोन मोनिटर, शेफ दि पार्टी ग्रेड II, वरिष्ठ मेट्रे दि होटल ग्रेड II, वरिष्ठ अग्र कार्यालय सहायक ग्रेड II, वरिष्ठ ग्रह प्रबन्धक ग्रेड II; फोरमैन ग्रेड II, एएसओ/उप सुरक्षा अधिकारी ग्रेड II, फार्मेसिस्ट, सेनिटरि इंसपेक्टर, फोरमैन (टेलरिंग), निजी सहायक ग्रेड ,	550-25-600-30-960-35-995.	1020.40	1388.00
12.	वरिष्ठ सहायक ग्रेड I, निजी सहायक ग्रेड I, शेफ दि पार्टी ग्रेड I,वरिष्ट मेट्रे दि होटल ग्रेड I, वरिष्ठ रेस्तरां सत्कारिणी ग्रेड I; वरिष्ठ अग्र कार्यालय सहायक ग्रेड I, वरिष्ठ ग्रह प्रबन्धक ग्रेड I, फोरमेंन ग्रेड I, उप सुरक्षा अधिकारी ग्रेड I, प्रयोगशाला सहायक, रात्री पर्यवेक्षक, अधीक्षक ग्रेड II,	600-25-700-30-910-35-1085	1088.40	1456.00
13.	अधीक्षक ग्रेड I, वरिष्ठ निजी सहायक, अधीक्षक (टेलीफोन), सहायक उद्यान-विशेषज्ञ, अधीक्षक (संपर्क), वरिष्ठ शेफ दि पार्टी, सिलेक्शन ग्रेड मेट्रे दि होटल, सिलेक्शन ग्रेड अग्र कार्यालय सहायक, सिलेक्शन ग्रेड ग्रह प्रबन्धक, वरिष्ठ फोरमैन, उप सुरक्षा अधिकारी (सिलेक्शन ग्रैड, आर्केस्ट्रा वादक, पुष्प-विक्रेता ।	700-30-910-35-1085-40-1285.	1224.40	1592.00

विस्कोस फिलामेंट यानि उद्योग की समस्यायें

9510. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विस्कोस फिलामेंट यार्न की खरीद में भारी गिरावट आने, उसकी उत्पादन लागत बढ़ने और आयातित धागे से प्रतिकूल स्पर्द्धा के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह पता चलता है कि हाल में विस्कोस फिलामेंट यार्न की कीमत में ऊर्ध्वमुखी रुख होने के बावजूद 1986-87 (पहले दो महीने) में विस्कोस फिलामेंट यार्न की डिलिवरियां 1985 की मासिक डिलिवरियों से अधिक थी। घरेलू उत्पादन की तुलना में आयातों की प्रमात्रा नगण्य रही है। तथापि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है।

इटली द्वारा मछली के आयात पर प्रतिबन्ध हटाना

9511. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली की सरकार ने भारत से मछली के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इटली प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में मछली का आयात करेगा; और

(ग) उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रोक लगाये जाने के पहले 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान इटली द्वारा भारत से आयातित समुद्री उत्पादों की मात्रा क्रमशः 135 मे० टन मूल्य 25·37 लाख रु० तथा 284 मे० टन मूल्य 51·55 लाख रु० थी। इटली को होने वाले भावी निर्यात के सम्बन्ध में इस स्थिति में सही तौर पर पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।

वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान भर्ती रैलियां/मेले

9512. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश का प्रत्येक जिला जेड. आर. ओ., और बी. आर. ओ. के नेटवर्क के अन्तर्गत आता है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रत्येक बी.आर.ओ. को इसके अधिकार क्षेत्र में पुरुषों की संख्या के अनुपात के अनुसार भर्ती का कोटा दिया जाता है ताकि देश के प्रत्येक भाग में रह रहे व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किए जा सकें; और

(ग) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान बी. आर. ओ. द्वारा कितने भर्ती मेले/रैलियों का आयोजन किया ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। प्रत्येक बी आर. ओ. के क्षेत्राधिकार में भर्ती का कोटा उस क्षेत्र में भर्ती योग्य पुरुष आबादी के अनुपात के आधार पर नियत किया जाता है।

(ग) भर्ती मुख्यत: भर्ती दौरों के माध्यम से की जाती है। रैलियां तभी आयोजित की जाती है जब किसी विशेष क्षेत्र से भर्ती में काफी कमी हो। 1985-86 के दौरान कोई रैली आयोजित नहीं की गई। लेकिन 1986-87 के दौरान क्षेत्र आर. ओ. अम्बाला ने, शाहपुर एवं मण्डी में एक-एक, में दो रैलियां आयोजित की।

राष्ट्रीय पटसन उत्पादन निगम को पटसन की सप्लाई

9513. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पटसन उत्पादन निगम को खुली बाजार निविदा के माध्यम से प्राइवेट सप्लायरों द्वारा 25' 5 के उत्पादन के लिये 1,08,000 क्विंटल टी-डी-3 और 4 की उत्तम किस्म के पटसन की जो सप्लाई की जानी थी उसके बारे में अनिश्चितता बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

केन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट केन्टीनों में वेतन

9514. **श्री जमक राज गुप्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट यूनिटों द्वारा चलायी जाने वाली कैन्टीनों से प्राप्त प्रत्येक कैन्टीन के प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों के कल्याण पर व्यय किया जाता है ?

(ख) यदि हां, तो कल्याण कार्यों के लिए लाभ का कितना प्रतिशत इस्तेमाल किया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि यूनिट द्वारा चलायी जाने वाली कैन्टीनों के कर्मचारियों को कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट कैन्टीन बम्बई के कर्मचारियों के समान वेतन तथा अन्य सुविधायें नहीं दी जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) इस असंगति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) यूनिट द्वारा चलाई जाने वाली कैंटीनें उन मिलिटरी यूनिटों की होती हैं जहां वे स्थापित हैं

और उन्हीं के द्वारा चलाई जाती हैं। अतः इस सम्बन्ध में सब कहीं समान प्रथा नहीं है। ऐसी कई कैन्टीनें हैं जो अपने लाभों का कुछ भाग अपने कर्मचारियों के कल्याण में खर्च करती हैं।

(ग) से (ङ) यूनिटों द्वारा चलाई जाने वाली कैन्टीनों के कर्मचारी सम्बन्धित यूनिट/संगठन के निजी कर्मचारी होते हैं। इसलिए उनके वेतन तथा अन्य सुविधाओं को अलग-अलग कैन्टीनों के प्रबन्धकों के द्वारा अलग रूप से निर्धारित किया जाता है। यूनिटों द्वारा चलाई जाने वाली कैन्टीनों के कर्मचारी कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट, बम्बई, यूनिट द्वारा चलाई जाने वाली कैन्टीनों के कर्मचारियों की तरह सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का विकास

9515. **श्री शांति धारीवाल** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार अधिकाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो स्मारकों के विकास के लिए कितने स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इन स्मारकों की मरम्मत की जा सकती है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से स्मारकों की प्रकाश-पुंज-व्यवस्था और ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शनों की माउंटिंग करता है। लाल किला, दिल्ली, आगरा किला, आगरा, रेजिडेंसी, लखनऊ, अकबर का मकबरा, सिकंदरा, गोआ में 6 स्मारकों तथा जम्मू एवं कश्मीर में हरि पर्वत की प्रकाश-पुंज-व्यवस्था का कार्य पूरा हो चुका है जबकि मेहरानगढ़ किला, राजस्थान, विष्णुपुर मन्दिर, पश्चिम बंगाल, रॉक फोर्ट, त्रिचि और बीबी का मकबरा, औरंगाबाद में यह कार्य प्रगति पर है। उड़ीसा में खंडगिरि-उदयगिरि तथा नंजनगुड, कर्नाटक में श्री कंठेश्वर मंदिर पर कार्य शीघ्र प्रारम्भ होने की सम्भावना है। 1987-88 के दौरान चित्तौड़गढ़, गोल गुम्बज, बीजापुर, वार सेमिटरी, कोहिमा, विवेका नंद राक मैमोरियल, कन्या-कुमारी, चंपानेर (गुजरात), सासाराम (बिहार) में शेरशाह का मकबरा, त्रिपुरा में उजयंत पैलेस तथा आन्ध्र प्रदेश में लिपाक्षी मंदिर की प्रकाश-पुंज-व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन हैं।

केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने लाल किला, दिल्ली, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, शालीमार गार्डन, श्रीनगर और राम रेखा घाट, बक्सर पर ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन का कार्य पूरा कर लिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तीन मूर्ति हाउस, नई दिल्ली पर एक ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन कार्यक्रम की माउंटिंग की है। गोलकुन्डा किला, हैदराबाद, मन मन्दिर, ग्वालियर किला और रविन्द्र भारती, कलकत्ता का कार्य प्रगति पर है। 1987-88 के दौरान, महाराणा प्रताप स्मारक,

उदयपुर, कुरुक्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप-समूह में सेल्यूलर जेल पर ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शनों को माउंटिंग करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ग) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय स्मारकों की मरम्मत का कार्य नहीं करता।

[अनुवाद]

मध्यम और लम्बे रेशे वाली रुई का उत्पादन और खपत

9516. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यम रेशे वाली और लम्बे रेशे वाली रुई के उत्पादन और खपत के बीच व्यापक अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) लम्बे रेशे वाली बढ़िया रुई जिसकी आवश्यकता को देखते हुए बहुत कम उत्पादन हो रहा है, के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) लम्बे रेशे वाली रुई तथा कुछ सीमा तक मध्यम रेशे वाली रुई का उत्पादन घरेलू खपत से अधिक है। असन्तुलन को ठीक करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :–

(1) सरकार ने सभी प्रकार के यार्न के निर्यातों पर नकद मुआवजा सहायता बढ़ाने के अलावा यार्न के उदार निर्यातों की अनुमति दी है।

(2) सरकार ने रुई के निर्यात के बारे में दीर्घकालीन नीति की घोषणा की है, जिसके अधीन 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष लम्बे तथा अत्यधिक लम्बे रेशे वाली रुई की 5 लाख गांठें तथा बंगाल देशी दिग्विजय किस्म में से प्रत्येक की 50,000 गांठें निर्यात की जाएंगी। चालू रुई मौसम के दौरान सरकार ने अब तक लम्बे तथा अत्यधिक लम्बे रेशे वाली रुई की 4.57 लाख गांठें तथा बंगाल देशी की 50,000 गांठें निर्यात के लिए रिलीज की हैं।

आन्ध्र प्रदेश में खनिज तथा धातु व्यापार निगम का क्षेत्रीय कार्यालय

9517. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में रायल सीमा क्षेत्र में खनिज तथा धातु व्यापार निगम का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह में मत्स्य नौकाओं को जब्त करना

9518. **श्री सी० के० कुप्पूस्वामी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में 31 दिसम्बर, 1986 तक कितनी विदेशी मत्स्य नौकाएं जब्त की गई; और

(ख) उनका किस प्रकार उपयोग/निपटान किया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) 31-12-1986 तक अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 47 विदेशी मत्स्य नौकाएं पकड़ी गई। इनमें से 37 जब्त करके राज्य को सौंप दी गयी। जब्त की गयी 23 नौकाओं को उपयोग के लिए अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न विभागों, तट रक्षक संगठन तथा उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को दे दिया गया; 9 को सार्वजनिक निलामी से बेच दिया गया; 4 का निपटान होना बाकी है और एक नौका पीछा करते समय भाग गई।

[हिन्दी]

हथकरघा क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन

9519. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हथकरघा क्षेत्र द्वारा कितने मीटर कपड़े का उत्पादन किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान हथकरघा क्षेत्र में कितना पूंजी निवेश किया गया है; और

(ग) इस अवधि के दौरान उनमें कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान हथकरघा क्षेत्र द्वारा विनिर्मित कपड़े की मात्रा निम्नलिखित अनुसार है :–

वर्ष	उत्पादन (मिलियन मीटरों में)
1983-84	3359
1984-85	3514
1985-86	3692

(ख) हथकरघा क्षेत्र में पूंजी निवेश केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं तथा निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए पूंजी निवेश से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध है तथा ये निम्नलिखित अनुसार हैं:–

वर्ष	पूंजी निवेश (लाखों में)
1983-84	954.827
1984-85	921.980
1985-86	833.785

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हथकरघा में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण नीचे दिया गया है :–

वर्ष	रोजगार (लाखों में)
1983-84	71.66
1984-85	74.96
1985-86	78.77

[अनुवाद]

डिबरूगढ़ जिले में चाय का उत्पादन

9520. **श्री चिगवांग कोनयक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सभी चाय उत्पादक जिलों में से चाय का सबसे अधिक उत्पादन डिबरूगढ़ जिले में होता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दरान इस जिले में चाय उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विक्रेताओं और खरीदारों दोनों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिबरूगढ़ में एक चाय निलामी केन्द्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला डिब्रूगढ़ में चाय का उत्पादन निम्नलिखित प्रकार हुआ है :—

	मिलियन किग्रा० में
1982	115
1983	119
1984	128

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कोई भी नीलामी केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है। नीलामी केन्द्र स्थापित करने का निर्णय क्रेताओं, विक्रेताओं तथा दलालों द्वारा वाणिज्यिक खतों के आधार पर लिया जाता है और वे नियमों को बनाने तथा नीलामियां करने के लिए स्वयं एक एसोसिएशन समिति का गठन करते हैं। इस पैटर्न का कलकत्ता, सिलीगुड़ी, कोचीन, कुन्नूर तथा कोयम्बटूर नीलामी केन्द्रों पर अनुसरण किया गया हैं। जिला डिब्रूगढ़ की चाय को इस समय गुवाहाटी तथा कलकत्ता नीलामी केन्द्रों के जरिये बेचा जा रहा है।

(ङ) यह चाय व्यापार तथा उद्योग को निर्णय करना है कि डिब्रूगढ़ में नीलामी केन्द्र का खोलना क्या सभी सम्बन्धितों के लिए लाभ कर होगा।

आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में कताई मिल स्थापित करने का प्रस्ताव

9521. **श्री सी० सम्बु** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सांतवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई कपड़ा मिलें अथवा कताई मिलें स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में और अधिक कताई मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सरकार वस्त्र मिलें स्थापित नहीं करती है। सरकार द्वारा ऐसी मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भी नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के लिए औषधालय

9522. **श्री आर० एम० भोये** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने कर्मचारियों के लाभार्थ औषधालय खोले

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और यह किन-किन स्थानों पर खोले गये हैं;

(ग) इन औषधालयों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और उपचार करने के लिए क्या शर्तें हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इसके कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों की सुविधा प्रदान करने का है ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में कार्यरत कर्मचारी ई. एस. आई. स्कीम में कवर होते हैं तथा जो कर्मचारी ई. एस. आई. स्कीम में कवर नहीं होते, जिनमें निगम के सभी कार्यपालक और मुख्यालय के कर्मचारी शामिल हैं, वे भारत पर्यटन विकास निगम चिकित्सा परिचर नियम, 1978 में कवर होते हैं।

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रबड़ उत्पादकों को मुआवजा

9523. **श्री पी०ए० एन्टनी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड की उन रबड़ उत्पादकों को मुआवजा देने की कोई योजना है जिनके पेड़ बाढ़ के कारण नष्ट हो गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितने नुकसान का अनुमान लगाया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) सूखा राहत कार्यक्रमों को सामान्यतः संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जैसी और जब आवश्यकता होगी, रबड़ बोर्ड अधिक उपज देने वाली रोपण सामग्री की सप्लाई करेगा। जिन पौधों को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है वे रबड़ बोर्ड के आकलन के अनुसार 15 लाख हैं ?

लोहे और इस्पात आयात तथा लौह अयस्क का निर्यात

9524. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहे और इस्पात के आयात में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां तो गत तीन वर्षों के दौरान लोहे और इस्पात का वर्षवार कितनी मात्रा में आयात किया गया तथा आयात किए गए लोहे का क्या मूल्य है;

(ग) इसी अवधि के दौरान लौह अयस्क का कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का निर्यात आयात किया गया; और

(घ) लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) 1984-85 1985-86 के वर्षों तथा अप्रैल-दिसम्बर 1985 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 1986 के दौरान लोहा तथा इस्पात के आयात के ब्यौरे निम्नलिखित अनुसार है :—

वर्ष	मात्रा (000 मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1984-85	1876.1	941.10
1985-86 (अ)	1996.5	1230.85
1985-86 (अ) (अप्रैल-दिसम्बर)	1194.9	748.06
1986-87 (अ) (अप्रैल-दिसम्बर)	1657.1	1006.79

अ : अनन्तिम

स्रोत : डी०जी०सी०आई० एण्ड एस०, कलकत्ता।

(ग) 1984-85, 1985-86 तथा अप्रैल दिसम्बर 1985 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 1986 के दौरान लौह अयस्क के निर्यातों के ब्यौरे निम्नलिखित अनुसार हैं :–

वर्ष	मात्रा (मिलियन मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1984-85	25.5	459.44
1985-86 (अ)	27.0	554.59
1985-86 (अ) (अप्रैल-दिसम्बर)	17.3	359.60
1986-87 (अ) अप्रैल-दिसम्बर)	19.6	364.73

(अ) अनन्तिम

स्रोत : डी. जी. सी. आई. एण्ड एस., कलकत्ता।

(घ) लौह अयस्क के निर्यात को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें विदेशी क्रेताओं के साथ दीर्घावधि बिक्री करारों पर हस्ताक्षर करना, नए बाजारों जैसे कि चीन तथा पोलैंड को लौह अयस्क के निर्यातों का विविधीकरण, विभिन्न पत्तनों पर लौह अयस्क की हैंडलिंग सुविधाओं में सुधार तथा बड़े आकार के जहाजों को रिसीव करने हेतु पत्तनों को गहरा करना शामिल है।

इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात के लिए विश्व बैंक सहायता

9525. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री एस०एम० गुरड्डी :

श्री पी०एम० [illegible] : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या विश्व बैंक से इन उपायों के कार्यान्वयन के लिए कोई धनराशि प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजनदास मुंशी) : (क) सरकार ने इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ लाइसेंसिंग प्रक्रिया तथा प्रौद्योगिकी के आयातों के उदारीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर अनिवार्य कच्चे माल व उपभोक्ता माल के उत्पादन, आदि के जरिये हमारे उद्योग के उत्पादन आधार का आधुनिकीकरण और अपग्रेडेशन हो सकेगा तथा उसमें लागत प्रतियोगिता क्षमता आ सकेगी। इसके अलावा, एक नई नकद मुआवजा सहायता प्रणाली की घोषणा की गई है ताकि घरेलू कराधान के

कम प्रपाती प्रभाव की क्षतिपूर्ति की जा सके तथा निर्यातों के लिए राजकोषीय लाभ और रियायती वित्त प्रदान किया जा सके।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा घोषित उपायों के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक द्वारा कोई निधियां नहीं दी गई हैं। तथापि, विश्व बैंक में इंजीनियरिंग उत्पादों की उत्पादकता तथा क्रिया योग्यता में सुधार लाने के लिए अलग से 250 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्रदान किया है। यह ऋण निम्नलिखित चार भागों में विभाजित है :—

(I)	उत्पादकता निधियां	अपनी उत्पादकता में सुधार लाने के लिए एककों को सहायता प्रदान करने हेतु आई. सी. आई. सी. आई. द्वारा संचालित 10 मिलियन डालर।
(II)	निर्यात विपणन निधियां	अपने उत्पादों की बिक्री योग्यता में सुधार लाने तथा विपणन कार्य कलापों के लिए इंजीनियरिंग कम्पनियों को सहायता देने हेतु एग्जिम बैंक द्वारा संचालित 10 मिलियन डालर।
(III)	सावधि ऋण सहायता	निर्यातोन्मुख परियोजनाओं के लिए अभिज्ञात इंजीनियरिंग तथा गैर इंजीनियरिंग क्षेत्रों को सावधि ऋण प्रदान करने के लिए आई.सी.आई.सी.आई. द्वारा संचालित 160 मिलियन डालर।
(IV)	अनुषंधी विकास	इंजीनियरिंग अनुषंधी उद्यमों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय निवेश हेतु भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ बड़ोदा तथा कनारा बैंक को 70 मिलियन डालर उपलब्ध कराए गए हैं।

विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की विधि

9526. श्री धर्मवीर सिंह त्यागी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी भाषा विद्यालय में रक्षा कार्मियों को रूसी भाषा पढ़ाने की नई विधि ढूंढ निकाली है जिससे समय की काफी बचत होगी;

(ख) यदि हां, तो विदेशी भाषा विद्यालयों और उनके मंत्रालय के अन्तर्गत अन्य संस्थानों में अन्य विदेशी भाषायें सिखाने के लिए इस विधि को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस तरीके की खोज करने वाले को कोई प्रोत्साहन देने का है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

इस्लामी बम

9527. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान इस्लामी बम आदि जैसे मामलों को जोड़-तोड़ कर पेश कर अपने और अरब देशों के बीच गलतफहमी पैदा करने करने की कोशिश कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान कोई विरोध पत्र भेजा गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में अन्य कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत-अरब संबंधों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचने पाये इसके लिए सरकार ने उपयुक्त कदम उठाए हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम (उत्तर प्रदेश) और राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू०बी०ए०बी०ओ०) द्वारा ठेकेदारों को बिलों की अदायगी

9528. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या वस्त्र मंत्री राष्ट्रीय कपड़ा निगम (उत्तर प्रदेश) और राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्लू०बी०ए०बी०ओ०) के आधुनिकीकरण में लगे ठेकेदारों को बिलों की अदायगी न किये जाने के बारे में 20 दिसम्बर, 1985 के अतरांकित प्रश्न संख्या 4872 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेकेदारों के बिलों की अदायगी कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और कुल कितनी राशि बकाया पड़ी है; और

(ग) कार्य को शीघ्र पूरा कराने के लिए अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) सामान्यत: बिलों का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है केवल कुछ मामलों में विलम्ब हुआ है लेकिन ठेकेदारों को भुगतान न करने या असमय भुगतान करने के कारण नहीं स्वीकृत योजनाओं को ध्यानपूर्वक मानीटर किया जाता है और जहां कहीं भी आवश्यक होता है, उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

पांडिचेरी को राज्य का दर्जा देना

9529. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान पांडिचेरी को राज्य का दर्जा देने की कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान पांडिचेरी सरकार से ऐसी कोई मांग प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

रक्षा मंत्रालय के असैनिक कर्मचारियों के लिए निरीक्षण गृह और होलिडे होम्स की सुविधाओं का लाभ देना

9530. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन कितने निरीक्षण गृह और होलिडे होम्स हैं;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय के असैनिक कर्मचारी भी रियायती दरों पर इन निरीक्षण गृहों और होलिडे होम्स की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय झींगा मछली के निर्यात पर प्रतिबंध

9531. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झींगा मछली के निर्यातकों के नाम क्या हैं और उनमें से कितने अमरीका को झींगा मछली का निर्यात कर रहे हैं;

(ख) क्या अमरीकी निर्यात विकास प्राधिकरण ने कुछ झींगा मछली निर्यातकों के नाम काली सूची में दर्ज कर दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले को अमरीकी निर्यात विकास प्राधिकरण के साथ उठाया है और क्या अमरीका ने प्रतिबन्ध हटा लिया है; और

(ङ) झींगा मछली का निर्यात बढ़ाने लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) से (घ) यूनाइटिड स्टेट्स फूड एण्ड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (यू. एस. एफ. डी. ए.) ने सेलमोनेला संदूषण, गंदगी तथा सड़न की वजह से सितम्बर, 1979 में समग्र रूप से भारतीय श्रिम्पों को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। भारत के अतिरिक्त हांगकांग, बंगला देश, थाइलैंड, ताइवान तथा इंडोनेशिया से आने वाले श्रिम्पों को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। भारत ने भारतीय श्रिम्पों पर ब्लाक लिस्टिंग समाप्त करने के लिए अमरीकी प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया था तथा

बराबर कार्यवाही करता रहा है । यू. एस. एफ. डी. ए. ने मई, 1980 में भारतीय श्रिम्प पर से गन्दगी तथा सड़न के सम्बन्ध में ब्लाक लिस्टिंग समाप्त कर दी । यू. एस. एफ. डी. ए. ने फरवरी, 1987 में एक देश के रूप में भारत को ब्लाक लिस्टिंग से हटा दिया है लेकिन भारतीय श्रिम्प निर्यातकों के साथ संरधि तथा परीक्षण के उद्देश्य के लिये व्यक्तिगत आधार पर व्यवहार किया जा रहा है ।

(ङ) श्रिम्पों का निर्यात बढ़ाने के लिए जो उपाय किये जा रहे हैं उनमें शामिल हैं : कल्चर्ड श्रिम्पों का उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रिम्प फार्मिंग का संवर्धन, श्रिम्प अंडजशालाओं तथा श्रिम्प बैंकों की स्थापना एवं गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के उपयोग के लिए उपाय ।

रुग्ण कताई मिलें

9532. **श्री आर० जीवारथिनम: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) सारे देश में राज्य-वार कुल कितनी कताई मिलें हैं;

(ख) इस समय कितनी कताई मिलें काम कर रही हैं और कितनी कताई मिलों को रुग्ण घोषित किया गया है; और

(ग) रुग्ण कताई मिलों की सहायता के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) उन सूती/मानव-निर्मित फाइबर कताई एककों की संख्या, जो 31 मार्च, 1987 को यथास्थिति चल रही थी, 692 थी । उस तारीख तक रुग्ण बन्द पड़े कताई एकक 50 थे ।

(ग) सरकार ने रुग्ण वस्त्र एककों के बारे में विचार करने के लिए नोडीय अभिकरण की स्थापना की है ताकि यह पता लग सके कि वे संभाव्य रूप से अर्थक्षम है या नहीं । नोडीय अभिकरण उन मिलों के संबंध में पुर्नस्थापन पैकेजों को तैयार करता है तथा उनका प्रबन्ध करता है, जो उसके द्वारा संभाव्य रूप से अर्थक्षम पाये जाते हैं । जिन मिलों को गैर-अर्थक्षम पाया जाता है, उन्हें स्थायी रूप से बन्द करना पड़ सकता है ।

विवरण

31.3.87 को यथास्थिति सूती/मानव-निर्मित फाइबर कताई मिलों की संख्या का विवरण ।

क्रम सं०	राज्य	मिलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	51
2.	असम	2
3.	बिहार	4

1	2	3
4.	अहमदाबाद	4
5.	शेष गुजरात	24
6.	हरियाणा	13
7.	जम्मू और कश्मीर	2
8.	कर्नाटक	31
9.	केरल	23
10.	मध्य प्रदेश	9
11.	बम्बई सिटी	1
12.	शेष महाराष्ट्र	38
13.	उड़ीसा	11
14.	पंजाब	19
15.	राजस्थान	26
16.	कोयम्बटूर	186
17.	शेष तमिलनाडु	230
18.	उत्तर प्रदेश	37
19.	पश्चिम बंगाल	24
20.	पांडिचेरी	3
21.	गोआ	1
22.	हिमाचल प्रदेश	3
23.	मणिपुर	2
	योग	742

मेवों के लिए आयात लाइसेंस जारी करना

9533. श्री अमरनाथ प्रसाद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेवों के आयात के लिए आयात लाइसेंस केवल विगत आयात के आधार पर जारी किये जाते हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या इससे मेवों के आयात में एकाधिकार की प्रवृत्ति पैदा हो रही है;

(ग) क्या सरकार का मेवों के आयात के आवेदकों को उनके द्वारा किए गए विगत आयात को ध्यान में रखे बिना लाइसेंस जारी करने का विचार है ; और

(घ) क्या उन औद्योगिक वास्तविक प्रयोक्ताओं को भी मेवों के आयात की अनुमति प्रदान की जाएगी जो देश में विदेशी मुद्रा लाते हैं ताकि वे विदेशी बाजार में समुचित रूप से प्रतिस्पर्द्धा कर सकें और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरन्जन दास मुन्शी) : (क) जी हां। मौजूदा नीति के अनुसार मेवों के आयात की अनुमति (काजू गिरयों तथा खजूरों को छोड़कर) इस व्यापार में लगे व्यापारियों को जारी किए गए लाइसेंसों पर दी जाती है और उनकी हकदारी उनके पिछले आधार पर परिकलित की जाती हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

गुजरात से प्राप्त विधेयक पर स्वीकृति

9534. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में चुंगी के बदले प्रवेश कर लगाने संबंधी गुजरात सरकार से प्राप्त एक विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये लम्बित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो विधेयक पर स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी नहीं श्रीमान।

गुजरात चुंगी कर विधेयक, 1986 विधान सभा में पेश किये जाने से पहले संविधान के अनुच्छेद 304(ख) के अधीन राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के लिए इस मंत्रालय को दिनांक 4-2-1987 को प्राप्त हुआ। राज्य सरकार को अपेक्षित स्वीकृति दिनांक 29-4-87 को भेजी गई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली में होम गार्डों और ट्रैफिक वार्डनों द्वारा वाहन यातायात के नियन्त्रण में दिल्ली पुलिस की सहायता

9535. **श्री प्रताप राव जी. भोसले** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनेक होमगार्ड और ट्रैफिक वार्डन वाहन यातायात के नियंत्रण में दिल्ली पुलिस की सहायता कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों को इस काम पर तैनात करने के क्या मानदंड हैं और इन्हें कितना वेतन दिया जाता है;

(ग) क्या यातायात पुलिस स्कूलों और कालेजों के छात्रों को वाहन यातायात के नियन्त्रण में प्रशिक्षण देती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) यातायात ड्यूटी के लिये 500 होमगार्डों को नियुक्त करने की मन्जूरी दी जाती है । उन्हें प्रति 8 घंटे की ड्यूटी के लिये 15 रु० की दर से मानदेय दिया जाता है । ड्यूटी पर बुलाये जाने पर उन्हें 1 रु० वाहन भत्ता भी दिया जाता है और 1 महीने में 3 बार से अधिक ड्यूटी पर बुलाये जाने पर उन्हें 1 रु० धुलाई भत्ता दिया जाता है ।

ट्रेफिक वार्डन जनता के सदस्य हैं जो अपनी सेवायें स्वेच्छा से प्रदान करते हैं उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है ।

(ग) और (घ) स्कूल के छात्रों को सड़क सुरक्षा गश्त संस्थान द्वारा यातायात प्रशिक्षण दिया जाता है । कालेज के छात्र राष्ट्रीय सेवा योजना के अधीन यातायात पुलिस की सहायता करते हैं ।

रक्षा सेवाओं के अधिकारियों को आबंटित किए जाने वाले मकानों के पट्टों का नवीकरण

9536. **श्री एल० बलरामन** : क्या रक्षा मंत्री रक्षा सेवाओं के अधिकारियों को आबंटित करने के लिए मकान पट्टे के बारे में 24 अप्रैल 1987 के तारांकित प्रश्न संख्या 7838 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक मकानों के पट्टों का नवीकरण उनकी अवधि समाप्त होने के बाद छः महीने के विलम्ब से किया गया था जबकि मकान मालिकों ने इसके लिये अपनी स्वीकृति दो महीने पहले ही दे दी थी;

(ख) यदि हां, तो, पट्टों का समय से नवीकरण किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं और भविष्य में इस विलम्ब से बचने के लिये क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या बहुत से मकान मालिकों को लगभग पिछले एक वर्ष से कई महीनों के लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो मकान मालिकों को परेशानी से बचाने के लिए उन्हें लाइसेंस शुल्क का तत्काल भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) 1976 के बाद किराये पर लिए गये 713 मकानों में से 4 मकानों के पट्टों के नवीकरण में छः महीने से अधिक विलम्ब हुआ है। इसका मुख्य कारण प्रशासनिक मंजूरी लेने में हुई देरी एवं मकान मालिकों द्वारा आवश्यक मरम्मत, सफेदी, पट्टों की हस्ताक्षरित प्रति को वापिस करने में देरी है। ऐसे मामलों में पट्टों का शीघ्रता से नवीकरण करने के प्रयास किए जाते हैं। इस सम्बन्ध में स्थायी आदेश मौजूद हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सुल्तानपुरी, दिल्ली में बन्दूकों का अवैध व्यापार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़

9537. **श्री कमलनाथ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के पश्चिमी जिला पुलिस ने सुल्तानपुरी, दिल्ली में बन्दूकों का अवैध व्यापार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो मारे गये छापे के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) शहर के अन्य भागों में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) फरवरी 1987 में, पश्चिमी जिला पुलिस ने सुल्तानपुरी स्थित मनोहर सिंह उर्फ मनी सिंह के घर पर छापा मारा। परिसर की छानबीन करने पर, एक देशी रिवाल्वर, 12 बोर के 7 कारतूस, 12 बोर के 10 दुबारा भरे हुए कारतूस और 7 खाली कारतूस जो दुबारा भरने की प्रक्रिया में थे, जब्त किए गये। अजीत सिंह के पास से जो, परिसर में उपस्थित था, 12 बोर के 3 दुबारा भरे हुए कारतूस भी बरामद किए गए। ऐसे हथियारों को बनाने के कई औजार भी जब्त किये गये। उक्त दो व्यक्तियों के अलावा, 3 और व्यक्ति भी गिरफ्तार किए गए।

(ग) संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और सामयिक छापे मारे जाते हैं। आसूचना एकत्र की जाती है और तस्करों और अवैध शस्त्रों और गोला बारूद का व्यापार करने वालों को पकड़ने हेतु समन्वित कार्रवाई करने के लिए पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकें की जाती हैं।

पाकिस्तान का परमाणु शस्त्र कार्यक्रम

9538. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** :
श्री तम्पन थामस : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक उच्च शक्ति प्राप्त प्रतिनिधि मंडल को वाशिंगटन भेजने पर विचार कर रही है, जो अमरीकी प्रशासन और कांग्रेस से यह अनुरोध करेगा कि पाकिस्तान को अपने परमाणु शस्त्र कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमंडल को कब भेजा जाएगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलीरो) : (क) इस काम के लिए और दूसरे उद्देश्यों के लिए भी सरकार हर मौके का फायदा उठा रही है जिसमें उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका की यात्राएं भी शामिल हैं।

(ख) सिर्फ इसी कार्य के लिए किसी प्रतिनिधिमंडल को भेजने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

पश्चिमी क्षेत्र पर्यटन विकास समिति की बैठक

9539. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी क्षेत्र पर्यटन विकास समिति की 23 जनवरी, 1986 को हुई बैठक में उन्होंने यह घोषणा की थी कि केन्द्र प्रत्येक राज्य के एक प्रमुख पर्यटक केन्द्र के सर्वांगीण विकास की योजना का खर्च वहन करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों से इस संबंध में प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है; और

(ग) क्या राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) 23 जनवरी 1986 को बम्बई में हुई पश्चिमी क्षेत्र के पर्यटन मंत्रियों की बैठक के दौरान पर्यटन मंत्री ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश को ऐसी प्रमुख परियोजना का अभिनिर्धारण करना चाहिए जिसे केन्द्र और संबंधित राज्य सरकार द्वारा विकास हेतु प्रारंभ किया जा सके ताकि यह एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन सके। तदनुसार राज्य सरकारों से प्रस्ताव भेजने के लिए अनुरोध किया गया था। विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से यात्री निवासों, यात्रिकाओं/धर्मशालाओं, पर्यटक बंगलों, वन-गृहों, समुद्र-तट कुटीरों, ट्रेकिंग हट्स, अल्पाहार-गृहों, मार्गस्थ सुविधाओं, स्मारकों की प्रकाश पुंज व्यवस्था, नौकाओं, मिनी बसों, ट्रेकिंग उपकरण की व्यवस्था, आदि के रूप में पर्यटन आधारिक संरचना स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

[अनुवाद]

पुलिस नियंत्रण कक्ष की पृष्ठभूमि

9540. डा० कृपासिंधु भोई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में पुलिस नियंत्रण कक्ष की गाड़ियों के कार्यकरण के बारे में प्रचार करने और उनके बेहतर उपयोग के लिए जनता में जागरूकता लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि हां तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली में पुलिस द्वारा संचालित जापानी बूथ प्रणाली शुरू करने की वांछनीयता पर विचार किया है जिसमें क्षेत्र में रहने वाले लोगों का रिकार्ड रखा जाता है और इसके साथ ही जनता की सभी प्रकार की आवश्यकताओं के लिए सहायता की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो यह प्रणाली कब शुरू किए जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) पुलिस नियंत्रण की गाड़ियों के कार्यकरण के बारे में टी० वी० पर कार्यक्रमों और समाचार पत्रों में लेखों के जरिये प्रचार किया जाता है। लोगों को यह सूचित करते हुये कि वे आवश्यकता पड़ने पर टेलीफोन नम्बर 100 से संम्पर्क करें, बसों पर विज्ञापन पैनल भी लगाये जाते हैं।

(ख) लोगों की प्रतिक्रिया उत्साह जनक है और इसके परिणामस्वरूप कुछ अपराधियों को अपराध के किये जाने के तुरन्त बाद पकड़ना सम्भव हुआ है। इसके अतिरिक्त, 1986 के दौरान टेलीफोन नम्बर 100 द्वारा सूचना मिलने पर सड़क दुर्घटनाओं में घायल 1250 व्यक्तियों को अस्पताल ले जाना संभव हुआ।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अमरीकी सीनेटर हेल्म्स द्वारा कथित भारत विरोधी वक्तव्य

9541. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 फरवरी, 1987 को संयुक्त राज्य अमरीका की सीनेट की विदेश सम्बन्धी समिति में जब पाकिस्तान के लिए नए राजदूत के नामांकन पर चर्चा हो रही थी तो वहां भारतीय दूतावास से कोई व्यक्ति उपस्थित था;

(ख) क्या उस बैठक में सीनेटर हेल्म्स ने आरोप लगाया कि सोवियत संघ की भारत में युद्ध सामग्री का निर्माण करने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय दूतावास ने उस आरोप का खंडन किया है;

(घ) क्या इसी सीनेटर ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की सीमा पर भारतीय सेना का जमाव एक समुदाय विशेष को दबाने के लिए हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एड्वार्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (घ) सीनेटर जैस्से हेल्म्स ने भारत-सोवियत सम्बन्धों और भारत तथा पाकिस्तान के बीच हाल की सीमावर्ती तनाव के बारे में जो प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं उनकी सरकार को जानकारी है।

(ग) और (ङ) बाहर के किसी भी व्यक्ति को जिनमें विदेशी राजनयज्ञ शामिल हैं, अमरीकी कांग्रेस की कार्रवाइयों में हस्तक्षेप करने अनुमति नहीं है। बहरहाल, भारत की सही छवि प्रस्तुत करना भारत के राजदूतावास का काम है और यह सिलसिला बराबर चलता रहता है।

पंजाब में बंगला देश के नागरिकों की हत्या

954^. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**
श्री जी० एस० बसवराजू : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश की सरकार ने पंजाब में बंगला देश के नागरिकों की हत्या पर दुःख व्यक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने पंजाब में बंगला देश के नागरिकों की हत्या के संबंध में बंगला देश की सरकार को सूचित किया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) बंगला देश की सरकार ने अखबारों में छपी इस आशय की खबरों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि गैर-कानूनी तरीके से पाकिस्तान से भारत में घुसते हुए उनके राष्ट्रिकों को पकड़ा गया है और इस बारे में भी कि इनमें से कुछ लोग मारे गये हैं। सरकार इस बारे में तथ्यों का पता लगा रही है।

[हिन्दी]

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों की सेवाओं को नियमित करना

9543. **चौधरी अख्तर हसन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पिछले 10-15 वर्षों से दिहाड़ी पर काम करने वाले कई व्यक्तियों की सेवाएं अब तक नियमित नहीं की गई हैं; और

(ख) इस प्रकार के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) दैनिक मजदूरों/एन. एम. आर. कार्मिकों की सेवाओं की अपेक्षित औपचारिकताओं का अनुपालन करते हुए नियमित करने के सभी प्रयास किये जाते हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में सहकारी कताई मिलें

9544. **श्री अरविंद तुलसी कांबले** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास महाराष्ट्र राज्य में सहकारी कताई मिलें स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव लम्बित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) महाराष्ट्र में सहकारी कताई मिलों की स्थापना के लिए लाइसेंस देने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते ।

रुई और मानव निर्मित रेशे की खपत और आयात

9545. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रुई और मानव निर्मित रेशे की औसत वार्षिक खपत कितनी है और इन जिन्सों का देश में कितना उत्पादन होता है;

(ख) वर्ष 1985 और 1986 के दौरान रुई और मानव निर्मित रेशे का कितनी मात्रा में आयात किया गया है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई है;

(ग) क्या उक्त जिन्सों के उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

9546. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राष्ट्रों की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बारे में नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो विकासशील देशों का परस्पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का कार्य शुरू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या इस हस्तांतरण के लिए अब तक देश के भीतर किन्हीं प्रौद्योगिकियों का पता लगाया गया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इनका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ग) दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए नई और उच्च प्रौद्योगिकियों के लिए पांच प्रमुख क्षेत्र तय किए गए हैं, इस सहयोग में हस्तांतरण और आदान-प्रदान भी शामिल है :–

(I) सूचना विज्ञान और दूर संचार;

(II) सूक्ष्म, इलेक्ट्रानिकी;

(III) जैव-प्रौद्योगिकी;

(IV) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत; और

(V) नए पदार्थों की प्रौद्योगिकी।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त कार्यक्रम

9547. **श्री जी० एस० बसवराजू :**
श्री एस० एम० गुरुडी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागर विमानन मंत्रालय और पर्यटन विभाग ने 1987 के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई संयुक्त कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप पर्यटन किस हद तक बढ़ेगा ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग, नागर विमानन मंत्रालय के विभिन्न संघटकों के साथ मिलकर विदेश से तथा देश में संयुक्त रूप से पर्यटन का संवर्धन करता है। "आपरेशन" स्कीम के अन्तर्गत, एयर इंडिया भी विश्व की संभाव्यता वाली मार्केटों में संवर्धनात्मक स्कीमें चलाने के लिए वित्तीय अंशदान देता है। वर्ष 1987-88 के दौरान जिन कुछेक प्रमुख कार्यक्रमों का संयुक्त रूप से निष्पादन किया जायेगा, वे इस प्रकार हैं:–

(1) एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स के सहयोग से, पर्यटन विभाग अपने आतिथ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत काफी संख्या में यात्रा लेखकों/फोटोग्राफरों/अभिमत निर्माताओं/यात्रा अभिकर्ताओं को भारत के परिचायक दौरों पर आमंत्रित करेगा।

(2) वर्ष भर गन्तव्य के रूप में भारत का संवर्धन करने और ऑफ सीजन के दौरान भारत की ओर यात्रा का संवर्धन करने के लिये, यू० के०, यूरोप, यू०एस०ए० और जापान की मार्केटों में "इन्डिया आन दि हाउस" और "अफोर्डएबल इंडिया" जैसे अभियान चलाए गए हैं।

(3) इंडियन एयर लाइन्स ने पर्यटकों को देश में यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई प्रकार के विशेष किरायों की पेशकश की है। इनमें से कुछ रियायतें केवल विदेशी पर्यटकों को ही उपलब्ध हैं।

(4) वायुदूत द्वारा परिचालित "हिमालय एयरट्रेक' का संवर्धन करने के लिए, पर्यटन विभाग ने वायुदूत के साथ संयुक्त रूप से मार्च 1987 में एक संवर्धनात्मक अभियान चलाया ।

(5) विदेश स्थित कार्यालयों ने एयर इंडिया के साथ संयुक्त रूप से आई. टी. बी.जे.ए.टी.ए. आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की यात्रा/व्यवसाय प्रदर्शनियों में भाग लिया ।

(6) एयर इंडिया के साथ मिलकर संयुक्त रूप से संवर्धनात्मक सेमिनारों का भी आयोजन किया जाता है जिनमें यात्रा व्यवसाय क्षेत्र के निर्णायक भाग लेते हैं ।

अरंडी के बीजों के आयात पर रोक

9548. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरंडी के बीजों का जिसकी सप्लाई कम है और जिससे अरंडी का तेल बनाकर निर्यात किया जाता है, आयात करने पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध है;

(घ) क्या अरंडी के बीजों के आयात पर कितनी (टिक्स) और बीमारी के देश में आने के भय से रोक लगाई गई है और यदि हां, तो रेपसीड, गार्लिक आदि का आयात किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस प्रकार की नीति के परिणामस्वरूप अन्य देशों में भी भारत के कृषि उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) अरण्डी के बीजों के आयात की सामान्यत: अनुमति नहीं है क्योंकि ऐसे आयातों से पौधों की नई बीमारियां आ सकती हैं और यदि देश के बाहर से सस्ते अरण्डी के बीजों के आयात करने की अनुमति दे दी जाए तो उत्पादन तथा घरेलू कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

(ग) से (ङ) जी नहीं ।

[हिन्दी]

जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत

9549. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या कितनी है और इसमें प्रत्येक दशक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : 1981 में हुई नवीनतम दस वर्षीय जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 685,184,692 थी । इसमें असम राज्य की अनुमानित जनसंख्या 19,902,826 भी शामिल है जहां व्याप्त विक्षुब्ध परिस्थितियों के कारण 1981 में

जनगणना नहीं की जा सकी। 1901 से 1981 के दौरान भारत की जनसंख्या में दस वर्षीय प्रतिशत विभिन्नता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1901 से 1981 के दौरान भारत की जनसंख्या में दस वर्षीय प्रतिशत विभिन्नता

वर्ष	दस वर्षीय विभिन्नता प्रतिशत
1901	—
1911	+ 5.75
1921	— 0.31
1931	+ 11.00
1941	+ 14.22
1951	+ 13.31
1961	+ 21.51
1971	+ 24.80
1981	+ 25.00

[अनुवाद]

तीन बीघा कारीडोर के बारे में भारत और बंगलादेश के बीच बातचीत

9550. **श्री एम० वेंकटरत्नम** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और बंगलादेश के बीच "तीन बीघा कारीडोर" क्या है;

(ख) इस संबंध में दोनों देशों के बीच बातचीत की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस बारे में समझौते में किन कानूनी अड़चनों के कारण विलम्ब हो रहा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) 1974 के भूमि सीमा करार के अन्तर्गत भारत ने तीन बीघा के नजदीक 178 मीटर × 85 मीटर का एक क्षेत्र सतत पट्टे पर बंगलादेश को देना स्वीकार किया था ताकि बंगलादेश की दाहाग्राम बस्ती को बंगलादेश में पानबाड़ी मौजा से जोड़ा जा सके। इस पट्टा करार पर अक्टूबर, 1982 में दोनों सरकारों ने हस्ताक्षर किए थे। इस पट्टे की शर्तों को कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर करके चुनौती दी गई थी और बाद में इस इलाके के कुछ निवासियों ने अपीलें दायर की थीं। अतः सरकार इस करार को कार्यान्वित नहीं कर सकी।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के डिविजन बैंच ने 19 सितम्बर, 1986 को इन अपीलों पर अपना फैसला दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस डिविजन बैंच के इस फैसले के खिलाफ सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक स्पेशल लीज पेटीशन दाखिल की है। मामला न्यायाधीन है।

भूतपूर्व सेना अधिकारियों की सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में पुनर्नियुक्ति

9551. **श्री अजय मुशरान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वर्ष-वार और बल-वार कितने भूतपूर्व सेना अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस में पुनः नियोजित भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार है :–

	1984	1985	1986
सी० सु० ब०	5	1	1
के० रि० पु० ब०	2	....	
भा० ति० सी० पु०	....	...	....

हथकरघा क्षेत्र में बुनकरों चरखों पर लपेटने वाले (रोलर्स) मजदूरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

9552. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान कितने बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये;

(ख) बिहार में पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने केन्द्र खोले गए;

(ग) हथकरघा क्षेत्र के कितने बुनकरों/चरखों पर लपेटने वालों (रोलर्स), मजदूरों को विशेषकर बिहार में प्रशिक्षण प्रदान किया गया;

(घ) राज्य में प्रशिक्षण बुनकरों को क्या सुविधाएं दी गई; और

(ङ) क्या वर्ष 1987-88 के दौरान अधिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) शून्य ।

(ख) शून्य ।

(ग) भागलपुर स्थित बुनकर सेवा केन्द्र में बुनकरों के हुनरों को अपग्रेड करने के लिए उनको अल्पावधि प्रशिक्षण दिया जा रहा है । बुनकर सेवा केन्द्रों द्वारा रोलरों/श्रमिकों को ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है । मार्च, 1985 से फरवरी, 1987 तक इस केन्द्र में 30 बुनकरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है ।

(घ) केन्द्र सरकार राज्य में प्रशिक्षित बुनकरों को अलग से सुविधाएं नहीं दे रही है। तथापि वे केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली कई विकासात्मक योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं जैसे प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों की अंशपूंजी सहायता, करघों का आधुनिकीकरण, कल्याण योजनाएं आदि। वे करघा-पूर्व बुनाई तथा करघा- पश्चात् कार्यों में बेहतर डिजाइनों तथा तकनीकी सलाह के लिए भी बुनकर सेवा केन्द्रों की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

(ङ) जी, नहीं।

घुड़दौड़ संबंधी राष्ट्रीय आयोग

9553. **श्री० वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां घुड़दौड़ होती है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस बारे में किये जाने वाले उपायों के संबंध में सुझाव देने के लिए कि देश में घुड़दौड़ क्लब घुड़दौड का संचालन बिना किसी गडबड़ी के करायें, घुड़दौड़ सम्बन्धी एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) घुडदौड़ संबंधी राष्ट्रीय आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जिन राज्यों में घुडदौड़ लोकप्रिय है उनके नाम एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जाएंगे।

सिंगापुर में भारतीय प्रदर्शनी

9554. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर में भारतीय प्रदर्शनी लगाई गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह प्रदर्शनी कितने दिन तक चलेगी;

(ग) स्थान चयन में किन-किन बातों को ध्यान में रखा गया है; और

(घ) व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) सिंगापुर में 6 तथा 12 अप्रैल, 1987 के बीच एक भारतीय प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य एशियान बाजार के अनुरूप भारत के बढ़ते हुए औद्योगिक, प्रौद्योगिकीय तथा निर्यात क्षमताओं को दर्शाना तथा आपसी हित के क्षेत्रों का पता लगाना था। इस प्रदर्शनी में बहुत सी कम्पनियों ने भाग लिया।

इस प्रदर्शनी में फिओ, एसोचैम, आई. आई. सी., इन्टी एण्ड टी तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के सहयोग से अनेक सेमिनार भी आयोजित किये गये।

(ग) इस प्रदर्शनी को आयोजित करने का स्थान तथा सिंगापुर तथा साथ ही भारत और समग्र एसियान क्षेत्र के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आशाजनक संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए निश्चित किया गया था।

(घ) प्रदर्शनी में अन्तिम रूप दिए गए व्यापार की अनुमानित राशि लगभग 21 करोड़ रु० है। इसके अतिरिक्त, अतिथि आयातकों के साथ महत्वपूर्ण संघ स्थापित हुए और कई उत्पादों तथा सेवाओं के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण पूछताछें दर्ज की गई।

पोलैण्ड के साथ प्रौद्योगिकी अंतरण सम्बन्धी प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर

9555. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के साथ प्रौद्योगिकी अन्तरण और सामान्य शेयर-पूंजी में भागीदारी के सम्बन्ध में किसी प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण एजेंसियों का विलय करने सम्बन्धी प्रस्ताव

9556. **श्री पी. आर. कुमारमंगलम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कोचीन और मद्रास में निर्यात निरीक्षण एजेंसियों के कार्यकारी प्रमुख नियुक्त करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण एजेंसियों का विलय करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) बम्बई; कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास स्थित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में अपर निदेशक संबंधित अभिकरण के कार्यकारी प्रमुख होते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) निर्यात निरीक्षण परिषद तथा निर्यात निरीक्षण अभिकरण पहले ही एकीकृत संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा एजेंटों को मान्यता प्रदान किया जाना

9557. **डा० गौरी शंकर राजहंस** :
श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ के मान्यताप्राप्त एजेंटों ने हाल में एजेंटों को मान्यता दिए जाने के संबंध में दो प्रकार के नियम अपनाये जाने पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के विरुद्ध विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐजेन्टों को मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्या मानदंड है; और

(ग) मान्यता प्रदान किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अभिकर्ताओं को मान्यता प्रदान करने से सम्बद्ध मानदण्डों की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल. टी. 4470/87]

(ग) 31 दिसम्बर, 1986 तक इन मानदण्डों के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त करने के लिए 1032 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिसमें आई. ए. टी. ए. द्वारा मान्यता प्राप्त और अन्य अभिकरण भी थे । इनमें से 800 आवेदन-पत्र ऐसे अभिकरणों के थे जिन्हें पहले भी भारत के विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों के साथ काम करने की मान्यता प्राप्त है; और 232 आवेदन ऐसे थे जिन्होंने पहली बार मान्यता के लिए अनुरोध किया है ।

अब तक 650 ऐसे अभिकरणों के मामलों पर विचार किया जा चुका है जो पहले से ही पासपोर्ट कार्यालयों के साथ काम करते हैं और निर्णय से उन्हें अवगत कराया जा चुका है ।

मान्यता के लिए नए अभिकरणों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार किया जा रहा है और उनके बारे में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के प्राधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जा रही है ।

आन्ध्र प्रदेश में कताई एककों को पुनः चालू करना

9558. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुग्ण कताई एककों को पुनः चालू करने के लिए एक कोष स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में रुग्ण एककों को कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कितने रुग्ण एककों को पुनः चालू किये जाने की सम्भावना है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं । रुग्ण कताई एककों के पुनरुद्धार के लिए निधियां वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा प्रदान की जाती हैं ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) रुग्ण वस्त्र मिलों का पुनरुद्धार अनेक बातों जैसे पूर्ण पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन के

लिए अपेक्षित अवधि, कुशल प्रबन्ध, कच्चे माल तथा अन्य अन्तर्निविष्ट साधनों की लागत, बढ़ी हुई उत्पादकता, उत्पाद के लिए मांग, आदि पर निर्भर होता है। ऐसे रुग्ण एककों के पुनरुद्धार के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

पर्वतीय क्षेत्रों में चलती फिरती कैंटीनें

9559. **श्री हरीश रावत :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पर्वतीय क्षेत्रों में चलती फिरती कैन्टीनें चलाने का प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) पर्वतीय क्षेत्रों में 11 स्टेशनों पर चलती-फिरती कैंटीनें पहले से ही चल रही हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में 15 और स्टेशनों में चलती-फिरती कैंटीनें स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट मांगी गयी है।

[अनुवाद]

कन्याकुमारी को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना

9560. **श्री एन. डेनिस :** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी को आकर्षक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावों की जांच की जा रही है और प्रस्तावों की गुणवत्ता, निधियों की उपलब्धता तथा परस्पर प्राथमिकताओं के आधार पर वित्तीय सहायता देने के बारे में विचार किया जाएगा।

भारतीय रुई निगम द्वारा कपास का निर्यात

9561. **डा० वी. वेंकटेश्वर :** क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई निगम ने 1986 के उत्तरार्ध से कपास का निर्यात करना आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 31 मार्च, 1987 तक कपास की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया तथा इससे कितना मूल्य प्राप्त हुआ ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रुई निगम में निर्यात के लिए 31-3-1987 तक स्टेपल रुई की 1985-86 फसल की 3.57 लाख गांठों तथा 1986-87 फसल की 1 लाख गांठों का पंजीकरण किया है। इन निर्यातों के सम्बन्ध में प्राप्त की गई कीमत लगभग 60 करोड़ रु० है।

दिल्ली पुलिस के मामलों सम्बन्धी समिति

9562. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए मारवाह समिति बनाई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त समिति कब तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) श्री वी. पी. मारवाह, तत्कालीन अपर पुलिस आयुक्त को तत्कालीन पुलिस आयुक्त द्वारा नवम्बर, 1984 के दंगों के दौरान पुलिस अधिकारियों/पुलिस कार्मिकों की भूमिका की जांच करने के लिए कहा गया था।

(ख) इस उद्देश्य के लिए न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जांच आयोग के गठन पर, श्री मारवाह को जांच करने के लिए कहा गया था।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

वस्त्र मंत्रालय की विशेष संघटक योजना

9563. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों के लिये वर्ष 1987-88 के लिए कोई विशेष संघटक योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें शामिल की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) वस्त्र मंत्रालय की विकासात्मक योजनाएं हथकरघा बुनकरों, शिल्पियों आदि के लाभ के लिए हैं तथा राज्य सरकारों के जरिए कार्यान्वित की जाती हैं। कुछ राज्यों में ये दस्तकारियां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों द्वारा परम्परागत रूप से चलाई जाती है। इस प्रकार विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के अन्तर्गत इन राज्यों को रिलीज की गई निधियों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को लाभ होता है।

निर्यात संघटक यूनिटों के संबंध में भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ द्वारा अध्ययन किया जाना

9564. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ ने 100 प्रतिशत निर्यातो-मुखी यूनिटों के संबंध में अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ ने क्या सिफारिशें की हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरन्जन दास मुन्शी) : (क) जी हां ।

(ख) सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है; इन एककों के समग्र विकास के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना, सीमा शुल्क क्रियाविधि में ढील देना, एग्जिम बैंक द्वारा ऋणों के मंजूर किये जाने में शीघ्रता लाना तथा ढील देना, करावकाश सहित राजकोषीय प्रोत्साहन देना, विपणन सहायता की व्यवस्था, अवस्थापना सेवाएं प्रदान करने में प्राथमिकता देना, घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उप-संविदा करने की अनुमति देना, क्रियाविधि संबंधी संशोधन आदि ।

[हिन्दी]

बिहार में स्कूलों और कालेजों में राष्ट्रीय केडेट कोर लागू करना

9565. **श्री कुंवर राम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में ऐसे कालेजों और हाई स्कूलों की संख्या कितनी है जिनमें राष्ट्रीय केडेट कोर लागू कर दी गयी है ; और

(ख) शेष कालेजों और हाई स्कूलों में यह कब तक लागू कर दी जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा असंनुधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) बिहार में 197 कालेजों और 396 हाईस्कूलों में राष्ट्रीय केडेट कोर का प्रशिक्षण लागू कर दिया गया है ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[अनुवाद]

नार्वे को एल्यूमिना का निर्यात

9566. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या वाणिज्य मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नार्वे को एल्यूमिना का निर्यात करने का विचार है ;

(ख) क्या एल्यूमिना का निर्यात खनिज और धातु व्यापार निगम के माध्यम से किया जाएगा ;

(ग) क्या राष्ट्रीय एल्यूमिना कम्पनी ने इस सम्बन्ध में समझौता किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (घ) खनिज और धातु व्यापार निगम ने मैसर्स हाइड्रो ट्रेडिंग, स्विटजरलैंड के साथ जो कि मैसर्स नोस्क हाइड्रो, नार्वे का व्यापार विंग है, अक्तूबर, 1987 से लेकर मार्च 1988 के दौरान एक लाख मे० टन एल्यूमिना के निर्यात के लिए व्यवस्था की है। निर्यात एफ. ओ. बी. आधार पर किया जाएगा। विस्तृत संविदा को नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी के साथ, जो कि इस माल के सप्लायर हैं परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जाएगा।

[हिन्दी]

भारत और जापान के बीच व्यापार

9567. **प्रो० चन्द्र भानुदेवी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जापान के बीच व्यापार में पिछले तीन वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों के द्विपक्षीय व्यापार आंकड़े नीचे दिये गये हैं : —

(मूल्य : करोड रुपये में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
1983–84	825.63	1455.53	2281.16
1984–85	1060.97	1240.41	2301.38
1985–86	1190.19	1778.53	2968.72
1986–87 अप्रैल – दिसम्बर, 86	951.18	1869.53	2820.71

[अनुवाद]

गाय की चर्बी के आयात करने के कारण उद्योगों पर पाबन्दी लगाना

9568. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** :

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन–कौन से उद्योगों को गाय की चर्बी आयात करने के आरोप पर आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 के खंड 8"1 (जी) के अन्तर्गत प्रास्थगित किया गया है और उन पर रोक लगाई गई है।

(ख) कौन–कौन से उद्योगों पर रोक की अवधि के बाद में सरकार द्वारा कम कर दिया गया; और

(ग) कौन–कौन से उद्योगों के निदेशकों के विरुद्ध आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 की धारा 5 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया तथा कौन–कौन से उद्योगों के निदेशकों के विरुद्ध ऐसा मुकदमा नहीं चलाया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) उन उद्योगों के नाम, जिन्हें प्रास्थगित और विवर्जित स्थिति में रखा गया है, क्रमशः अनुबंध–I और II के रूप में संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4471/87]

(ख) उन उद्योगों के नाम जिनके विवर्जन की अवधि अपील में कम कर दी गई है। अथवा विवर्जन को रद्द कर दिया गया है, अनुबंध III के रूप में संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रख गया। देखिए संख्या एल० टी० 4471/87]

(ग) संलग्न अनुबंध IV के अनुसार 26 फर्मों के विरुद्ध न्यायालय में शिकायतें दायर की गई हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4471/87] उन सभी मामलों को, जिनमें कानून का गम्भीर उल्लंघन हुआ है, अभियोजन शुरू करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया है।

तिहाड़ जेल में नशीली दवाओं का कथित निर्बाध व्यापार

9569. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल के कैदियों ने उप राज्यपाल को प्रस्तुत एक ज्ञापन में जेल में नशीली दवाओं का निर्बाध व्यापार और हथियार तथा तेजाब की तस्करी और जेल अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार ने तिहाड़ जेल के कैदियों द्वारा की गई शिकायतों की यदि कोई जांच की है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) सरकार ने जेल में ऐसी अवैध और असामाजिक गतिविधियों को समाप्त करने और इन गतिविधियों में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। अभ्यावेदन में जेल अधिकारियों के विरुद्ध जेल के कर्मचारियों की सांठ गांठ से नशीली दवाओं की तस्करी, अधीक्षक का धृष्ट बर्ताव जैसे आरोप और मुलाकात की असुविधाजनक प्रणाली साक्षात्कार प्रदान करने में पक्षपात, पानी की कमी और अधिक भीड़–भाड़ की शिकायतें निहित हैं।

(ग) और (घ) उक्त अभ्यावेदन पिछले महीने प्राप्त हुआ है। दिल्ली प्रशासन के अनुसार अधिकांश प्रथम दृष्टया किसी प्रयोजन से प्रेरित प्रतीत होते हैं। फिर भी जेल प्रशासन ने सुरक्षा उपायों को कड़ा किया है, आगन्तुकों और वार्डों की छानबीन को बढ़ाया है। महानिरीक्षक (जेल) किन्हीं अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए जेल के वार्डों का निरीक्षण करते रहे हैं। जब कभी कर्मचारियों के ग्रस्त होने का समाचार मिलता है अथवा जेल प्राधिकारियों के ध्यान में आता है तो मामले की

मुस्तैदी से जांच की जाती है और यदि किसी जेल अधिकारी का ग्रस्त होना सिद्ध हो जाता है तो उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

यूनान के साथ व्यापार बढ़ाना

9570. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राव वाडियर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूनान के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन क्षेत्रों को चुना गया है;

(ग) क्या भारत और यूनान के बीच कोई द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (घ) भारत गणराज्य की सरकार तथा हैलेनिक गणराज्य सरकार के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग सम्बन्धी एक करार पर 21 सितम्बर, 1983 को हस्ताक्षर हुए थे जिसके अनुसार दोनों देशों के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करने की दृष्टि से एक संयुक्त समिति स्थापित की गई है।

भारत-यूनान संयुक्त समिति का पहला सत्र 29 सितम्बर से 1 अक्टूबर 1986 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस बैठक में भारत से यूनान को निर्यातों के लिये अभिज्ञात मदों में शामिल हैं चाय, काफी, मांस तथा मांस उत्पाद, चमड़ा उत्पाद, रासायनिक पदार्थ, इंजीनियरी माल, मिनी कम्प्यूटर, टेलिफोन उपस्कर आदि।

यूनान से आयात के लिए अभिज्ञात मदों में शामिल हैं, पैट्रोलियम उत्पाद, इस्पात, कागज, उर्वरक सूखे अंजीर आदि।

आयुध कारखानों में कर्मचारियों की नई भर्ती पर प्रतिबन्ध

9571. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आयुध कारखानों में कर्मचारियों की नई भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रतिबन्ध कितनी अवधि के लिए लगाया गया है ;

(ग) क्या आयुध कारखानों में कर्मचारियों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है;

(घ) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों की कमी के कारण आयुध कपड़ा तैयार करने वाले कारखाने की "ब्लैंकिट यूनिट" जैसी परियोजना में इसके पूरा किये जाने के बाद से पूरा उत्पादन नहीं हो रहा है; और

(ङ) क्या सरकार इस कारखाने में कर्मचारियों की नई भर्ती पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) आयुध निर्माणियों में भर्ती पर लगी रोक, व्यय में मितव्ययता बरतने के लिए वित्त मंत्रालय के दिनांक 3-1-1984 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ(1)—स्था० (समन्वय)/84 द्वारा भर्ती पर लगाई गई सामान्य रोक का एक हिस्सा है। वित्त मन्त्रालय के दिनांक 2-4-1985 के इसी संख्या के कार्यालय ज्ञापन में यह रोक अनिश्चित काल के लिये बढ़ा दी गई थी लेकिन जहाँ तक आयुध निर्माणियों का सम्बन्ध है उसके लिये निम्नलिखित पहलुओं पर वित्त मन्त्रालय के दिनांक 28 मई 1986 के इसी संख्या के कार्यालय ज्ञापन में रोक पर कुछ छूट दी गई थी :—

(1) पदोन्नति, सेवानिवृति या मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को मन्त्रिमण्डल सचिव की समिति द्वारा की गई समीक्षा के आधार पर फालतू घोषित पद समाप्त किए जाने के बाद भरा जा सकता है।

(2) जब कभी भी नये वाहनों की खरीद नए संगठनों आदि की स्थापना जैसी नई परिसम्पत्तियों को स्थापित किया जायेगा तो ऐसी परिसम्पतियों को चलाने के लिए अपेक्षित स्टाफ प्रदान किया जाना चाहिए। विद्यमान क्षमता में से पुनः नियुक्ति द्वारा भरे जा सकने वाले पदों की संख्या को स्टाफ की आवश्यकता पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कर्मचारियों की कुल मिलाकर कमी है या वे अधिक संख्या में हैं इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। लेकिन उपलब्ध क्षमताओं का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड को कहा गया है कि वे कम प्रौद्योगिकी तथा कम मूल्य वाली मदों का निर्माण बन्द करके उपलब्ध होने वाली मानवशक्ति को पुनः नियुक्त करें।

(ङ) मन्त्रिमन्डल सचिव की समिति के मूल्यांकन के आधार पर आयुध निर्माणियों में जो पद फालतू हो जाते हैं उन्हें समाप्त करके पदोन्नति, सेवानिवृति या मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए भर्ती करने का प्रस्ताव है।

परिष्कृत चमड़े के निर्यात के लिए नकद प्रतिपूर्ति सहायता में कमी किया जाना

9572. **श्री पी. आर. एस. वेंकटेशन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिष्कृत चमड़े के निर्यात के लिए नकद प्रतिपूर्ति सहायता की दर में कमी कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) चमड़ा उत्पाद क्षेत्र के लिए तैयार चमड़े की उपलब्धता में सुधार लाने की दृष्टि से 31-3-1987 तक वायुयान से किए गए तैयार चमड़े के निर्यात पर 5% की दर से प्रदान की जाने वाली नकद मुआवजा सहायता 1-4-987 से बन्द कर दी गई है।

खेल सामग्री के उत्पादन में प्रयुक्त एल्यूमिनियम के लिए मूल्य में अन्तर

9573. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल सामग्री में प्रयुक्त किए जाने वाले एल्यूमिनियम के आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के बीच अन्तर की माँग करने के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्युत चालित करघों की व्यापक गणना

9574. **श्री नर सिंह सूर्यवंशी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 अप्रैल 1987 को केन्द्रीय वस्त्र उपमन्त्री ने बंगलौर में देश में विद्युत चालित करघों की शीघ्र ही व्यापक गणना किये जाने के सम्बन्ध में टिप्पणी की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे मानदण्ड सर्वेक्षण की अवधि, चयन का प्रकार, सर्वेक्षण की पद्धति आदि के बारे में विवरण क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) देश में पहली बार विद्युत करघों का एक व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित एक रूप प्रश्नावली से राज्य सरकार पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

कच्चे रेशम के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव

9575. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने, प्रतिपूर्ति योजना और अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत कच्चे रेशम के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी कर्नाटक सरकार की मांग रद्द कर दी है;

(ख) कच्चे रेशम के आयात से स्वदेशी उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है;

(ग) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान कितने मूल्य के कच्चे रेशम का आयात किया गया; और

(घ) इसी अवधि के दौरान निर्यातकों द्वारा प्रतिपूर्ति लाइसेंस और अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 1985-86 तथा 1986-87 वर्षों के लिए कच्चे रेशम के आयात सम्बन्धी आंकड़े अभी तक संकलित नहीं किये गये हैं।

(घ) इन दो वर्षों के दौरान रेशम मदों से कुल निर्यात आय निम्नोक्त प्रकार है :—

1985-86	—	159.82 करोड़ रु०
1986-87	—	201.49 करोड़ रु०

पुलिस को अनधिकृत निर्माण रोकने की शक्ति प्रदान करना

9576. श्री प्रकाश चन्द्र : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में पुलिस को अनधिकृत निर्माण कार्य रोकने की शक्ति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य पुलिस को सौंपे जाने का क्या औचित्य है जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम के इंजीनियर और ओवरसियर मौजूद हैं, जो कि अनधिकृत निर्माण कार्य रोकने के लिये पर्याप्त रूप से समक्ष हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार पुलिस को दी गई इस शक्ति को वापस लेने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) पुलिस, दि० वि० प्रा०, दि० न० नि० और नई दिल्ली नगर पालिका इत्यादि से अवैध निर्माण के बारे में प्राप्त शिकायतों पर सुनवाई करती है। जब इन निकायों द्वारा मकान गिराने की कारंवाई की जाती है तो उन्हें कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस की सहायता दी जाती है। रास्ते में रुकावट डालने वाले अतिक्रमणों के मामलों में पुलिस को दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत उन्हें हटाने की शक्ति है। दिल्ली पुलिस से इस शक्ति को वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायु सीमा का उल्लघंन करना

9577. चौधरी राम प्रकाश : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986 के दौरान पाकिस्तानी विमान कितनी बार भारतीय वायु सीमा के अन्दर आये;

(ख) क्या पाकिस्तानी सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा गया; और

(ग) क्या इसी अवधि के दौरान चीन की ओर से भी वायु सीमा का उल्लघंन किया गया ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) 1986 के दौरान पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय वायुसीमा का उल्लघंन करने की कुछ घटनाएं हुई। इस सम्बन्ध में ब्यौरा प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

(ख) इस सम्बन्ध में प्रत्येक अवसर पर पाकिस्तान सरकार के साथ विरोध प्रकट किया गया।

(ग) जी, हां। चीन के विमानों द्वारा हमारी वायुसीमा का उल्लंघन किए जाने की कुछ घटनाएं हुई हैं। इस संबंध में विरोध प्रकट किया गया है।

भारतीय वायुसेना के लिए हेलीकाप्टर की खरीद

9578. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पाकिस्तान ने अपने हेलीकाप्टरों में टैंक-रोधी मिसाइलें लगवाई हैं;

(ख) क्या भारतीय वायुसेना अपने हेलीकाप्टरों में इस प्रकार की प्रणाली की पिछले कुछ वर्षों से मांग कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पाकिस्तान द्वारा ऐसे हेलीकाप्टर प्राप्त करने से उत्पन्न खतरे का सामना करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर एल्यूमिनियम की सप्लाई

9579. **डा० बी० एल० शेलेश** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी धातुएं आती हैं;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर एल्यूमिनियम सप्लाई करने की किसी योजना को अन्तिम रूप दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) इन धातुओं विशेषकर एल्यूमिनियम के भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के अन्तर को किस प्रकार समाप्त किया जाता है तथा मूल्यों के अन्तर को कौन वहन करता है;

(ङ) क्या किसी स्तर पर इस योजना के कार्यचालन का वाणिज्यिक और वित्तीय जैसे विभिन्न पहलुओं की दृष्टि से मूल्यांकन किया गया; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और चालू वर्ष के दौरान इस योजना को चलाने के लिए बजट में कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) स्टील पिग आयरन तथा अल्यूमिनियम इस समय आई० पी० आर० एस० के अन्तर्गत शामिल है।

(ख) जी हां।

(ग) इस योजना में अल्यूमिनियम आधारित इंजीनियरी उत्पादों का निर्यात शामिल है। यह अल्यूमिनियम की घरेलू कीमत तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के बीच कीमत सम्बन्ध अन्तर की प्रतिपूर्ति करती है। योजना का संचालन इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) के द्वारा किया जाना है तथा इसका वित्त पोषण 1987-88 के दौरान विपणन विकास सहायता (एम डी ए) निधि से किया जाना है।

(घ) माइल्ड स्टील और पिग आयरन के मामले में घरेलू कीमतें जे० पी० सी० प्लांट कीमत है। एलाय स्टील के लिए घरेलू कीमत, मुख्य एलाय उत्पादकों की विक्रय कीमतों का औसत है। अल्यूमिनियम को घरेलू कीमत का निर्धारण अल्यूमिनियम नियंत्रक द्वारा मासिक आधार पर किया जाता है। स्टील और अल्यूमिनियम की अधिकांश मदों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर आधारित होती है।

(ङ) योजना की नियमित मानीटरिंग की जा रही है अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर विभिन्न घरेलू सामान की सप्लाई विश्व बाजार में हमारे इंजीनियरी निर्यातों को अधिक प्रतियोगी बनाने में सहायक सिद्ध हुई है।

(च) स्टील और पिग आयरन के लिए आई पी आर एस का वित्त पोषण इंजीनियरी माल निर्यात सहायता निधि में से किया जाता है जबकि अल्यूमिनियम की योजना का वित्त पोषण एम डी ए निधि में से किया जाता है।

हिन्द महासागर के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र की तदर्थ समिति की बैठक

9580. **डा० वी० एस० शैलेश** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र की तदर्थ समिति की हाल में हुई बैठक में उसे हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र घोषित किये जाने के संबन्ध में होने वाले कोलम्बो सम्मेलन का प्रारम्भिक कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी;

(ख) यदि हां, तो समिति ने अब तक क्या प्रगति की है; और

(ग) अगली बैठक की क्या तारीख निर्धारित की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अपने प्रदेश के अनुसार यह समिति कोलम्बो सम्मेलन के लिए तैयारियां करती रही। सदस्य राज्यों के बीच कुछ मसलों पर मतभेद बना रहा। समिति अगले अधिवेशन में अपना काम जारी रखेगी जो 22 जून से 2 जुलाई, 1987 तक होगा।

विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों में पूंजी निवेश

9581. **श्री टी० बशीर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीयों को विदेशों में स्थित प्रमुख संयुक्त उद्यमों में इक्विटी-शेयर में निवेश करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) सरकार इक्विटी के लिये प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर नकद प्रेषण की अनुमति देती है।

(ख) सरकार ने विदेश स्थित संयुक्त उद्यमों में 31-12-1986 को यथास्थिति 30.67 करोड़ रु० तक नकद प्रेषण के जरिये इक्विटी में निवेश का अनुमोदन किया है।

भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था

9582. **श्री आर० एम० भोये** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम में कतिपय श्रेणी के अधिकारियों को ड्यूटी के समय निशुल्क भोजन की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो इस तरह अनुमत्य प्रत्येक समय के भोजन की लागत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकारियों को भुगतान करके अपने अतिथियों/सम्बन्धियों को भोजन कराने की अनुमति है;

(घ) यदि हां, तो नवीनतम कल्याण योजना शुरू होने से पूर्व और उसके बाद अधिकारियों के अतिथियों/सम्बन्धियों को दिए गए भोजन के लिए कितनी राशि ली जाती है;

(ङ) क्या इस प्रकार की सुविधाएं अन्य कर्मचारियों को भी दी जाती हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) 700–1300 रु० तथा इससे ऊपर के वेतनमान वाले सभी कार्यपालकों को ड्यूटी के समय निःशुल्क भोजन की अनुमति है। प्रयोग की गई कच्ची सामग्री की लागत पर निर्भर रहते हुए व्यंजनसूची (मीनू) की भोजन-लागत 8 रु० से 12 रु० के बीच पड़ती है।

(ग) से (च) निगम के सभी कर्मचारी संबंधित प्रभाग/एकक के अध्यक्ष से प्राप्त प्राधिकृत पत्र प्रस्तुत करने पर, भारत पर्यटन विकास निगम के किसी भी होटल या रेस्तरां में स्वयं और 6 सदस्यीय परिवार के लिए लिकर को छोड़ कर भोजन और पेय पदार्थों को व्यंजन-सूची (मीनू) कीमत पर 50% कटौती (डिस्काउंट) पाने के हकदार हैं।

चीनी के निर्यात सम्बन्धी वायदे

9583. **श्री आर० एम० भोये** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय चीनी का कितना भंडार मौजूद है और उसके निर्यात संबंधी वायदे क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार चीनी का निर्यात कोटा बढ़ाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) 7 अप्रैल, 1987 को विद्यमान स्थिति के अनुसार चीनी फैक्ट्रियों के पास घरेलू चीनी का अंतिम स्टाक 49.25 लाख मे० टन होने का अनुमान है।

चीनी की घरेलू कमी के कारण इस समय चीनी के निर्यात संयुक्त राज्य अमरीका और ई. ई. सी. बाजारों तथा कुछ पड़ोसी देशों को हमारे अधिमानी कोटों तक सीमित हैं। नेपाल को 7,500 एम. टन चीनी की बकाया निर्यात वचनबद्धता है। इसके अलावा, हम अधिमानी कोटों के आधार पर ई.ई.सी. को 10,000 एम. टन तक चीनी तथा संयुक्त राज्य अमरीका को लगभग 6,800 एम. टन चीनी के निर्यात कर सकते हैं।

(ख) चीनी करार 1984 के अन्तर्गत सदस्य देशों द्वारा चीनी के आयात/निर्यात पर कोई कोटा प्रतिबन्ध नहीं है।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

9584. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री उत्पादों की निर्यात कम्पनियों के क्या नाम हैं;

(ख) प्रत्येक कम्पनी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य के समुद्री उत्पादों का निर्यात किया;

(ग) क्या यह सच है कि समुद्री उत्पादों, विशेषकर झींगा मछली के निर्यात में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए कौन से उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) 1986-87 के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात 85843 मे० टन के हुए जिनका मूल्य 460.67 करोड़ रु० था जबकि 1985-86 के दौरान 83,651 मे० टन के हुए थे जिनका मूल्य 398.00 करोड़ रु० था। 1986-87 के दौरान श्रिम्प का निर्यात 49,203 मे० टन का हुआ जिसका मूल्य 377.93 करोड़ रु० था, जबकि 1985-86 के दौरान के आंकड़े 50,349 मे० टन के थे जिनका मूल्य 329.82 करोड़ रु० था। 1986-87 के दौरान श्रिम्प के निर्यात की मात्रा में यह मामूली गिरावट मुख्यतः श्रिम्पों की बहुत खराब लैंडिंग के कारण हुई है।

(स्रोत: एमपीडा, कोचीन)

(ङ) समुद्री उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए उठाए जा रहे कदमों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए झींगा फार्मिंग का संवर्धन, मूल्य वर्धित मदों जैसे आर क्यू एफ (इन डिविडयूअलि क्विक

फ्रोजन) झिंगों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, झींगा संवर्धन उत्पत्तिशालाएं स्थापित करना तथा गहरे समुद्रों में मछली पकड़ने संबंधी संसाधनों के उपयोग सम्बन्धी उपाय।

दिल्ली में प्राइवेट जासूसी और सुरक्षा एजेंसियों की स्थापना

9585. **डा० बी. एल. शैलेश** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में सेवा कुछ सेवा-निवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और अन्य लोगों ने अनेक प्राइवेट सुरक्षा/जासूसी एजेंसियां खोली है ;

(ख) यदि हां, यो क्या सरकार ने उनके सही कार्यकरण और पंजीकरण को विनियमित करने के लिए कोई मार्ग-निर्देश निर्धारित किए हैं ;

(ग) क्या इन एजेंसियों की सेवायें किराये पर लेने के संबंध में दिल्ली स्थित सरकारी उपक्रमों को कोई अनुदेश जारी किये गये हैं ; और

(घ) क्या इन एजेंसियों के पूर्ववृत्त और विश्वसनीयता की जांच करने के लिए इस समय कोई व्यवस्था विद्यमान है और यदि हां; तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) इस प्रकार की कुछ एजेंसियां दिल्ली में कार्य कर रही हैं। तथापि दिल्ली पुलिस के पास उनके स्वामित्व के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने बड़े शहरों में निजी जासूसों/सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए सिफारिशें की है। सिफारिशों पर राज्य सरकार के साथ परामर्श करके कार्रवाई की जा रही है।

अमरीका के "असिस्टेंट सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इन्टरनेशनल आर्गेनाइजेशन" की भारत यात्रा

9586. **डा० बी. एल. शैलेश** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के "असिस्टेन्ट सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंटरनेशनल आर्गेनाजेशन" मार्च, 1987 के अंत में दिल्ली आए थे ;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई वार्ता के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या उनसे जनेवा में हाल में हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मेलन में भारत द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण के संबंध में चर्चा हुई और यदि हां, तो इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया क्या थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फ्लेरियो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस यात्रा के दौरान विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर अनेकानेक विषयों पर बातचीत हुई, जिनमें मानव अधिकार आयोग के मामले भी शामिल हैं।

वर्कला में "बीच रिजार्ट" के निर्माण का प्रस्ताव

9587. **श्री टी० बशीर** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने वर्कला में "बीच रिजार्ट" के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर आने वाली अनुमानित लागत और अन्य विवरणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में कौन से कदम उठाए हैं ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी, हाँ।

(ख) अनुमानित लागत 75.00 लाख रुपए हैं, परियोजना में आवास, खान-पान तथा अन्य पर्यटक सुविधाओं की परिकल्पना की गई है।

(ग) प्रस्ताव पर वित्तीय स्वीकृति हेतु विचार किया जा रहा है।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में बुक किये गये निर्यात क्रयादेश

9588. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में आये विदेशी क्रेताओं का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन मेलों के दौरान विदेशी क्रेताओं ने कितने मूल्य के निर्यात क्रयादेश बुक करवाए हैं;

(ग) आयात करने वाले देशों द्वारा बुक कराये गये क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन मेलों के दौरान बुक किये गये क्रयादेशों से परवर्ती वर्ष में संबन्धित देशों को दिए गए हमारे निर्यातों में वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रन्जन दास मुन्शी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बड़ी संख्या में भारतीय भागीदारों को विदेशी खरीदारों से संपर्क करने तथा निर्यात व्यवसाय के लिए वार्ता करने के व्यवसाय अवसर प्रदान करता है। मेले में पहले चार दिन केवल व्यवसाय करने के लिए आरक्षित होते हैं। यद्यपि, भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण बुक किए गए निर्यात आर्डरों सहित, व्यवसाय के आंकड़े समेकित कर सका है, तथापि विदेशी खरीदारों द्वारा दिए गए निर्यात आर्डरों के पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते। मेले में सम्पन्न व्यवसाय तथा वास्तविक निर्यात निष्पादन के बीच सह-संबंध स्थापित करना भी कठिन है।

विवरण

गत तीन वर्षों अर्थात 1984, 1985 तथा 1986 के दौरान भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आये प्रतिनिधि मंडलों को दर्शाने वाला विवरण ।

1984

क्रम संख्या	देश		प्रतिनिधि मंडल का गठन
1.	इथोपिया		श्री एल्मू एवीरा, अध्यक्ष, इथोपिआई चेम्बर ऑफ कामर्स के नेतृत्व में 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल।
2.	बंगलादेश	1)	श्री परवेज एशलाक्यू, निदेशक, पैराडाइज इन्वेंट कारपोरेशन लि बांगलादेश
		2)	श्री अहमद मन्सूर, इन्टरनेशनल ट्रेडिंग कं० चितगांग (बंगलादेश) से एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल
3.	ओमान		श्री अब्दुल नवी बिन अहमद अब्दुल नवी, औद्योगिक रजिस्टार ओमान सरकार।
4.	वीयतनाम		श्री ली. खी, विदेश व्यापार मंत्री के नेतृत्व में 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल।
5.	सोवियत संघ	1)	श्री. ई. पी. पिथरोवरनोक, यू. एस. एस. आर. चेम्बर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष के नेतृत्व में 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल।
		2)	सेल द्वारा प्रयोजित 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल।
6.	कोरिया लो.जन.गण		श्री चोई जोंग गन, कोरिया लो. जन. गण. के विदेश व्यापार मन्त्री के नेतृत्व में 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मन्डल।
7.	हांगकांग		श्री ए. पाल सिलीटो, इंडस्ट्रियल कारेसहृडिट फार ईस्टर्न रिव्यू ऑफ हॉंगकॉंग।
8.	इटली		श्री गिनो कोलम्बो, सेक्रेटरी जनरल, मिलन फेयर अथारिटी।
9.	जी. डी. आर.		महामहिम श्री कर्ट लीफर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन दि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जी. डी. आर.
10.	तन्जानिया		श्री वल्ली मुआमबुलुकुटर, मैनेजिंग एडीटर, डेलीन्यूज दार–एस–सलम
11.	कतार		श्री सुहल मुहतादी, महाप्रबन्धक, ताइसीर ट्रेडिंग एण्ड कांट्रेक्टिंग कं० दोहा।
12.	चीन		महामहिम श्री जाग बेड्न, वाइस मिनिस्टर, स्टेट इकनामिक कमीशन ऑफ चाइना के नेतृत्व में 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल
13.	भूटान	1)	श्री लाभप्रिंग, महासचिव

	2)	6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल
	3)	4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल
14. फिलीपीन		श्री एनटोनियों सी. कार्मो, ट्रेड तथा इंडस्ट्रीज के उप मन्त्री के नेतृत्व 3 सदस्य प्रतिनिधि मन्डल
15. फ्रांस		श्री एन्टोनियो मुसकोबा कोरोमाइंस, वाइस प्रेसीडेन्ट यूनियर देश फाइरेक्ट इन्टरनेशनल, पेरिस
16. केन्या		श्री ए. बी. शाह आफ मैं० लेक्स प्रिंट सरीन प्रिंटर्स मोम्बेस (केन्या)
17. बर्मा	1)	महामहिम श्री खिन सेंकिंग गई, विदेश व्यापार मन्त्री, के नेतृत्व में 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल
	2)	श्री थांग सेन तथा श्री खिन मौंग वर्मा में खान मन्त्रालय से सम्बद्ध
18. ब्रिटेन		इलेक्ट्रानिक्स का 15 सदस्यीय ब्रिटिश परचेज मिशन
19. ईरान		इकनामिक रिलेशन्स के उपमन्त्री के नेतृत्व में 25 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल

1985

1. पी. डी. आर. वाई		श्री अब्दुल कराम, ट्रेड पी.डी.आर.वाई के उप मंत्री के नेतृत्व में 2 सदस्यीय प्रतिनिधि मन्डल
2. श्रीलंका		श्री ए.एच. राज कोटवाला, प्रेसीडेंट, फेडरेशन आफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्री, श्रीलंका
3. मोजम्बिक		प्रेसीडेंट श्री ऐम्बिकोमेगाई के नेतृत्व में कांजाम्बिकम चेम्बर आफ कामर्स से 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल
4. जापान		श्री माजो मियाको के नेतृत्व में इलेक्ट्रोनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन आफ जापान का 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ।
5. सोवियत संघ	1)	डा० डी. बोरोनोर, वाइस प्रेसीडेंट आफ दि यू.एस.एस. आर. चेम्बर आफ कामर्स
	2)	श्री आई. आई. ग्रिशिन, ट्रेड आफ यू.एस.एस.आर. के उपमन्त्री
	3)	सोवियत संघ के वाणिज्य मन्त्री ।
6. नाइजीरिया	1)	श्री अलहाजी सेहूमुआजू; चेयरमैन, डी.आर.आई.एन.सीओ. इंडस्ट्रीज, नाइजीरिया के नेतृत्व में 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मन्डल

		2)	श्री आइ. बेलम्संटापलिया, चेम्बर आफ कामर्स एन्ड इंडस्ट्री ऑफ नाइजीरिया के नेतृत्व में 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मन्डल ।
		3)	श्री आइ. एच. मुहम्मद बैंची स्टेट चेम्बर आफ कामर्स आफ नाइजीरिया के नेतृत्व में 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मन्डल
		4)	श्री के. एम.डी.कुमवामी, चीफ प्रोजेक्ट्स स्टडी एन्ड इम्पली-मेंटेशन डिपार्टमेंट के नैतृत्व में सेटर आफ इंडस्ट्रीयल प्रमोशन. ब्रोन्डी से 2 सदस्यीय प्रतिनिधि मन्डल ।
7.	पाकिस्तान		श्री महबूबुल हक के पाकिस्तान के वित्तमन्त्री के नेतृत्व में 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मन्डल ।
8.	केन्या		श्री सी. एम. मासन, चेयरमैन, नोवा केमिकल्स, नैरोबी के नेतृत्व में केन्या नेशनल चेम्बर आफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्री का 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मन्डल ।
9.	फिजी	1)	श्री विनोद एस. पटेल, प्रबंध निदेशक, पटेल एन्ड कं०, के नेतृत्व में फिजी ईस्टोव से 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मन्डल ।
		2)	श्री ए. एम. डक्कन, फिजी व्यापार के नेतृत्व में 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ।
10.	ईराक		श्री जी. राघवन, ईराक के उप मन्त्री तथा स्थायी अवर सचिव ।
11.	सीरिया		श्री रैमण्ड कालपाकजी, प्रबन्ध निदेशक, इम्पोर्ट कार्पोरेशन आफ डमिस्क
12.	बंगलादेश		श्री ए. इस्लाम मोहम्मद, बंगलादेश के सिंचाई मंत्री ।
13.	मैडागास्कर		श्री रैक्टोमाओ जौस, उद्योग, ऊर्जा तथा खनन मंत्री, मैडागास्कर के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ।
14.	युगोस्लाविया		युगोस्लाविया के व्यापार आयुक्त तथा वाणिज्य मण्डल के अध्यक्ष ।
15.	मलयेशिया		उद्योग मंत्री के नेतृत्व में 40 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ।
16.	एफ० आर० जी०		श्री डाईटर कोपेनबर्ग, बंगेस्टग के वाइस प्रेसीडेण्ट ।
17.	मारीशस		मारीशस चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के प्रेसीडेण्ट श्री यूसुफ साली मौहम्मद के नेतृत्व में 14 सदस्यीय प्रतिनिधि-मण्डल ।
18.	यूनेस्को		एशिया, पैसीफिक इन्स्टीट्यूट आफ ब्राडकास्टिंग डिवलैपमेंट के श्री मार्टिन हैली के नेतृत्व में 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ।

19.	ईरान	(i) ईरान के चेम्बर आफ कामर्स के प्रेसीडेंट श्री खामोशी के नेतृत्व में 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल । (ii) श्री गुलाम रजा शफी, ईरान के उद्योग मन्त्री के नेतृत्व में 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ।
20.	जी० डी० आर०	श्री एच० रोज, जी० डी० आर० के स्टेट प्लेनिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन ।
21.	अफगानिस्तान	अफगानिस्तान इन्जीनियर्स एण्ड आर्कीटेक्ट का 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ।
22.	बहरीन	श्री अब्दुलवी अल शोआला, बहरीन चैम्बर्स आफ कासर्स एण्ड इन्डस्ट्री के प्रेसीडेंट के नेतृत्व में 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ।
23.	चीन	महामहिम श्री ल्यू ज्यू जिआन, फारेन इक्नोमिक रिलेशन्स एन्ड ट्रैड आफ प्यूपल्स रिपब्लिक आफ चाइना के वाइस मिनिस्टर के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ।
24.	कतार	श्री नौरी ए. अल-बहरानी के नेतृत्व में 2 सदस्यीय प्रतिनिधि-मण्डल ।
25.	सऊदी अरब	शेख सुलेमान के नेतृत्व मे 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ।
1986		
1.	त्रिनिदाद एवं टोवेगो	श्री के० प्रसाद, श्री के० प्रसाद एण्ड कम्पनी पोर्ट आफ स्पेन के नेतृत्व में 2 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ।
2.	मारीटेनिया	श्री मोहम्मद अब्दुल्ला ओल्ड मुनीर, मारीटेनिया से एक व्यापारी ।
3.	सेनेगल	महामहिम श्री अवडीन-रहमानी टोरी, सेनेगल के वाणिज्य मन्त्री के नेतृत्व में 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ।
4.	भूटान	श्री कम्भोग टमंग, व्यापार संवर्धन अधिकारी, भूटान सरकार के नेतृत्व में 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ।
5.	वर्मा	श्री यू० टुन टुन, सहायक निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग रंगून के नेतृत्व में 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ।
6.	एफ०आर०जी०	महामहिम डा० यू० स्टेगर, इक्नोमिक अफेयर्स तथा टेक्नोलोजी के नेतृत्व में 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ।
7.	बहरीन	श्री एच०एम० अरयान बोर्ड आफ डायरेक्टर के सदस्य, बहरीन चेम्बर्स आफ कामर्स के नेतृत्व में 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ।

8.	जी०डी०आर०	महामहिम डा० इंग० के० सिंघुवर, और माइनिंग मंत्री, मेटालुरी तथा पोटाश के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधि-मण्डल ।
9.	क्यूबा	श्री जोसो एमिलिओ बालाली, क्यूबा इलैक्ट्रोनिका के प्रथम वाइस-प्रेसीडेन्ट के नेतृत्व में दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ।
10.	नार्वे	डा० बी० एच० लुन्ड, सेक्रेटरी जनरल रायल नार्वेयन मिनिस्ट्री आफ डिवलपमेंट कारपोरेशन के नेतृत्व में 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ।
11.	इटली	इटालियन इन्डस्ट्रिलिस्ट्स का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ।
12.	श्रीलंका	(1) श्री विजीथा देवासी, डायरेक्टर, बर्टलैन्ट इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, कोलम्बो । (2) श्री आर०ए०ई० जयातिलाके, चीफ एक्जीक्यूटिव, जिन्सा इलेक्ट्रोनिक्स, कोलम्बो ।
13.	ब्रिटेन	डा० डी० गोले, प्रबन्ध निदेशक, एल्कोनी ओवरसीज लि०, ब्रिटेन ।
14.	तन्जानिया	श्री ओदीराव अंगारा की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय प्रतिनिधि-मन्डल ।
15.	तुर्की	(1) महामहिम श्री वी० दीन सलंर, राज्य मन्त्री । (2) 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ।
16.	युगोस्लोविया	श्री जोवान रोडाकोवियो की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय प्रति-निधिमण्डल ।
17.	नाइजीरिया	महामहिम श्री सी० बी० इबोबी, वाणिज्य और उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ।
18.	यू०एन०डी०पी०	प्रौद्योगिकी अन्तरण सम्बन्धी एशिया और प्रशान्त केन्द्र का 60 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल (ए०पी०सी०टी०डी) (यू० एन० डी०पी० प्रतिनिधिमण्डल)
19.	नीदरलैंड	महामहिम डा० डी० डेलमान नीदरलैंड के दूसरे मण्डल के अध्यक्ष के नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ।
20.	ओमन	श्री अनवर अली सुल्तान, निदेशक, डब्ल्यू०जे० टावल एण्ड कं०, ओमन ।

पश्चिम बंगाल में पर्यटन स्थलों का पता लगाना

9589. श्री अतीश चन्द्र सिंह : क्या पर्यटन मंत्री पश्चिम बंगाल में पर्यटन स्थलों का पता लगाने के बारे में 11 अप्रैल, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6387 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में चरणबद्ध रूप से पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित किए जाने के लिये जिन 15 केन्द्रों का पता लगाया गया है वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इन परियोजनाओं/केन्द्रों को पूरा करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन परियोजनाओं पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) पश्चिम राज्य में अवस्थाबद्ध तरीके से विकसित किये जाने वाले 15 अभिनिर्धारित केन्द्रों के नाम इस प्रकार हैं:- कलकत्ता, कैनिंग, सुन्दरबन, दार्जिलिंग, मनिभनजंग, तोंगलू, संदाकफू, रिमबिक, घोरे, पलमजुआ, कमरपुकुर, जयरामबाटी, विष्णुपुर, बांकुड़ा और अयोध्या।

(ख) से (ग) छठी योजना तथा सातवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान, केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के लिए 144.38 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है और 81.45 लाख रुपये रिलीज किये हैं। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

विदेशी भाषा विद्यालय (स्कूल आफ फारेन लैंग्वेजेज) में काम करने वाले अध्यापकों की दशा में सुधार

9590. श्री धर्मवीर सिंह त्यागी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की रक्षा संस्थाओं में शिक्षण प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए विदेशी भाषा विद्यालय (स्कूल आफ फारेन लैंग्वेजिस) को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और राष्ट्रीय सैन्य अकादमी की तरह जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध करने की योजना है; और

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशी भाषा विद्यालय में काम करने वाले अध्यापकों की सेवा दशा में उन्हें विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषाओं के अध्यापकों के बराबर समझकर सुधार करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। विदेशी भाषा विद्यालय में लेक्चरारों के वेतनमान सरकार द्वारा स्वीकृत चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित कर दिये गये हैं।

कानपुर के छावनी क्षेत्रों के लिए जलप्रवाही सप्लाई व्यवस्था

9591. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या रक्षा मंत्री कानपुर के छावनी क्षेत्र के लिये जलप्रवाही व्यवस्था के बारे में दिनांक 3 दिसम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4571 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश जल निगम ने कानपुर छावनी क्षेत्र में जल सप्लाई और जल प्रवाही व्यवस्था के संबंध में विस्तृत अनुमान/नक्शे/निर्माण ड्राइंग और परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण हैं और परियोजना को पूरा करने लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश जल निगम पानी सप्लाई की योजना को बढ़ाने के लिए अभी परियोजना रिपोर्ट बना रहा है। 15 जून, 1987 तक इसके पूरा होने की संभावना है। जल प्रवाह वाली सप्लाई व्यवस्था के लिये योजना इसके पश्चात बनायी जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय पटसन संगठन का सम्मेलन

9592. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय पटसन संगठन ने हाल ही में ढाका में अपना साठवां सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें वर्ष 1986-87 के दौरान विश्व में पटसन की स्थिति के बारे में किये गये आकलन और समीक्षा के निष्कर्ष क्या हैं तथा 1987-88 के दौरान कैसी स्थिति रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है; और

(ग) पटसन उद्योग में वर्तमान संकट से उबरने के लिये क्या तरीके सुझाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1. परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय पटसन संगठन द्वारा तैयार किये गये दस्तावेजों के आधार पर विश्व पटसन स्थिति की समीक्षा की। विशेषकर एकड़ भूमि, उत्पादन, कीमत स्थिति कच्चे पटसन और पटसन के माल के निर्यातों पर विचार विमर्श किया गया। परिषद ने पटसन तथा संश्लिष्ट वस्तुओं के बीच प्रतियोगी स्थिति की भी समीक्षा की।

2. यह नोट किया गया कि 1986-87 के दौरान प्रमुख पटसन उत्पादक देशों में पटसन कृषि के अंतर्गत क्षेत्र में पिछले वर्ष कीमतों में गिरावट आने के फलस्वरूप कमी हुई है। तथापि, 1986-87 के दौरान कच्चे पटसन की कुल उपलब्धता, 1985-86 की भरपूर फसल से बचे विपुल स्टाक के कारण अधिक थी।

3. अनेक सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय पटसन संगठन सचिवालय के प्रयासों का स्वागत किया तथा संशोधन प्रस्तुत किए और अतिरिक्त जानकारी दी। राष्ट्रीय बफर स्टाक प्रबन्धों के सम्बन्ध में निर्यातक देशों के प्रतिनिधियों द्वारा वक्तव्य दिए गए। परिषद के सत्र के दौरान दी गई मूल्यवान जानकारी, राष्ट्रीय नीतियों के निर्धारण में सहायक सिद्ध होगी।

भारतीय पटसन निगम के पास पटसन का भन्डार

9593. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम ने पटसन उद्योग को ग्रेड सात और आठ के पटसन का दिये जाने का एकमुश्त प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर उद्योग की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या निगम के गोदामों में तीस लाख से अधिक गांठों का भंडार भरा पड़ा है जिसमें अधिकतर निम्न और मध्यम ग्रेड का पटसन है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति से किस प्रकार निपटने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक उद्योग की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहवर्धक नहीं रही है।

(ग) और (घ) भारतीय पटसन निगम के पास, बफर स्टाक के लिए 5.26 लाख गांठों को छोड़कर इस समय अधिकांशत: निम्न और मध्यम श्रेणी के कच्चे पटसन की लगभग 28.57 लाख गांठों का स्टाक है। राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम की मिलों तथा राज्य के स्वामित्वाधीन त्रिपुरा पटसन मिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा, सरकारी खाते में बी. टिविल थैलों के खरीद से सम्बद्ध निजी पटसन मिलों की बिक्रियां की जा रही हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र की पटसन मिलों की खुली बिक्री करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

दूतावासों को सम्पत्ति कर से छूट

9594. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में राजनयिक मिशनों को सम्पत्ति कर से छूट दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि कुछ दूतवासों की ओर सम्पत्ति कर की करोड़ों रुपये की धनराशि बकाया है; और

(ग) उनसे यह धनराशि वसूल न किए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में स्थित विदेशी राजनयिक मिशनों को सम्पत्ति कर से छूट दी गई है। किन्तु दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में ऐसी कोई छूट नहीं दी जाती है।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार में अपनी सम्पत्ति वाले कुछ दूतावासों पर 14.60 लाख रुपये का सम्पत्ति कर बाकी है। दिल्ली नगर निगम ने मामले को विदेश मंत्रालय के साथ पहले ही उठाया हुआ है।

इजरायल/दक्षिणी अफ्रीका के नागरिकों को वीजा की मंजूरी देना

9595. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार कितने इजरायली नागरिकों को भारत आने या भारत में प्रवेश करने के लिए वीजा या प्रवेश पत्र दिए गए;

(ख) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार कितने दक्षिणी अफ्रीकी नागरिकों को भारत आने या भारत में प्रवेश करने के लिए वीजा या प्रवेश पत्र दिए गए; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में कौन-कौन से अन्तर्सरकारी या गैर-सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए जिनमें इजरायली या दक्षिणी अफ्रीकी नागरिकों ने प्रतिनिधि या पर्यवेक्षक अथवा सहायक कर्मचारियों के रूप में भाग लिया तथा उनकी सम्मेलन वार संख्या कितनी थी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) :

	1984	1985	1986
(क)	175	314	27
(ख)	864	824	274

(ग) कोई सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस प्रकार कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

दिल्ली में न्यायिक अधिकारियों की वैयक्तिक सुरक्षा

9596. **श्री शांताराम नायक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आतंकवादियों से सम्बन्धित मुकदमों को निपटाने वाले न्यायिक अधिकारियों को वैयक्तिक सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय किया है;

(ख) दिल्ली में इस समय ऐसे कितने न्यायिक अधिकारियों को इस प्रकार सुरक्षा प्रदान की गई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने यदि राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को कोई मार्गनिर्देश/अनुदेश जारी किए हैं तो वे क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) न्यायिक अधिकारियों को खतरे की आशंका के आधार पर सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार का काम है।

(ख) दिल्ली में सात न्यायिक अधिकारियों तथा उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों को सुरक्षा प्रदान की गयी है।

(ग) भारत सरकार द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे कैदियों को पैरोल पर रिहा करना

9597. **श्री परस राम भारद्वाज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च-न्यायालय ने अपने निर्णय में दिल्ली प्रशासन को ऐसे नियम अथवा मार्ग-निर्देश तैयार करने को कहा है कि आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे जो कैदी 4–5 वर्षों से जेल में हैं और जिनका व्यवहार अच्छा रहा है, उन्हें प्रतिवर्ष एक महीने के लिए पैरोल पर रिहा किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आजीवन कैदी की रिट याचिका को नामंजूर करते हुए दिल्ली प्रशासन से आजीवन सजा प्राप्त दोष सिद्ध अपराधियों या लम्बी अवधि का कारावास की सजा भुगत रहे दोष सिद्ध अपराधियों की पैरोल पर रिहाई के लिए नियम या दिशा निर्देश बनाने की सिफारिश की है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि जिन आजीवन कारावास प्राप्त दोष सिद्ध अपराधियों ने 4/5 साल कारावास की सजा भुगत ली है और जिनका अच्छा व्यवहार रहा है उन्हें प्रत्येक वर्ष एक महीने की अवधि के लिए छुट्टी (जेल से) दी जाए और जिन दोष-सिद्ध अपराधियों ने 7 वर्ष की अवधि की सजा भुगत ली है और जिनका जेल में अच्छा व्यवहार रहा है उनके मामले में छुट्टी की अवधि को 6 सप्ताह तक बढ़ाया जा सकता है।

[अनुवाद]

कोचीन स्थित नौसैनिक केन्द्र में वृक्षों को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर पुनः लगाना

9598. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना ने कोचीन स्थित नौसैनिक केन्द्र के विस्तार के दौरान पूर्ण रूप से विकसित वृक्षों को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर सफलतापूर्वक लगा दिया था;

(ख) यदि हां, तो कोचीन नौसैनिक केन्द्र में इस प्रकार कितने वृक्ष पुनः लगाये गये थे और उनमें से कितने वृक्ष जीवित रहे;

(ग) क्या सरकार ने वृक्षों को पुनः लगाने की इस पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) किसी वृक्ष को पुनः लगाने पर कितना औसत खर्च आता है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मार्च 1987 में 121 वृक्षों को फिर से लगाया गया। इनमें 101 पेड़ ठीक हैं। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो इस प्रणाली को अन्य जगहों में भी अपनाया जायगा।

(घ) लगभग 115 रुपये प्रति वृक्ष।

असम-मेघालय सीमा विवाद

9599. **श्री मल्लावल्ली रामचन्द्रम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय द्वारा जनवरी, 1987 से अब तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के जरिये असम के गांवों में अनधिकृत कब्जा किये जाने के कोई मामले हुए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अधिकृत कब्जे को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए हैं; और

(ग) असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद हल करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) असम राज्य सरकार ने तारीख 1.4.1987 की अपनी रिपोर्ट में असम-मेघालय सीमा पर पीलींगकाटा में लगाए गए सीमा खम्भों को मेघालय के कुछ व्यक्तियों द्वारा हटाने तथा वशिष्ट पुलिस थाने के अधीन कुछ सीमावर्ती गांवों में मेघालय राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विद्युतीकरण के बारे में उल्लेख किया है। इसी प्रकार मेघालय राज्य सरकार ने सूचित किया है कि असम राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पिलींगकाटा क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन बुर्ज बनाये जा रहे हैं तथा उस क्षेत्र के मुखियाओं को परेशान किया जा रहा है।

(ख) असम तथा मेघालय के मुख्य सचिवों को तनाव कम करने तथा शान्ति बनाए रखने के लिए कदम उठाने हेतु 6.4.87 को अनुरोध किया गया। असम तथा मेघालय के मुख्य मन्त्रियों को भेजे गए अपने तारीख 20 अप्रैल 1987 के पत्र में गृह मंत्री ने मतभेदों को आपसी विचार-विमर्श द्वारा हल करने का अनुरोध किया है।

(ग) असम और मेघालय की राज्य सरकारें आपसी हितों के मामलों में एक दूसरे से निकट का सम्बन्ध बनाये हुए हैं।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा नई नहर का निर्माण

9600. **डा० ए० के० पटेल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने इच्छोगिल नहर के साथ-साथ एक नई नहर का निर्माण किया है और सीमा पर नई सड़कें बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं और सरकार नागरिक सुरक्षा के साथ-साथ सीमा की सुरक्षा के लिए क्या उपाय कर रही है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान ने इच्छोगिल नहर के साथ-साथ एक नई नहर का निर्माण किया है। लेकिन 1970 के दशक से इच्छोगिल नहर और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के मध्य एक टैंक-रोधी अवरोध मौजूद है। पाकिस्तान द्वारा सीमा पर नई सड़कों के निर्माण के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है।

हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जाती है तथा पूर्ण सुरक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किये जाते हैं।

[अनुवाद]

नई दिल्ली नगरपालिका में जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति

9601. **डा. ए. के. पटेल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका में ऐसे अनेक कर्मचारियों का पता लगा है जो वहाँ जाली शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक ऐसे कितने मामले पकड़े गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या जाली प्रमाणपत्र इस्तेमाल करने के लिए उन कर्मचारियों के विरुद्ध चल रही कार्यवाही के बावजूद उनमें से कुछ कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु कोई मार्गनिर्देश जारी करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ) ऐसे 10 मामलों का पता लगाया गया है। सभी मामलों में विभागीय कार्रवाइयाँ शुरू की गयीं। उनमें से 3 को नौकरी से हटा दिया गया, 2 को पदावनत कर दिया गया और 4 को वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड दिया गया। बाकी एक को लिखित चेतावनी दी गयी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जातीय समूहों द्वारा एक पृथक राज्य की मांग

9602. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ सीमावर्ती जातीय समूह एक पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) जिल्यांगरोग पिपुल्स सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता रानी मेडिन लियू ने की थी, ने जिल्यांगरोग नागाओं के लिए (जो इस समय नागालैंड, मणिपुर और असम में रह रहे हैं) भारत संघ के अन्तर्गत पृथक "होमलैंड" की मांग की है। इस मांग को मानना सम्भव नहीं पाया गया।

राजस्थान में पाकिस्तानी जासूसी गिरोह का पता लगाना

9603. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने श्रीगंगानगर, राजस्थान में विस्थापित "पाकिस्तानी हिन्दुओं" के वेश में सक्रिय पाकिस्तानी जासूसों के गिरोह का हाल ही में पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) देश में जासूसी करने की गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं, और वर्ष 1986-87 के दौरान इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान पुलिस ने 4 मार्च, 1987 को गंगानगर जिले में अनूपगढ़ में एक पाक जासूसी गिरोह का पता लगाया है पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया है।

(ग) जासूसी और किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा ऐसी अन्य प्रतिकूल गतिविधियों के प्रयासों का पता लगाने, उसे विफल बनाने के लिए सभी सुरक्षा तथा अन्य सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा लगातार सतर्कता रखी जा रही है।

[हिन्दी]

बर्मा से भारत आये भारतीय मूल के लोगों के संगठन को भूमि आबंटित करने की मांग

9604. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :
श्री तेजा सिंह धर्दी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964 से 1981 की अवधि के दौरान बर्मा से भारत वापस आये भारतीय मूल के लोगों के एक संगठन ने अपनी आवासीय समस्या के हल के लिए भूमि अथवा भवन का आबंटन करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग के अनुसार मकानों के निर्माण के लिए भूमि आबंटित करने की मन्जूरी दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संगठन को अब तक भूमि आबंटित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में और कितना समय लगने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ) बर्मा प्रत्यावासी, जो पूरे भारत में बसे हुए हैं, के किसी संगठन से भूमि या मकानों के आवंटन के लिए कोई विशिष्ट मांग प्राप्त नहीं हुई है। तथापि कथित बर्मा आन्ध्र प्रत्यावासी केन्द्रीय संघ जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है, से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों के समान बर्मा प्रत्यावासियों को मकान की सुविधायें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। चूंकि केन्द्रीय सरकार की योजना के अनुसार पात्र बर्मा प्रत्यावासियों को मकान सहायता के लिये केवल ऋण दिया जाता है, अतः इस प्रतिवेदन को उचित कार्रवाई हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

9505. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**
श्री जी० एस० बसवराजू :
श्री एस० एम० गुरुडी :
श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने लौह अयस्क की सप्लाई के बारे में जापानी इस्पात मिलों के साथ की गई अपनी बातचीत में बड़ी सफलता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे देश के इस्पात उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा;

(ग) वर्ष 1987 में जापान को लौह अयस्क का कितनी मात्रा में निर्यात किया जाना है और इनका मूल्य क्या है तथा वर्ष 1986 में किए गए निर्यात की तुलना में इसकी मात्रा और मूल्य कितना है; और

(घ) जापान को लौह अयस्क का निर्यात किन-किन पत्तनों के माध्यम से किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) जापानी इस्पात उद्योग में प्रचलित मन्दी की स्थितियों के बावजूद भारत को आशा है कि 1987-88 के दौरान जापान को किये जाने वाले निर्यातों का अपना मौजूदा स्तर बनाए रखेगा जबकि कुछ अन्य प्रमुख सप्लायरों की लक्ष्यित की गई मात्राओं को जापानी इस्पात मिलों द्वारा कम किया गया है। 1986-87 के दौरान जापान को लौह अयस्क (सान्द्रणों सहित) के निर्यात 21·19 मिलियन मे० टन होने का अनुमान है जिनका मूल्य 409·56 करोड़ रु० होगा तथा 1987-88 के दौरान निर्यात इसी स्तर के लगभग रहने की सम्भावना है।

लौह अयस्क के निर्यात से देश में इस्पात उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि केवल देशी मात्राओं का ही निर्यात किया जाता है।

(घ) जापान को लौह अयस्क के निर्यात मुख्यतः विजाग, मद्रास, पारादीप, मारमूगोआ और नये मंगलौर पत्तनों की मार्फत किये जाते हैं।

कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड द्वारा जापान के साथ ठेका

9606. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड ने लोह अयस्क कांसटेन्ट की सप्लाई जारी रखने के लिये जापान की ईस्पात मिलों के साथ एक नाम ठेका किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) जी हां।

(ख) करार के अनुसार जापान 1987-88 के दौरान कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड से 2.25-2.50 मिलियन मे० टन लोह अयस्क कन्सेट्रेट खरीदेगा।

अंगोला के साथ सहयोग

9607. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंगोला के प्रतिनिधि दल ने अंगोला में लघु उद्योगों के स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में भारत से सहयोग की इच्छा प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) जी हां।

(ख) भारत ने लघु उद्योग क्षेत्र के अनेक परियोजना प्रोफाइल अंगोला सरकार को उनके विचारार्थ प्रस्तुत किए हैं।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय के मूल्य में वृद्धि

9608. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :
श्री तेजा सिंह दर्दी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय के मूल्य बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारतीय बाजार पर भी प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो बढ़ते हुए मूल्यों की इस प्रवृति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) मार्च, 1987 तक लन्दन की नीलामियों में, जोकि चाय का प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय बाजार है, औसत नीलामी कीमतें 1986 में उसी अवधि की तुलना में चाय की औसत नीलामी कीमतों में वृद्धि नहीं दर्शाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

अध्यादेशों की उद्घोषणा

9609. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1985 और 1986 के दौरान वर्षवार कितने अध्यादेशों की घोषणा की; और

(ख) वर्ष 1986 के दौरान किस राज्य ने सबसे अधिक अध्यादेश घोषित किये ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1985 और 1986 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा 8 अध्यादेश प्रख्यापित किए गये ।

(ख) वर्ष 1986 के दौरान राज्यों द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की संख्या को उनसे सुनिश्चित करने के बाद अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अन्तर-राज्य विवाद

9610. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर-राज्य विवादों को निपटाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय की एक अलग पीठ बनाने अथवा एक अलग न्यायिक निकाय बनाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या उक्त मामले पर राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किया गया है; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

प्राथमिक स्तर से लेकर कालेज स्तर तक सेना विज्ञान पढ़ाया जाना

9611. **श्री आर० एम० भोये** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में प्राथमिक स्तर से लेकर कालेज स्तर तक सेना विज्ञान पढ़ाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त विषय पर पुस्तकें तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है; और

(ग) शिक्षण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

9612. डा० ए० के० पटेल :
श्री सी. जंगा रेड्डी : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करने तथा इन क्षेत्रों के सामरिक महत्व की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उक्त क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करने के संबंध में विशिष्ट प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान तथा अगले वर्ष में कितने क्षेत्रों में यह कार्य करने का विचार है;

(ग) इस संबंध में सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में कितना कार्य किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वर्ष में सीमा सड़क संगठन के कार्यकलापों के मुख्य क्षेत्र हैं–जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम और पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्वी राज्य। ये अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अतिरिक्त हैं। अगले वर्ष इन क्षेत्रों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने की संभावना नहीं है।

(ग) 1985-90 की अवधि के दौरान लगभग 3200 कि. मी. सड़क बनाने की योजना है।

(घ) छठी योजना के दौरान जो उपलब्धियां हुई उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

विवरण

1980-85 के दौरान सीमा सड़क संगठन की उपलब्धियां

कार्य क्षेत्र	उपलब्धियां
जम्मू तथा कश्मीर	214.92
हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश	126.85
राजस्थान	172.44
सिक्किम और पश्चिम बंगाल	100.39
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1171.70
अन्य क्षेत्र	161.88
जोड़	1948·18

नौसेना के जहाजों के इन्जनों को बदलना

9613. श्रीमती वसवराजेश्वरी : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अपने नौसेना के जहाजों में डीजल तथा स्टीम इंजन के स्थान पर अमरीकी जेट विमानों के इंजन लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) इस समझौते के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कपड़ा उद्योग को लम्बे रेशे वाली कपास की आवश्यकता

9614. श्री प्रकाश ओ० शाठिल : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1985 और 1986 के दौरान कपड़ा उद्योग को लम्बे रेशे वाली कपास की कितनी आवश्यकता थी और वर्ष 1987 में इसकी कितनी आवश्यकता होने का अनुमान है;

(ख) इन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में इस किस्म की कपास की कितनी उपज हुई;

(ग) भारतीय रुई निगम ने इस किस्म की कितनी कपास खरीदी और उसमें से कितनी कपास का निर्यात करने की अनुमति दी गई; और

(घ) इस किस्म की कपास की अधिक मात्रा खरीदने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : लम्बे रेशे वाली कपास के संबंध में 1985-86 तथा 1986-87 कपास वर्षों के दौरान उद्योग द्वारा उत्पादन तथा मांग (उपभोग) निम्नलिखित प्रकार है :–

वर्ष	उत्पादन	मांग
1985-86	54.50	42.33
1986-87	48.38 (अनन्तिम)	55.97
1987-88	उपलब्ध नहीं	46.00 (पूर्वानुमानित)

(ग) और (घ) भारतीय रुई निगम ने चालू कपास वर्ष 1986-87 के दौरान लम्बे तथा अधिक लम्बे रेशे वाली कपास की लगभग 2.74 गांठों की अधिप्राप्ति की। भारतीय रुई निगम को कपास की इस किस्म की 1.50 लाख गांठों (1986-87 फसल) का एक निर्यात कोटा दिया गया है। भारतीय रुई निगम जब कभी महाराष्ट्र के अलावा सभी राज्यों में कीमतें न्यूनतम समर्थन स्तरों से नीचे गिरने का रुख होता है तो कीमत समर्थन प्रचालनों के तहत कपास की अधिप्राप्ति करते हैं। राष्ट्रीय वस्त्र निगम, राज्य वस्त्र निगमों, खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निगम वाणिज्यिक प्रचालनों के तहत भी कपास की अधिप्राप्ति करता है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना

9615. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सीमा सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा अभिकरणों को राजस्थान, गुजरात और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठी और तस्करी रोकने हेतु आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठी और तस्करी रोकने में इन नए आधुनिक उपकरणों के किस हद तक प्रभावकारी साबित होने की संभावना है; और

(ग) इस स्थिति से निबटने हेतु सरकार का अन्य कौन से कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) सीमा सुरक्षा बल को, जो भारत-पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा कर रहा है, एस. एल. आर. नाईट विजन यन्त्र, हस्त-टार्च, दूरबीन, और सीमा पार से घुसपैठियों और तस्करों के प्रवेश को रोकने के लिए जीप और मोटर साईकल दिए जाते हैं। इसी प्रकार इस कार्य में लगी अन्य एजेंसियों को भी उनके द्वारा निष्पादित की जाने वाली ड्यूटियों से संबंधित आवश्यक उपकरण दिए जाते हैं।

(ख) यह उम्मीद की जाती है कि इस प्रकार के आधुनिक उपकरणों से बलों की कार्यक्षमता में सुधार होगा।

(ग) भारत सरकार ने सीमा पर सतर्कता को सुदृढ़ करने हेतु भारत-पाक सीमा के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए आवश्यक मूल संरचनाओं सहित सीमा सुरक्षा बल की 25 बटालियनें भी स्वीकृत की हैं।

गोवा में अबाध व्यापार क्षेत्र की स्थापना

9616. **श्री शांताराम नायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गोवा में अबाध व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उसे अस्वीकार कर दिया गया है और यदि हां, तो किस आधार पर ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) कुछ राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव से निर्यात प्रोसेसिंग जोनों की स्थापना के लिए सुझाव प्राप्त हुए थे। सभी पहलुओं तथा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1983 में केवल चार निर्यात प्रोसेसिंग जोन स्थापना करने का विनिश्चय किया। ये फाल्टा (पश्चिम बंगाल) मद्रास, कोचीन तथा नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित हैं।

जांच आयोगों पर किया गया व्यय

9617. **श्री शांताराम नायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत नियुक्त प्रत्येक आयोग पर कुल कितना व्यय किया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा जाने वाले पर्यटकों की संख्या

9618. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, कितने पर्यटक उड़ीसा गए;

(ख) इससे राज्य को प्रत्येक वर्ष में कितना लाभ हुआ; और

(ग) क्या वहां जाने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 3 वर्षों के दौरान उड़ीसा की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	संख्या
1984	28,373
1985	26,134
1986	29,168

विदेशी पर्यटक से राज्य सरकार को हुए आर्थिक लाभ का अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) 1985 के दौरान उड़ीसा में पर्यटक यातायात में कमी आने का प्रमुख कारण 1984 के उत्तरार्द्ध तथा 1985 के पूर्वार्द्ध के दौरान देश में घटित विभिन्न घटनाओं का प्रतिकूल मीडिया कवरेज था और परिणामतः देश के कुल पर्यटक यातायात की वृद्धि दर में कमी आई।

चीन और पाकिस्तान के बीच कराकोरम राजमार्ग से पर्यटक-यातायात के विनियमन के लिए समझौता

9619. **श्री टी० बशीर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ध्यान 9 अप्रैल, 1987 के "पैट्रिऑट" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान ने कराकोरम राजमार्ग से पर्यटक-यातायात को विनियमित करने के लिए एक समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने कराकोरम राजमार्ग के संबंध में पाकिस्तान और चीन की सरकार के समक्ष विभिन्न अवसरों पर विरोध प्रकट किए हैं। इनके माध्यम से भारत की इस स्थिति को स्पष्ट किया गया है कि भारतीय प्रदेश के उन हिस्सों से होकर इस राजमार्ग का निर्माण किया जाना जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है तथा इसे पर्यटकों के लिए तथाकथित रूप से खोला जाना, चीन और पाकिस्तान की अवैध कार्यवाइयां हैं और भारत को ये अस्वीकार्य हैं।

केरल में एजीमाला में नौसैनिक अकादमी के लिए भूमि

9620. **श्री टी० बशीर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में ऐजीमाला में नौसैनिक अकादमी के लिए कुल कितना भू-क्षेत्र अर्जित किया गया है;

(ख) अर्जित की गई भूमि का कुल मूल्य कितना है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए एजीमाला में कुछ और भूमि अर्जित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) केरल सरकार ने नौसेना अकादमी की स्थापना के लिए 1014.374 हेक्टेयर क्षेत्र मुफ्त दे दिया है।

(ग) और (घ) एट्टीकुलम गांव में 12.3 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव है।

निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण एजेंसियों के लिए अलग-अलग शीर्ष

9621. **श्री संतोष कुमार सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण ऐजेंसियों के 1987-88 के बजट अनुमान क्या हैं;

(ख) निर्यात निरीक्षण परिषदें और निर्यात निरीक्षण एजेंसियों के तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक शीर्षों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या इनके अलग-अलग शीर्ष नियुक्त करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) 1987-88 के लिए तैयार किए गए वाणिज्य मन्त्रालय के बजट प्राक्कलनों में अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात निरीक्षण परिषद के लिए 65 लाख रु० (गैर-योजना) तथा 59 लाख रु० (योजना) के व्यय के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के बजट प्राक्कलनों में 836.74 लाख रु० के व्यय की व्यवस्था है।

(ख) निदेशक (निरीक्षण तथा क्वालटी नियंत्रण) के अधीन निर्यात निरीक्षण परिषद में तकनीकी प्रभागों की देख-रेख संयुक्त निदेशकों द्वारा की जाती है तथा वित्तीय और प्रशासनिक प्रभाग की देख-रेख भी संयुक्त निदेशक द्वारा की जाती है। निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के प्रमुख अपर निदेशक के रैंक के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं तथा अभिकरण स्तर पर अलग अलग कार्यों के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक (तकनीकी), उप निदेशक (प्रशासन) तथा उप निदेशक (लेखा) द्वारा उनकी मदद की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण एजेंसी के भर्ती नियम

9622. **श्री संतोष कुमार सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण एजेंसी के भर्ती नियम अधिसूचित किये जाने से पहले विधि मंत्रालय से मंजूर कराये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो विधि मन्त्रालय द्वारा इन नियमों को कब मंजूर किया गया था और इन्हें कब अधिसूचित किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) निर्यात निरीक्षण अभिकरण (भर्ती) नियम, 1980, जिनकी विधीक्षा विधि मन्त्रालय द्वारा 4.7.1980 को की गई थी, सरकार द्वारा 2.8.1980 को अधिसूचित किए गए थे। नियमों के अन्तर्गत निर्यात निरीक्षण परिषद तथा निर्यात निरीक्षण अधिकरणों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अदला-बदली हो सकती है।

सेना में भर्ती में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार

9623. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :
श्री तेजा सिंह दर्दी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार सेना में नई भर्ती के सम्बन्ध में तथाकथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कितने मामले उनके मन्त्रालय की जानकारी में आए हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में दोषी पाए गए व्यक्तियों को क्या दण्ड दिया गया है; और

(ग) भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए गए है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भर्ती में अनियमितता के जो मामले ध्यान में आए हैं उनकी संख्या नीचे दी गई है :-

1984-85	सूचना एकत्रित की जा रही है ।
1985-86	99
1986-87	33

ये मामले मुख्यत: गलत तरीके से या जाली भर्ती एजेन्सियों द्वारा भर्ती किए जाने के हैं । कथित भ्रष्टाचार के कुछ मामलों में 10 अफसरों एवं 40 जे सी ओ अन्य रैंकों का हाथ होने का भी पता लगा है ।

(ख) सभी शिकायतों की जांच या तो विभागीय तौर पर की जाती है या केन्द्रीय जांच आयोग द्वारा । तीन अफसरों/सात जे सी ओ/ अन्य रैंकों के खिलाफ प्रशासनिक/अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है । बाकी मामलों की जांच की जा रही है । गलत तरीके से भर्ती किए जाने के मामलों की रिपोर्ट जांच के लिए स्थानीय पुलिस अधिकारियों के पास भी दर्ज की जाती है ।

(ग) भर्ती की प्रक्रिया की लगातार समीक्षा की जाती है ताकि भर्ती में जालसाजी का कोई मौका न मिल सके ।

[हिन्दी]

पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्टों के लिए लम्बित पड़े आवेदन-पत्र

9624. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**
श्री तेजा सिंह दर्दी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्टों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1987 को लम्बित पड़े आवेदन पत्रों की कुल संख्या कितनी थी;

(ग) ये आवेदन-पत्र कब से लम्बित पड़े हैं;

(घ) इनके निपटान में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन्हें कब तक निपटाये जाने की संभावना है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) चन्डीगढ़ स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, में जिसके क्षेत्राधिकार में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब (उन पांच जिलों को छोड़कर जो जालंधर स्थित पासपोर्ट कार्यालय के अन्तर्गत आते हैं) के राज्य तथा संघ प्रदेश चन्डीगढ़ शामिल हैं, 31-3-1987 तक की स्थिति इस प्रकार हैं :— 24, 749

(ग) चण्डीगढ़ स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय

अनिर्णीत कुल आवेदन पत्र

पंजाब	16074
हरियाणा	5640
हिमाचल प्रदेश	1204
चन्डीगढ़ संघ प्रदेश	1831
	24,749

टिप्पणी : बकाया आवेदन पत्रों का ब्यौरा, जब से वे अनिर्णीत पड़े हैं, इस प्रकार हैं :—

(3 महीने से कम)	
पंजाब	8728
हरियाणा	3987
हिमाचल प्रदेश	464
चण्डीगढ़ संघ प्रदेश	863
(3 महीने से अधिक)	
पंजाब	4683
हरियाणा	665
हिमाचल प्रदेश	296
चण्डीगढ़ संघ प्रदेश	381
(6 महीने से अधिक)	
पंजाब	2663
हरियाणा	988
हिमाचल प्रदेश	442
चण्डीगढ़ संघ प्रदेश	587

(घ) बहुत से मामले संबद्ध पुलिस प्राधिकारियों से पहचान और/अथवा सुरक्षा रिपोर्टें प्राप्त न होने के कारण रुके हुए हैं। संबद्ध प्राधिकारियों से ये रिपोर्टें शीघ्र भेजने के लिए कहा गया है।

(ङ) अनिर्णीत मामले संबद्ध पुलिस प्राधिकारियों से रिपोर्टें प्राप्त होते ही निपटा दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

निर्यात निरीक्षण परिषद के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

9625. **श्री मोतीलाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात निरीक्षण परिषद के कर्मचारियों को दिए जा रहे मकान किराये भत्ते पर होने वाला व्यय निर्यात निरीक्षण एजेंसियों द्वारा वहन किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्षों के बारे में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात निरीक्षण परिषद के कर्मचारियों को दिये गये मकान किराया भत्ते का एक भाग, जो कि निर्यात निरीक्षण अभिकरणों द्वारा वहन किया गया था, निम्नलिखित अनुसार था : —

वर्ष	राशि (रुपए में)
1984–85	42,716.50
1985–86	42,323.12
1986–87 (30-9-86 तक)	26,066.10*

*(अनन्तिम, लेखा—परीक्षा के अध्यधीन)

बुनकरों को धागा और रंग सामग्री की सप्लाई

9626. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी और संपूर्ण देश के अन्य स्थानों में अनेक परम्परागत और कीमती साड़ियों के बुनकरों को सिन्थेटिक साड़ियों से प्रतिस्पर्धा के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें उचित मूल्य पर धागा और रंग-सामग्री उपलब्ध करके उनकी सहायता करने की कोई व्यवस्था की गई है; और

(ग) क्या उन बुनकरों की सहकारी समितियों को उनके उत्पाद बेचने का एकाधिकार प्रदान किया जायगा ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) परम्परागत उच्च कीमतों वाली साड़ियों का जिसमें कुशल बुनाई तकनीक के अन्तर्ग्रस्त है, उत्पादन करने वाले हथकरघा बुनकरों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने नये आरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें पूरी तरह से हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित किया है। इनमें शामिल है सभी शुद्ध रेशम की साड़ियां, (सादी रेशम, क्रेप, जारजट तथा शिफोन को छोड़कर), अतिरिक्त ताने अथवा अतिरिक्त बाने वाली अन्य साड़ियां, टाई तथा डाई सड़ियां कोटा डोरि साड़ियां आदि।

रक्षा और अन्य विभागों द्वारा हथकरघा कपड़े की खरीद

9627. श्री अट्टम श्रीराम मूर्ति : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा और अन्य सरकारी विभाग सरकारी निर्देशों के बावजूद अपनी आवश्यक वस्त्रों की खरीद हथकरघा क्षेत्र से नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार हथकरघा क्षेत्र के लिए लाभप्रद बिक्री की व्यवस्था करने का है क्योंकि देश में उत्पादित वस्त्र का एक तिहाई वस्त्र हथकरघा क्षेत्र से आता है; और

(घ) हथकरघा कपड़े की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए अन्य क्या उपाय करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार 14 मदें हथरघा क्षेत्र से खरीदने के लिए आरक्षित हैं और इन मदों की सभी खरीदारियां पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (डी.जी.एस. एण्ड डी.) द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त मांगपत्रों के आधार पर केवल हथकरघा क्षेत्र से ही की जाती हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उटता।

(ग) सरकार, शीघ्र हथकरघा सहकारी समितियों तथा राज्य हथकरघा विकास निगमों को शेयर पूंजी सहायता देकर हथकरघा क्षेत्र को बाजार सहायता दे रही है, जिसका उपयोग और अधिक फुटकर दुकानें खोलने सहित बाजार आधार को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एन.एच.डी.सी.) ने जयपुर तथा कोचीन में भी विपणन कम्पलैक्स खोले हैं और अन्य संभाव्य शहरों में ऐसे और कम्पलैक्स खोलने की योजना बना रहा है।

(घ) हथकरघा वस्त्र को लोकप्रिय बनाने तथा और अधिक मांग सृजित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में नियमित रूप से हथकरघा एक्सपोस लगाए जाते हैं। उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए संवर्धनात्मक उपाय के रूप में हथकरघा वस्त्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन भी दिए जाते रहे हैं।

विवरण

1. धोतियां
2. साड़ियां
3. लोरीड, पिक क्लाथ

4. लुंगियां
5. गमछे
6. सादी बुनाई वाला कपड़ा
7. बैड शीट
8. बैड स्प्रैड
9. बैड कवर
10. नेपकिन
11. तौलिए (हनी काम्ब तका इजहाथी) (यू)
12. काटन क्रेप
13. मशरूप क्लाथ
14. डस्टर

टिप्पणी :

डस्टर, बैडशीट तथा तौलिए आदि जैसी ये मदें, जो कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के लिए आरक्षित हैं, इसके बावजूद भी खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से खरीदी जाती रहेगी कि वे हथकरघा उद्योग के लिए आरक्षित की जा रही हैं। अगर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग इन आरक्षित मदों में से किसी मद को सप्लाई करने की स्थिति में न हो तो इन्हें हथकरघा उद्योग से भी खरीदा जा सकता है।

निर्यात और आयात बैंक और दूसरे संगठनों द्वारा विदेशों में संयुक्त उद्यमों की सहायता

9628. **श्री भट्टम श्री राम मूर्ति :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात और आयात बैंक भारतीय उद्योगपतियों को विदेशों में परियोजना लगाने में सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) अन्य कौन से संगठन विदेशों में संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह की सहायता प्रदान कर रहे हैं; और

(ग) ऐसे संगठनों द्वारा वर्ष 1983 से लेकर इन संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को अलग-अलग कितनी सहायता राशि मंजूर की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में अन्य कोई ऐसा वित्तीय संगठन नहीं है जो कि विदेश में संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने के लिए भारतीय संवर्धक कम्पनियों को इक्विटी वित्त देता हो या इक्विटी के आधार पर ऋण देता हो।

(ग) 1983 से एग्जिम बैंक ने विदेश में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु आठ भारतीय संवर्धक कम्पनियों को 2.21 करोड़ रु० का कुल इक्विटी वित्त दिया है।

नये संयुक्त उद्यम मंजूर करने के मानदण्ड

9629. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विदेशों में स्थापित करने के लिए कितने संयुक्त उद्यम मंजूर किये गये थे;

(ख) क्या इस प्रकार के कोई उद्यम (एक) कार्यान्वयन से पूर्व ही त्याग दिए गये थे और (दो) स्थानीय उद्यमियों/सरकार द्वारा अधिग्रहीत कर लिए गए थे;

(ग) यदि हां, तो स्थानीय उद्यमियों/सरकार द्वारा अधिगृहीत कर लिए गए संयुक्त उद्यमों के संस्थापक उद्यमी कौन हैं;

(घ) प्रत्येक संयुक्त उद्यम में निवेश के लिए कितनी विदेशी मुद्रा दीं गई और प्रत्येक संयुक्त उद्यम से कितनी विदेशी मुद्रा भारत को प्राप्त हुई; और

(ङ) बड़ी संख्या में संयुक्त उद्यमों की सफलता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा नये उद्यम मंजूर करने के लिए कौन से मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित संयुक्त उद्यम निम्नोक्त अनुसार हैं।

1984	1985	1986
16	13	10

(ख) (i) उपर्युक्त 39 अनुमोदित संयुक्त उद्यमों में से ग्याहर को कार्यान्वयन से पहले छोड़ दिया गया।

(ii) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थानीय उद्यमियों/सरकार द्वारा किसी भी ऐसे संयुक्त उद्यम का अधिग्रहण नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न हीं नहीं उठता।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वयन से पहले छोड़े गये संयुक्त उद्यमों में विदेशी मुद्रा का कोई बहिर्गमन या अन्तर्वाह नहीं हुआ।

(ङ) विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों को अनुमोदन करने सम्बन्धी मुख्य मार्गदर्शी सिद्धान्त संलग्न है विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत

1. व्यक्ति विशेष द्वारा विदेशों में निवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। यह केवल कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियों तक ही सीमित है।

2. भारतीय संवर्धक कम्पनियों की वित्तीय क्षमता पात्रता के लिए एक आवश्यक मानदण्ड हैं। पिछले निर्यात निष्पादन को भी ध्यान में रखा जाता है।

3. संयुक्त उद्यम करार पर बल दिया जाता है।

4, भारतीय इक्विटी सहभागिता घरेलू संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर के निर्यात के रूप में स्पष्ट दृष्टिगत होनी चाहिए। तथापि, प्रत्येक मामले में गुणावगुण आधार पर मुल्कों के पूंजीकरण, रायल्टियां और अन्य हकदारियों के पूंजीकरण के जरिये इक्विटी सहभागिता पर भी विचार किया जा सकता है।

5. सामान्यतः भारतीय इक्विटी अन्शदान को पूरा करने के लिए नकद प्रेषण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये लेकिन गुणावगुण के आधार पर ठोस तथा उपयुक्त मामलों पर विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों पर विचार करते समय यह देखा जाए कि दीर्घावधि के दौरान पूंजीगत माल तथा सेवाओं के पर्याप्त निर्यातों की व्यवस्था की गई है।

6. अतिरिक्त इक्विटी के अन्शदान के अनुरोधों पर परियोजना के गत निष्पादन तथा अन्य वित्तीय ब्यौरों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त उद्यम के बारे में विचार किया जाए।

7. निर्यातित मशीनरी आदि भारतीय मेक की होनी चाहिए। भारतीय निवेश पर किसी भी इस्तेमाल शुदा या दुबारा ठीक की गई मशीनरी के निर्यात की अनुमति नही दी जाएगी।

8. संयुक्त उद्यमों के प्रस्ताव तकनीकी व वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम होने चाहिए तथा वे लाभप्रदता अनुमानों सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट से समर्थित होने चाहिए।

9. व्यापारिक संयुक्त उद्यम के स्थापित होते ही देश में विद्यमान अभिकरणों प्रबंधों को समाप्त कर दिया जाए तथा उस देश में भारतीय संवर्धकों के व्यापारिक/गैर-व्यापारिक कार्यालयों को बन्द कर दिया जाय।

10. भारतीय संवर्धकों से यह आशा की जाती है कि वे संयुक्त उद्यम के पूरा होने की निश्चित समय सारणी निर्दिष्ट करें ताकि ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद संयुक्त उद्यम से प्रतिफल (लाभांशी, शुल्क, कमीशन तथा रायल्टी) का अनुमान लगाया जा सके।

11. जहां भारतीय संवर्धक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 372(4) के प्रावधानों के अन्तर्गत आता है, तो वह उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कंपनी कार्य विभाग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा जिसके साथ आवश्यक शुल्क तथा फेरा, 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत आवेदन पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न करेगा।

12. भारतीय संवर्धक से आशा की जाती है कि वह वाणिज्य मंत्रालय को संयुक्त उद्यम के संबंध में निर्धारित प्रपक्ष पर वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

शुष्क बन्दरगाह

9630. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शुष्क बन्दरगाहों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अथवा इन्हें स्थापित किए जाने के समय से अब तक इन बन्दरगाहों से किए गए व्यापार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनका कार्य संतोषजनक है;

(घ) यदि हां, तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में और शुष्क बन्दरगाहें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) देश में कोई शुष्क बन्दरगाह स्थापित नहीं किए गए हैं। अन्तर्देशीय स्थानों में रेलवे द्वारा अब तक सात अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो (आई सी डी) स्थापित किए गए हैं ताकि कन्टेनराइज्ड कार्गो के अन्तःनोडीय परिवहन के लिए समेकित सेवाएं प्रदान की जा सकें। इन आई०सी०डी० के स्थान तथा हैंडल किए गए ट्रैफिक का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :–

आई०सी०डी० का स्थान	20 फुट समतुल्य एककों (टी०ई०यू०) के रूप में हेंडल किए गए कन्टेनरों की संख्या		
	1983-84	1984-85	1985-86
1. बंगलौर	886	2631	4854
2. गंटूर	40	60	162
3. अनापरुती	1276	1096	1026
4. कोयम्बतूर	29	1345	2317
5. नई दिल्ली	104	3676	11548
6. गुवाहाटी(अमीनगांव)	....	....	30
7. लुधियाना(धनदेरी कलान)	....	....	....
कुल	2335	8809	19937

1986-87 में इन आइ०सी०डी० के द्वारा हैंडल किया गया कुल ट्रैफिक अनन्तिम रूप से अनुमानतः 30112 है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) देश के विभिन्न पत्तनों में ऐसे 14 अतिरिक्त स्थान अभिज्ञात किए गए है। जिनमें भविष्य में आई०सी०डी० स्थापित किए जाने की सम्भाव्यता है। इन केन्द्रों के आई०सी०डी० को स्थापित करना ट्रैफिक की मात्रा तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

हंगरी को निर्यात

9631. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985 के दौरान हंगरी को किए जाने वाले निर्यात में वृद्धि हुई;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कौन-कौन सी वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(ग) वर्ष 1986 के दौरान उस देश के साथ व्यापार संतुलन कैसा रहा; और

(घ) इस देश के साथ निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए गए ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत-हन्गरी व्यापार के व्यापार कारोबार तथा व्यापार संतुलन की स्थिति निम्नोक्त अनुसार है :—

(करोड़ रु० में)

1984-85	1985-86 (अ०)	1986-87 (अ०)
हन्गरी को निर्यात	21.26	26.15	38.78
हन्गरी से आयात	30.99	45.51	29.02
कुल व्यापार कारोबार	52.25	71.66	67.80
व्यापार संतुलन	—9.73	—19.36	+9.76

जैसा कि उपर्युक्त आंकड़ों से देखा जा सकता है 1985-86 के दौरान व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा है।

हन्गरी को निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए है :

(क) व्यापार के विविधीकरण और विस्तार पर विचारविमर्श करने के लिए अन्तर सरकारी बैठकें।

(ख) हन्गरी की कम्पनियों के साथ एम एम टी सी और एस टी सी के प्रति-व्यापार क्षेत्र का विकास करने की संभावनाओं का पता लगाना।

(ग) वाणिज्यिक स्तर के प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान।

भारत से हन्गरी को निर्यात किए जाने वाली मुख्य मदे हैं, सोयामील एक्सट्रक्सन, काली मिर्च, लोह अयस्क, ग्रे क्लाथ, हौजरी और परिधान, पटसन और पटसन उत्पाद, अर्ध तैयार और तैयार चमड़ा उत्पाद, उपभोक्ता इलैक्ट्रानिक मदे, अनेक उपभोक्ता वस्तुएं आदि।

चकमा शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए त्रिपुरा सरकार को राहत राशि

9632. **श्री प्रकाश चन्द्र :**
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री सुभाष यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का बंगला देश से आये चकमा जनजाति के शरणार्थियों का पुनर्वास के लिए त्रिपुरा सरकार को अतिरिक्त राहत राशि प्रदान करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) भारत सरकार, चकमा आदिवासी शरणार्थियों के, उनके बंगला देश भेजे जाने तक निर्वाह के लिये राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिये त्रिपुरा सरकार को सहायता अनुदान रिलीज कर रही है। अब तक 303.23 लाख रुपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई है।

चाय उद्योग की वित्तपोषण व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना

9633. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग की वित्त पोषण व्यवस्था की सुव्यवस्थित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मन्त्रालयों के बीच किस प्रकार का समन्वय किया जा रहा है;

(ग) क्या चाय उद्योग को अविलम्ब राहत और वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है जैसा कि विभिन्न वित्त पोषण योजनाओं में व्यवस्था है ; और

(घ) क्या चाय उद्योग की मौजूदा समस्याएं इस मामले में समय पर सहायता न मिलने के कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (घ) सातवीं योजना के दौरान बागान फसलों की वित्तीय समस्याओं के सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा गठित कृत्रिक बल वित्त तथा कराधान से सम्बन्धित समस्याओं की जांच कर रहा है। इस कृत्तिक बल में जिसके अध्यक्ष एन ए बी ए आर डी. के चेयरमेन हैं, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, चाय बोर्ड के प्रतिनिधि, भारतीय चाय एसोसिएशन तथा यू पी ए एस आई, वाणिज्य मन्त्रालय तथा कतिपय वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधि शामिल है। चाय के सम्बन्ध में एक अलग कार्यदल ने जिसे कृत्तिक बल द्वारा गठित किया गया था, चाय उद्योग की वित्तीय समस्याओं के संबन्ध में कृत्तिक बल को अपनी सिफारिशें की थीं।

इसके अतिरिक्त, चाय उद्योग के लिये संस्थागत वित्त के समन्वय के संबंध में एक स्थायी समिति, जिसके अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गर्वनर हैं। तथा जिसमें चाय बोर्ड, चाय उद्योग तथा वित्तीय संस्थाओं एवं वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल है, वित्त से सम्बन्धित समस्याओं की जांच करती है।

ट्रेफिक लाइट व्यवस्था कार्यक्रम

9634. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के बारे में 3 अप्रेल 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5628 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिकता के आधार पर ट्रेफिक लाइट की व्यवस्था करने के लिये ऐसे सभी यातायात नियंत्रित करने वाले चौराहों का सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ट्रेफिक लाइट की व्यवस्था करने संबन्धी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) समय-समय पर सर्वेक्षण किए जाते हैं ।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान उत्तर-पूर्वी कोरीडोर में अत्याधुनिक यातायात लाइट प्रणाली आरम्भ करने का प्रस्ताव है । कन्नाट प्लेस क्षेत्र से शुरू होने वाले कुछ महत्वपूर्ण चौराहों पर समकालिक संकेत प्रणाली आरम्भ करने का भी निर्णय लिया गया है ।

जेल सुधार के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

9635. **श्री जी० एस० कृष्ण० अय्यर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों की वर्ष 1986-87 के दौरान जेल सुधारों के लिए कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जेल सुधारों के संबन्ध में मुल्ला समिति पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) : जी हां, श्रीमान

आठवें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अधीन 1985-89 के लिए 137.5 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की स्वीकृति दी है । राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है । उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्यों को 1985-86 के दौरान की गई 25 प्रतिशत अदायगी के अतिरिक्त 1986-87 के दौरान 135.70 लाख रुपये की राशि रिलीज की गयी ।

(ग) जेल सुधार के लिए मुल्ला समिति पर किया गया कुल व्यय लगभग 23.72 लाख रुपये का है ।

विवरण

जेल प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिये वर्ष 1985-89 के दौरान अनुदान

क्रम संख्या	राज्य का नाम	उप जेलों के लिए भवन परिव्यय	जेलों में सुविधायें परिव्यय	बाल अपराधियों के लिए जेल भवन परिव्यय	महिला जेल/सौध के लिए जेल भवन परिव्यय	विक्षिप्त कैदियों के लिए संस्थान परिव्यय	आवास इकाईयां परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	....	492.80	127.70	....	...	64.53
2	असम	166.50	105.68	114.20	45.50	190.00	35.66
3	बिहार	190.00	142.50	456.80	55.50	...	173.32
4	हिमाचल प्रदेश	...	9.26	12.94	...	....	4.69
5	जम्मू और कश्मीर	494.00	70.26	8.25	....	....	10.88
6	केरल	....	....	20.80	32.00	....	37.06
7	मध्य प्रदेश	4,417.50	....	480.75	141.50	....	92.07
8	मणिपुर	308.75	2.31	36.79	...	...	4.69
9	मेघालय	308.75	9.23	....	20.15	123.50	6.19
10	नागालैंड	401.05	30.90	39.26	18.85	123.50	10.87
11	उड़ीसा	47.50	70.08	73.50	63.50	....	56.17
12	राजस्थान	214.00	53.45	88.10	10.50	...	51.17

1	2	3	4	5	6	7	8
13	सिक्किम	....	....	2·66	....	...	0·31
14	त्रिपुरा	....	..	10·73	....	....	5·56
15	उत्तर प्रदेश	178·00	1,073·50	302·80	47·50	190·00	220·70
16	पश्चिम बंगाल	71·00	280·82	239·65	422·50	...	145·21
	जोड़ :	6,797·05	2,340·79	2,014·93	857·50	627·00	919·08

कुल जोड़ : 135·05 करोड़ रुपये

टिप्पणी :—इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश और मणिपुर के लिए "विशेष समस्याओं" के अधीन 200 लाख रुपये की राशि की सिफारिश की गई है।

नवम्बर, 84 में हुए दंगों के पीड़ितों को अनुग्रह राशि का शीघ्र भुगतान करने के लिए समिति का गठन

9636. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नवम्बर, 1984 में दंगों के ऐसे पीड़ित व्यक्तियों जिनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों/दुकानों/वाहनों का बीमा नहीं हुआ था की रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशों के अनुसार और सरकार द्वारा स्वीकृत उचित मात्रा में अनुग्रह राशि का शीघ्र भुगतान करने के लिये दिल्ली प्रशासन के परामर्श से एक समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) दिल्ली में नवम्बर, 1984 में हुए दंगों के पीड़ितों को अनुग्रह राशि का शीघ्र भुगतान करने के लिये क्या कार्य विधि निर्धारित की गई है; और

(ग) क्या "नवम्बर, 1984 दंगों पीड़ित एसोसियेशन" ने इस समिति में स्वयं को सम्बद्ध करने के लिए कोई अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अभी रूप रेखा तैयार नहीं की गई है।

(घ) इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। किन्तु दिल्ली में नवम्बर, 1984 के दंगा पीड़ित व्यक्तियों को उपयुक्त अनुग्रह पूर्वक अनुदान की शीघ्र अदायगी करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई है।

पाकिस्तान से आए सिन्धी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना

9637. **डा० ए० के० पटेल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से आये सिन्धी लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक लोक, शिकायत तथा पैंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार को पाकिस्तान से आये कुछ सिन्धियों से भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। नागरिकता अधिनियम, 1955 और उसके अन्तर्गत नियमों के अधीन संवैधानिक अर्हताओं को पूरा करने वाले व्यक्तियों के आवेदनों को स्वीकार किया जा रहा है और नागरिकता प्रदान की जाती है।

रुग्ण कपड़ा मिलों द्वारा फालतू भूमि की बिक्री

9638. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :
श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रुग्ण कपड़ा मिलों द्वारा फालतू भूमि की बिक्री के लिए एक नई त्रुटि रहित प्रणाली तैयार करने का विचार है जैसा कि दिनांक 15 अप्रैल, 1987 के इण्डियन एक्सप्रैस में प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह मामला राज्य सरकारों के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हाँ, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और रुग्ण मिलों में बिक्री निधियों को पुनः आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) निर्धारित शहरी भूमि अधिकतम सीमा प्राधिकरण/तथा या राज्य सरकार ऐसी वैसी जमीन के निपटारे के लिये नियम तथा कार्यप्रणाली बनाने में सक्षम हैं ?

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

जासूसी गिरोह

9639. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 और चालू वर्ष के दौरान कितने जासूसी गिरोह पकड़े गये हैं;

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) देश में जासूसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जाएँगे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पी० चिदम्बरम : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तान द्वारा जहरीली गैस का उत्पादन

9640. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान एक ऐसी जहरीली गैस का उत्पादन कर रहा है जिसका "वाइनरी गैस म्यूनीटिओन्स" जैसी युद्ध में प्रयोग किये जाने वाले ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबन्ध में राजनयिक अथवा अन्य प्रकार के क्या कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) सरकार ने पाकिस्तान द्वारा रासायनिक हथियारों का उत्पादन किये जाने से सम्बद्ध खबरों को देखा है।

(ङ) ऐसी सभी घटनाओं का, जिनका देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो, ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया जाता है और उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं।

सरकारिया आयोग

9641. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र राज्य संबन्धों की समीक्षा के लिए स्थापित किए गए सरकारिया आयोग के निर्देश पदों के संबन्ध में किसी राज्य/पक्ष ने आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो संबन्धित राज्यों/पक्षों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा क्या स्पष्ट आपत्तियां उठायी गयी हैं;

(ग) इन आपत्तियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिय है;

(घ) क्या जिन राज्यों/पक्षों ने आपत्तियां उठायी हैं उन्होंने आयोग को ज्ञापन दिया है अथवा उसके साथ बैठकें की हैं; और

(ङ) उन राज्यों/पक्षों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक आयोग को ज्ञापन दिये हैं अथवा बैठकें की हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) विचारार्थ विषय के बारे में सरकार को कोई ऐसी औपचारिक आपत्ति की जानकारी नहीं है लेकिन सभी राष्ट्रीय राजनैतिक दलों तथा राज्यों (2 राज्यों को छोड़कर) द्वारा मामलों पर विचार व्यक्त करते हुए आयोग को ज्ञापन प्रस्तुत किये गये हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) आयोग को, हाल ही में बनाये गये 2 राज्यों, नामतः मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के अलावा सभी राज्य सरकारों से ज्ञापन/उत्तर प्राप्त हो गये हैं। जिन राजनैतिक दलों ने प्रश्नोत्तरी के उत्तर/अपने ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं उनकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

उन राजनैतिक पार्टियों की सूची जिन्होंने केन्द्र राज्य सम्बन्ध के बारे में सरकारिया आयोग की प्रश्नोत्तरी के उत्तर/ज्ञापन भेजे हैं।

राष्ट्रीय पार्टियां

1. भारतीय जनता पार्टी
2. कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया
3. कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (मार्कीसस्ट)
4. इण्डियन नेशनल कांग्रेस (आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी (आई)
5. इण्डियन नेशनल कांग्रेस (सोसलिस्ट)

6. जनता पर्टी

7. लोक दल

राज्य पार्टियां

8. आल इण्डिया फावर्ड ब्लोक

9. द्रविड़ मुनेत्र कडगम

10. केरल कांग्रेस (जे)

11. महाराष्ट्वादी गोमांटक

12. मुस्लिम लीग

13. पीजेन्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी आफ इण्डिया (केरल यूनिट)

14. रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी

15. शिरोमणि अकाली दल

16. सिक्किम संग्राम परिषद

पंजीकृत पार्टियां

17. झारखंड मुक्ति मोर्चा

18. नागालैण्ड पीपुल पार्टी

19. रिपब्लिकन पार्टी आफ इण्डिया (कै)

20. सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर आफ इण्डिया

अन्य पार्टियां/ग्रुप्स

21. एक्शन कमेटी आफ नोर्थ-इस्ट रिजनल पार्टिज कार्फेंस

22, असोम जातीय वादी दोल

23. भारतीय जनता युवा मोर्चा

24. डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी

25. गोमन्त लोक पोक्स

26. इण्डियन नेशनल कांग्रेस (आई) डिसीडेन्ट

27. केरल कांग्रेस (मणी ग्रुप)

28. खासी हिल्स औटोनोमस डिस्ट्रीक्ट काउंसिल

29. मलयाली देशीय मुन्नानी

30. नमाध कडगम

31. प्रजा सोसलिस्ट पार्टी

32. रिपब्लिकन पार्टी आफ इण्डिया (काम्बले)

33. रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया

34. तमिल अरासू कड़गम

35. तमिलनाडु कामराज कांग्रेस

36. तेलगू जत्ती विमुक्ति संगम्

37. यूनाईटेड गोवंस

38. युवा जनता ।

सीमा सुरक्षा बल में भर्ती

9642. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मार्च/अप्रैल, 1987 में सीमा सुरक्षा बल में की गई भर्ती 1987 में सीमा सुरक्षा बल में की गई भर्ती में हिमाचल प्रदेश के उम्मीदवारों के साथ अन्याय किये जाने की कोई रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो धर्मशाला में की गई भर्ती और बाद में जालन्धर में अनावश्यक छंटाई किये जाने के बारे में वास्तव में क्या शिकायत मिली है; और

(ग) सरकार ने भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि धर्मशाला में सी. सु० ब० द्वारा चुने गये उम्मीदवारों की जालन्धर में पुन: उसी प्रकार की परीक्षा और जांच की गई ।

(ग) मामले की जांच की जा रही है और प्रकरण में उचित कार्यवाई की जाएगी ।

महाराष्ट्र में रुई की गांठों की खरीद

9643. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से हाल ही में महाराष्ट्र राज्य संघ से रूई की गांठें खरीदने के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

उत्प्रवासी श्रमिकों के लिए विदेशों में वकीलों की नियुक्ति

9644. **श्री आर० एम० भोये** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सरकार ने विदेशों में उत्प्रवासी भारतीय श्रमिकों के दावों के मुकदमें लड़ने के लिए वकील नियुक्त करने तथा उनके वहां फंसे रह जाने की स्थिति में उनके प्रत्यवर्तन का खर्च वहन करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 में प्रस्तावित संशोधन के एक अंग के रूप में इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है कि उत्प्रवासियों के लिए भी एक कल्याण कोष बनाया जाए जिसमें प्रमुख रूप से उत्प्रवासन शुल्क से धन प्राप्त हो। जब कल्याण कोष की स्थापना हो जाएगी तो इससे उत्प्रवासियों को स्थानीय न्यायालयों, आदि में उनके विवादों में कानूनी सहायता दी सकती है।

विदेशों में फंसे भारतीय श्रमिकों को भारत में उत्प्रवासी के संरक्षकों के यहां जमा सुरक्षा राशि से उन्हें प्रत्यावर्तित करने का प्रावधान पहले से ही है। ऐसे किसी निराश्रित भारतीय को प्रत्यावर्तित करने की शक्ति भारतीय मिशनों को भी प्राप्त है जो अपने कोंसली दायित्व के एक अंग के रूप में उनसे इस बात की प्रतिज्ञा ले लेने के बाद उन्हें भारत भेज सकते है कि भारत पहुंचकर वे अपने ऊपर की गई खर्च की राशि लौटा देंगे। इसी तरह भारतीय मिशन किसी भी भारतीय राष्ट्रिक को वकील से भी मिलवा सकते हैं लेकिन उन्हें वकील की फीस आदि का खर्च वहन करने का अधिकार नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में रुग्ण कपड़ा मिलें

9645. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में 31 मार्च, 1987 को कितनी और कौन-कौन सी कपड़ा मिलें रुग्ण थीं;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान मिलवार कौन-कौन सी मिलों का पुनरुद्धार किया गया;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान किन-किन मिलों का पुनरुद्धार किया जाएगा; और

(घ) उपर्युक्त अवधि और सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भी सरकार ने इन मिलों के पुनरूद्धार पर कितनी राशि व्यय की ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 31.3.87 को विद्यमान स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में दो रुग्ण बन्द सूती कपड़ा मिलें थीं। ये थीं:–

1. दीवान बहादुर राम गोपाल मिल्स लि०, सिकन्दराबाद।

2. श्री रामचन्द्र स्पिनिंग मिल्स, पाण्डलपाका।

(ख) रुग्ण कपड़ा मिलों का नवीकरण एक सतत प्रक्रिया है जोकि विभिन्न बातों पर निर्भर करता है जैसे पुनर्स्थापना पैकेज के कार्यान्वयन की गति, कुशल प्रबन्ध, मांग और बाजार प्रवृत्तियां, रूई की कीमतें तथा अन्य अन्तर्निविष्ट साधनों की लागत आदि।

(ग) उन मिलों के नाम बताना संभव नहीं है जिनका सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नवीकरण किया जाएगा क्योंकि लेखा नवीकरण तभी किया जा सकता है जब रुग्ण मिलों ने पुनर्स्थापना पैकेज के लिए आवेदन किया हो।

(घ) सरकार रुग्ण मिलों के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय सहायता नहीं देती है। ये निधियां वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा दी जाती है।

पुलिस अधिनियम, 1860 में संशोधन

9646. **श्री वी तुलसीराम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस, अधिनियम, 1860 में संशोधन करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) पुलिस अधिनियम 1861 की राज्य सरकारों के परामर्श से पुनरीक्षा की जा रही है।

पर्यटन के संबंध में समन्वय समिति

9647. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा दक्षिण राज्यों में पर्यटन का विकास करने हेतु देश के प्रत्येक दक्षिणी राज्य से एक प्रतिनिधि सहित एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इस समिति के सुझाव सरकार को कार्यान्वयन हेतु कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावन है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाएं

9648. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) इन विधवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में युद्ध में मारे गए सैनिकों की 202 विधवाएं है और पिथौरागढ़ जिले में इनकी संख्या 313 है।

(ख) भारत सरकार के विद्यमान अनुदेशों के अन्तर्गत रोजगार केन्द्रों को अधिसूचित केन्द्रीय सरकार में समूह "ग" और "घ" के वर्गों की 50 प्रतिशत रिक्तियों को प्राथमिकता वाली श्रेणियों के उम्मीदवारों से भरा जाता है। 25.12.1971 को कार्मिक विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अन्तर्गत युद्ध में मारे गए प्रत्येक सैनिक के परिवार के दो सदस्यों को रोजगार केन्द्रों में पंजीकरण किए बिना सीधी भर्ती द्वारा समूह "ग"/"घ" पदों मे नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए युद्ध में मारे गए सैनिक की विधवा, पुत्र/पुत्रियों/नजदीकी रिश्तेदारों के अतिरिक्त परिवार के उन सदस्यों को नियुक्त किया जाता है जो मृतक सैनिक के परिवार के भरण-पोषण के लिए सहमत होते हैं। जिन पात्र आश्रितों की रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत सिविलियन पदों में नियुक्ति नहीं हो पाती उनके मामलों को रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के भूतपूर्व सैनिक सैल को भेजा जाता है जो प्राथमिकता II (ए) के अन्तर्गत उन्हें अन्य मंत्रालयों/विभागों में नियुक्त करने का प्रबन्ध करता है।

कार्मिक विभाग ने सभी मंत्रालयों/विभागों को प्राथमिकता वाली श्रेणियों की सूची 31.7.1984 को पुनः परिचालित की है और राज्य के रोजगार निदेशकों को इससे अवगत करा दिया गया है। श्रम मंत्रालय ने भी अपने 12.2.1987 के पत्र में राज्य के रोजगार निदेशकों को प्राथमिकता वाली श्रेणियों में इन व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए कहा है। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का भूतपूर्व सैनिक सैल मृत सेना कार्मिक के परिवार के पात्र व्यक्तियों की सूची बनाता है और संबंधित ब्यौरो को जिला/क्षेत्रीय रोजगार केन्द्रों तथा पुनर्वास महानिदेशालय को भेजता है ताकि प्राथमिकता वाले पदों के लिए इन आश्रितों को उम्मीदवार के रूप में भेजा जा सके। संबंधित जिला सैनिक बोर्ड भी रोजगार देने वाली एजेंसियों को इन व्यक्तियों के नाम भेजता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी युद्ध में मारे गए सैनिकों के आश्रितों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने के लिए प्रावधान किए हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कपड़ा मिलों के लिये वित्तीय सहायता

9 49. **श्री हरीश रावत** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में पिछले दो वर्षों के दौरान कपड़ा मिलों को कुल कितनी राशि की विशेष वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इन कपड़ा मिलों के विस्तार और इनके कार्यकरण में सुधार के लिये अधिक वित्तीय सहायता दिये जाने को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जुलाई, 1984 से अब तक वित्तीय संस्थाओं द्वारा उत्तर प्रदेश में वस्त्र मिलों को सहायता के रूप में जो कुल राशि दी गई है वह नई एककों की स्थापना के लिए 4425 लाख रु० रही है तथा आधुनिकीकरण सहायता के रूप में 5547 लाख रु० रही है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम ने झांसी, काशीपुर, संडीला तथा मेरठ स्थित अपनी कताई मिलों की आधुनिकीकरण-सह-विविधीकरण योजना की लागत के एक भाग की वित्त व्यवस्था के लिए 7.05 करोड़ रु० के आधुनिकीकरण ऋण के लिए आवेदन किया है। उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल (1) ने रायबरेली, मउनाथ भंजन तथा बाराबंकी स्थित अपने 3 एककों की आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण योजना की लागत के एक भाग को पूरा करने के लिए 6.55 करोड़ रु० के ऋण के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा, सन्त कबीर सहकारी कताई मिल्स लि०, मजहर, जिला बस्ती ने भी 2.29 करोड़ रु० के आधुनिकीकरण ऋण की मांग की है।

आर्डनेंस फैक्ट्री मुरादनगर से आयातित लोहे की चोरी

9650. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 मार्च, 1987 को मुरादनगर आर्डनेंस फैक्ट्री में लाखों रुपये मूल्य के आयातित लोहे को उस समय जब्त किया गया जबकि उसे चोरी किया जा रहा था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) 9-3-1987 को मुरादनगर के एक ठेकेदार के दो ट्रकों को उस समय पकड़ा गया जब वे मुरादनगर की आयुध निर्माणी के गेट से बाहर जा रहे थे। सुरक्षा कर्मचारियों ने ट्रक में ले जाए जा रहे अनुपयोगी रेत के नीचे छिपाये गये लगभग 4000 रुपए मूल्य के 70 कि० ग्रा० लोहे के टुकड़े और 110 कि. ग्रा. 220 डले कच्चा लोहा पकड़ा। उसी दिन आकस्मिक जांच में एक अन्य ठेकेदार, जिसको टूटे हुए "रनर कप्स" का ठेका दिया गया था, के एक ट्रक में 142 कि. ग्रा. वजन की अवैध सामग्री पायी गई और इस सामग्री को लोडिंग साइड में ही उतार दिया गया।

दोनों ठेकेदार के ठेके समाप्त कर दिए गए हैं और एक जांच बोर्ड को इन मामलों की जांच करने हेतु कहा गया है ताकि अपराध के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन महत्व के स्थलों के विकास के लिए मास्टर प्लान (वृहत योजना)

9651. **श्री हरीश रावत** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में विभिन्न पर्यटन केन्द्रों का विकास करने और उनके बीच समन्वय बनाये रखने के लिए एक मास्टर प्लान बनाने का प्रस्ताव रखा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वतंत्रता सैनानियों की विधवाओं को रेल कार्ड पास सुविधा

9652. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक स्वतंत्रता सैनानी को "भारत दर्शन" के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रेल कार्ड पास जारी किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह सुविधा स्वतंत्रता सैनानियों की उन विधवाओं को नहीं दी गई है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार से स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन मिल रही है : और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) केन्द्रीय राजस्व से स्वतंत्रता सैनानी पैंशन प्राप्त कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों को एक वर्ष की अवधि के लिए वैध प्रथम श्रेणी के नि:शुल्क कम्पलिमेंट्री रेलवे पास की सुविधा दिनांक 19.11. 86 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गयी है ।

(ख) और(ग) स्वतंत्रता सैनानियों को नि:शुल्क यात्रा सुविधा देने का उद्देश्य उन्हें भारत जिनकी आजादी के लिए वे लड़े, में अपनी इच्छा के स्थानों को देखने का अवसर देना था । इस योजना में स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाएं शामिल नहीं हैं ।

दिल्ली में बाल भवन के स्थल पर स्वतंत्रता सैनानियों का स्मारक बनाना

9653. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उस स्थान पर, जहां इस समय बाल भवन स्थित है , अंग्रेजों के शासन-काल के दौरान एक जेल थी ;

(ख) क्या इस जेल में तीन स्वतंत्रता सैनानियों को फांसी दी गई थी ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन तीनों स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में उस स्थान पर जहां इन्हें फांसी दी गई थी , एक स्मारक बनाने का है; और

(घ) यदि हां , तो कब तक और यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०चिदम्बरम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[अनुवाद]

सीमा सुरक्षा बल के आधुनिकीकरण की योजना

9654. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सीमा सुरक्षा बल को आधुनिकीकरण की किसी योजना पर विचार कर है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सीमा सुरक्षा बल को पहले ही सेल्फ लोडिंग राइफल्स, दूरबीन इत्यादि हथियारों और उपकरणों से लैस किया गया है । उनकी भूमिका की महत्ता तथा आधुनिकीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उनकी उपेक्षाओं की निरन्तर समीक्षा की जाती है ।

दिल्ली पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

9655. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के विरुद्ध जनता से प्राप्त शिकायतों में से कितनी शिकायतों का निपटान बाकी है ;

(ख) ये शिकायतें कितने समय से लम्बित पड़ी हुई हैं ;

(ग) ये शिकायतें किस प्रकार की हैं ; और

(घ) इन शिकायतों का कब तक निपटान कर दिया जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 110.

(ख) औसतन 15/20 दिन ।

(ग) इन शिकायतों में उत्पीड़न, भ्रष्टाचार आदि के आरोप हैं ।

(घ) पुलिस आयुक्त द्वारा पुलिस उप-आयुक्त के साथ की जाने वाली साप्ताहिक बैठकों में लम्बित शिकायतों पर उनके शीघ्र निपटान के लिए विचार-विमर्श किया जाता है ।

वाणिज्य मंत्रालय की विशेष संघटक योजना

9656. श्री अनादि साहू : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने 1986-87 के लिए अनुसूचित जातियों के लिए एक विशेष संघटक योजना तैयार की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें शामिल की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) योजना के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) मंत्रालय ने 1986-87 के लिए अनुसूचित जातियों के लिए अलग से कोई विशेष संघटक योजना नहीं बनाई है । तथापि, विभिन्न वस्तुओं के संबंध में विकास परियोजनाओं से सम्बन्धित कुछ वस्तु बोर्ड इस उद्देश्य के लिए सतत आधार पर कुछ योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं और तदनुसार बजट संबंधी सहायता में प्रतिवर्ष पर्याप्त व्यवस्था की जाती है ।

पुलिस सेवा और अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर रोक लगाना

9657. कुमारी ममता बनर्जी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पुलिस सेवा और देश की अन्य विधि प्रवर्तन एजेन्सियों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों को अवैध घोषित करने की व्यवस्था करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे विधेयक के ससद में कब पुरः स्थापित किए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) वर्तमान नियम अर्थात पुलिस बल (अधिकारियों पर प्रतिबंध) अधिनियम 1966 के अलावा इस विषय में इस समय केन्द्रीय विधायन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंध

9658. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थाईलैंड के साथ द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : थाईलैंड के साथ द्विपक्षीय संबंध और सहयोग को बढ़ाने के लिए उच्च स्तर पर एक दूसरे के देश की बहुत सी यात्राएं हुई हैं। अक्तूबर 86 में हमारे प्रधान मन्त्री की थाईलैंड की यात्रा के दौरान सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार किया गया था कि विभिन्न क्षेत्रों में हमारा द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाया जाए। इसके बाद दिसम्बर, 1986 और मार्च, 1987 में क्रमशः विदेश मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने और विदेश राज्य मंत्री श्री नटवर सिंह ने बैंकॉक की यात्रा की। थाईलैण्ड की राजकुमारी महाचक्री सिरीधोर्न भी मार्च, 1987 में भारत की यात्रा पर आई और तीन सप्ताह तक यहां ठहरी। इस बात पर सहमति हुई है कि भारत और थाईलैण्ड के बीच एक संयुक्त आयोग गठित किया जाएगा।

मलयेशिया के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलन

9659 : श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का मलयेशिया के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलन बढ़ता जा रहा है

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या मलयेशिया सरकार से इस संबन्ध में बातचीत की गई है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबन्ध में मलयेशिया सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) प्रतिकूल व्यापार संतुलन को कम करने के लिए कौन से संयुक्त प्रयास किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रन्जन दास मुन्शी) : (क) मलयेशिया के साथ भारत का व्यापार घाटा जो 1982–83 में 153.27 करोड़ रु० था। 1984–85 में बढ़कर 477.51 रु० हो गया। तथापि, 1985–86 में न केवल हमारे आयातों के मूल्य में गिरावट आने के कारण अपितु हमारे निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि होने की वजह से भी काफी घटकर 277.31 करोड़ रु० रह गया। 1986–87 (अप्रैल–दिसम्बर) में व्यापार घाटा 337.62 करोड़ रु० हो गया।

(ख) व्यापार घाटे को कम करने के लिए जो सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं उनमें शामिल हैं हमारे निर्यातों को विनिर्मित माल और बल्क वस्तुओं के रूप में विविधीकृत करना तथा साथ ही मलेशियाई अधिकारियों के साथ वार्ता आधार पर भारतीय कम्पनियों के लिए परियोजनाओं की संविदाओं के जरिए निर्यात संवर्धन।

(ग) जी हां।

(घ) मलेशियाई सरकार व्यापार अन्तर ल को कम करने के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए सहमत हो गई है।

(ङ) व्यापार अन्तराल को कम करने के लिए सरकारी तथा व्यापार स्तरों पर किये जा रहे प्रयासों में शामिल है ; भारतीय कम्पनियों की मलेशिया में परियोजनाओं में और अधिक भागीदारी प्रतिनिधि मंडलों का आदान–प्रदान तथा व्यापार मेलों व प्रदर्शनियों में भाग लेना।

बल्गारिया के साथ सम्बन्ध

9660. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्गारिया का विपक्षीय सहयोग के अन्तर्गत भारत से कम्प्यूटरों की खरीद करने का विचार है ; और

(ख) द्विपक्षीय सहयोग के अन्तर्गत बल्गारिया से अन्य किन-किन चीजों का आयात किए जाने और उसे किन-किन चीजों का निर्यात किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) भारत से बल्गारिया को 1987 में निर्यात के लिए निर्देशात्मक सूची में, जो कि व्यापार सम्बन्धी भारत-बल्गारियाई कार्यदल की 5 या 6 मार्च, 1987 को हुई बैठक में तैयार की गई थी, निजी कम्प्यूटरों के लिए कम्प्यूटर साफ्टवेयर तथा कम्प्यूटर परिधीय वस्तुओं सहित इलेक्ट्रानिक मदों के निर्यात के लिए व्यवस्था की गई है। बल्गारिया से 1987 में आयात की जाने वाली मदों की सूची में शामिल है, सोडा ऐश, पी.वी.सी. रेजिन, पालिप्रापीइलेन, एल.डी.पी.ई., एच.डी.पी.ई., पेराफिन (अनुमेय किस्मों) पोलिस्टाइरेन, कैप्रोलैक्टम, पी.वी.सी. सेपेरेटर्स, लौह तथा अलौह धातुऐं, मशीनरी तथा उपस्कर, औषधि तथा भेषजीय पदार्थ, वियरिंग्स, इलेक्ट्रानिक संघटक तथा शैक्षिक कम्प्यूटर एवं संघटक, अखबारी कागज, लोनियर अल्कालाइन बैनिन, टिटेनियम डायोक्साइड तथा विविध मदें जिनमें मर्टेता स्क्रैप, कागज तथा कागज उत्पाद, बैनजीन, औलीन, जाइलीन, नैपथालीन, काला कार्बन, आदि शामिल है, भारत से बल्गारिया को 1987 में निर्यात के लिए मदें हैं, खली, सूती धागा, कपास, इस्पात के तार के रस्से, ग्रफाइट इलेक्ट्राड्स, लौह अयस्क/पैलेट, मैंगनीज अयस्क, अभ्रक तथा अभ्रक उत्पाद, तैयार चमड़ा तथा चमड़े का सामान, निटवीयर तथा परिधान, वस्त्र, औषधि तथा भेषजीय पदार्थ, कीटनाशन दवाइयां, काली मिर्च, काफी तथा इंस्टेंट काफी, वीनियर, वस्त्र मशीनरी सहित मशीनरी उपस्कर, पटसन उत्पाद, तम्बाकू, इलेक्ट्रानिक मदें, निजी कम्प्यूटरों के लिए कम्प्यूटर साफ्टवेयर तथा कम्प्यूटर परिधीय वस्तुयें व विविध मदें जिनमें फोटो कापीइंग मशीन, इलेट्रिक टाइप-राइटर, इथाइलेक्री लाइट, ब्यूटिल, एक्रीलाइट, पेट्रोलियम रेजिन आदि।

दिल्ली में 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए राहत कार्यक्रमों को लागू करना

9661. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** :
श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दिल्ली के दंगा-पीड़ितों के लिए राहत कार्यक्रमों को लागू करने के बारे में सरकार द्वारा अनुमोदित मानदंड के संदर्भ में 1 जनवरी, 87 तक कितनी प्रगति हुई; और

(ख) प्रत्येक राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने दावे प्रस्तुत किए गए, उनमें से कितनों को स्वीकार किया गया तथा कितनों को रद्द किया गया ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ख)

		मृत्यु	जख्मी	आवास इकाई को नुक्सान	बीमा
1	प्राप्त दावे	3,294	3,725	8,622	469
2	अस्वीकृत दावे	865	1,122	5,085	94
3	स्वीकृत दावे	2,425	2,602	3,537	373
4	लम्बित दावे	4	1	—	2

विवरण

दिल्ली प्रशासन ने नवम्बर, 1984 के दंगा पीड़ितों को निम्नलिखित मानदन्डों पर अनुग्रह-राहत दी है :—

(क) मृत्यु मामले 20,000 रु०

(ख) जख्मी 2,000 रु०

(ग) आवास इकाईयों को हुआ नुकसान :

आंशिक नुकसान 2,000 रु०

भारी नुकसान 5,000 रु०

कुल नुकसान 10,000 रु०

(i) 2,245 मृत्यु मामलों में 20,000 रु० की दर से भुगतान किया गया है। 3 मामलों में 20,000 रु० की दर से भुगतान किया जाना है तथा 177 मामलों में 10,000 रु० की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाना है। इसके अतिरिक्त लगभग 2,600 घायल व्यक्तियों और 3,500 से अधिक आवास इकाइयों तथा नुकसान के मामलों में राहत दी गई है।

(ii) दिल्ली उपायुक्त द्वारा 373 मामलों में बीमा दावों के सम्बन्ध में 82·8 लाख रुपए वितरित किए गए हैं।

(iii) 6,745 मामलों में 33·94 करोड़ रुपए की राशि के बैंक ऋण दिए गए है।

(iv) विधवाओं सहित 1984 के दंगा पीड़ितों को 1,905 फ्लैट आबंटित किए गए हैं।

(v) दंगा पीड़ित विधवाओं को दिल्ली प्रशासन के सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी संगठनों में रोजगार दिया गया है। अब तक उनमें से 292 ने पद भार संभाल लिया है।

(vi) 3 विधवाओं की विवाह के उद्देश्य के लिये प्रत्येक को 5,000 रु० दिए गये हैं। 48 विधवाओं को भी उनकी लड़कियों के विवाह के लिए प्रत्येक को 3,000 रु० दिए गए हैं।

अरण्डी के तेल का निर्यात

9662. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88 के दौरान अरण्डी के तेल का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : सरकार मूल्य वर्धित रूप में अरण्डी के तेल का निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। इनमें शामिल हैं अरण्डी तेल औषधीय वी. पी. के निर्यात पर 5% की दर से, निर्जलीकृत अरण्डी के तेल के निर्यात पर 8% की दर से तथा अन्य व्युत्पन्नों के निर्यात पर 10% की दर से नकद मुआवजा सहायता, तथा हाइड्रोजिनेटिड अरण्डी के तेल तथा निर्जलीकृत अरण्डी के तेल पर 3% की दर से आई. ई. पी. लाभ।

[हिन्दी]

दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार

9663. **प्रो० चन्द्रभानु देवी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : जी हाँ, पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार बढ़ा है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :—

(मूल्य करोड़ रु० में)

वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापार कारोबार
1983-84	88·66	146·35	235·01
1984-85	89·46	147·30	236·76
1985-86	92·89	270·58	363·47
1986-87 (अप्रैल-दिसम्बर, 86)	73·42	212·68	286·09

[अनुवाद]

विद्युत चालित करघों को ऋण दिए जाने के संबंध में आंकलन करने के के लिए कृतिक बल

9664. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** :

श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में विद्युत चालित करघों को आधुनिकीकरण और कार्य पूंजी दोनों के लिये ऋण दिये जाने के बारे में आंकलन करने के लिये हाल ही में एक विशेष कृतिक बल स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कृतिक बल द्वारा अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की आशा है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां। ऋण के वर्तमान प्रवाह का अध्ययन तथा आंकलन करने तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में विद्युत चालित करघों को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से उपाय सुझाने के लिए वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में कृतिक बल की स्थापना की गई है। कृतिक बल से अपनी रिपोर्ट को चार माह की अवधि में प्रस्तुत करने को कहा गया है।

टर्की के प्रतिनिधि-मण्डल का दौरा

9665. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टर्की के किसी प्रतिनिधि-मण्डल ने हाल ही में भारत का दौरा किया,

(ख) यदि हां, तो यदि कोई समझौते किये गए हैं तो वे क्या हैं; और

(ग) इसके परिणाम स्वरूप टर्की के साथ भारत के व्यापार को बढ़ावा मिलने की संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (ग) पिछले लगभग एक वर्ष से टर्की से कुछेक प्रतिनिधिमण्डल आए हैं जिनमें एक यह शामिल है जो अप्रैल, 1986 में टर्की के प्रधान मन्त्री के साथ आया था। इन प्रतिनिधि मंडलों के साथ किसी भी औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। इन प्रतिनिधि मण्डलों से भारतीय और टर्की के व्यापार और उद्योग क्षेत्रों को विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे की क्षमता तथा संभाव्यता को बेहतर तरीके से जानने में सहायता मिली है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय क्षेत्र में भारतीय वस्तुओं के लिए बेहतर बाजार तैयार करने के लिए फ्रांसीसी सहायता

9666. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय क्षेत्र में अपनी वस्तुओं के लिए बाजार में विस्तार करने हेतु फ्रांसीसी सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिसम्बर, 1986 के दौरान फ्रांसीसी विदेश व्यापार मंत्री के साथ उनकी अनेक बार बातचीत हुई; और

(ग) यदि हां, तो फ्रांस-यूरोपीय आर्थिक समुदाय क्षेत्र में भारतीय वस्तुओं के लिए बेहतर बाजार तैयार करने में किस सीमा तक सहमत हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रन्जन दास मुन्शी) : (क) और (ख) जी हां। दिसम्बर, 1985 में तकनीकी और आर्थिक सहयोग संबंधी भारत फ्रांसीसी संयुक्त समिति की दिल्ली में हुई पांचवीं बैठक के दौरान भारतीय पक्ष ने भारत के कतिपय निर्यात उत्पादों के लिए बेहतर प्रवेश पाने के लिए फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने का अनुरोध किया था। दिसम्बर, 1986 में जब

फ्रांसीसी विदेश व्यापार मंत्री भारत के दौरे पर आए थे तो उनके साथ यूरोपीय आर्थिक समुदाय देशों में अधिक बाजार प्रवेश के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श हुआ था।

(ग) फ्रांसीसी प्राधिकारियों ने इस संबंध में भारत के अनुरोधों को नोट कर लिया है तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय कमीशन में इस विषय पर चर्चा के दौरान उनको ध्यान में रखने पर सहमति प्रकट की है।

गाय की चर्बी के मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा सरकारी आदेशों का अपास्त किया जाना

9667. **श्री एस० जयपाल रेड्डी :**

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनके मामले में आयात (नियन्त्रण) आदेश, 1955 के खण्ड 8:1 (छ) के अंतर्गत जारी किए गए सरकारी आदेश उच्च न्यायालयों द्वारा अपास्त कर दिए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार ऐसे सभी मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

चांदमारी क्षेत्रों में चोरी और अनधिकृत प्रवेश रोकना

9668. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन राज्यों में चांदमारी क्षेत्र स्थित हैं;

(ख) इन क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रवेश की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले राजस्थान में पोखरन के चांदमारी क्षेत्र में तांबे की चोरी हुई थी;

(घ) यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या रक्षा विभाग चोरी के ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए चांदमारी क्षेत्र में पर्याप्त प्रबंध कर रहा है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) केरल, नागालैंड तथा मेघालय को छोड़कर देश के सभी राज्यों में चांदमारी क्षेत्र हैं।

(ख) चांदमारी क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए ये प्रबंध किए गए हैं रेंज क्षेत्र का सीमांकन करना ; चांदमारी के सभी मार्गों और रास्तों पर लाल ध्वज लगाना ; रेंज के मुख्य प्रवेश/निर्गम स्थलों पर क्षेत्रीय भाषाओं/हिन्दी में बोर्ड लगाना; फायरिंग होने से पूर्व स्थानीय लोगों को पहले

सूचित करना ; रेडियो संचार सुविधा के साथ प्रवेश/निर्गम स्थलों पर संतरी तैनात करना और फायरिंग के दौरान रेंज की दीवार पर चौकसी करना ।

(ग) और (घ) 1986 और 1987 से अब तक ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है ।

(ङ) इस संबंध में पर्याप्त प्रबंध पहले से ही विद्यमान हैं और जब आवश्यकता होती है तो संबंधित पद्धतियों में बराबर सुधार किया जाता है ।

विदेश नीति सम्बन्धी परामर्श के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्रों को मान्यता देना

9669. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश नीति संबंधी विभिन्न मामलों पर परामर्श के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्रों को मान्यता दी है;

(ख) यदि हां, तो मान्यता प्राप्त ऐसे कितने केन्द्र हैं और इन केन्द्रों से किस प्रकार की सहायता/सलाह प्राप्त की जाती है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान संगोष्ठी, विचार गोष्ठी और सम्मेलन आयोजित करने के लिए प्रत्येक केन्द्र को अलग-अलग कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से सरकार विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों के विकास को प्रोत्साहित करती है और समय-समय पर उनके साथ मिलकर काम करती है । किसी भी क्षेत्र अध्ययन केन्द्र को इस तरह परामर्श के प्रयोजन से विशेष रूप से मान्यता नहीं दी गई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र (साउथ एशिया स्टडीज सेंटर) जयपुर को मान्यता प्रदान करना

9670. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र (राजस्थान विश्वविद्यालय) जयपुर को परामर्श और सम्पर्क बनाये रखने के प्रयोजन से मान्यता प्रदान की है; और

(ख) मान्यता प्रदान करने के मानदण्ड क्या हैं और सरकार उस केन्द्र से किस प्रकार की परामर्शी सेवा प्राप्त करती है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से सरकार विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों के विकास को प्रोत्साहित करती है और इसमें दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र, जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय भी शामिल हैं और समय-समय पर उनके साथ मिलकर काम करती है । किसी भी क्षेत्र अध्ययन केन्द्र को इस तरह परामर्श के प्रयोजन से विशेष रूप से मान्यता नहीं दी गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नए पासपोर्ट जारी करना

9671. **श्री सी० माधव रेड्डी :**

श्री श्रीहरि राव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे व्यक्तियों को भी जिनके पास 30 वर्षों से अधिक समय से पासपोर्ट है और उनके पते में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सभी औपचारिकताएं और प्रक्रिया पूरी करने पर नए पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रक्रिया के कारण पासपोर्टों की वैधता की अवधि बढ़ाने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट सामान्यतः शुरु में पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी किये जाते हैं और पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद इतनी ही अवधि के लिए नवीकृत किए जाते हैं। इस प्रकार सभी अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट कुल मिलाकर 10 वर्ष के लिए वैध होते हैं। 10 वर्ष की वैधता अवधि समाप्त हो जाने पर नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किए जाने पर नए पासपोर्ट जारी किए जाने से सम्बद्ध सभी औपचारिकताएं और क्रियाविधियां पूरी हो जाने के बाद नया पासपोर्ट जारी किया जाता है।

(ख) इस बात का सुनिश्चय करना होता है कि आवेदक ने ऐसा कोई प्रतिकूल काम नहीं किया है, जिसने वह पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अधीन पासपोर्ट प्राप्त करने के अयोग्य ठहरता हो।

(ग) इस काम में सामान्यतः उतना वक्त लगता है, जितना नया पासपोर्ट जारी करने में।

सैन्य इंजीनियरी सेवा, इलाहाबाद के लिए स्थानीय सप्लाई में धोखाधड़ी

9672. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैन्य इंजीनियरी सेवा, इलाहाबाद के लिए की गई स्थानीय सप्लाई में हाल में 20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा दोषी पाये गये अधिकारियों तथा उक्त धोखाधड़ी में शामिल फर्मों/ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (घ) इस मंत्रालय को सैन्य इंजीनियरी सेवा, इलाहाबाद में 20 करोड़ रुपए की किसी धोखाधड़ी

की जानकारी नहीं है। लेकिन 25-9-1986 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कमाण्डर वर्क्स इंजीनियरी, इलाहाबाद के कुछ सप्लाई आर्डरों में हुई अनियमितताओं का एक मामला दर्ज किया था, जिसकी जांच की जा रही है।

दिल्ली पुलिस द्वारा कथित उत्पीड़न के बारे में समाचार

9673. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 अप्रैल, 1987 के स्टेटसमैन में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि देरी से रात में घर लौट रहे असंदिग्ध और कानून का पालन करने वाले लोगों को पुलिस द्वारा कथित रूप से उत्पीड़न और अपमानित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन समाचारों के बारे में यदि कोई जांच कराई गई है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) अपराधियों/आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए, रात्रि में वाहनों इत्यादि की जांच के लिए पुलिस कार्मिकों को तैनात करना आवश्यक है। एक पुलिस उपायुक्त को भी रात्रि गश्त के लिये ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के पर्यवेक्षण के लिए तैनात किया जाता है। जब भी परेशान करने/पैसे ऐंठने की शिकायत मिलती है, उस पर तुरन्त कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, पुलिस मुख्यालय में पुलिस उपायुक्त के नेतृत्व में सतर्कता एकक है और दिल्ली प्रशासन के अधीन एक भ्रष्टाचार-विरोधी शाखा भी है। इस संबंध में शिकायतें उनके पास भी दर्ज करायी जा सकती हैं।

'डायमंड इंडस्ट्रियल एस्टेट', सूरत का विकास

9674. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत में एक बड़े 'डायमण्ड इन्डस्ट्रियल एस्टेट' को विकसित किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उपर्युक्त परियोजना में कौन सी एजेन्सी अथवा एजेन्सियां शामिल की जायेंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) सूरत के आसपास सचिन में हीरा प्रौद्योगिक एस्टेट विकसित करने का प्रस्ताव है।

(ख) परियोजना में बैंकों, स्कूलों, डाक-घरों, आदि जैसी सम्बद्ध सुविधाओं के अतिरिक्त, निर्यात प्रयोजनों के लिए हीरों को तराशने तथा उन पर पालिश करने के लिए विभिन्न चरणों में लगभग 1000 फैक्टरी एककों तथा एस्टेट में काम कर रहे व्यक्तियों में से लगभग 20% के लिए रिहाइशी स्थान के निर्माण की व्यवस्था है।

(ग) परियोजना का विकास हीरा विकास सहकारी समिति लि०, सूरत द्वारा किया जा रहा है, जोकि गुजरात कोआपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।

गुजरात में हीरा उद्योग के मजदूरों के कार्य करने की स्थिति

9675. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में हीरों को तराशने और उन पर पालिस करने के कार्य में लगे मजदूरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि उनकी कार्य करने की स्थिति अत्यन्त दयनीय है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी काम करने की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) गुजरात में हीरा तराशने तथा पालिश करने के उद्योग में लगे कामगारों की संख्या अनुमानतः तीन लाख है।

(ख) और (ग) हीरा प्रोसेसिंग निजी स्वामित्व वाली हैं तथा वे कुटीर तथा लघु क्षेत्रों में हैं। कामगारों की कार्य करने की दशाओं में सुधार की गुंजाइश है। आवश्यक औजारों और उपस्करों को प्रचलित करने के लिए उद्यमियों द्वारा किए गए उपायों तथा गुजरात राज्य सरकार की सहायता से सहकारी समिति द्वारा शुरू की गई विकासात्मक परियोजनाओं से इस सम्बन्ध में सुधार होने की आशा है।

सुन्दरवन में "फ्लोटिंग लॉज" के लिए वित्तीय सहायता

9676. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने सुन्दरवन क्षेत्र में पर्यटकों के लिए इंजन रहित बंजरों के निर्माण के लिए और अधिक वित्तीय सहायता दिये जाने को कहा है और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या सुन्दरवन क्षेत्र के आन्तरिक भाग में "फ्लोटिंग लॉज" बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का "फ्लोटिंग लॉज" के लिए वित्तीय अथवा अन्य कोई सहायता देने का विचार है ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर, सुन्दरवन में इस्तेमाल के लिए एक "बेयर बार्ज" के निर्माण हेतु राज्य सरकार को 7·00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता पहले ही प्रदान की जा चुकी है।

(ख) और (ग) सुन्दरवन में इस्तेमाल के लिए 85.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक "फ्लोटिंग लॉज" का निर्माण करने का एक और प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसकी जांच की जा रही है।

होटल परियोजनाओं को स्वीकृति देना

9677. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नयी होटल परियोजनाओं के लिए स्वीकृति देने की प्रक्रिया को सरल बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग होटल परियोजनाओं को, विदेशी पर्यटकों के लिए उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन प्रदान करता है। नई होटल परियोजनाओं के लिए ऐसी क्लीयरेंस प्राप्त करने हेतु कार्यविधि को कारगर और सरल बनाना एक सतत प्रक्रिया है। नए उद्यमकर्त्ताओं के मार्गदर्शन के लिए "प्रार्थना पत्र" सहित विस्तृत मार्ग-निर्देश पहले से ही हैं।

इटली के साथ व्यापार सन्तुलन

9678. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इटली के साथ व्यापार संतुलन की क्या स्थिति थी;

(ख) इटली की फर्मों तथा कम्पनियों के साथ कितने व्यापार और अन्य प्रकार के सहयोग करार किए गए; और

(ग) कितने सहयोग करार पूरे हो चुके हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान इटली के साथ भारत का व्यापार सन्तुलन निम्नोक्त प्रकार रहा है :

(करोड़ रु०)

वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापार सन्तुलन
1983-84	163.76	282.99	– 119.23
1984-85	212.94	296.75	– 83.81
1985-86*	216.84	319.74	– 102.90
1986-87* (अप्रैल–दिस०)	189.33	328.31	– 138.98

*अनन्तिम।

(ख) और (ग) इटली की फर्मों के साथ सरकार द्वारा कोई भी व्यापार सहयोग अनुमोदित नहीं किए गए हैं। 1986 में सरकार द्वारा अनुमोदित कुल 958 औद्योगिक सहयोग करारों में से 58 इटली की फर्मों के साथ थे। 1982 से 1986 तक, 5 वर्षों में इटली की फर्मों के साथ ऐसे कुल 227 सहयोग अनुमोदित किये गये थे। अब तक अनुमोदित ऐसे प्रस्तावों पर कार्यान्वयन के लिए अनुवर्ती कार्रवाही संबंधित पार्टियों द्वारा की जाती है।

सिक्किम में नागरिकता विहीन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करना

9679. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ अधिकारियों के एक केन्द्रीय दल ने गत वर्ष जनवरी में सिक्किम में नागरिकता विहीन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान किये जाने के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिए सिक्किम का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान एक केन्द्रीय दल जिसमें इस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी थे, जनवरी, 1987 में सिक्किम गया और उसने सिक्किम के मुख्यमंत्री के साथ सिक्किम में "नागरिकता विहीन" नागरिकों से संबंधित समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। सिक्किम दौरे के दौरान दल के साथ हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए मामले पर कार्रवाही की जा रही है।

सामाजिक और राजनैतिक तनावों के सम्बन्ध में सेमिनार

9680. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सामाजिक और राजनैतिक तनावों के सम्बन्ध में हाल ही में नई दिल्ली में हुए एक दो दिवसीय विचारगोष्ठी में सभी प्रकार की हिंसा और हत्याओं पर सर्वत्र रोक लगाने हेतु वातावरण तैयार करने के प्रयास करने का आह्वान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो विचारगोष्ठी में अन्य क्या-क्या सिफारिशें की गई और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) सरकार, विचार गोष्ठी को आयोजित करने की तारीख अथवा इसे प्रायोजित करने वाले संगठन के बारे में किसी जानकारी की अनुपस्थिति में इस विचार गोष्ठी में की गयी कथित सिफारिशों पर प्रतिक्रिया करने की स्थिति में नहीं है।

आस्ट्रेलिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर

9681. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत आस्ट्रेलियाई तकनीकी सूचना केन्द्र स्थापित करने के संबन्ध में दोनों देशों के बीच सहयोग के स्तर को तेजी से बढ़ाने के लिए विस्तृत कार्य-वाही योजनाओं के समावेश के लिए एक समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किये थे;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तों के साथ इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए चुने गये क्षेत्रों में इसके कारण कितना सुधार होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी हां।

(ख) प्रौद्योगिकी जानकारी केन्द्र संयुक्त व्यवसाय परिषद के विशिष्ठ उद्देश्यों की समष्टि स्तर पर प्रगति का समन्वय करने तथा उसे मॉनिटर करने के लिए एक केन्द्र बिन्दु है, जो है :

(1) परस्पर संतुलित निर्यातों तथा आयातों का बेहतर प्रवाह;

(2) विनिर्माण तथा सेवा के क्षेत्रों में दोनों देशों में संयुक्त उद्यम;

(3) निरन्तर अपग्रेडिंग के साथ दोनों तरफ प्रौद्योगिकी का अन्तरण;

(4) तीसरे देशों में प्रवेश के लिए संयुक्त विनिर्माण तथा व्यापारिक प्रबन्ध;

(5) मानव संसाधन विकास में परस्पर सहयोग।

ये उन औद्योगिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय क्षमता के स्तर के सम्बन्ध में दोनों पक्षों से आंकड़े एकत्र तथा प्रसारित करेंगे जिनमें दोनों देशों से उद्यमों द्वारा भारत-आस्ट्रेलिया सहयोग स्थापित होता है ताकि संयत्र स्तर पर निरन्तर प्रौद्योगिकी अन्तरण में और सहयोग किया जा सके।

(ग) चूंकि यह केन्द्र संयुक्त व्यवसाय परिषद के सदस्यों को उन स्रोतों के बारे में जानकारी प्रदान करने के माध्यम के रूप में कार्य करेगा जिनसे संगत प्रौद्योगिकी खरीदी जा सकती है अतः इससे बताए गए सहयोग में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार होने की सम्भावना है क्योंकि एक पक्ष दूसरे से कुछ सीखेगा, ज्ञान का आदान प्रदान करेगा तथा संयुक्त उत्पादन की सम्भावनाओं का पता लग एगा।

आंध्र प्रदेश में एक आयुध कारखाना स्थापित करना

9682. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने आन्ध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में सिद्धावतम में एक रक्षा कारखाना स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में सिद्धावतम में रक्षा आयुध निर्माणी स्थापित करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

नये क्षेत्रों में रबड़ की खेती को बढ़ावा देना

9683. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड का विचार नये क्षेत्रों में रबड़ की खेती को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक यदि कोई सफलता प्राप्त हुई है तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (ग) जी हां, रबड़ बागानों के विकास के लिए गैर परम्परागत क्षेत्रों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए खोज

सम्बन्धी व्यापक सर्वेक्षणों तथा परीक्षणों के बाद असम, त्रिपुरा, गोआ, महाराष्ट्र, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह और उड़ीसा राज्यों में पर्याप्त क्षेत्रों को कृषि जलवायु की दृष्टि से अनुकूल पाया गया है। और अब तक इस प्रकार अभिज्ञात क्षेत्र में से 17834 हैक्टर में रबड़ बागानों का विकास किया जा चुका है।

रबड़ बोर्ड पुनरोपण/नये रोपण, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने, अधिक उपज देने वाली रोपण सामग्री की सप्लाई, आदि की कई योजनाएं पहले ही कार्यान्वित कर रहा है। इसके अलावा, पात्र उपजकर्ताओं को नकद उपदान, बैंक ऋणों पर ब्याज उपदान, और क्वालिटी बीजांकुरों आदि के लिए उपदान प्रदान किये जाते हैं।

लेबनान में फंसे पड़े भारतीय श्रमिक

9684. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :**
श्री के० वी० शंकर गौडा :
श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत वापस आने के इच्छुक बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिक लेबनान मे फंसे पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वहां स्थित भारतीय दूतावास उन्हें क्या सहायता प्रदान कर रहा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) सरकार को यह मालूम है कि लेबनान में भारतीय श्रमिकों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पडता है। बेरुत स्थित भारतीय राजदूतावास लेबनान में भारतीय राष्ट्रिकों को हर सम्भव सहायता देता है। अब तक सिर्फ दो भारतीय राष्ट्रिक राजदूतावास के पास आए हैं जिन्होंने भारत प्रत्यावर्तन के लिए राजदूतावास से सहायता मांगी है।

तमिलनाडु में पर्यटन का विकास

9685. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन : क्या पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान तमिलनाडु में पर्यटन के विकास के लिए किन्हीं योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक योजना के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी हां।

(ख) पिछले दो वर्षों में स्वीकृत और रिलीज की गई राशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(लाख रुपए में)

स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि (अद्यतन)
वर्ष 1985–86 के दौरान		
1. कन्याकुमारी में 8 समुद्र तट कुटीरों का निर्माण	13.36	10.00
2. तिरुकलिकुन्द्रम में मार्गस्थ सुख–सुविधाएं	3.92	3.46
3. थिरूथानी में पर्यटक सुख–सुविधाएं	3.92	3.46
4. रामेश्वरम में आवास सहित पर्यटक स्वागत केन्द्र	18.45	7.00
5. चिदम्बरम में पर्यटक सुख–सुविधाएं	7.86	7.00
6. उधागमण्डलम में ऊटी झील के लिए नौकाओं की व्यवस्था	4.14	4.07
7. पुलीकट झील में नौका–विहार सुविधाओं की व्यवस्था	2.85	2.85
8. कांचीपुरम में पल्लवपुरा पर्यटक कम्पलैक्स	20.00	15.00
9. कोर्टालम में रेस्तरां ब्लाक	5.44	5.00
10. पिछावरम में रेस्तरां कम्पलैक्स	5.91	5.50
11. मामल्लापुरम में टायलेट और पीने के पानी की सुविधाएं	1.50	1.00
12. त्रिचि में राक फोर्ट की प्रकाश–पुंज व्यवस्था	5.25	4.72
13. कांचीपुरम में यात्री निवास	35.00	10.00
14. पैदल–भ्रमण उपकरण	4.66	4.19
15. मदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए परिवहन सुविधाएं	2.59	2.59
जोड़	134.85	85.84
वर्ष 1986–87 के दौरान		
1. होगनकल के स्नान घाटों पर पर्यटक सुख–सुविधाएं	3.38	2.50
2. मदुमलाई में वन गृह	21.32	8.00
3. नागापतिनम में यात्री निवास	37.27	8.00
जोड़	61.97	18.50

राज्य व्यापार निगम की निर्यात संवर्धन योजना

9686. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने विशेषतः गैर सरणीबद्ध मदों के संबन्ध में निर्यात संवर्धन के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाया है ;

(ख) कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) यह कार्यक्रम निर्यात अभियान को प्रोत्साहन देने में कहां तक सहायक होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरन्जन दास मुन्शी) : (क) और (ख) जी हां। राज्य व्यापार निगम ने गैर-सरणीकृत मदों के अपने निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में सरकारी क्षेत्र के कुछ एककों तथा निजी संगठनों और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सदनों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत से निर्यातों के संवर्धन के लिए निगम की नए व्यापार सहयोगियों का नामांकन करके अपने सप्लाई आधार का विस्तार करने तथा अपनी बल्क खरीददारी शक्ति का प्रयोग करने की भी योजनाएं अपने निर्यातों विशेषकर मूल्य वर्धित मदों के निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य व्यापार निगम का इस वर्ष लगभग 60 वस्तु मेलों, प्रदर्शनियों तथा क्रेता - विक्रेता बैठकों में भाग लेने का भी प्रस्ताव है।

(ग) वर्ष 1987-88 के लिए 584 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जबकि 1986-87 में अनुमानतः 506 करोड़ रु० का निर्यात किया गया था। गैर सरणीकृत मदों के निर्यात हेतु 1987-88 के लिए 432 करोड़ रु० का लक्ष्य निर्धारित किया है जबकि 1986-87 में अनुमानतः 364 करोड़ रु० का निर्यात किया गया था। इस प्रकार 19 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।

भारत पर्यटन विकास निगम की संयुक्त उद्यम परियोजना

9687. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में अपनी संयुक्त उद्यम परियोजनाएं चालू करके अपना कार्य बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर इस प्रकार की परियोजनाएं चालू की जायेंगी ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) फिलहाल भारत पर्यटन विकास निगम अलग-अलग राज्यों में छः संयुक्त उद्यम होटल परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है और ऐसी आशा है कि ये वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पूरी /चालू हो जाएंगी। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

क्रम० संख्या	केन्द्र/राज्य का नाम	सहयोगी	अनुमानित लागत	मार्च 87 तक व्यय (अनन्तिम)	स्टार श्रेणी	क्षमता कमरे	क्षमता बैड्स	पूरा/चालू होने की सम्भावित तारीख/वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(लाख रु० में)					
1	गुवाहाटी (असम) में होटल	असम राज्य सरकार	280.00	183.88	3	50	100	चालू होने के लिए पिछले महीने से तैयार है। होटल के उद्घाटन में बिलम्ब हो रहा है। राज्य सरकार से आवश्यक क्लियरेंस की प्रतीक्षा है।
2	पुरी (उड़ीसा) में होटल	उड़ीसा पर्यटन विकास निगम लि०	190.00	106.58	3	44	88	संस्थागत ऋण रिलीज करने के बारे में औपचारिकताओं के पूरा होने पर निर्भर।
3	भोपाल (मध्य प्रदेश) में होटल	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि०	190.00	70.05	3	38	76	सितम्बर, 1987
4	रांची (बिहार) में होटल	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि०	130.00	52.67	3	30	60	अगस्त/सितम्बर 1987

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	ईटानगर(अरुणाचल प्रदेश) में होटल	अरुणाचल प्रदेश औद्योगिक विकास और वित्तीय निगम लि०	80.00	राज्य लोक निर्माण विभाग परियोजना का निष्पादन कर रहा है।	1/2	20	40	सहयोगी और वित्तीय संस्थानों द्वारा क्रमशः इक्विटी योगदान तथा ऋण रिलीज करने पर निर्भर करता है।
6	पांडिचेरी(संघ राज्य क्षेत्र) में होटल	पांडिचेरी औद्योगिक संवर्धन विकास और वित्तीय निगम लि०	81.00	25.73	1/2	20	40	संयुक्त उद्यम कंपनी को भूमि के अन्तरण और ऋण वित्तीय संस्थानों द्वारा रिलीज करने पर निर्भर करता है।

स्विटजरलैण्ड के साथ व्यापार में सुधार

9688. **एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विटजरलैण्ड का विचार द्विपक्षीय व्यापार में आई स्थिरता को दूर करने के लिए भारत के साथ सहयोग बढ़ाना है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के प्रतिनिधियों की इस प्रयोजन के लिये बैठक हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (ग) अप्रैल-दिसम्बर, 1986 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार कारोबार वर्ष 1985-86 के दौरान लगभग 262 करोड़ रु० से बढ़कर लगभग 378 करोड़ रु० हो गया। द्विपक्षीय आर्थिक तथा वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर भारतीय तथा स्विटजरलैण्ड के पक्षकारों के मध्य समय-समय पर परस्पर कार्यवाही की गई है जिससे दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक आदान प्रदान और साथ ही औद्योगिक सहयोग दोनों में मदद मिलती है। द्विपक्षीय व्यापार प्रवृत्तियों से गत वर्ष के दौरान उससे पिछले वर्ष के कार्य–निष्पादन की तुलना में स्पष्ट सुधार दिखाई पड़ता है।

महाराष्ट्र को कपास की दो लाख गांठें निर्यात करने के लिए मंजूरी

9689. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को कपास की 2 लाख गांठें निर्यात करने की मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सरकार ने रुई वर्ष 1986-87 के दौरान निर्यात के लिए महाराष्ट्र राज्य सहकारी रुई उत्पादक विपणन फेडरेशन को लम्बे रेशे की रुई की 1.55 लाख गांठों का कोटा रिलीज किया है। फेडरेशन ने अब तक चालू वर्ष के दौरान निर्यात के लिये 1986 87 की फसल की 45270 गाँठों के पंजीकरण के लिये आवेदन प्रस्तुत किए हैं। महासंघ ने अब तक 18,000 गांठों का लदान किया है।

भारत-पोलैंड व्यापार वार्ता

9690. **श्री जी० एस० वसवराजू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैण्ड ने भारत से और अधिक सामान खरीद करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पोलैण्ड के साथ द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करने के लिए कोई वार्ता की गई है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) 1987 के लिए वार्षिक व्यापार योजना सम्पन्न करने के लिए, दिसम्बर, 1986 में भारत-पोलैण्ड द्विपक्षीय व्यापार वार्तायें आयोजित की गई। 1987 की व्यापार योजना में लगभग 500 करोड़ रु० की दुतरफा व्यापार की व्यवस्था है जो कि 1986 की तुलना में 9·3% की वृद्धि दर दर्शाती है, तथापि, भारतीय निर्यात 16·1 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने की योजना है। पोलैण्ड को निर्यातों की आयोजित प्रमुख मदें हैं : चाय, काली मिर्च, तेल रहित खली, लौह अयस्क, कपास, सूती वस्त्र, कच्ची पटसन तथा पटसन माल, मशीनी औजार, वस्त्र मशीनरी, जेरोग्राफिक उपस्कर, इलेक्ट्रोनिक संघटक आदि। पोलैण्ड से आयात की प्रमुख मदों में शामिल हैं : रेलवे के लिये उपस्कर; खनन मशीनरी, पावर उद्योग तथा कोयला उद्योग के लिए उपस्कर, मैंटल वर्किंग मशीनी औजार, जहाज तथा जहाज के इन्जन, इस्पात उत्पाद, अलौह धातुएं, गन्धक, रासायनिक तथा भेषजीय उत्पाद, कोककर कोयला रेपसीड तेल आदि। फरवरी, 1987 के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार तथा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की संभाव्यताओं का अध्ययन करने के लिए तथा विशेष रूप से भारत से और अधिक खरीद करने के लिए एक बड़ा पोलैण्ड व्यापार मिशन भारत आया। ऐसा समझा जाता है कि इस दल ने अपनी वापसी पर पोलैण्ड सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। दल की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की प्रतीक्षा है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रुई की बिक्री में हुई हानि

9691. **श्री अजय मुशरान** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारतीय रुई निगम और पंजाब और गुजरात राज्य विपणन संघ ने अक्तूबर-नवम्बर, 1986 में रुई के घोषित निर्यात कोटा में से रुई की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री की थी;

(ख) नवम्बर, 1986 में रुई का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भाव क्या था और इन संगठनों ने रुई की किस भाव पर बिक्री की;

(ग) इन तीन संगठनों द्वारा इस अवधि के दौरान किये गये निर्यात से यदि कोई हानि हुई है तो कितनी हानि हुई और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन हानियों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा सेवा निवृत होने के बाद सरकारी आवास का रखना

9692. **श्री अजय मुशरान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत होने के बाद आठ महीने तक सरकारी आवास में रह सकता है;

(ख) क्या यह नियम रक्षा कर्मियों पर लागू होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जो रक्षा सेना कार्मिक रक्षा पूल आवास के हकदार होते हैं वे अलग क्वार्टरिंग नियमों के अन्तर्गत आते हैं रक्षा सेना कार्मिकों की सेवा शर्तों और इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि आवास सम्बन्धित मामले कहां तक पूरे कर लिये गये हैं।

भारतीय रुई निगम और महाराष्ट्र राज्य विपणन संघ को हुई हानि

9693. **श्री अजय मुश्तरान** : क्या कपड़ा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रुई निगम और महाराष्ट्र राज्य विपणन संघ द्वारा वर्ष 1985-86 के सीजन में कितना कपास खरीदा गया;

(ख) इस कपास को कब और किस मूल्य पर बेचा गया;

(ग) इसमें अगर कोई हानि हुई, तो उसके क्या कारण थे; और

(घ) भारतीय रुई निगम और महाराष्ट्र संघ को वर्ष 1985-86 में समर्थन मूल्य और अन्य खरीद कार्यों के कारण कितना नुकसान हुआ ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (घ)

(1) **रुई निगम** :

भारतीय रुई निगम ने 1985-86 रुई मौसम में न्यूनतम कीमत समर्थन कार्यों के अन्तर्गत रुई की 12·52 लाख गांठें तथा वाणिज्यिक कार्यों के अन्तर्गत 3·22 लाख गांठें खरीदी हैं। इसका अधिकांश भाग 1985-86 रुई मौसम में ही बेच दिया गया था और बाकी भाग चालू मौसम के दौरान बेच दिया गया। रुई की किस्म तथा ग्रेड के अनुसार रुई 2,150 रु० प्रति कैंडी से लेकर 15,500 रु० प्रति कैंडी तक की कीमतों पर बेची गई। निगम को अपने वाणिज्य कार्यों पर 1·90 करोड़ रुपए का तथा अपने समर्थन कीमत कार्यों में 59·96 करोड़ रु० का घाटा हुआ। ये घाटे घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में रुई की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति की वजह से हुए।

(2) **महाराष्ट्र फेडरेशन** :

महाराष्ट्र राज्य सहकारी रुई उपजकर्त्ता विपणन फैडरेशन ने 1985-86 के दौरान रुई की 29·65 लाख गांठ खरीदी। उन्होंने अक्तूबर, 1986 के अन्त तक 26 लाख गांठें तथा अप्रैल, 1987 तक 3·26 लाख और गांठें बेची। उनके पास स्टाक में लगभग 40,000 गांठें हैं। रुई की किस्म तथा ग्रेड के अनुसार रुई 2,300 रु० प्रति कैंडी से लेकर 6,300 रु० प्रति कैंडी तक की कीमतों पर बेची गई। फैडरेशन का कुल घाटे का अनुमान लगभग 300 करोड़ रु० है। इन घाटों के मुख्य कारण हैं गारन्टीशुदा कीमतों का न्यूनतम समर्थन कीमतों से 10 से लेकर 15 प्रतिशत अधिक होना तथा निम्न बाजार कीमतों में फैडरेशन को इसलिए भी घाटा हुआ क्योंकि बेमौसमी वर्षा से उनकी रुई को क्षति पहुंची उन्हें भारी ढुलाई कीमतें वहन करनी पड़ीं।

भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों की संख्या

9694. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1987 को भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी थी तथा इस समय प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारी दिए गए हैं ; और

(ख) प्रत्येक संवर्ग में वरिष्ठ तथा कनिष्ठ वेतनमानों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रबड़ की गोलियों और दंगा नियंत्रण उपकरणों का निर्माण

9695. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रबड़ की गोलियों, दंगों नियन्त्रण बन्दूकों और अन्य दंगा नियंत्रण उपकरणों के निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इन यन्त्रों का परीक्षण किया गया है;

(ग) कौन-कौन से यंत्रों का नियमित रूप से निर्माण किया जा रहा है;

(घ) इन यंत्रों को किन राज्यों को सप्लाई किया गया है; और

(ङ) क्या परीक्षण किये गये यन्त्रों का केन्द्रीय पुलिस बलों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है ।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ङ) रबड़ की गोलियां, प्लास्टिक की गोलियां तथा दंगा नियन्त्रण बन्दूकों के उत्पादन के लिए एक इन्डेन्ट सम्बन्धित एजेन्सियों को दे दिया गया है । उन्हें पुलिस शस्त्रागार में शामिल करने का निर्णय, परीक्षण और फील्ड बैंक प्राप्त करने के बाद लिया गया है । राज्य/संघ शासित क्षेत्र पुलिस बलों की आवश्यकताओं का पता लगाया गया है तथा उपलब्ध होने पर मदें उन्हें वितरित की जायेंगी । सम्बन्धित केन्द्रीय पुलिस बलों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप इनकी आपूर्ति की जाएगी ।

औषधियों का आयात

9696. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान औषधियों और इंटरमीडियेट्स का आयात बढ़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए किन उपचारात्मक उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) गत दो वर्षों के दौरान औषधियों और मध्यवर्ती पदार्थों के आयात सम्बन्धी सांख्यकीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथापि 1980-81 से 1984-85 के दौरान औषधियों तथा भेषजों के आयातों व साथ ही निर्यातों में वृद्धि का रुख रहा है।

(ख) नई औषधि नीति, औषधि और भेषज उद्योग की आत्मनिर्भरता, सुव्यवस्थीकरण, क्वालिटी नियन्त्रण तथा विकास हासिल करने के लिए घोषित की गई है। कतिपय औषधियों की अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

इमारती लकड़ी का आयात करने वालों को सहायता

9697. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इमारती लकड़ी का आयात करने वाली फर्मों की सहायता करने और सम्पूर्ण देश में इमारती लकड़ी के समुचित वितरण के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : वर्तमान नीति के अधीन इमारती लकड़ी के लट्ठों की सभी किस्मों चाहे गोल हों, आयताकार अथवा वर्गाकार हों (अगर चिरे हों तो लट्ठे का न्यूनतम आकार 8"×8"×10" होना चाहिये) के आयात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को स्टाक तथा बिक्री करने के लिये होती है। आयात की अनुमति 10% आयात शुल्क की रियायती दर पर होती है। फलस्वरूप वास्तविक प्रयोक्ता अपने स्वयं के प्रयोग के लिये इमारती लकड़ी का आयात कर सकता है अथवा स्टाकधारी से आयातित इमारती लकड़ी खरीद सकता है।

दिल्ली में पुलिस स्टेशनों की स्थापना के लिए मानदण्ड

9698. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में पुलिस स्टेशन की स्थापना करने के लिये कुछ मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्यमान मानदण्डों के अनुसार चालू वर्ष में दिल्ली में किन-किन स्थानों पर पुलिस स्टेशन स्थापित किये जाने है;

(घ) क्या दिल्ली के अधिकांश पुलिस स्टेशनों में आवासीय परिसर हैं;

(ङ) यदि हां तो 31 मार्च, 1987 को स्थिति के अनुसार ऐसे पुलिस स्टेशनों के नाम क्या हैं; और

(च) उन पुलिस स्टेशनों के नाम क्या हैं जिनमें चालू वर्ष के दौरान रिहाइशी आवास उपलब्ध कराये जायेंगे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) नये पुलिस स्टेशन को स्थापित करने के लिए स्वीकृति देते

हुए, क्षेत्र, जनसंख्या, अपराध, वाणिज्यिक गतिविधि, अस्थायी जनसंख्या, साम्प्रदायिक संवेदनशीलता, अतिविशिष्ट व्यक्तियों के निवास स्थान इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान, गीता कालोनी, मानसरोवर पार्क, भजनपुरा, मायापुरी, मालवीय नगर, कन्नावला, पश्चिम बिहार, इन्द्रपुरी, आई.पी. इस्टेट, बाराखम्बा रोड, मुखर्जी नगर, सफदरजंग एन्क्लेव और दिल्ली विश्वविद्यालय में पुलिस स्टेशन स्थापित किये जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) निम्नलिखित पुलिस स्टेशनों में पुलिस कर्मियों के लिए आवास स्थान है :—

क्रम सं०	पुलिस स्टेशन का नाम
1	2
1	शाहदरा
2	सिविल लाईन
3	अशोक विहार
4	लाहोरी गेट
5	कश्मीरी गेट
6	सदर बाजार
7	रोशनारा
8	सब्जी मण्डी
9	किंग्जवे कैंप
10	अलिपुर
11	नरेला
12	दरियागंज
13	पहाड़गंज
14	करोलबाग
15	हौजकाजी
16	पटेल नगर
17	चांदनी महल
18	राजेन्द्र नगर
19	तिलक मार्ग
20	डिफेंस कालोनी
21	दिल्ली छावनी

1	2
22	विनय नगर
23	हौज खास
24	कालकाजी
25	श्रीनिवास पुरी
26	लाजपत नगर
27	महरौली
28	नजफगढ़
29	पंजाबी बाग
30	नांगलोई
31	लोधी कालोनी
32	निजामुद्दीन
33	चाणक्यपुरी
34	तुगलक रोड
35	मंदिर मार्ग
36	ओरीजनल रोड
37	आदर्श नगर
38	मोती नगर
39	तिलक नगर
40	आर.के. पुरम
41	नारायणा
42	गांधी नगर
43	लारेंस रोड
44	जनकपुरी
45	संसद मार्ग
46	कोतवाली
47	नन्द नगरी

(च) चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित पुलिस स्टेशनों में आवास स्थान प्रदान कर लिए जाने की संभावना है :—

क्रम सं०	पुलिस स्टेशन
1	राजौरी गार्डन
2	बसन्त बिहार
3	सराय रोहिला
4	आर. के. पुरम (अतिरिक्त आवास स्थान)
5	शक्करपुर (राधेश्याम पार्क में)
6	सुल्तानपुरी
7	मंगोलपुरी
8	नांगलोई (अतिरिक्त आवास स्थान)
9	गांधी नगर
10	विवेक बिहार
11	पहाड़ गंज (अतिरिक्त आवास स्थान)

[हिन्दी]

गुजरात में पर्यटन स्थलों का विकास

9699. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :**
श्री यू० एच० पटेल : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 में गुजरात में पर्यटकों के आकर्षण के स्थानों के विकास के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है, इन स्थानों के नाम क्या हैं और प्रत्येक के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ;

(ख) 1984–85, 1985–86 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई थी और स्थल वार कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ और विभिन्न अन्य स्थानों में गर्म पानी के चश्मों के विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) (क) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय निधियों का आबंटन राज्य–वार नहीं करता बल्कि स्कीम–वार करता है।

(ख) 1984–85 एवं 1985–86 के दौरान आबंटित राशि तथा स्थानवार किया गया खर्च इस प्रकार है :

(लाख रुपये में)

	स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि (अद्यतन)
	1984–85 के दौरान		
1.	एन्जल वन्य गर्दभ अभ्यारण्य में 8 कूबा हट्स	19.05	17.00
	1985—86 के दौरान		
1.	डकोर में यात्री का निवास	41.22	5.00
2.	अहमदपुर मांडवी समुद्रतट पर हवेली कुटीरें	21.02	10.00
3.	बेत द्वारका में कैफेटेरिया	6.28	2.00
4.	लिम्बड़ी में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	6.46	5.50
5.	सोमनाथ में कैफेटेरिया	5.00	4.50
6.	वलसाड जिले में 25 समुद्रतट कुटीरें	30.17	5.00
	जोड़	110.15	32.00

(ग) राज्य सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भिजवाया है।

[अनुवाद]

दक्षिण भारत के सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी में दक्षता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन देना

9700. **श्री वी एस विजयराघवन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दी में दक्षता प्राप्त करने वाले दक्षिण भारत के सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं रखने वाले दक्षिण भारत सहित समस्त कर्मचारियों को इनकी सेवा के कार्यकाल में हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्यालय के समय में निशुल्क प्रशिक्षण की सुविधाएं एवं निर्दिष्ट परीक्षाएं पास करने पर निम्नलिखित पुरुस्कार दिए जाते हैं :–

(1) **वैयक्तिक वेतन** :– अपने लिए निर्धारित अन्तिम हिन्दी परीक्षा पास करने पर 12 महीने के लिए एक वेतन वृद्धि वैयक्तिक वेतन के रूप में दी जाती है।

(2) **नकद पुरस्कार** : – यदि संबन्धित कर्मचारी हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित परीक्षाओं में 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, तो उन्हें वैयक्तिक वेतन के अतिरिक्त नकद पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

(3) **एक मुश्त पुरस्कार** : — ऐसे कर्मचारी जो ऐसे स्थानों पर नियुक्त हैं, जहां हिंदी शिक्षण योजना का कोई केन्द्र नहीं हैं अथवा उनकी ड्यूटी इस प्रकार की है कि वे हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो उनके द्वारा निजी प्रयत्नों से हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने पर वैयक्तिक वेतन के अतिरिक्त एक मुश्त पुरस्कार भी दिया जाता है ।

केन्द्रीय सरकारी सेवा में भर्ती होने से पूर्व अथवा सेवाकाल में हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त योग्यता वृद्धि के लिए कोई प्रोत्साहन पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं ।

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारत को उपकरण और प्रौद्योगिकी का अन्तरण

9701 : **डा० बी० एल० शेवेश** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने घोषणा की है कि वह राकेट प्रणाली और उसकी उत्पादन सुविधाओं से सम्बन्धित उपकरणों और प्रौद्योगिकी का अन्तरण नहीं करेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसका भारत द्वारा मिसाइलों और उच्च प्रौद्योगिकी वाली अन्य विभिन्न वस्तुओं का देश में विकास करने की योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) भारत का इस स्थिति से किस प्रकार निपटने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) 16 अप्रैल, 1987 से सात देशों ने ऐसे उपस्करों, प्रौद्योगिकियों, उपकरणों आदि पर निर्यात नियंत्रण की समन्वित व्यवस्था की घोषणा की है जिनसे 300 कि० मी० से अधिक रेंज तक फेंके जाने वाले कम से कम 500 कि०ग्रा० भार के मिजाइलों का निर्माण किया जा सकता है । ये देश हैं – अमेरिका ब्रिटेन, जापान, इटली, संघीय जर्मन गणराज्य, कनाडा तथा फ्रांस । अमेरिका कुछ समय से लगभग इसी व्यवस्था के अनुसार नियंत्रण कार्यान्वित कर रहा है ।

(ख) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के अन्तर्गत कई वर्षों से कई स्वदेशी प्रयोगशालाएं और सुविधाएं स्थापित की गई हैं ।

(ग) इस स्तर पर प्रश्न के इस भाग पर कुछ कहना असामयिक होगा । रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन इन सात देशों द्वारा घोषित नयी निर्यात नियन्त्रण व्यवस्था का विश्लेषण कर रहा है । कई वर्षों से स्वदेशीकरण पर जो बल दिया जा रहा है और इसमें जो सफलता मिली है उससे संभावना है कि हमारे कार्यक्रम पर इन नए नियंत्रणों से कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में काम करने वाले कर्मचारी

9702. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाई जा रही यूनिटों में प्रबन्धकीय और श्रमिकों के रूप में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) इन कर्मचारियों को किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 31-12-86 की स्थिति के अनुसार एन. टी. सी. के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत तथा प्रबन्धित मिलों में नामावली (प्रबन्धकीय तथा कामगारों) की कुल संख्या लगभग 225 लाख थी ।

(ख) एन. टी. सी. के कर्मचारियों को नियमों के अनुसार विभिन्न सुविधाएं ग्राह्य हैं जिनमें चिकित्सा सहायता, भविष्य निधि, क्रेच, कैन्टीन शामिल हैं ।

लंदन स्टार डायमंड कम्पनी की स्थिति

9703. **श्री शांति धारीवाल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स लंदन स्टार डायमन्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड खनिज तथा धातु व्यापार निगम की सहायक है ;

(ख) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम हीरा तराशने के कारखाने की स्थापना करने के लिए मैसर्स लंदन स्टार डायमन्ड कम्पनी को भूमि देने और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गुजरात सरकार से अनुरोध करता रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत और जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के बीच व्यापार समझौता

9704. **श्री एस०एम०गुरुडी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जर्मन लोक तंत्रात्मक गणराज्य के बीच 1987 के लिए हुए व्यापार समझौते में कई नई कई वस्तुओं को शामिल किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो 198 के नये व्यापार समझौते मे कौन सी नई वस्तुएं शामिल की गई हैं ;

(ग) 1986 की तुलना में 1987 में इन दोनों देशों के मध्य व्यापार में कितनी वृद्धि होगी ; और

(घ) जर्मन लोक तंत्रात्मक गणराज्य ने भारत के संबन्ध मे कौन-कौन सी शर्तें लगाई हैं और सरकार न उन्हें किस सीमा तक स्वीकार किया है ।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) जी हां । जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य से आयातों की सूची में जोड़ी गई नई मदें हैं :- सल्फेट आफ पोटाश, फूड प्रोसैसिंग तथा पैकेजिंग मशीनरी, रेल-माउंटिड क्रेनें एवं हाइड्रालिक मशीनरी तथा संघटक । जर्मन लोक तंत्रीय गणराज्य को निर्यातों की सूची में शामिल कई मदें हैं : कपास, मारुति कारें, फोटोकापी-इंग मशीनें, कन्वेयर तथा कन्वेयर बेल्ट सिस्टम, माइका पेपर, माईका टेप तथा माइकानाइट, कम्प्यूटर तथा इलैक्ट्रीकल एवं घरेलू उपकरण ।

(ग) भारत तथा जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के बीच 1987 के लिए व्यापार योजना में 490 करोड़ रु० के दो तरफा व्यापार कारोबार की व्यवस्था है, जो वर्ष 1986 के व्यापार योजना प्रावधानों की अपेक्षा लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाती है।

(घ) प्रत्येक देश में लागू विदेशी मुद्रा तथा विदेश व्यापार नियमों एवं विनियमों के अधीन, आयातक तथा निर्यातक कीमतों, किस्म, डिलीवरी की शर्तों आदि जैसी सामान्य वाणिज्यक बातों के अनुसार सविदाएं करने के लिए स्वतन्त्र हैं तथा एक देश द्वारा दूसरे देश पर शर्तें लगाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

फ्रांस को निर्यात की जाने वाली मदों का निर्धारण

9705. **श्री एस० एम० गुरड्डी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय और फ्रांसीसी व्यापारियों ने जो दिसम्बर, 1986 में यहां आये थे, फ्रांस को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का निर्धारण कर लिया है;

(ख) क्या दोनों देशों का व्यापार संतुलन को कम करने का विचार है;

(ग) क्या इस बारे में कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रन्जन दास मुन्शी) : (क) भारत-फ्रांस संयुक्त व्यापार परिषद की दिसम्बर, 1986 में दिल्ली में हुई पांचवी बैठक में भारतीय पक्ष ने फ्रांस को निर्यात करने के लिए कुछ मदों को अभिज्ञात किया।

(ख) से (घ) संयुक्त व्यापार परिषद में हुए विचार-विमर्श में तथा साथ ही दोनों देशों के बीच अधिकारी स्तर पर हुए, विचार-विमर्श के दौरान भारत ने फ्रांस की तुलना में भारत के व्यापार घाटे के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है तथा फ्रांस के बाजार में भारतीय निर्यातों के लिए बेहतर प्रवेश की मांग की है। फ्रांस को भारतीय निर्यातों के लिए अन्य सवर्धनात्मक उपायों की भी कोशिश की गई है। फ्रांस के अधिकारियों तथा व्यापारियों को इस प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन के बारे में हमारी चिन्ता की जानकारी है तथा वे मोटे तौर पर इस बात से सहमत हो गए हैं कि भारत से फ्रांस की खरीदारियों को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

सीमेंट और उर्वरक कारखानों में पटसन के बोरों का आवश्यक उपयोग

9706. **श्री कुंवर राम :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन के बोरों के आवश्यक रूप से उपयोग करने के लिये सीमेंट और उर्वरक उद्योगों को कोई मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में फ्लैट टेप मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

विवरण

मुख्य रूप से संश्लिष्ट स्थानापन्न वस्तुओं से कड़ी प्रतियोगिता के कारण पटसन उद्योग हाल के वर्षों में गम्भीर संकट की स्थिति में से गुजरता रहा है। पटसन उपजकर्त्ताओं तथा पटसन मिल कामगरों के हितों की रक्षा करने के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि एक कानून के जरिए कतिपय वस्तुओं के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य प्रयोग का उल्लेख करके पटसन उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए। देश के भीतर इस प्रकृति को रोकने तथा पटसन एवं संश्लिष्ट पैकेजिंग दोनों क्षेत्रों के लिए सन्तुलित विकास हासिल करने की दृष्टि से एक कानून बनाया गया है। कानून समर्थकारी स्वरूप का है, जिसके अन्तर्गत सरकार समय-समय पर ऐसे आदेश निकालेगी जिनमें कतिपय वस्तुओं अथवा वस्तुओं की श्रेणियों अथवा उनकी प्रतिशतताओं का उल्लेख किया जाएगा, जिनको वस्तुओं के वितरण अथवा सप्लाई के लिए पैकेजिंग में पटसन सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। कानून को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के वेतनमानों में समानता

9707. **एच० ए० डोरा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उनके वेतन और दर्जे के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ समानता की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में इस मामले में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) चतुर्थ वेतन आयोग सिफारिश किए गए वेतनमानों को सरकार ने, कुछ असमानताओं को हटाने की आवश्यकता और प्रासंगिकता को बनाये रखने के कारण कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है। भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों से सम्बन्धित एसोसिएशनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ समानता मांगी गयी है। सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

केन्द्र में पुलिस सेवा प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी

9708. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुलिस सेवा के राज्य संवर्ग के 1954 के बैच के कितने अधिकारी वर्ष 1965 से केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों के मामलों की सरकार द्वारा पिछली बार कब पुनरीक्षा की गई थी; और

(ग) वर्ष 1954 के बैच के अधिकारी किन परिस्थितियों में वर्ष 1965 से अपनी वर्तमान नियुक्तियों पर है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) दो ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) दो अधिकारियों में से केवल एक अधिकारी अपनी वर्तमान नियुक्ति पर 1965 से काम कर रहा है । उसने स्थायी रूप से मंत्री मंडल सचिवालय में स्थानान्तरित किए जाने का दूसरा विकल्प व्यक्त किया था । दूसरा अधिकारी आसूचना ब्यूरो का अपरिहार्य अधिकारी था । किन्तु, उसे भारत सरकार में सचिव ग्रेड में नियुक्त किया गया है और भारतीय पुलिस सेवा कार्यकाल के नियम उस पर लागू नहीं होते हैं ।

लौह-अयस्क की सप्लाई के लिए दक्षिण कोरिया के साथ समझौता

9709. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क की सप्लाई के बारे में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है;

(ख) क्या वर्ष 1936-87 में दक्षिण कोरिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे और उस समझौते को पूरी तरह से कार्यान्वित किया गया था;

(ग) भारत के लिए वर्ष 1987-88 के लिये किया गया समझौता 1986-87 के समझौते की तुलना में कितना लाभप्रद है; और

(घ) दक्षिण कोरिया को किन शर्तों पर लौह-अयस्क की सप्लाई की जाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) एम. एम. टी. सी. ने 1987-88 के दौरान लौह अयस्क की सप्लाई के संबंध में दक्षिण कोरिया की पोहांग आयरन तथा स्टील कम्पनी के साथ एक करार किया है ।

(ख) एम. एम. टी. सी. ने 1986-87 के दौरान 2.5 मिलियन मे० टन लौह अयस्क के निर्यात के लिए संविदा हस्ताक्षर किए जिसके मुकाबले वास्तव में 2.3 मिलियन टन का निर्यात किया गया ।

(घ) एम. एम. टी. सी. 1987-88 के दौरान 0.25 मिलियन मे० टन की अतिरिक्त बिक्री की संभाव्यता के साथ 3 मिलियन मे० टन का निर्यात आर्डर प्राप्त करने में समर्थ रहा जोकि 1987-88 से अधिक है ।

(च) गत वर्ष की तुलना में 1987-88 में दक्षिण कोरिया को सप्लाई किए जाने वाले लौह अयस्क के लिए शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

---

12 00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । किसी को भी मेरी अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : किसी को भी मेरी अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)*

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, आपके द्वारा ग्राह्यता के बारे में एक निवेदन है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सारे क्यों खड़े हैं ? वन-बाई-वन ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : मैं एक ऐसे विषय को उठाने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं जिसे आप ग्रहीत कर चुके हैं;

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी (अदिलाबाद) : महोदय, जिस प्रस्ताव को आप गृहीत कर चुके हैं उसके बारे में हमने एक स्थायी प्रस्ताव की सूचनायें भी दी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उसे ही मैंने गृहीत किया है ।

श्री सी० माधव रेड्डी : उस पर चर्चा करेंगे ? (व्यवधान)

श्री अयूब खां (डायमण्ड हार्बर) : यदि हम इस पर इस सत्र में चर्चा करने जा रहे हैं तब मैं इसे नहीं उठाऊंगा····

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त तथा माधव जी, यदि आपने नियम पुस्तक पढ़ी होगी देखा होगा कि इसे गृहीत करना मेरा कार्य है, अब कार्यमन्त्रणा समिति ने निर्णय लेना है तथा हम इसे उनके सामने रख देगें। कोई समस्या नहीं है।

श्री अमल दत्त : कार्यमन्त्रणा समिति की बैठक तब तक नहीं होगी जब तक आप इसे नहीं बुलाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : हम इसकी बैठक बुलाएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना कार्य कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : संसदीय कार्य मन्त्री जी की क्या प्रतिक्रिया है ? **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : कार्यमन्त्रणा समिति भी आपकी ही समिति है, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी बैठक बुलाऊंगा, महोदय मैं इसकी बैठक सदैव बुलाता हूं।

श्री अमल दत्त : क्या आप इसे आज बुलाएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : नही, प्रश्न ही नहीं उठता।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आज का बुलेटिन कहता है कि नियम 189 के अन्तर्गत आपने संविधान के अनुच्छेद 78 के बारे में मेरा **स्थायी प्रस्ताव** गृहीत कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे कर दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : हम आपके आभारी हैं कि आप अपने वचन पर अडिग रहे।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने वचन से कभी भी पीछे नहीं हटता।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, कृपया मेरी बात सुनिये। संविधान विशेषज्ञों के बीच विवाद . . .**(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : अब कोई चर्चा नहीं। कोई समस्या नहीं है। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे कर दिया है, कोई प्रश्न नहीं है। कोई समस्या नहीं है।

(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं यह मान लेता हूं कि आपके निर्णय का अर्थ है कि अगले सत्र तक इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जा सकती।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नही किया गया।

अध्यक्ष महोदय : क्यों ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह कैसे की जा सकती है ? केवल एक ही दिन बचा है।

अध्यक्ष महोदय : इससे क्या फर्क पड़ता है ?

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसे बुलेटिन में शामिल करने का क्या फायदा है। **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : हम सभी ने जांच आयोग के निदेश पदों के विस्तार की आवश्यकता के बारे में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

अध्यक्ष महोदय : क्या उसके लिए प्रस्ताव हो सकते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सरकार के लिए है। नहीं, अनुमति नहीं है। कर्नल मुशरान।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : महोदय, पंजाब की स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ती जा रही है ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मुशरान को बोलने की अनुमति दे दी है।

श्री अजय मुशरान : गृह मन्त्री को वक्तव्य देना चाहिए ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना कार्य कर दिया है। इधर देखिए। अनावश्यक मेरे ऊपर दबाव डालने का प्रयास न कीजिए। मैं जो करता हूं वह सिद्धांत पर करता हूं तथा इसे नियमानुसार करता हूं और जो भी मैंने उचित समझा वह मैंने कर दिया। प्रक्रिया के अनुसार जो होगा वही होगा तथा इसमें जो भी समय लगेगा वह लगेगा। मैं कार्यमन्त्रणा समिति की बैठक बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं मेरे ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : जांच अधिनियम आयोग के अन्तर्गत मैंने एक संकल्प की सूचना दी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने कर्नल मुशरान को बोलने का अवसर दिया है। हां, मुशरान जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना कार्य कर दिया है, प्रो० आप यह जानते हैं। अब अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमेशा आएगा । अभी कोई बात खत्म नहीं हुई है ।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : महोदय, आज पंजाब की स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है और आपके माध्यम से मैं केवल यह अनुरोध करने का प्रयास कर रहा हूं कि माननीय गृह मंत्री वक्तव्य दें। हम यह जानना चाहेंगे कि क्या कार्यवाही की · · · ·

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दें, मैं होम मिनिस्टर साहब को लिखता हूं ।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : एक विवाद है तथा श्री बलवन्त सिंह दिल्ली में कुछ बोलते हैं और बाहर कुछ · · · (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे देना है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामूवालिया ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री रामूवालिया को बोलने का अवसर दिया है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : अमृतसर में दिल्ली के धार्मिक नेता ने वहां के धार्मिक नेता से बात की है । क्या उस बात चीत के लिए दिल्ली सरकार की कान्फिडेंस हासिल है ?

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर मुझे दें ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं ।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : आल पार्टीज रैली में एक माहौल बना था, वह माहौल खराब तो नहीं हो जाएगा । तीसरी बात बहुत जरूरी है और वह यह है ।

[अनुवाद]

क्या यह आतंकवाद तथा उग्रवाद के विरुद्ध लड़ाई का एक हिस्सा है।

[हिन्दी]

क्या उसका यह पार्ट है, जो बातचीत हो रही है और क्या उसको मंजूरी हासिल है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस सत्र के दौरान हमने पंजाब के विषय में कोई चर्चा नहीं की।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कह रहे हैं हमें करनी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें कम से कम इन प्रश्नों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय वहां बैठे हैं, वे सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, आपने श्रीलंका के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल भी कहा था।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये। मुझे कोई कठिनाई नहीं है। यदि पूरा सदन सहमत हो, तो फिर मै सोचूंगा।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : हम इस पर नियम 193 के अधीन चर्चा कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार की ओर से तत्कालिक प्रतिक्रिया होनी चाहिये (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, आप बेकार दखल दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : हमारे होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे आपके सामने बैठे हैं। सुन लिया है उन्होंने।

[अनुवाद]

मैं श्री कुलनदईवेलू की बात कर रहा हूं।

यदि आप सभा की स्वीकृति मांगें–ऐसा कई बार हुआ है– मुझे उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। यदि आपके पास समय है, यदि आप सब साथ आते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आपने जानकारी प्रकट करने के बारे में आज हर्शमान का वक्तव्य देखा है ? उन्हें वक्तव्य देने के लिए कहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री आजाद को बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री आजाद को अनुमति दी है। मैं श्री आजाद को पहचानता हूं।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री हर्शमान के अत्यधिक भद्दे, अपमानजनक और अवमाननापूर्ण वक्तव्य की ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने एक वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने इस देश की न्यायपालिका के बारे में अत्यधिक भद्दी टिप्पणियां की हैं....

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कुछ बताइए तो।

(व्यवधान)

श्री शांता राम नायक : यह बड़ी अजीब बात है कि स्टेट्समेन ने इसे प्रकाशित किया। हर्शमान ने इस देश की न्यायपालिका पर आक्रमण किया है।**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शांत रहिए, शांत रहिए। अब बैठ जाइये।

श्री भगवत झा आजाद : आप कृपया सिर्फ दो मिनट के लिए मेरी बात सुनिये **(व्यवधान)**

12.06 म०प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम तथा राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987, जो 30 मार्च, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या स. का. नि. 343 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल. टी. 4396/87]

(2) राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 की धारा 137 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का. आ. 399 (अ), जो 21 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षक दल के सदस्यों को आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) नियम, 1986 के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों/सीमा-शुल्क अधिकारियों की कतिपय शक्तियां प्रदान की गई हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 4397/87]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : कोई भारतीय समाचार पत्र इसे कैसे प्रकाशित कर सकता है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। मैंने अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

अब क्यों शोर कर रहे हैं ?

(**व्यवधान**)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप हर समय अनोखा बनने का प्रयास क्यों करते हैं ?

[हिन्दी]

ऐसा करने से क्या आपको फायदा पहुंच रहा है ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई फायदा नहीं है।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार का व्यवहार करने की कोई तुक नहीं है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे देख लिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं श्री आजाद का समर्थन करता हूं

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। परन्तु इसे उचित ढंग से किया जाना है। श्री आजाद ने तथ्य प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने ये मुझे दिये हैं....

श्री भागवत झा आजाद : कृपया मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। यह पूरे देश के लिये बहुत अपमानजनक है।

(व्यवधान)

मुझे दो मिनट का समय दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मैं आपको किस नियम के अन्तर्गत समय दूंगा ?

[हिन्दी]

आप 377 में दे दीजिये, मैं कर दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भागवत झा आजाद : मैं अब एक भाग पढ़ना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह कैसे करेंगे ? अगर सारे चाहते हैं....

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : पूरा सदन श्री आजाद के साथ है। आप उन्हें अनुमति क्यों नहीं देते ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं केवल एक पंक्ति उद्धृत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल, मुझे एक मिनट का समय दीजिये। मैंने एक मिनट के लिए कहा है।

[हिन्दी]

अब आप बैठ जाइये। अगर आप बैठ जाएं तो सारा कुछ हो जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर सारा हाउस कहता है तो मैं आजाद साहब को इजाजत दे देता हूं।

एक माननीय सदस्य : दे दीजिये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपको हमें भी अनुमति देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सशर्त नहीं चाहता। मैं शर्तों के सामने कभी नहीं झुकता।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, आपको हमें भी अनुमति देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई शर्त नहीं चाहता। कोई शर्त नहीं हो। कोई शर्त स्वीकार्य नहीं है। यह कितनी साधारण सी बात है।

श्री भागवत झा आजाद : महोदय, मेरा यह कहना है कि हर्शमान के इस वक्तव्य ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार गरिमा, मर्यादा के सभी मानदण्डों और राष्ट्रों के बीच के सभी प्रकार के शिष्टाचारों का उल्लघंन किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इसका पता लगाएं कि वह ये बातें क्यों कह रहा है।

श्री भागवत झा आजाद : मैं आपको बताऊंगा कि उसने क्या कहा है :

वह कहता है मेरे पास "अपनी फाइलों में जानकारी है।" इसका मैं बुरा नहीं मानता। उसे जानकारी देने दीजिये। उसे केवल यह धमकी ही नहीं देनी चाहिये कि उसके पास जानकारी है। (व्यवधान)

इसके बाद वह यह कहता है,

"....जब तक मुझे यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी द्वारा गठित ठक्कर आयोग ईमानदारी और निष्ठक्षता से कार्य करेगा ..."

वह इस बात का पूर्वानुमान करके न्यायपालिका का अपमान कर रहा है कि हो सकता है कि आयोग सच्चाई को प्रकट न करे। उसने धमकी दी है। अतः, उसने हमारी न्यायपालिका का अपमान किया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : नहीं, नहीं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री भागवत झा आजाद : मुझसे उनका दृष्टिकोण बताने की उम्मीद नहीं की जाती है और उनसे मेरे दृष्टिकोण के बारे में बोलने की उम्मीद नहीं की जाती है। मैं अगली पंक्ति उद्धृत कर रहा हूं जो अत्यधिक हानिकारक है।

वह कहता है : "मैं बिना सवाल-जवाब किये धोखा और झूठ को भारतीय जनता पर थोपने नहीं दूंगा।"

भारतीय जनता के बारे में बोलने वाला यह मामूली सा व्यक्ति कौन होता है ? यह पूरे देश के लिए अपमानजनक है। उसने न्यायपालिका का अपमान किया है। उसने इस देश की जनता का अपमान किया है। उसने देश के कानूनों का अपमान किया है। मैं उनके वक्तव्य का कुछ और भाग भी उद्धृत कर सकता हूं परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार वह भारतीय जनता और न्याय-पालिका के विरुद्ध बोला है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे मोशन दे दीजिए।

[अनुवाद]

मैं इस पर चर्चा करवाऊंगा।

श्री भागवत झा आजाद : और अन्त में, वह कितनी अद्भुत बात कहता है। वह कहता है कि हम भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के अधीन एक आयोग नियुक्त करें। यह अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने वाली बात है। श्री हर्शमान की श्री वी० पी० सिंह से कैसी कमाल की मित्रता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांत रहिए। शांत रहिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमें भी इस पर बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। (व्यवधान)।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ? आप काम करने देंगे या नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जयपाल रेड्डी जी काबू में नहीं आते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भागवत झा आजाद : मैं अपने अन्तिम वाक्य के साथ भाषण समाप्त करता हूं। यह कोई व्यक्ति नहीं है। यह कोई एजेंसी नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दो महाराज।

[अनुवाद]

श्री भागवत झा आजाद : यह कोई व्यक्ति नहीं है। यह कोई एजेंसी नहीं है परन्तु इसके साथ बड़े से बड़ा सी. आई. ए. के. एजेंट हैं हमारे देश को अस्थिर करने का विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कुछ लिखकर मुझे दे देंगे ? आप मुझे कुछ लिखकर दे देना।

[अनुवाद]

श्री भागवत झा आजाद : आपको इसका ध्यान रखना चाहिये। हमारा यह संदेह सच निकला है कि इस एजेंसी की जांच-पड़ताल किए बिना नियुक्त की गई। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ? क्यों बीच में अड़ंगा डाल रहे हैं ?

[अनुवाद]

मैं दूसरे माननीय सदस्य से बोल रहा हूं। मेरी बात में व्यवधान मत डालिए।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आजाद जी, आपसे मैं कर रहा हूं कि आप कोई चीज मुझे लिखकर दें जिससे मैं डिसकशन करा सकूं।

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक : एक भारतीय समाचार पत्र ने इसे कैसे प्रकाशित कर दिया है ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त को बोलने की अनुमति दी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री आजाद ने अपने वक्तव्य में जो चिंता व्यक्त की है हम सभी उसके साथ हैं। इसकी निश्चित रूप से जांच की जानी चाहिए। जांच आयोग की शर्तों में व्यापकता लाने की बात को स्वीकार करके इस कार्य को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार ऐसा करती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : आपने इस प्रस्ताव को असंगत घोषित कर दिया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं। मैं सरकार को भी मना नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

न मैं आपको बार कर रहा हूं और न गवर्नमेंट को बार कर रहा हूं।

[अनुवाद]

यह अब उन पर निर्भर करता है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत इस बात की व्यवस्था है कि सभा किसी भी संकल्प को पारित करे। (व्यवधान) मैंने अधिनियम के अन्तर्गत एक संकल्प दिया है।

श्री शांता राम नायक : उस समाचार पत्र ने भारत के राष्ट्रीय हित के विरुद्ध एक विदेशी के वक्तव्य को प्रकाशित किया है। प्रश्न यही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें उस संकल्प को पेश करने की अनुमति दीजिए। क्या यह असंगत है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दीजिए। अगर गवर्नमेंट करना चाह तो कर देगी मुझे कोई एतराज नहीं है।

[अनुवाद]

यह सरकार पर निर्भर करता है। मैं सरकार पर कोई रोक नहीं लगा रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो बोल दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर अमल दत्ता, मैं सारी रात रोया और क्या कह रहा हूं। मैं देख लूंगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र [-जारी]

[अनुवाद]

भारत के राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा

कृषि मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) (एक) भारत का राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली, के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारत का राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली, के वर्ष 1985-86 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारत का राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4398/87]

भारतीय नमक सेवा नियम

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत जारी किये गये भारतीय नमक सेवा नियम, 1987 जो 28 मार्च, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 220 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 4399/87]

कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : मैं कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन नियम, 1987, जो 14 फरवरी, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या स० का० नि० 101 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4400/87]

इण्डियन एयर लाइंस के वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ —

(1) (एक) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उप धारा (2) के अंतर्गत इन्डियन एयर लाइन्स के वर्ष 1985–86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इन्डियन एयर लाइन्स के वर्ष 1985–86 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इन्डियन एयर लाइन्स के वर्ष 1985–86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4401/87]

सेंट्रल बोर्ड फार वर्कर्स एजूकेशन के वर्ष 1985–86 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं –

(1) (एक) सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एज्यूकेशन के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एज्यूकेशन के वर्ष 1985–86 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सैंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एज्यूकेशन के वर्ष 1985–86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4402/87]

महापत्तन न्यास अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना तथा शिपिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड तथा मुगल लाइन लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदनों आदि को सभा पटल पर रखने में हुई देरी के कारणों के बारे में विवरण

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 360 (अ), जो 1 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (आवास का आवटन) संशोधन विनियम, 1987 अनुमोदित किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सँख्या एल० टी० 4403/87]

(2) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा मुगल लाइन लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखा-परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 4404/87]

भारतीय कपास निगम सीमित बम्बई के वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय कपास निगम सीमित, बम्बई के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) भारतीय कपास निगम सीमित, बम्बई का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 4405/87]

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, आज की कार्यसूची के क्रम के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप पहले ही अनुच्छेद 78 के बारे में एक स्थायी प्रस्ताव स्वीकार कर चुके हैं क्योंकि वर्तमान सत्र का केवल एक दिन बचा है इसलिए मैं अपने प्रस्ताव के बारे में जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्य मंत्रणा समिति का विषय है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय को हमें बताना चाहिए कि क्या इस प्रस्ताव पर इस सत्र में विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । आपके व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार किया जाता है । कुछ भी रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, किस बात को अस्वीकार किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : आपके व्यवस्था के प्रश्न को ।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और उस पर चर्चा की अनुमति नहीं देते हैं तो इसका क्या फायदा ?

अध्यक्ष महोदय : स्वीकार करने का अर्थ है उस पर अनिवार्य रूप से चर्चा करना । किसी प्रस्ताव को स्वीकार किए बिना, आप उस पर चर्चा नहीं कर सकते । चर्चा तभी होगी जब कार्य मंत्रणा समिति उसके लिए समय और तिथि नियत करेगी ।

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

प्रो० मधु दण्डवते : मन्त्री महोदय तो हमें बता ही सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उनका इससे कोई संबंध नहीं है । इस कार्य को हम करेंगे ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे, टाइम होगा तब करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : टाइम होगा, तब करेंगे ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चौधरी जी, मैंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, श्री माधव रेड्डी आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कोई अनुरोध नहीं ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : किसी भी ठोस प्रस्ताव को स्वीकार करने के पश्चात यदि आप हमें चर्चा करने की अनुमति नहीं देते हैं तो हम सभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे । हम सभा का बहिष्कार कर रहे हैं ।

[तत्पश्चात् प्रो० मधु दण्डवते और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये ।]

सभा पटल पर रखे गये पत्र [-जारी]

[अनुवाद]

राजभाषा संबंधी संसदीय समिति का प्रतिवेदन-भाग-(एक)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : महोदय, मैं राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राजभाषा सम्बन्धी संसदीय समिति के प्रतिवेदन-भाग I की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 4406/87]

दिल्ली विकास प्राधिकरण में फ्लैटों/प्लाटों के आवंटन के लिए संयुक्त पंजीकरण के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 5663 के 6 अप्रैल 1987 को दिये गय उत्तर में शुद्धि तथा उसमें हुए विलम्ब के बारे में विवरण

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : महोदय, मैं (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण में फ्लैटों/प्लाटों के आवंटन के लिए संयुक्त पंजीकरण के बारे में श्री संतोष कुमार सिंह

और डा० जी० एस० राजहंस द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 5663 के 6 अप्रैल, 1987 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

विवरण

उपर्युक्त प्रश्न में दिया गया उत्तर उक्त तिथि की स्थिति के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना पर आधारित था। तदनन्तर, इस मंत्रालय के यह ध्यान में आया है कि प्रश्न के भाग (ग) में दिया गया उत्तर वास्तविक रूप से सही नहीं है।

भाग (ग) का सही उत्तर यह होना चाहिए - "जबकि पति और पत्नी के नाम में संयुक्त पंजीकरण सभी भावी मामलों में अनिवार्य कर दिया गया है, फिर भी यह पुराने मामलों में ऐच्छिक है।

यह विवरण दिनांक 6-4-1987 को प्रश्न का उत्तर देने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर सभा पटल पर नहीं रखा जा सका क्योंकि रिकार्ड की जांच करने और इसके समन्वय में समय लग गया था।

असुविधा के लिए खेद है।

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय मैं श्री गुलाम नबी आजाद, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री की ओर से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 395(अ), जो 16 अप्रैल 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा 1 अप्रैल 1987 की अधिसूचना संख्या का० आ० 278 (अ), में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4408/87]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1987, जो 1 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 448(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4409/87]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 416 (अ), जो 28 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 1 नवम्बर, 1983 की अधिसूचना संख्या 295 सी. शु. की वैधता की अवधि 30 अप्रैल, 1988 तक बढ़ाई गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4410/87]

(दो) सा०का०नि० 423(अ) से 433(अ) तक, जो 29 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो वित्त विधेयक, 1987 को विचारार्थ पेश करते समय 29 अप्रैल, 1987 को लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा घोषित सीमा-शुल्कों में परिवर्तनों से संबंधित प्रस्तावों के संदर्भ में जारी किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4411/87]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 435 (अ) से 443(अ) तक; जो 29 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो वित्त विधेयक, 1987 को विचारार्थ पेश करते समय 29 अप्रैल, 1987 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा घोषित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों से सम्बन्धित प्रस्तावों के संदर्भ में जारी की गई है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4412/87]

(4) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) संशोधन नियम, 1987, जो 11 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 251 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4413/87]

(5) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1985-86 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां—खण्ड 1 – अप्रत्यक्ष कर और खण्ड 2– प्रत्यक्ष कर।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4414/87]

(दो) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 1985-86 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवायें)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4415/87]

(तीन) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 1985-86 का प्रतिवेदन–संघ सरकार (डाक तथा दूरसंचार)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4416/87]

(चार) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1985-86 का प्रतिवेदन–संघ सरकार (रेल)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4417/87]

(6) रक्षा सेवाओं के वर्ष 1985-86 के विनियोग लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4418/87]

(7) 'वर्ष 1985-86 के संघ सरकार विनियोग लेखे (डाक सेवायें), की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4419/87]

(8) 'वर्ष 1985-86 के संघ सरकार विनियोग लेखे (दूरसंचार)' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4420/87]

(9) 'वर्ष 1985-86 के विनियोग लेखे, रेल, भाग 1–समीक्षा' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4421/87]

(10) 'वर्ष 1985-86 के विनियोग लेखे, रेल भाग 2–विस्तृत विनियोग लेखे' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4422/87]

(11) 'वर्ष 1985-86 के अवरुद्ध खाते (ऋण खातों वाले पूंजी विवरणों सहित) तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि लेखे, रेल' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4423/87]

(12) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1985-86 के प्रतिवेदन–संघ सरकार (सिविल)–खंड 1 से 3 तक की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4424/87]

(13) 'वर्ष 1985-86 के संघ सरकार विनियोग लेखे (सिविल)' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4425/87]

(14) 'वर्ष 1985-86 के संघ सरकार वित्त लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4426/87]

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसकी समीक्षा आदि–

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखूंगे :–

(एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 4427/87]

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 1985-86 के वार्षिक लेखा और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और उन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के बारे में एक विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं–

(1) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 1985-86 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 4428/87]

1986 में दहेज के कारण हुई मौतों के संबंध में अतारांकित प्रश्न सं० 531 के 27 फरवरी, 1987 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करना तथा उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के संबंध में विवरण

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : महोदय, श्री पी० चिदम्बरम, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री की ओर से मैं (1) 1986 में दहेज के कारण हुई मौतों के संबंध में श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं. 531 के 27 फरवरी, 1987 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने तथा (2) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

विवरण

दिनांक 27-2-1987 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 531 के उत्तर में संलग्न विवरण में 1986 के दौरान सूचित दहेज के कारण हुई मौतों के राज्यवार आंकड़ों में मध्य प्रदेश के बारे में अक्टूबर तक सूचना "शून्य" दी गयी थी जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूचना पर आधारित थी। किन्तु इसके बाद राज्य सरकार ने सूचित किया कि सही संख्या 112 है। 1986 (अक्टूबर तक) के दौरान दहेज के कारण हुई मौतों की संशोधित संख्या 112 है जिसे मूल उत्तर में सम्मिलित कर लिया जाए।

विलम्ब के कारण

मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पहले जो आंकड़े दिये थे उन्हें उसने अब संशोधित कर दिया है। अतः यह सूचि अ वश्यक हो गयी।

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसकी समीक्षा आदि

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रशीतित क्लेम मॉस (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1987, जो 11 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 953 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4430/87]

(2) (एक) चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4431/87]

(4) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4432/87]

जम्मू और कश्मीर बागबानी उत्पाद विपणन तथा संसाधन निगम सीमित, श्रीनगर के वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसकी समीक्षा

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : महोदय, श्री रामानन्द यादव, कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं —

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) जम्मू और कश्मीर बागबानी उत्पाद विपणन तथा संसाधन निगम सीमित, श्रीनगर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू और कश्मीर बागबानी उत्पाद विपणन तथा संसाधन निगम सीमित, श्रीनगर के वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 4433/87]

भारतीय डाकघर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, मैं भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धाराओं 10 तथा 74 के अन्तर्गत जारी किये भारतीय डाकघर (पांचवां संशोधन) नियम, 1987, जो 10 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 379 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 4434/87]

पावर इंजीनियर्स ट्रेनिंग, सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसकी समीक्षा

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं—

(1) (एक) पावर इंजीनियर्स ट्रेनिंग सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पावर इंजीनियर्स ट्रेनिंग सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 4435/87]

भारतीय डेरी निगम बड़ौदा के वर्ष 1985–86 तथा असम कृषि–उद्योग विकास निगम लिमिटेड गुवाहाटी के वर्ष 1977–78 आदि के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनकी समीक्षा

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्यमंत्री (श्री आर० प्रभु) : महोदय, श्री योगेन्द्र मकवाना, कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्यमंत्री की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ —

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा के वर्ष 1985–86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा का वर्ष 1985–86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4436/87]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) आसाम कृषि-उद्योग विकास निगम सीमित, गुवाहाटी के वर्ष 1977–78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आसाम कृषि–उद्योग विकास निगम, सीमित, गुवाहटी के वर्ष 1977–78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महा-लेखापरीक्षिक की टिप्पणियाँ।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 4437/87]

(ख) (एक) आसाम कृषि–उद्योग विकास निगम, सीमित, गुवाहाटी के वर्ष 1976–77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम कृषि-उद्योग विकास निगम, सीमित गुवाहाटी का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी०4438/87]

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में बिलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 4437 और 4438/87]

(5) (एक) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड आनन्द के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 4439/87]

राष्ट्रीय पटसन विनिर्मित निगम, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा

वस्त्र मंत्रालय के उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : महोदय मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(क) (एक) राष्ट्रीय पटसन विनिर्मित निगम सीमित, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय पटसन विर्निर्मिति निगम सीमित, कलकत्ता का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 4440/87]

(ख) (एक) भारत का केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम सीमित, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत का केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम सीमित, नई दिल्ली का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 4441/87]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4440 और 4441/87]

(3) (एक) पटसन विनिर्मिति विकास परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1985–86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) पटसन विनिर्मिति विकास परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1985–86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4442/87]

12.18 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है।

(i) "मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 7 मई 1987 को हुई अपनी बैठक में लोकपाल विधेयक 1985 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में राज्य सभा के एक सदस्य की नियुक्ति के संबन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया।"

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा केन्द्रीय मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों तथा उससे संबन्धित मामलों की जांच के लिए लोकपाल की नियुक्ति सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के त्यागपत्र के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा के एक सदस्य को नियुक्त करे और यह संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में श्री रऊफ वलीउल्लाह को नियुक्त किया जाय।"

(ii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे वित्त विधेयक 1987 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 4 मई 1987 की बैठक में पारित किया था और राज्य को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(iii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 7 मई 1987 की हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 20 मार्च 1987 को पारित किए गये कारखाना (संशोधन) विधेयक 1987 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

29वीं से 36वीं तक बैठकों के कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री रामप्यारे सुमन (अकबरपुर) : महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की चालू सत्र के दौरान हुयी 29 वीं से 36 वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

याचिका समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती आबिदा अहमद (बरेली) : महोदय मैं याचिका समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय मैं, सरकारी आश्वासनों संबन्धी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन विधेयक*

[अनुवाद]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के पुर्नगठन का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

---

*दिनांक 8-5-1987 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2 खण्ड 2 में प्रकाशित।

"कि गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के पुनर्गठन का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सरदार बूटा सिंह : महोदय मैं विधेयक पुरःस्थापित† करता हूं।

संविधान (सत्तावनवां संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

गृहमंत्री (सरदार बूटा सिंह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सरदार बूटा सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अरुणाचल प्रदेश राज्य (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

*दिनांक 8-5-1987 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

12·20 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए उपाय करने की मांग

श्री कमला प्रसाद रावत (बाराबंकी) : अध्यक्ष जी, इस समय देश के कुछ राज्यों में सूखे की स्थिति से लोगों में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। सूखे से प्रभावित राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा आदि प्रमुख हैं। उड़ीसा राज्य में तो सूखे के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग भुखमरी के कारण मर रहे हैं तथा साथ ही जानवर भी मर रहे हैं। यदि समय रहते लोगों को खाने के लिये तथा जानवरों को चारा की व्यवस्था न की गयी तो हालात और भयंकर हो जायेंगे। आदमियों एवं जानवरों के मरने से महामारी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जिला प्रशासन अकाल से पीड़ित लोगों की सहायता नाममात्र को भी नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से उ० प्र० तथा राजस्थान में भी सूखा धीरे-धीरे उग्र रूप धारण कर रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि सूखे तथा अकाल की स्थिति से निपटने के लिये कोई शीघ्र कदम उठाये और जहां-जहां पर सूखा उत्पन्न होने की स्थिति है वहां पर पहले से ही ऐसी व्यवस्था करें जिससे सूखे का असर आम जनता पर न पड़े। यह व्यवस्था युद्ध स्तर पर करायी जाय।

[अनुवाद]

(दो) हाथ से बुने गलीचों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कच्ची ऊन पर आयात शुल्क कम करने की मांग

श्रीमती चन्द्रा त्रिपाठी (चंदौली) : भारतीय हस्तनिर्मित गलीचा उद्योग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से कई लाख लोगों को रोजगार देने वाला देश का सबसे पुराना कुटीर उद्योग है। इसके उत्पादन के ज्यादातर भाग को विभिन्न यूरोपीय, अमेरिकी तथा अन्य देशों को, देश के लिये बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये, निर्यात कर दिया जाता है।

1971-82 में लगभग 12·75 करोड़ रु० का कालीनों, दरियों और गलीचों का निर्यात 1985-86 में बढ़कर लगभग 164·5 करोड रु० हो गया है। 1986-87 में 220 करोड रुपये का लक्ष्य रखा गया है जिसमें निर्यात में 15 प्रतिशत की वृद्धि भी सम्मिलित है।

इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि उत्पादन में काफी अधिक वृद्धि हो, जो कि मुख्य कच्चे माल अर्थात कच्ची ऊन की उपलब्धता पर निर्भर है।

भारतीय हस्तनिर्मित गलीचों के अधिक उत्पादन और निर्यात में कच्ची ऊन की कमी के अतिरिक्त बढ़ी हुई कीमतें भी बाधक हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि कच्ची ऊन पर लगे आयात शुल्क में काफी कमी की जाय।

(तीन) महाराष्ट्र के यवतमाल शहर में और अधिक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की आवश्यकता

श्री उत्तमराव पाटिल (यवतमाल) : महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल शहर में नये टेलीफोन कनेक्शन देने के मामले में विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अभी तक केवल 1,000 टेलीफोन कनेक्शन ही प्रदान किये गये हैं तथा नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिये 500 से भी ज्यादा लोग प्रतीक्षा सूची में हैं।

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, यह आश्वासन दिया गया था कि 350 नये कनेक्शन दिये जायेंगे। लेकिन अभी तक कोई नये कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। यह समझा जाता है कि कोई नया बोर्ड वहां उपलब्ध नहीं है जबकि 500 लाइनों का एक नया बोर्ड अमरावती जिले के बदनेरा में बेकार पड़ा है जिसका उपयोग यहाँ किया जा सकता है।

यद्यपि यवतमाल में टेलीफोन विभाग ने इस समय अपने अधीन जगह पर नयी मशीन लगाने के लिये जगह का भी प्रावधान कर लिया है फिर भी लोकसभा में मेरे प्रश्नों में से एक के उत्तर में दिए गए आश्वासन के बावजूद नये टेलीफोन कनेक्शन देने हेतु मशीनरी प्राप्त करने के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये हैं।

12.27 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

(चार) राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सुचारु संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चाऊ मेहला और सीतामऊ के बीच चम्बल नदी पर एक उपरिपुल का निर्माण करने की मांग

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच आवा-जाही संतोषजनक नहीं है क्योंकि एक दूसरे क्षेत्र में आने जाने के लिए इन दोनों क्षेत्रों में अन्तर्राज्यीय सड़कें नहीं बनाई गयी हैं।

केवल नई सड़कें ही नहीं बनाई गई हैं वरन् यहाँ तक कि झालावाड़ जिला (राजस्थान) के चाउमेहला तथा मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिले के सीतामऊ के बीच बैलगाड़ी और अन्य गाड़ियों की आवा-जाही के लिये बने परम्परागत मार्गों को भी मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध के निर्माण के बाद चम्बल नदी में पानी का विपरीत दिशा में बहाव होने के परिणामस्वरूप तीन दशकों से बन्द कर दिया गया है।

राजस्थान का चाऊमेहला क्षेत्र और मध्यप्रदेश का सीतामऊ क्षेत्र चम्बल नदी के दोनों ओर मीलों तक एक दूसरे के समानान्तर चलते हैं दोनों के बीच जो एक सीमा क्षेत्र बनाते हैं। गांधी सागर बांध के निर्माण से पहले तक बरसात के बाद इस नदी को कई स्थान पर पार किया जा सकता था। इस प्रकार वहाँ की आम जनता को उस आपातकालीन सुविधा से भी वंचित कर दिया गया है जो उसके लिए 3 दशक पहले उपलब्ध थी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सिंचाई मन्त्री, भारत सरकार और जल भूतल परिवहन मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे चाऊमेहला और सीतामऊ के मध्य बरास्ता कुण्डला चम्बल नदी पर एक उपरिपुल का निर्माण करवायें ताकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के दोनों क्षेत्रों के बीच एक बार फिर से आवा-जाही शुरू की जा सके।

(पांच) पश्चिम बंगाल में विभिन्न मूल्य के पोस्टल आर्डरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : पश्चिम बंगाल में विभिन्न मूल्य के पोस्टल आर्डरों की अत्यधिक कमी है। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में रोजगार के लिए आवेदन पत्रों के साथ शुल्क के रूप में इन पोस्टल आर्डरों को भेजा जाना आवश्यक होता है। भारी संख्या में बेरोजगारों को पश्चिम बंगाल में पोस्टल आर्डर की भारी कमी के कारण परेशानी हुई है और अभी भी हो रही है। वे विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों में नौकरी के लिए आवेदन पत्र नहीं दे पा रहे है। अतः सरकार को चाहिए कि या तो वह पोस्टल आर्डरों की पर्याप्त पूर्ति सुनिश्चित करे या आवेदन-पत्र शुल्क को समाप्त करे जो पोस्टल आर्डर के रूप में आवेदन-पत्रों के साथ सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों में वसूल किया जाता है।

(छह) आन्ध्र प्रदेश में मनूगूर ताप-संयंत्र को मंजूरी देने की मांग

श्री गोपाल कृष्ण थोटा (काकोनाडा) : हमारे देश में अनेक राज्य बिजली की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश बिजली की भारी कमी का सामना कर रहा है। बिजली की कमी के कारण कारखानों को नुकसान हो रहा है। इसलिए केन्द्रीय सरकार का यह मुख्य कर्त्तव्य है कि स्थिति में सुधार के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करे और नये ताप बिजली केन्द्रों की स्थापना करने के बारे में विचार करे। सबसे पहले ताप बिजली केन्द्रों के लिए कच्चे माल के रूप में कोयले का सबसे ज्यादा महत्व है। विशेषज्ञों के अनुसार नए ताप बिजली संयन्त्र के निर्माण के लिए आन्ध्र प्रदेश में मनूगूर बहुत अच्छा स्थान है। सिंगरेनी कोयला खानें इस स्थान के निकट हैं। उनमें भारी मात्रा में कोयला उपलब्ध है। वहां ढुलाई भी बहुत सस्ती है। हम इस केन्द्र से अन्य राज्यों को भी बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं और बेरोजगारी की मुख्य समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। भविष्य में ग्रीष्मकाल में पनबिजली परियोजनाएँ उपयोगी सिद्ध नहीं होंगी। इसलिए हमें ताप बिजली केन्द्रों का विकास करना चाहिए। कृपया आन्ध्र प्रदेश में मनूगूर ताप संयंत्र के लिए मन्जूरी प्रदान करें।

(सात) पश्चिम बंगाल में पाल्दा और मुंदियाली मछुआरे सहकारी समितियों की आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री रेणु दास (कृष्ण नगर) : वर्ष 1982 को "उत्पादकता वर्ष" घोषित करने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के शासी निकाय ने उत्पादकता के क्षेत्र में बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए चुनिन्दा उद्योगों को राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता पुरस्कार प्रदान करना शुरू किया।

तब से औद्योगिक और कृषि समूहों और उप-समूहों की पात्र एककों को राष्ट्रीय उत्पादकता पर पुरस्कार प्रदान किए जा रहे है।

यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि गत अप्रैल को विजेता एककों को 1985-86 के उत्पादकता पुरस्कार प्रदान किए और राष्ट्रीय स्तर पर 1985-86 में सहकारी क्षेत्र में अन्तर्देशीय मत्स्य उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ और द्वितीय सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता कार्य निष्पादन के लिए पश्चिम बंगाल के एककों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का यह लक्ष्य है कि उपलब्ध संसाधनों की बरबादी होने से बचाने तथा उनके अधिकाधिक उपयोग आम जनता को बेहतर और उच्च जीवन स्तर उपलब्ध कराने में सहायता करने को ध्यान में रखते हुए उत्पादकता सेवाओं को निर्धारित किया जाए।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के इस प्रशसंनीय लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से इन एककों में और उनके आस-पास बुनियादी सुविधाओं का विकास और इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में यह अत्यावश्यक है। जहां तक विजेता एककों का संबंध है उन्हें मोटर-गाड़ी आदि की आवा-जाही के लिए सड़कें, बिजली, आवास तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

पश्चिम बंगाल में पाल्दा फिशरमेंस कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड तथा मुदियाली फिशर-मेन्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ऐसे विजेता एकक हैं कि यदि उन्हें अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध की गई होतीं तो वे और बेहतर कार्य कर सकते थे। इसीलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उन विजेता एककों को ऐसी बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने में सहायता करें।

(आठ) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा-विवाद को हल करने के लिए विवादग्रस्त क्षेत्र में जनमत संग्रह कराने की मांग

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : पिछले 32 वर्षों से महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा क्षेत्र विवाद लंबित पड़ा हुआ है। बेलगांव, निपानी, कारवाड़, खानेपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में 15 लाख से भी अधिक मराठी भाषी जनता रहती है। चूंकि महाजन आयोग की सिफारिशें मंजूर नहीं की गई हैं, इसलिए वह अन्तिम नहीं हैं। हाल ही में सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषी जनता को प्राथमिक शिक्षा के स्तर से कन्नड़ सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा है और सरकारी स्तर पर केवल कन्नड़ में ही पत्र व्यवहार किया जा रहा है। इससे आम जनता को कठिनाई हो रही है।

केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस विवाद को दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा परस्पर चर्चा और विचार-विमर्श करके सुलझाया जाना चाहिए। माननीय गृह मंत्री दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनेकों बार मिले हैं। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने यह सुझाव दिया है कि विवादग्रस्त क्षेत्र में जनमत संग्रह कराया जाये ताकि इस समस्या का वहां की जनता की इच्छानुसार समाधान किया जा सके। केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल आदि के बीच सीमा विवाद के संबंध में निर्णय लिया है।

इसीलिये मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान करने के लिये विवादग्रस्त क्षेत्र में जनमत संग्रह कराया जाये।

12.30 म० प०

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा अगली मद अर्थात मद 31 पर विचार करेगी।

श्री अरुणाचलम।

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं प्रस्ताव * करता हूं :

"कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि 1956 के अधिनियम में कुछ कमियां रह गई थीं और उन कमियों को दूर करने तथा इस खादी और ग्रामोद्योग आयोग को कार्य करने में अधिक सक्षम बनाने के लिये सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने उन कठिनाईयों के बारे में नहीं बताया है। जिनका उन्हें 1956 के अधिनियम में अनुभव हो रहा था। हम यह जानना चाहते हैं कि पिछला अधिनियम, खादी और ग्रामोद्योग का सवर्धन और विकास किस कारण नहीं कर पाया।

अतः उस विधेयक का अध्ययन करते हुए मेरी यही राय बनी कि इस विधेयक को बहुत जल्द-बाजी में तैयार किया गया है। इसका प्रारूप बड़ी लापरवाही से तैयार किया है। इसके खण्ड आसानी से समझ में नहीं आते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इतना महत्वपूर्ण विधेयक इस सभा के समक्ष इतनी जल्दबाजी में क्या प्रस्तुत किया गया हैं। क्या इस विधेयक के माध्यम से सरकार सच-मुच उन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है जिन्हें लक्ष्यों के ज्ञापन में प्रस्तुत किया गया है।

महोदय, यह ऐसा विधेयक है जो बहुत गरीब जनता से संबंधित है। यह ग्रामीण जनता से संबंधित है। गांव में बेरोजगारी बड़ी है आम जनता को रोजगार नहीं मिल पाता है। उनमें से अधिकांश लोग बेरोजगार हैं। रोजगार की वहां बहुत कमी है। उन्हें लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, सरकार गांवों में अनेक प्रकार के उद्योग खोलना चाहती है और यही कारण है कि 1956 का अधिनियम प्रस्तुत किया गया था।

ब्रिटिश राज्य से पहले ये गांव आत्मनिर्भर थे। गांव की अर्थव्यवस्था काफी समृद्ध थी। वहां बढ़ई, बुनकर, लुहार आदि जैसे अनेक कारीगर काफी संख्या में थे। वे अपनी जीविका कमाने में समर्थ थे वे गांव वालों की लगभग सभी जरूरतों की चीजों को बना रहे थे। ब्रिटिश राज के दौरान उन्होंने गांव की आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बरबाद कर डाला।

उन्होंने ऐसे गांवों को उन गांवों में परिवर्तित कर दिया जो अंग्रेजों को केवल कच्चे माल की आपूर्ति कर सके तथा जिसे अंग्रेज अपने देश ले जाते थे और वहां से तैयार माल वापस भेजते थे। उन्होंने जानबूझ कर देश को रौंदा है तथा अव्यवस्था उत्पन्न की है। उन्होंने गांव की अर्थव्यवस्था को तथा ग्रामीण शिल्पकारों को पूरी तरह बरबाद कर दिया है। मैं एक उदाहरण दूंगा। अपनी विकसित अर्थव्यवस्था के बावजूद वे ढाका मलमल को बनाने में सफल नहीं हो पाये थे इसलिए

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह कपडा बनाया न जाये तथा उनके कपड़ों के साथ प्रतिस्पर्धा न करे, उन लोगों ने ढाका मलमल के निर्माताओं को जान बूझकर बरबाद किया। ब्रिटिश शासकों ने दस्तकारों को पूर्णतया रौंदा, नष्ट किया तथा बरबाद किया था। इसलिये दस्तकार बेरोजगार हो गये। उनके पास करने को कुछ नहीं रहा। उनमें से अधिकतर उसी तरह रहते हैं क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था तबाह हो गयी है। महात्मा गांधी ने खादी दी है "हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे। हमें खादी अवश्य पहननी चाहिए।" यही वह नारा था जिससे गांधी जी ने न केवल स्वराज्य आन्दोलन, बल्कि वह इस खादी आन्दोलन से नमक आन्दोलन को जोड़ पाये थे तब विदेशियों से संघर्ष किया था।

अब, इस विधेयक का एक अध्ययन दर्शाता है कि इन उपबन्धों में से कोई भी सहायता नहीं कर पाएगा। इस विधेयक में सत्रह उपबंध हैं। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार ये उपबंध ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुधार करेंगे। यहां पर उद्योगों को शुरूआत करने में यह कैसे मदद करेगा? आप देख सकते हैं कि खण्ड 2, 9 और 11 को छोड़ कर बाकी के खण्ड केवल आनुषंगिक है क्योंकि आपको खण्ड 2, 9 तथा 11 को प्रभावी बनाना होगा। उनमें से कुछ उप-सभापति को हटाने, और अध्यक्षता के बारे में आयोग के सदस्यों की शक्तियों, से सम्बंधित हैं यह सब कुछ उचित नहीं लगता है।

अब इसने "ग्रामीण क्षेत्र" अर्थात देहाती गांव को फिर से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है: 10,000 या कम की आबादी वाला गांव एक "ग्रामीण क्षेत्र" के रूप में परिभाषित किया है। यह परिभाषा किस प्रकार गांवों में खादी तथा उद्योगों को बढ़ावा देगी? आपने इस 10,000 की सीमा को कैसे बनाए रखा है? क्या कारण हैं? क्या आधार हैं? आपके पास कौन से मानक हैं? वे कहते हैं कि 10,000 की आबादी वाले गांव को प्राथमिकता दी जायेगी। इस 10,000 की आबादी को किस प्रकार नियत किया गया है। मेरी राय है कि एक ग्रामीण क्षेत्र के लिये, केवल 10,000 आबादी की सीमा है, कहने मात्र से स्थिति नहीं सुधरेगी। वास्तव में ग्रामीण जनसंख्या के लिये आवश्यकता है तो धनराशि की है। आप जानते हैं कि हमारी जनसंख्या का 70 प्रतिशत भाग गांवों में है उनमें से अधिकतर अल्प रोजगार वाले या बेरोजगार हैं। मेरा खयाल है कि केवल यह कह कर, ग्रामीण उद्योगों के लिये योजना में आवंटित वर्तमान 100 करोड़ रु० की धन-राशि को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। इसलिये जब वित्तीय लाभ बिना पैसे की स्वीकृति के हो, तो मेरी राय में केवल यह अधिनियम ही पर्याप्त नहीं होगा।

जहां तक सीमा का संबंध है उन्होंने कहा है कि प्रति दस्तकार पर पूंजी निवेश 15,000 रु० से अधिक नहीं होगा। मैं नहीं जानता कि इस निर्णय पर वे कैसे पहुंचे है। उदाहरण के लिये सार्वजनिक उपक्रमों में करोड़ों रुपयों का निवेश किया जा रहा है।

आप 10 लाख रु०, 15 लाख रु० या इतनी ही मात्रा में खर्च कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे इस्पात संयत्र हैं, जहां पर केवल 5,000 या 10,000 या 20,000 लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिये हम सात सौ से आठ सौ हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। जब ऐसी बात है तो जहां तक ग्रामीण उद्योगों का सम्बन्ध है, यदि सरकार वास्तव में ऐसा चाहती है तो उसे आगे बढ़ना चाहिए और 15,000 रु० की इस सीमा को कम से कम 25-50,000 रुपए तक बढ़ा देना चाहिए। तभी यह अधिनियम रोजगार प्रदान कर सकता है। आप केवल कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति 15,000 रु० की सीमा को हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन विधेयक में यह नहीं बताया गया है कि कारखाने में काम करने

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

वाले श्रमिक या दस्तकार को दी जाने वाली धनराशि कितनी है। उनके अधिकारों पर तनिक भी विचार नहीं किया गया है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि विधेयक का प्रारूप जल्दबाजी में तैयार किया गया है। उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया है उनको कितनी धनराशि को प्राप्त होगी ? कामगारों तथा दस्तकारों के क्या अधिकार हैं ? जब तक आप यह सुनिश्चित नहीं करते हैं कि कामगारों को कुछ ठोस धनराशि प्राप्त हो, तब तक वह इसमें सुधार नहीं कर पायेंगे। कामगार काफी सामग्री का उत्पादन करते हैं, ग्रामीण उद्योगों में काफी सामान का उत्पादन होता है, लेकिन इन सभी उत्पादों के लिये बाजार कहां है ? कौन इसे खरीदेगा ? यहां तक कि जो सरकार खादी को बढ़ावा दे रही है तथा हाथ से बुने कपड़ों को पहनना कांग्रेस के लोगों के लिए अनिवार्य है--यह कांग्रेस घोषणा पत्र था—मैं नहीं जानता कि वह इसका अनुसरण कर रही है या नहीं, इन ग्रामीण उद्योगों द्वारा उत्पादित खादी को वे नहीं खरीद रहे हैं। जब तक आप समझौता नहीं करते हैं कि इन उद्योगों या इसी तरह के अन्य उद्योगों द्वारा उत्पादित खादी को सभी सरकारी उपक्रमों को खरीदना चाहिए, तब तक आप बाजार सुविधायें मुहैया नहीं करा सकते हैं। यदि आप स्वयं खादी नहीं खरीदते हैं तो आम जनता से इसे खरीदने की आशा कैसे कर सकते हैं ? क्या खादी से मूल्य में, या गुणवत्ता में या टिकाऊपन मिल में बने कपड़े से प्रतिस्पर्धा कर सकती है ? इसलिये आपको यह अवश्य देखना चाहिए कि खादी के उत्पादन को और अधिक कैसे आकर्षक बना या जाय।

एक और बात जो उन्होंने की है, वह यह है कि समिति में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी है। गत अधिनियम में, यह संख्या तीन से पांच तक थी और अब उन्होंने इसे 12 व्यक्ति कर दी हैं। इन 12 व्यक्तियों में से 6 लोग 6 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि ये क्षेत्र कौन से हैं तथा इन 6 क्षेत्रों में वे क्या करने जा रहे हैं ?

रामकृष्णय्या समिति के नाम से एक समिति थी। उसने कुछ सिफारिशें की थी और हमने समिति की सभी सिफारिशें मंजूर कर ली हैं। रामकृष्णय्या समिति ने सिफारिश की थी कि आयोग में प्रतिनिधि तथा अन्य लोग गैर-सरकारी होने चाहिए। उन्हें सरकारी नहीं होना चाहिए। वे कहते हैं कि रामकृष्णय्या समिति की सदस्यता उन्होंने 12 कर दी है तथा उनमें से 6 व्यक्ति 6 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह स्पष्ट नहीं है कि वे 6 व्यक्ति सरकारी हैं या गैर-सरकारी हैं। जहां तक अन्य लोगों का सम्बन्ध है उनमें से 4 वे लोग होंगे जिनको ग्रामीण विकास, रोजगार तथा क्षमता तथा प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कुछ जानकारी है। शेष दो व्यक्तियों में से एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी है तथा दूसरा वित्तीय सलाहकार है। इसलिये इस आयोग में सभी 12 व्यक्ति अधिकारी प्रतीत नहीं होते हैं।

अब जहां तक अधिकारियों का सम्बन्ध है, उन्होंने उनकी योग्यतायें बताने में बहुत सावधानी बरती है। अब उनका विचार है कि उन्हें निरर्ह कर दिया गया है। केवल अधिनियम में ही उन्होंने बताया है कि अध्यक्ष बनने के लिये क्या अर्हतायें हैं या आयोग का सदस्य बनने के लिए क्या अर्हतायें हैं। इसलिए जब आप उन व्यक्तियों को, जो गांवों के बारे में जानते हैं, जो गांवों से आए हैं जो गरीब ग्रामीणों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, जिनको ग्रामीणों पर तरस आता है नहीं शामिल करते हैं तब आयोग का कार्यकरण असफल हो जाएगा। इसलिए इन अर्हताओं को भी बताना होगा।

महात्मा गांधी ने इस ग्राम उद्योग को प्रारम्भ किया था। नौकरशाहों की वह तनिक भी सहायता नहीं लेना चाहते थे। इस ग्राम उद्योग को वह नौकरशाहों से दूर रखना चाहते थे। लेकिन

अब हम नौकरशाहों की भूमिका को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए, इस पहलू पर भी विचार करना होगा।

अब, केवल इन दो गुणों में संशोधन करके आप इसमें कैसे सुधार करेंगे ? मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वे आगे आयें और सभा को सूचित करें कि लगभग कितने गांव हैं ? गांवों में बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, प्रतिवर्ष वहां कितने उद्योग लगाए जाएंगे, कितने लोगों को आप काम दे सकेंगे, प्रतिवर्ष इन उद्योगों को लगाकर आपको कितना लाभ प्राप्त होगा, कितने श्रमिकों को आप उपलब्ध करा सकेंगे, गांवों में उद्योगों के शुरू करने में कितना समय लगेगा ताकि सभी बेरोजगारों तथा अल्प रोजगार वालों को नौकरी मिल सके।

इसलिए, इन परिस्थितियों में, मैं कहूंगा कि विधेयक का प्रारूप काफी जल्दबाजी में तैयार किया गया है। अब मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं क्योंकि यह विधेयक गांवों की अधिकांश गरीब जनता से सम्बन्धित है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बिना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाये हुए उन्हें इस विधेयक को एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंप देना चाहिए। निस्संदेह, इसमें अन्य तीन या चार माह लग सकते हैं। दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त समिति को साथ-साथ बैठने एवं चर्चा करने दो, तथा एक प्रतिवेदन को तैयार करने दें। यदि तीन या चार महीने का विलम्ब होता है तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। इसलिये विधेयक को कृपया एक संयुक्त समिति को भेज दीजिये। उनको इस पर चर्चा के लिए कुछ समय दीजिए।

मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। सरकार सदैव नियम एवं कानून बनाती है। लेकिन केवल नियम बनाना और कानून पारित करना पर्याप्त नहीं है। यदि एक कानून अधिनियमित तो होता है, किन्तु उसको लागू नहीं किया जाता, तब कानून बनाने का क्या उपयोग है ? इसलिए कार्यान्वयन बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे यह बताया गया है कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष का पद लगभग 8 से 9 महीने रिक्त बना रहा। दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति में लगभग एक वर्ष का समय लगा। यदि नियमों को कार्यान्वित करने का यही तरीका है तब मुझे इस कानून के भी निष्फल हो जाने की आशंका है। इसलिए मैं एक बार फिर सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने के बजाय, जनता की राय जानने के लिए उन्हें इसे संयुक्त प्रवर समिति को सौंप देना चाहिए और तब उनको एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए।

प्रो० एन.जी. रंगा (गुन्टूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि इस विधेयक का इस सभा के सभी पक्ष समर्थन करेंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे माननीय मित्र श्री रामचन्द्र रेड्डी ने इस विधेयक का समर्थन किया है। किन्तु साथ ही साथ उन्होंने कुछ उपयोगी सुझाव भी दिए हैं।

अभी पिछले दिन श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संकल्प के संबंध में सरकारी विधेयक पेश किए जाने के समय सभी दलों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया था कि इस बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए तथा संविधान निर्माताओं द्वारा हमारे देश के हर वयस्क स्त्री और पुरुष के लिए रोजगार की व्यवस्था हेतु दिये गये आश्वासन को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा यथा शीघ्र प्रभावी ढंग से विशेष और ठोस कदम उठाये जाने चाहिए। हम सभी ने इस बात पर जोर दिया था कि रोजगार पाने में जनता की मदद करने के लिये विशेष उपाय किये जाने चाहिए और जब

[प्रो० एन० जी० रंगा]

कभी सरकार ऐसा करने में असफल रहे तो उनके भरण पोषण की भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिये। यूरोपीय देशों में 1920 से ही बेरोजगारी बीमा की व्यवस्था की गई है। किन्तु हम आज तक जनता को बेरोजगारी से नहीं बचा पाये हैं। केवल कुछ राज्यों में ही पूर्ण रोजगार के लिये आश्वासन देने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं अन्यथा उनके भरण पोषण की व्यवस्था की जा रही है। पूर्ण रोजगार से अभिप्राय है कि प्रत्येक परिवार के एक वयस्क सदस्य को वर्ष में 160 से 180 दिन तक काम उपलब्ध कराया जाना। केवल कुछ राज्यों में ही इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। अर्थात कम से कम इतने दिनों के लिये रोजगार के लिए जनता को आश्वस्त किया ही जा रहा है। अथवा भरण-पोषण के लिये सहायता दी जा रही है। किन्तु ऐसे अनेक राज्य हैं जहां इतना प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। अभी हमें यूरोपीय समाजवादी मानक के अनुसार प्रत्येक वयस्क स्त्री पुरुष को रोजगार उपलब्ध कराना या पूर्ण रोजगार न दे पाने पर उनके पर्याप्त भरण पोषण की व्यवस्था करने में पर्याप्त समय लगेगा।

उस स्तर तक पहुंचने से पहले क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिये? इस बात पर बहुत पहले महात्मा गांधी ने हमारे देश के उन लोगों की ओर से आवाज उठायी थी जो रोजगार की तलाश कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि जब कोई रोजगार नहीं होगा तो भरण पोषण की व्यवस्था की जायेगी उस समय जो अर्थशास्त्री पूंजीवादी व्यवस्था के प्रभाव में थे वे यही कहते रहे कि उस तरह का सरक्षण दे पाना सम्भव नहीं होगा। उन्होंने दूसरी बात यह कही कि महात्मा गांधी ने इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामोद्योग विकास और खादी उद्योग की स्थापना के लिए जो सुझाव दिया था वह जरा भी प्रगतिशील नहीं है। वे इस बात के इच्छुक थे कि बड़े उद्योगों की स्थापना के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाय। जहां बड़े उद्योग स्थापित किया जाना सम्भव नहीं वहां उन लोगों का क्या होगा जो उन कस्बों और गांवों में बेरोजगार रह जायेंगे? उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। महात्मा गांधी ने उसका यही उत्तर दिया था। केवल ग्रामोद्योग खासतौर से खादी उद्योग की स्थापना करके और उनके आस-पास अन्य प्रकार के ग्रामोद्योगों की स्थापना करके ही आप लाखों करोड़ों गांव वासियों को रोजगार दे पाने के बारे में सोच सकते हैं।

दूसरे दिन सभा को यह जानकारी दी गई थी कि लगभग 350 लाख शिक्षित लोगों ने रोजगार पाने के लिए रोजगार केन्द्रों में पंजीकरण करवाया है। किन्तु ये 350 लाख के आंकड़े क्या हैं। यदि हम अमरीका के बेरोजगारों से इसकी तुलना करें तो यह संख्या काफी बड़ी है। यह समस्त यूरोप के बेरोजगारों की संख्या से भी ज्यादा है। किन्तु जब हम गांवों और शहरों के बेरोजगारों की कुल संख्या जिन्हें कि रोजगार दिया जाना है, से तुलना करते हैं तो यह कुछ भी नहीं है। सरकार को चाहिए कि उन लोगों को आत्म सम्मान के ढंग से जीविका कमाने के साधन के रूप में जो भी रोजगार इस समय उपलब्ध हों वह उन्हें प्रदान करे। महात्मा गांधी ने यही सुझाव हमारे देश और हमारी जनता को 60 या 70 साल पहले दिया था। हम लोग उसी दिशा में बढ़ते आ रहे हैं। दुर्भाग्यवश जब कभी स्वतंत्रता के बाद हमारी सरकार – कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो उसने खादी और ग्रामोद्योग तक के लिए भी एक आयोग का गठन कर दिया। किंतु जैसा कि श्री रेड्डी ने बताया उसको पर्याप्त धनराशि प्रदान नहीं की गई। उसे पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं प्राप्त हुआ है और यही कारण है कि हमने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। पूरे देश को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा और प्रत्येक क्षेत्र को इस बोर्ड या आयोग में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा और वे सभी खादी और ग्रामोद्योग के विकास का ध्यान रखेंगे। काफी उपयोगी काम किया गया है। इतनी तैयारी भी की गई है। इस

पूरे संगठन को देश भर में गठित किया गया है । किन्तु अभी भी बहुत कुछ किया जाना है और किया जाना आवश्यक है । मुझे आशा है कि इस आयोग के पुनर्गठन और नई गतिशीलता से सरकार हमारे देश में रोजगार के विकास के काम को पूरा करके दिखायेगी । आइये हम ये उम्मीद करें कि इस प्रकार के विकास से बेरोजगार जनता को यदि पूरी तरह से तो नहीं किंतु भारी संख्या में रोजगार प्रदान किया जायेगा । महोदय, यह रोजगार किस प्रकार का होगा यह ऐसा नियोजन नहीं होगा जो आप उन उद्योगों में देखते हैं जहां नियोक्ता तानाशाह होता है और कामगार उस पर आश्रित रहते हैं । जब कभी उनके और नियोक्ता के बीच में विवाद खडा होता है तो फैक्टरी के कामगार केवल यूनियन बनाकर और हड़ताल का सहारा लेकर ही अपनी रक्षा कर सकते हैं ।

हमने अब समाजवादी उपाय भी लागू किया है अर्थात निदेशक बोर्डों में कामगारों के सैद्धांतिक या नाम मात्र या उससे कुछ बेहतर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की है । क्या यह काफी है ? यह काफी नहीं है । हमने नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता और चर्चा की प्रणाली की व्यवस्था भी की है । ताकि जब कभी गम्भीर मतभेद उठ खड़े हों तो वे साथ बैठकर आपस में चर्चा करके निर्णय ले सकें । फिर भी ये कामगार नियोक्ता और प्रबंध मंडल पर आश्रित रहेंगे । दूसरी ओर ग्रामोद्योग और खासतौर से खादी उद्योग में प्रत्येक कामगार स्वतंत्र हैं । वह स्वरोजगार भी प्राप्त कर सकता है । उसे अपना काम अपने घर या सहकारी कुटीर उद्योग में करने की स्वतन्त्रता है । इसलिए इस प्रकार का रोजगार कामगारों के लिए हर दृष्टि से अधिक सम्मानपूर्ण और सन्तोषजनक है । अतः हमें इन उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान और उनकी सहायता करनी चाहिए । सरकार ने भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा जी की पहल के फलस्वरूप काम के बदले अनाज योजना बनाई थी जिसके लिए वे धन्यवाद की पात्र हैं । इसी तरह केवल खाद्यान्न ही नहीं बल्कि इन लोगों को अन्य वस्तुएं भी प्रदान की जानी चाहिए । यदि उन्हें कम मूल्य पर और कम से कम उचित दरों पर अनावश्यक वस्तुएं उपलब्ध करायी जाती हैं तो उन्हें काफी सहायता मिल पाएगी । और वे अपने आप को किसी से घटिया समझे बिना और अधिक कमाई के लिये शहरों में न जा पाने के लिये अयोग्य महसूस किये बिना अपने घरों में काम कर पायेंगे क्योंकि सहकारी समितियों, सुपर बाजारों और अन्य सरकारी संस्थाओं के माध्यम से उन्हें अपने घर पर ही आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो जायेंगी । इसलिए इस आयोग को गरीबी दूर करने के लिए सरकार को ए. आर. आई. और विभिन्न अन्य रोजगार प्रदान करने वाले संस्थानों के द्वारा किए जा रहे कार्य कलापों में घनिष्ठ सहयोग देना चाहिए इसमें अब से इस तरह अलग थलग काम नहीं करने दिया जाना चाहिए । उससे अन्य उन सभी उपयुक्त संस्थानों और संगठनों के संरचनात्मक सहकारी संबंध और कार्यकलाप में लगाया जाना चाहिये जिनका सरकार गरीबी दूर करने के लिए गठन कर रही है ।

महोदय, गरीबी कहां है ? शहर की तुलना में गांवों में ज्यादा गरीबी है । इसलिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग बेरोजगारी और गरीबी के दूर करने लक्ष्य को पूरा करने में सरकार को मदद करने के लिए अधिक उपयुक्त है ।

मैं उन सभी नए संशोधनों का समर्थन करता हूं । जो प्रस्तुत किये गये हैं । और जिन्हें राज्य सभा के सहयोग से किया गया है । अब यह आयोग पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक ढंग से काम करेगा और इसमें विभिन्न क्षेत्र के कामगारों के अधिक प्रतिनिधि भी होंगे । यही कारण है कि मैं इस आयोग का पूरी तरह से समर्थन करता हूं । । मैं यह आशा करूंगा कि सरकार केवल 3 या 4 गुणा

[प्रो० एन० जी० रंगा]

नहीं बल्कि इस आयोग को 10 गुणा ज्यादा धनराशि प्रदान करेगी और यह धनराशि वह आर्थिक सहायता के रूप में नहीं बल्कि प्रोत्साहन के रूप में केवल उत्पादकों तथा इस क्षेत्र के कामगारों को उनके उत्पादकों के प्रयोक्ताओं को भी प्रदान करेगी।

मुझे इस बात की खुशी है कि दूरदर्शन हमारे ग्रामोद्योग के उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए ज्यादा महत्व दे रहे हैं बहुत से लोग बहुत सुन्दर उत्पाद तैयार कर रहे हैं। वस्तुतः मैं कोंडापल्ली जैसी जगह के बारे में सोच सकता हूँ जहां वे इतनी सुन्दर गुड़ियाएं बनाते हैं। एक समय था जब यह उद्योग बन्द हो गया था। अब यह एक समृद्ध उद्योग है। उनके उत्पाद केवल अपने देश में ही नहीं वरन दूसरे देशों में भी देखने में आते हैं। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि ये मशीनी गुड़ियाएं और अन्य वस्तुएं जो लोकप्रिय बनाई गई हैं और पूरे संसार की जनता और खासतौर से हमारे देश की जनता में लोकप्रिय बनाई गई हैं और जिन्हें उपलब्ध किया गया है वे अब उन्हें उतना नहीं लुभाती हैं जितना कि हमारी कुटीर उद्योग की वस्तुएं उन्हें लुभाती हैं। इसलिए यह सबसे बेहतर समय है जब सरकार को इन सभी उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। जितनी अधिक धनराशि उनके उत्पादनों पर लगायी जायेगी उतना ही वह देश के लिए बेहतर होगा और उसके परिणाम भी अत्यन्त संतोषजनक होंगे। अतः मैं इस विधेयक का मन से समर्थन करता हूं।

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : मैं अपनी बात कहने से पहले कुछ मुद्दे पेश करना चाहता हूं। मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता।

1.00 म० प०

ऐसा नहीं है कि यह विधेयक अच्छा नहीं है किन्तु इस विधेयक को और बेहतर बनाया जा सकता था। इस विधेयक का अध्ययन करने से अभी तक मैं यही समझ पाया हूं कि पिछले विधेयक में कुछ सुधार किए गए हैं। मंत्री महोदय को यह बहुत आशा थी कि कारीगरों के लिए आयोग का गठन हो जायेगा। वे यह भी सोचते हैं कि उनके आयोग के कार्यकलापों का विकेन्द्रीकरण करने में सफलता मिल जायेगी।

लेकिन हमें बातों को और इस आयोग के अब तक के कार्यकलापों को भी सच्चाई से देखना चाहिए। मुझे यह कहने में खेद है कि उन कारीगरों को जो कार्यशालाओं में काम करते हैं अभी भी बहुत कम मजदूरी मिलती है उन्हें गरीबी की रेखा से नीचे रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात यहीं रोक दें। और आप भोजनावकाश के बाद अपनी बात जारी रख सकते हैं क्योंकि हम भोजन के लिये सभा को स्थगित करना चाहते हैं। यह सभा 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए भोजनावकाश हेतु स्थगित होती है।

1.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.04 म० प०

मध्याह्न-भोजन के पश्चात् लोक सभा को दो बजकर चार मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक [—जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेणुपद दास अपनी बात जारी रखेंगे ।

श्री रेणुपद दास : मैं इस सभा में पहले ही कह चुका हूं कि माननीय मंत्री को यह आशा है कि इस आयोग का विकेन्द्रीकरण हो जायेगा और उसे ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाया जायेगा ।

इस बीच प्रो० रंगा ने आशा व्यक्त की है कि एक दिन यह देश बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकेगा और समाजवादी देशों के समान मानक स्तर तक पहुंच जायेगा । निःसंदेह यह उम्मीद अच्छी है । किन्तु इस बीच मैं कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं । कुल 5,000 खण्डों में से आयोग ने अभी तक 500 खंडों में ही काम शुरू किया है और जो भी निवेश उपलब्ध है वह पूरे देश या 5,000 खंडों के लिए पर्याप्त नहीं हैं तथा उत्पादन निर्धारित लक्ष्य की तुलना में हमेशा कम रहा है । रोजगार का लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं होता है । महोदय अब यह अपेक्षा की जाती है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 15 लाख लोगों को रोजगार दिया जायेगा और कुल उत्पादन का मूल्य लगभग 2,000 करोड़ रुपये होगा । किन्तु उपलब्धियों से यही पता चलता है कि यह आयोग लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका है । इसीलिए हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ग्रामोद्योगों में कारीगरों को रोजगार प्रदान करना इतना आसान नहीं है । इस संशोधन से यह अपेक्षा की जाती है कि इस आयोग का इस ढंग से विकेन्द्रीकरण किया जायेगा ताकि इसे कारीगरों के निकट पहुंचा सके । महोदय प्रो० रंगा ने एक बार यह कहा था कि एक समय ग्रामोद्योगों की स्थिति काफी अच्छी थी । ब्रिटिश शासकों के आने से पहले आर्थिक और अन्य दृष्टि से बड़े बड़े गांव आत्म निर्भर थे । ब्रिटिश शासकों ने इन्हें पूरी तरह बरबाद कर दिया । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस बात पर बिल्कुल सही बल दिया था कि खादी और ग्रामोद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा किया जा सकता है और अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित की जा सकती है महोदय तब से 60-70 साल बीत चुके हैं । खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 में पारित किया गया था । किन्तु अभी तक बहुत कम प्रगति हो पाई है ।

महोदय, इन समितियों की कार्यशालाओं में कार्यरत अनेक कारीगर इस आयोग द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं । सहकारी समितियां बनाने के लिये सबसे पहले उन्हें इस आयोग से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा, और केवल तभी उन्हें इस आयोग से ऋण और अनुदान मिल सकेंगे । इस आयोग से ऋण और अनुदान लिये बिना, ये समितियां काम नहीं कर सकतीं । इसलिए, उन समितियों और अन्य संगठनों को, जो इन अनुदानों तथा ऋणों के माध्यम से इस आयोग द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं, समुचित रूप से संभाला जाना चाहिए और समुचित अर्थोपायों की तलाश की जानी चाहिए ताकि इनमें काम करने वाले लोगों की स्थिति में सुधार हो सके । परन्तु, महोदय, समिति की कार्य-

[श्री रेणुपद दास]

शालाओं में काम करने वाले लोगों को अभी भी बहुत कम मजदूरी मिल रही है। वे इससे दो वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। इसलिये यह एक सर्वविदित तथ्य है कि वे गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, महोदय, प्रो० रंगा ने कहा है कि यदि इन कामगारों के लिए कुछ किया जा सके तो उन्हें प्रसन्नता होगी। परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है, इन कामगारों की दशा सुधारने के लिये अभी तक भी कुछ नहीं किया गया है। एक श्री नरसिंह प्रसाद विश्वास ने जो कांग्रेस (ई) के आदमी थे और मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, परन्तु अब वह नहीं रहे, एक सहकारी समिति बनाई थी। उनकी राय थी कि सहकारी समितियों में कामगारों की दशा कुछ ऐसे नियमों के कारण नहीं सुधर सकती जिनका पालन आयोग कर रहा है। उनकी राय थी कि आयोग द्वारा कुछ न कुछ किया जाना चाहिये यदि यह आयोग सक्षम या कारगर होता तो सहकारी समितियों के कामगारों की स्थिति सुधर सकती थी कुछ वर्ष पहले मैंने सरकार से कुछ प्रश्न पूछे थे ? परन्तु उनका उत्तर टरकाने वाला था। तभी से मेरी यह धारणा है कि इस दिशा में कुछ करना आसान नहीं है। इसलिए, मैं सरकार और मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे सहकारी समिति अधिनियम के अधीन चल रही इन कार्यशालाओं के कामगारों की मजदूरी में सुधार करने के लिए कुछ करें।

अब, मुझे यह देख कर प्रसन्नता है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के बारे में कुछ सुधारात्मक उपाय किए गये हैं। यह निर्णय किया गया है कि कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के वेतन ढांचे तथा पेंशन आदि में भी उसी तरह से संशोधन किया जायेगा जैसा कि केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन आदि के बारे में किया गया है। यह आयोग के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की दशा में एक सुधार भी है।

जहां तक इस आयोग के विकेन्द्रीकरण का संबंध है, इस बारे में यह एक अच्छा कदम है। जब तक सरकार इस संगठन के विकेन्द्रीकरण का निर्णय नहीं करती और जब तक यह संगठन ग्राम स्तर तक नहीं पहुंचता तब तक निचले स्तर पर और अधिक पूंजी-निवेश का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए इस विधेयक में छः जोन बनाये जाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक जोन से एक-एक व्यक्ति आयोग में जा सकता है। इस आयोग के सदस्यों की कुल संख्या केवल 12 होगी। इनमें से छः जोन से लिये जायेंगे और चार मनोनीत विशेषज्ञ होंगे।

श्री एम० अरुणाचलम : सदस्यों की कुल संख्या 10 है। विशेषज्ञ 2 हैं।

श्री रेणुपद दास : सभी राज्य-बोर्डों के अध्यक्ष भी सभी जोनों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और इन राज्य-बोर्डों के अध्यक्ष आयोग में भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि यह सम्भव होगा भी या नहीं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस तरह से सदस्यों की यह संख्या बढ़ जायेगी, परन्तु साथ-साथ इस आयोग में उचित प्रतिनिधित्व हो सकेगा।

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगलराव) : वे आयोग के सदस्य नहीं हैं। वे तो केवल अध्यक्ष हैं।

श्री रेणुपद दास : परन्तु फिर भी विकेन्द्रीकरण का सिद्धांत अपनाकर और इस प्रयोजन के लिए और अधिक धनराशि को निवेश की आशा से इस दिशा में कुछ न कुछ तो किया ही जा सकता है। इस समय जरूरत इस बात की है कि इस आयोग को एक कारगर तंत्र बनाया जाये।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स में जो एक्सपर्ट कमेटी की बात आपने की है, उसमें बहुत सारी बातें आपने नहीं मानी हैं। एक राय यह भी थी कि जितने आर्टिसन्स, कतवारीन या दूसरे लोग काम करते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए उनको मिनीमम वेज मिल सके। इसकी व्यवस्था आपने नहीं की है। खादी की जितनी को-आपरेटिव या दूसरी संस्थाएं बनी हुई हैं, उसमें भी उनका भयंकर शोषण होता है। इस प्रकार के प्रावधान के लिए मैंने अपना एक अमेंडमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उस अमेंडमेंट को स्वीकार करके विलेज आर्टिसन्स के हितों की रक्षा की व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने कमीशन के बारह मैम्बर बनाएं हैं, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है क्योंकि पहले पांच मैम्बर थे और अब बारह कर दिए हैं। आपने यह भी कहा है कि छह रीजन के, छह जगहों के प्रतिनिधि चुने जायेंगे। एक प्रतिनिधि के बारे में आपने विचार ही नहीं किया और जिसके संबंध में एक्सपर्ट कमेटी ने राय नहीं दी है। लेबर रिप्रेजन्टेटिव भी कमीशन का मैम्बर होना चाहिए और जिसके संबंध में आपने किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया। इसलिए उनके हितों की रक्षा करके इस व्यवस्था को आपको इसमें शामिल करना चाहिए। मैंने पहले भी इस संबंध में सुझाव दिया है और अपनी यूनियन की तरफ से आपको लिखकर भी भेजा है। लेबर प्रतिनिधि निश्चित तरीके से इसमें शामिल किया जाना चाहिए। मेरा तीसरा सुझाव यह है कि खादी आयोग के जितने सदस्य हैं वह अलग-अलग राज्यों में पदाधिकारी बनकर बैठे हुए हैं और उन्होंने अपना बहुत बड़ा संगठन बना लिया है। उसमें वह मंत्री और पदाधिकारी बने हुए हैं। ऐसे लोगों को इस आयोग में सदस्य नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार का मैंने संशोधन दिया है। इसका मुल कारण यह है कि इन लोगों ने कमीशन से करोड़ों रुपया लेकर उसका दुरुपयोग किया है, इसमें भयंकर गड़बड़ियां हैं। आप ऐसे लोगों को इस आयोग में सदस्य बनाते हैं वह अपने हितों की रक्षा करेगा और सारी व्यवस्था में गड़बड़ करने के लिए यह अव्यवस्था फैलाते हैं। इसको भी रोकने की आवश्यकता है।

मेरे यह तीन सुझाव निश्चित तरीके से ऐसे हैं जो कि आपके इस बिल को मजबूत बनायेंगे। मुझे आशा है कि आप इन तीनों संशोधनों को स्वीकार करके इस बिल में ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे मजदूर भी संगठित होंगे और उनकी व्यवस्था ठीक होगी। उनका जो शोषण चल रहा है, वह समाप्त होगा। बड़े-बड़े पदाधिकारी आपके इस कमीशन में पैसा लेकर बैठे हुए हैं, उनको वहां से हटाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाये। मजदूरों का प्रतिनिधि भी इसमें शामिल किया जाये, जिससे वह मजदूरों के हितों की रक्षा करेगा। कुछ कार्य आपने जो बिल में किया है वह वास्तव में स्वागत योग्य है। जैसे आपने कहा है कि सारे उद्योग को रूरल क्षेत्र में स्थापित करने का कार्य किया है। यह स्वागत योग्य है। आज तक 80 प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती है, उसको रोजगार की बहुत बड़ी समस्या थी, जो आपने इसके जरिये उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। आपने कहा कि गांवों में जो उद्योग लगेगा उसकी 15 हजार तक की लिमिट रखी है, अब आप सब जानते हैं कि 15 हजार रुपये में क्या कोई उद्योग लगता है? मैं कहना चाहता हूं कि इसको बढ़ाकर 20 या 25 हजार रुपये कर दिया जाये तो इससे बहुत बड़ा लाभ होगा और गांव के लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा। इसी तरह से आपने विशेषज्ञों के लिए कहा कि उनको भी मेम्बर बनाया जायेगा –

[अनुवाद]

"विशेषज्ञ सदस्य ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभ ग्रामीण समाज को उपलब्ध कराये जा सकें।"

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

[हिन्दी]

यह भी स्वागत योग्य बात है। जिस तरह के काम गांवों में होते हैं वह एक्सपर्ट इनको देखेगा और इनको कैसे इम्प्रूव किया जाये इसकी भी व्यवस्था करेगा। ट्राइसम में जितने कार्यक्रम चल रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग देना, इनमें विशेषज्ञ लोग होंगे तो वह ट्रेड आदि में, तकनीक में ज्यादा से ज्यादा सुधार करके उसमें नई व्यवस्थायें लागू करायेंगे जिससे गांवों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। यह भी स्वागत योग्य कदम है। इससे हमारी खादी और ग्रामोद्योग का काम ठीक से चल सकेगा। इसको बड़े पैमाने पर बढ़ाना चाहिए। राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है जिसमें आधा एरिया रेगिस्तानी है और आधे में लगातार चार साल से सूखा पड़ा हुआ है। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज की तरफ से पहले इसमें मदद दी जाती थी, लेकिन वह अभी तक नहीं मिली है। वहां विलेज इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने पर पनप सकती हैं, आपको इसमें ज्यादा मदद देनी चाहिए। जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल सके। हालांकि हर साल जब अकाल पड़ता है तो खादी ग्रामोद्योग की तरफ से कभी एक करोड़, कभी दो करोड़ की धनराशि दी जाती है, लेकिन अब वहां इस बार इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए मेरा उद्योग मंत्री जी से निवेदन है कि आप इस अकाल के समय में वहां के लोगों को मदद दें और राजस्थान को अधिक से अधिक सहायता देने के लिए आप सक्रिय कदम उठायेंगे। मेरा निवेदन है कि हमारे गांवों में जितनी छोटी-छोटी संस्थाएं हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनको सरकार की ओर से अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आप बड़ी-बड़ी संस्थाओं या उद्योगों को प्रोत्साहन मत दीजिए बल्कि उन लोगों को प्रोत्साहन दीजिए जिनके जरिए से अधिक से अधिक काम का सृजन होता हो और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले और हर व्यक्ति को जीवनोपयोग की सभी वस्तुएं सस्ते भाव पर मिल सकें। उसका कारण यह है कि जो लोग बड़े उद्योग लगाये बैठे हैं, उनका कुछ वस्तुओं पर एकाधिकार हो जाता है, उनमें वेस्टिड इंटरैस्ट हो जाते हैं और फिर वे तरह-तरह की गड़बड़ियां करना शुरू कर देते हैं। बाद में उनके लाखों रुपये के घोटाले सामने आते हैं। छोटी संस्थाओं के लोग किसी तरह की गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए सरकार को छोटी संस्थाओं को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। शहरों में स्थापित बड़ी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस बिल में जो सेविंग क्लाज रखी गयी है, मैं उसका समर्थन नहीं करता। यदि शहरों में स्थापित पुरानी बड़ी संस्थाओं को इसी प्रकार से मदद की जाती रहेगी तो सारी व्यवस्था बिगड़ती ही चली जाएगी, जैसा आजकल हो रहा है। इसलिए आप उस सेविंग क्लॉज को न लगाकर, ग्रामों और देहातों के उत्थान और विकास के लिए रूरल एरियाज में स्थापित छोटी संस्थाओं और कुटीर उद्योगों को ही प्रोत्साहन दीजिए, वह हमारे ज्यादा हित में है। आजकल शहरों में स्थित बड़ी संस्थाओं में जितने उच्चाधिकारी बैठे हुए हैं, वे सारी व्यवस्था का अपने हित में दुरुपयोग कर रहे हैं और स्टेट कैपिटल्स में यह स्थिति स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। उनकी वजह से खादी कमीशन के पैसे का भारी दुरुपयोग हो रहा है, उनका शायद आपको पता भी नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि बड़ी संस्थाओं को आप कोई मदद मत दीजिए, उन पर पाबन्दी लगाइये और देहातों में स्थित छोटी-छोटी इंडस्ट्रिज को प्रोत्साहन दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, और हमारे गांवों का उत्थान हो। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में प्रस्तुत खादी और ग्रामोद्योग (संशोधन) विधेयक, 1987 का समर्थन और स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उसका कारण

यह है कि पहले इस बिल में कुछ कमियां थीं जिनको दूर किया गया, फिर राज्य सभा से इसे पारित कराने के बाद, इस सदन में लाया गया है। इसलिए उन कमियों का फिर से उल्लेख करना मैं उचित नहीं मानता। पहले इस बिल में सबसे बड़ी कमी यह थी कि गांधी जी की विचारधारा का कहीं ख्याल नहीं रखा गया था। (व्यवधान)

जब हम गांधी कहते हैं तो उससे महात्मा गांधी का आशय ही समझना चाहिए और मैं समझता हूं कि देश में आने वाले कम से कम 50-100 सालों तक नेहरू और गांधी का आशय पं० जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गांधी से ही लिया जाता रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में कुछ अच्छे प्रावधान होने के बावजूद भी एक आध कमियां खटक रही हैं और मैं उनकी ओर ही सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले इसमें निधियों का जिस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, जैसे खादी निधि, को ग्रामोद्योग निधि और साधारण तथा मिस्लेनियस निधि, और ऐसा कह कर हमने आर्थिक अधिकारियों को जिस प्रकार प्राधिकृत किया है, उससे गड़बड़ होने की सम्भावनायें निश्चित तौर पर बढ़ जाएंगी। मेरे विचार में, इस प्रकार का जो अधिकार एक निधि को था, अब उसमें काम करने वालों के सामने कुछ परेशानियां ज्यादा आयेंगी। मैं उन लोगों के विचार से कदापि सहमत नहीं हूं जो खादी से सम्बन्धित संस्थाओं की आलोचना करके, उन्हें बड़ी बताकर, विरोध करते हैं जो लोग देश की आजादी की खातिर अपने जीवन के बहुमूल्य क्षण जेलों में बिताकर आज बुढ़ापे की देहरी पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन गांधी और खादी को अर्पित कर दिया, आज यदि उन्हें यह कहा जाए कि वे किसी योग्य नहीं है, उनके विचारों का कोई महत्व नहीं है, मैं उनका समर्थन नहीं कर सकता परन्तु मैं इस बात का समर्थक अवश्य हूं कि यदि कोई आज गांधी और खादी के नाम पर शोषण करता है तो ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों का भण्डाफोड़ अवश्य किया जाना चाहिए। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि देश में स्वराज्य के बाद खादी की अनेक संस्थायें पनपी हैं और उनमें खादी ग्रामोद्योग कमीशन में धन का जिस प्रकार दुरुपयोग हुआ है, अंधेर पनपा है, उस पर कन्ट्रोल होना चाहिए। उसको देखा जाना चाहिए। यह सब इसलिए हुआ कि खादी ग्रामोद्योग कमीशन के कार्य का जो तरीका है उसमें बहुत कुछ ब्यूरोक्रेसी का प्रभुत्व बढ़ गया है। गांधी जी ने खादी के जिस विचार को आगे बढ़ाया था उसमें किसी समूहबद्ध अत्याचार और अन्याय का कोई स्थान नहीं था और न ही उसमें कोई इतनी बड़ी शक्ति बनकर उभर सकती थी जिसको लोग अपने निहित स्वार्थ का कोई साधन बना सकते क्योंकि गांधी जी ने जिस चर्खा और तकनीक को आधार बनाया ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थशास्त्र का, उसमें उन लोगों को काम मिल पाता था जिनको कि 6 महीने काम होता था और 6 महीने घर में बैठना पड़ता था व जिनके पास 6 घंटे काम था जबकि काम के घंटे 10 होने चाहिए थे, उनको इसके द्वारा 3-4 घंटे और काम मिल सकता था जोकि अब आज के योजनाबद्ध काम में सम्भव नहीं है। उनके लिये ही खादी और ग्रामोद्योग की कल्पना गांधी जी ने की थी। हमने इस काम को अपनी आंखों से देखा है और किया है। हमने खादी के इस विचार और काम को अपनी आंखों से देखा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि खादी की इस विचार-धारा को आप बरकरार रखिए।

आज सबसे बड़ी गड़बड़ी यह देखने में आई है कि हैंडलूम और हाथ की बनी खादी में कोई फर्क नहीं किया जाता है। अधिकांश लोगों को यह पता नहीं है कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन कहां पर होता है? खादी ग्रामोद्योग कमीशन का काम गांधी जी के चर्खे और करघे से जुड़ता है जो

[श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी]

कि शुद्ध रूप से हाथ की कताई, हाथ की बुनाई और हाथ की शुद्ध दस्तकारी से सम्बन्ध रखता है। खादी ग्रामोद्योग का क्षेत्र शुद्ध रूप से हाथ से किया गया काम है। मनुष्य के द्वारा अपने हाथ से किए गये काम से उसका सम्बन्ध है। वही काम हैंडलूम की खादी का नहीं है। लेकिन आज लोग उसका अन्तर ही भूलते जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि खादी ग्रामोद्योग कमीशन के द्वारा यह अन्तर स्पष्ट किया जाए और जब हाथ में कोई काम होगा तो वह और मंहगा होगा। उस मंहगाई के कारण आज की जो आर्थिक दौड़ है उसमें कितनी दिक्कत पड़ती है, वह तो आपको मालूम ही है। अगर आप उसको मार्किट नहीं देंगे तो ग्रामोद्योग को प्रश्रय नहीं मिलेगा। लाखों करोड़ों रुपए का जो खादी और ग्रामोद्योग का सामान तैयार होगा वह कहाँ जाएगा इस पर आपको सोच विचार करना चाहिए। आज हिन्दुस्तान भर में तरह-तरह का जो कम्पटीशन होता है उसके बीच उसकी आप कैसे खपत कराऐंगे यह भी आप देखें। गांव का किसान, गांव का कुम्हार और हाथ का दस्तकार जो चीजें तैयार करेगा, उसकी वह चीजे देश में कैसे पहुंचेगी, उसकी खरीद कहाँ होगी, उन चीजों को कहाँ प्रश्रय देंगे, उनकी खपत कहाँ होगी और उसका सदुपयोग कैसे होगा इस सबको खादी ग्रामोद्योग कमीशन देखे।

एक और बात मैं कहना चाहता हूँ जो कि बहुत नुकसानदायक हुई है। खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अन्तर्गत खादी की जो संस्थाऐं काम करती हैं उनका मुनाफा कोई व्यक्तिगत आदमी नहीं उठा सकता यह अच्छी बात है लेकिन उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को बहुत कम पेमेंट मिलता है चूंकि मुनाफा खादी ग्रामोद्योग कमीशन तय करता है, खर्चा भी वही तय करता है और चैकिंग भी वही करता है। जब खादी संस्थाओं से कहा जाता हैं कि उन कर्मचारियों को वेतन अधिक दीजिए तो वह कहते हैं कि हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि हम ज्यादा पैसा दे सकें। इसका परिणाम यह हुआ है कि लेबर कानूनों के कारण खादी की संस्थाओं के हजारों मुकद्दमे आज कोर्ट में पेंडिंग हैं। और खादी की अच्छी संस्थाऐं बन्द होने की स्थिति में होती जा रही हैं। खादी कमीशन का यह काम होना चाहिए कि उन संस्थाओं को जो कि खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अन्तर्गत काम करते हैं, उनको लेबर कानूनों से मुक्ति दिलाऐं और खुद कमीशन का यह काम है कि वहाँ के काम करने वाले कर्मचारियों के हितों का व उनके अधिकारों का संरक्षण करे। उनको वेतन वही मिलना चाहिए जो खादी ग्रामोद्योग कमीशन के कर्मचारियों को मिलता है। यह कितना अन्धेर है कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन जो अपने शो रूम खोलता है और अपने कर्मचारी रखता है उनका ग्रेड और उनका वेतन अधिक होता है और जो खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अन्तर्गत संस्थाएं हैं उनके जो कार्यकर्त्ता हैं उनको उसका आधा वेतन मिलता है। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के कार्यकर्त्ता उन संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं से दूना वेतन पाऐं यह कितना अन्धेर है। तो इसे लेबर कोर्ट से तो आप मुक्त कराइए ही लेकिन साथ-साथ यह भी कीजिए कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अन्तर्गत जो संस्थाऐं काम करती हैं उनको खादी ग्रामोद्योग अपने कमीशन कार्यकर्त्ताओं के बराबर वेतन मिले।

इन शब्दों में साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं। परन्तु मैं यह नहीं जानता कि यह कितना कारगर होगा। यह इसलिए किया जा

रहा है क्योंकि खादी और ग्रामोद्योग आयोग जिसे 1956 से गठित किया गया था इस समय उन प्रयोजनों को पूरा नहीं कर पा रहा है जिनके लिए इसे गठित किया गया था। अभी हाल ही तक, इसके अध्यक्ष और इसके कर्मचारियों में कोई घनिष्ठ सम्बन्ध था ही नहीं। हर रोज संसद सदस्यों के पास कर्मचारियों की शिकायतें आती रहती थीं। अब मुझे बताया गया है कि इसके अध्यक्ष को बदल दिया गया है। लेकिन यह कोई खास बात नहीं है। जिस मूल प्रयोजन के लिए इस आयोग का गठन किया गया था उसके अनुसार आयोग को एक अभियान की तरह कार्य करना चाहिए था। परन्तु दुर्भाग्यवश यह आयोग भी सरकार के अन्य विभागों की तरह काम कर रहा है। इसे इस तरह का नहीं होना चाहिए इसे जन-आन्दोलन के रूप में होना चाहिए था। आप खादी और ग्रामोद्योगों का प्रचार-प्रसार करने में एक विभाग की तरह काम नहीं कर सकते।

महोदय, इस संशोधन के संबंध में, श्री रामकृष्णय्या की अध्यक्षता में एक समीक्षा-समिति का गठन किया गया था। उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह बताया गया है कि ये संशोधन रामकृष्णय्या समिति की सिफारिशों के आधार पर लाये गये हैं। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रामकृष्णय्या समिति ने इन्हीं दो संशोधनों का सुझाव दिया था--एक तो ग्रामोद्योगों को पुनः परिभाषित करना तथा दूसरा खादी और ग्रामोद्योग आयोग का पुनर्गठन करना ? क्या सरकार को रामकृष्णय्या समिति की पूरी रिपोर्ट मिल गई है ? क्या सरकार यह नहीं कहती कि उसने रामकृष्णय्या समिति की सिफारिशों को पूर्णतया स्वीकार कर लिया है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्री रामकृष्णय्या ने कोई और भी सिफारिशें की हैं और क्या ये सभी सिफारिशें इस विधेयक में शामिल कर ली गई हैं। केवल मुख्य दो सिफारिशें हैं ग्रामोद्योगों को पुनः परिभाषित करना और इस आयोग का पुनर्गठन करना। यहां तक कि मंत्री जी ने भी यह कहा है कि उन्होंने रामकृष्णय्या समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि ग्रामोद्योग को पुनः परिभाषित किया जाये। फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूं। यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामोद्योग अयोग ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के प्रोत्साहन पर ध्यान केन्द्रित करे। ग्रामोद्योग की परिभाषा में संशोधन कर दिया गया है ताकि भविष्य में केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को ही खादी ग्रामोद्योग आयोग से वित्तीय सहायता मिले। ग्रामोद्योग की परिभाषा क्या है ? ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी उद्योग इसमें शामिल हैं बशर्ते कि उनमें 15,000 रुपए से अधिक पूंजी निवेश न हो। इसका आशय है कि यह 15,000 रुपया केवल मशीनें और उपकरणों के लिए है या इसमें भूमि और इमारत भी शामिल है ? माननीय मंत्री जी को इस मुद्दे को स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि यह परिभाषा यहां स्पष्ट नहीं है। यदि इसमें भूमि और इमारत भी शामिल हैं तो इससे अनेकों ग्रामोद्योगों का भला नहीं हो सकता। इसके बावजूद, समीक्षा समिति ने यह सिफारिश भी की है कि यह सीमा कम से कम 30,000 रुपये होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि आपने इसे क्यों बदल दिया है। आपने इसे थोड़ा लचीला जरूर बना दिया है। परन्तु न्यूनतम राशि जैसा कि कई सदस्यों ने सुझाव दिया है, 30,000 रुपए होनी चाहिए।

मैं तो केवल कुछ टिप्पणियां ही करना चाहता हूं। मैंने यह कहा है कि खादी को प्रोत्साहन देने का एक अभियान चलाया जाना चाहिए। राजनीतिक दल, विशेष रूप से कांग्रेस और जनता जिन्होंने महात्मा गांधी के उपदेशों को मानने की कसम खाई थी, उस कार्य को आगे बढ़ाने में असफल रहे हैं जो महात्मा गांधी ने आरम्भ किया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम सरकार से ऐसा करने की आशा करते हैं और वह भी आयोग के द्वारा। मैं चाहता हूं कि स्वतन्त्रता पूर्व के दिनों की स्वदेशी भावना को फिर से जागृत किया जाये। महोदय, इसका दोषी मैं भी हूं। मैं निगम

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

का सदस्य होने तक नियमित रूप से खादी काता करता था। जब से मैं निगम का सदस्य बना। फिर विधायक और फिर मन्त्री बना, तब से मैं इसे भूल गया और मैंने इसे छोड़ दिया। शायद, मन्त्रियों सहित सभी ने हमें भुला दिया है। अब हो सकता है रंगा जी अभी भी सूत कातते हों।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मन्त्री तो औरों की कताई करते हैं ?

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री श्री बेंगल राव से जो बहुत अनुभवी प्रशासक हैं और अपने युवा मित्र श्री अरुणाचलम से यह अनुरोध करता हूँ कि वे इस मामले में व्यक्तिगत दिलचस्पी लें। आप यह सुनिश्चित करें कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग कारगर ढंग से कार्य करे। जैसा कि प्रो० एन० जी० रंगा ने कहा है कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या का हल केवल ग्रामोद्योग ही है। लोग काम या नौकरी के लिए शहर क्यों आते हैं ? ऐसा इसलिए है कि आप उनको रोजगार नहीं दे पाये हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 1984-85 के अन्त तक सभी राज्यों में किया गया निवेश और उपलब्ध कराये गए रोजगार इस प्रकार हैं:—

अनुदान	334.87 करोड़ रु०
ऋण	582,00 करोड़ रु०
पैदा किए गए रोजगार के अवसर	37.89 लाख रु०

1000 करोड़ रुपये से कम राशि से अपने 37.89 लाख लोगों को स्थाई रोजगार उपलब्ध कराया है जब कि किसी ऐसे उद्योग में जिसे आप चला रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करके भी आप कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं ? अधिक से अधिक 1000 लोगों को। अब आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के आयात के पश्चात शायद आपको 10000 कर्मचारियों से अधिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बंगलौर शहर के पास एक ग्राम में जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक कपड़ा मिल लगी है जिसमें 90 से भी कम कर्मचारी काम कर रहे हैं। लेकिन जब यह बम्बई में स्थित थी तो इसमें 1000 कर्मचारी काम करते थे। अब कपड़ा मिल में आधुनिकीकरण के कारण 90 से भी कम कर्मचारियों से काम चल रहा है। उसे केवल 90 कर्मचारियों की ही जरूरत है। इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान आप कैसे कर रहे हैं। यह असम्भव बात है। आप बेरोजगारी की समस्या के समाधान की बात तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। आप केवल उन बेरोजगारों की बात करते हैं जिनका नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज है। देश में करोड़ों ऐसे बेरोजगार हैं जिनका नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज नहीं है। ऐसे भी अनेकों हैं जिनके पास पूरा रोजगार नहीं है। इस समस्या के समाधान का एक ही तरीका है और वह है ग्राम और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अतः मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वह यह सुनिश्चित करें कि खादी और ग्रामोद्योगों का विकास-कार्य एक अभियान के रूप में परिवर्तित हो जाये। सम्पूर्ण उत्साह से लोग इस अभियान के साथ जुड़ जायें।

अब मैं इस आयोग के गठन की चर्चा करूँगा। इसमें 5 के बजाय अब 12 सदस्य होंगे। इनकी योग्यता क्या है ? खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मामलों के कर्णधार कौन-कौन व्यक्ति

होने चाहिए ? इसमें सिर्फ वे ही व्यक्ति होने चाहिए जो इस काम के लिए वचनबद्ध और समर्पित हों । पदेन अधिकारी इस प्रयोजन को पूरा नहीं कर पायेंगे । मैं अपने राज्य कर्नाटक में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के पिछले अध्यक्ष श्री वी० टी० मागिदी को जानता हूं जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया क्योंकि वह स्वतन्त्रता सेनानी थे और इस कार्य को प्रति पूर्णतया समर्पित थे। जब आप इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं तो केवल उन्हीं व्यक्तियों को चुनिए जो इसके प्रति समर्पित हों । आप इस सम्बन्ध में प्रो० एन० जी० रंगा जैसे लोगों से सलाह ले सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसमें कथनी और करनी में अन्तर है । (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वे आपको इसमें रखेंगे । चिन्ता मत कीजिए ।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि कर्नाटक में खादी बोर्ड के पिछले अध्यक्ष एक कांग्रेसी ही थे जिन्हें जनता सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था क्योंकि वह इस आन्दोलन में विश्वास करते थे ।

स्वतन्त्रता के 40 वर्षों के बाद भी हम अभी तक भी खादी की बिक्री पर छूट देते आ रहे हैं । जब तक आप खादी की बिक्री पर छूट नहीं देते तब तक खादी की बिक्री ही नहीं होती । हमें खादी की बिक्री को निश्चय ही लोकप्रिय बनाना चाहिए । यह केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की नीति होनी चाहिए । स्वतन्त्रता के समय जब इस आयोग का गठन किया गया था, तब हर जगह केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों ही के स्तर पर, बहुत अधिक उत्साह था । उन्होंने यह सुनिश्चित करने की नीति बना ली थी कि सरकारी कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों की वर्दियों के लिए केवल खादी का ही प्रयोग किया जाए । यह भी नीति थी कि ग्रामीण उद्योगों द्वारा निर्मित सामान का ही सरकारी कार्यालयों में प्रयोग किया जाए । शीघ्र ही यह नीति समाप्त हो गई । कपड़ा लॉबी इतनी शक्तिशाली थी कि वे यह सुनिश्चित करने लगे कि कर्मचारी पॉलिएस्टर का तथा अन्य मिलों के कपड़े का प्रयोग करें । उन्होंने कर्मचारियों को खादी के कपड़े का प्रयोग न करने के लिए उकसाने का प्रयास किया । इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि हमें इस स्थिति को बदलना चाहिए । हमें सरकारी कर्मचारियों को खादी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनसे ऐसा करने के लिए अपील करनी चाहिए क्योंकि आजकल हम खादी में भी अच्छी किस्म का कपड़ा प्राप्त कर सकते हैं यह उतना ही अच्छा कपड़ा होता है जैसा कि पॉलिएस्टर का । हमारे पास बहुत अच्छी किस्म का कपड़ा है । हम में से कुछ अब इसे पहन रहे हैं । अतः जो कपड़ा अब उपलब्ध है वह मोटी किस्म की खादी नहीं है । किसी समय हमें मोटी खादी मिला करती थी... (**व्यवधान**) मैं खादी पहन रहा हूं । इसलिए, हमें इसे लोकप्रिय बनाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि सरकारी कार्यालयों में जहां तक संभव हो, खादी का प्रयोग किया जाए । यहां तक कि कभी-कभी खिड़की के पर्दों के लिए आयातित कपड़े का प्रयोग किया जाता है । हम खादी के साथ केवल कहने की सहानुभूति रखते हैं ।

[श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर]

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आप शहरों को छोड़कर कुछ अन्य स्थानों पर खादी के जाली भण्डार देख सकते हैं। हमें ऐसे भण्डारों को, जो खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अप्रमाणित है, समाप्त करना चाहिए। वे जो कपड़ा बेचते हैं वह खादी बिल्कुल भी नहीं होती है। उनका कपड़ा इतना अच्छा और इतना लुभावना होता है कि यहां तक कि कुछ बड़े आदमी और बड़े राजनीतिक व्यक्ति भी इस नकली खादी को खरीदने के लिए वहां जाते हैं। इसलिए हमें इसे समाप्त करना चाहिए। एक शहरी होने के नाते, क्योंकि मैं शहरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही कहा था, मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं। परन्तु इसके साथ-साथ हमें शहरी क्षेत्रों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि खादी और ग्रामीण उद्योग शहरी क्षेत्रों में भी शुरू किये जाने चाहिए। शहरी क्षेत्रों में अनेक उद्योग हैं और विशेषकर भूतपूर्व सैनिक, विधवाएं, विकलांग व्यक्ति और अन्य व्यक्ति इस प्रकार के उद्योगों में लगे हुए हैं जो साबुन, कागज आदि बनाते हैं। हमें इस सम्बन्ध में शहरी क्षेत्र के लिए विशेष योजना बनानी चाहिए। कृपया इसकी उपेक्षा न करिए।

इन शब्दों के साथ ही, मैं यह आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, श्री वेंकट राव व्यक्तिगत रूप से यह देखेंगे कि खादी और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक के कानूनी मसविदे का इस्तकबाल करती हूँ और इसके साथ अपने ख्यालातों को इजहार करने का जो आपने मौका दिया है, इसके लिए भी मैं आपकी शुक्रगुजार हूं।

खादी को गांधी जी ने आजादी की लड़ाई से जोड़ दिया था। यहां तक कि स्वतन्त्रता आन्दोलन में खादी को एक प्रतीक बना दिया गया था और आजादी की लड़ाई में सभी भाग लेने वाले लोगों के लिए खादी को पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। आजादी के बाद भी कांग्रेस ने अपने सदस्यों को आदतन खादी पहनने पर जोर दिया।

खादी के साथ हमारी तवारिख जुड़ी हुई है। गांधी जी ने नए समाज की रचना में खादी को एक खास और अहम दर्जा दिया था। खादी के साथ सिर्फ हमारे भावनात्मक संबन्ध ही नहीं है सिर्फ जजबाती ही रिश्ता नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक और भावना जुड़ी हुई है, वह है—स्वावलंबन।, इसके मारफत बहुत से लोगों को रोजगार मिल सकता है। मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर मुख्तसर में मैं यह कहना चाहती हूं कि प्रधान मंत्री जी गरीबी मिटाने के लिए बहुत जोर-शोर से कदम उठा रहे हैं, इसमें खादी की भूमिका बहुत अहम है। सरकार ने खादी कमीशन को 1400 करोड़ रुपए देने की मंसूबाबन्दी की है, जिसके मातहत करीब-करीब 41 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती है। लेकिन इस क्षेत्र में अगर हम दस हजार रुपए की लागत से काम करें तो कम से कम एक हजार लोगों को मजदूरी मिल सकती है, जब कि औद्योगिक क्षेत्र में एक करोड़ रुपए लगाने पर एक हजार लोगों को नौकरी मिलेगी। इस देश में खादी के द्वारा दस हजार रुपए लगाकर यदि एक हजार लोगों को रोजगार दिला दें, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं के

लिए काम न के बराबर है। इसलिए यदि ग्रामीण क्षेत्रों में खादी केन्द्र खोल कर उनको काम दिया जाए, तो उन लोगों को भी आय हो सकती है और वे आत्मनिर्भर हो सकते हैं।

सरकार ने 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य अपने हाथ में ले लिया है। इसके साथ-साथ गर्भवती महिलाएं और माताओं की देखरेख की जवाबदेही सरकार ने अपने ऊपर ली है। लेकिन जहां तक मेरा अपना निजी अनुभव है, अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं यह कहूंगी कि अभी तक सेफ मदरहुड की व्यवस्था पूरे तौर पर नहीं हो पायी है। इसलिए कहीं न कहीं कमी जरूर है। अगर खादी कमीशन के द्वारा इन महिलाओं को काम दिया, जाए, तो स्वयं वे अपनी व्यवस्था कर सकेंगी और खादी कमीशन की सम्मुख में आज के परिवेश में, आज के माहौल में एक अहम भूमिका होगी।

फिर पिछड़े इलाकों में जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पायी है, वहां जाहिर है कि पैदावार बहुत कम है। भूमिपति न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से मजदूरों में असंतोष फैलता जा रहा है और तनाव की स्थिति बनती जा रही है। फिर रोजगार के अभाव में नवयुवकों में बहुत अशान्ति फैल रही है, असंतोष पैदा हो रहा है और उनमें अनुशासनहीनता पैदा हो रही है। इससे जन-जीवन उत्पीड़ित हो उठा है।

एन्टी पावर्टी प्रोग्राम एवं खादी कमीशन के कार्यों के द्वारा रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसका प्रभाव आज के उद्वेलित जनजीवन पर पड़ेगा। खादी कमीशन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। खादी कमीशन के बोर्ड में ऐसे सदस्यों को लेना चाहिए जिन्हें आदतन खादी पहनने का शौक हो और उनमें खादी के प्रति ममता हो।

इस संशोधन के जरिए जहां बोर्ड की सदस्य संख्या 13 करने का प्रस्ताव है, वहां साथ साथ सभी पदाधिकारियों को पदेन सदस्य भी बनाने का प्रावधान है। मैं इसके खिलाफ हूं और इसका विरोध करती हूं। अफसरों को बोर्ड का सदस्य बनाने से अफसीरयत को तरजीह मिलेगी लेकिन उनमें खादी से क्या लगाव है, क्या रुचि है। क्षेत्रीय आधार पर गैर सरकारी सदस्यों को लाने का प्रावधान है। मेरा सुझाव है कि जिन क्षेत्रों में खादी का अधिक प्रभाव है, प्रचार है, उस क्षेत्र के प्रतिनिधि को अवश्य लिया जाये। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उन्हीं व्यक्तियों को लिया जाए, जो खादी के उत्पादन और वितरण के सम्बन्ध में जानते हों। ऐसे लोगों को इसमें बहाल करना चाहिए। यह खुशी की बात है कि 12 केन्द्र बनेंगे और उनके द्वारा इसकी देखभाल होगी लेकिन अगर इसमें 7, 8 भी सही रूप में बना दिये जाएं, तो ज्यादा अच्छा होगा और लड़ाई झगड़े का मौका नहीं मिलेगा।

मैं इस पर और ज्यादा नहीं कहना चाहती। यह बहुत पुरानी बात है कि खादी का एक महत्व है। उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में हमारे और भाइयों ने बताया है।

इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और डिप्टी स्पीकर साहब, आपने जो मुझे बोलने को मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मूल विधेयक में जो संशोधन का विधेयक लाया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं यह कहना चाहूंगा कि देर से आए मगर दुरुस्त आए। कमीशन

[श्री हरीश रावत]

का गठन न होने के कारण खादी एण्ड विलेज कमीशन की एक्टिविटीज एकदम ठप्प पड़ी हुई थीं। वह कम से कम स्टार्ट हुई हैं। भारत जैसे देश में, जहां पर बेरोजगारी और गरीबी का परसेन्टेज बहुत अधिक है, कमीशन के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। इस क्षेत्र में काम करने का लेकिन यह देखकर बड़ी तकलीफ होती है कि बावजूद हमारे कमिटमेंट के, बावजूद हमारी सारी कोशिशों के, अभी तक हम सारे देश के जितने विकास खंड हैं, उनके 10 प्रतिशत को भी कमीशन की एक्टिविटीज के दायरे के अन्तर्गत नहीं ला पाए हैं, वहां तक हमारा दायरा नहीं बढ़ पाया है और देखने की बात यह है कि छठी पंचवर्षीय योजना में मंत्री जी के हिसाब से जो आऊटलें छठी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए थीं, सातवीं पंचवर्षीय योजना में दुगने से कुछ अधिक हैं, मगर हमारे हिसाब से कमीशन के सामने जो काम है, उनको देखते हुए यह जो आउटले हैं, यह बहुत कम है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। एक तरफ हम कमीशन से उम्मीद करते हैं कि गरीबी उन्मूलन जैसे बड़े कामों में वह आगे बढ़कर हाथ बटाएगा और काम करेगा और दूसरी तरफ उसके लिए केवल 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की हैं और उस में रिवेट इत्यादि सब मिलकर 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, जो अपने आप में काम और जिम्मेवारी को देखते हुए बहुत कम है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि यदि सातवीं पंचवर्षीय योजना में आऊटलें नहीं बढ़ा सकते, तो कम से कम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन्स के साथ इस तरह से टाई-अप करें कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इंडस्ट्रीज हैं कमीशन के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, उनको बैंक आगे आकर सहायता करें और सतर्कता से पूरी मदद करें।

अभी तक हमारे जो खादी ग्रामोद्योग कमीशन का काम है, इसका काम हमारे दक्षिण के राज्यों में बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन नार्थ में इसका काम खादी तक ही अधिकतर सीमित है। बिहार और उत्तर प्रदेश में हैण्डीक्राफ्ट के क्षेत्र में बहुत कम काम हुआ है। जब माननीय मंत्री जी कमीशन को नये सिरे से गठित कर रहे हैं तो वे इस बात को देखने की कृपा करें कि उत्तर भारत में हैण्डीक्राफ्ट को बढ़ाने की दिशा में कमीशन अपनी जिम्मेदारी को निभाये और इस काम के लिए आगे आये।

इस समय हमारा जो कमीशन है इसको देखने का मुझको भी अवसर मिला है क्योंकि मैं मजदूर संगठनों से सम्बद्ध रहा हूं। उनका व्यवहार एक परफेक्ट ब्योरोक्रेट का सा रहा है। उनसे व्यवहार करने में ऐसा महसूस होता कि एक ब्योरोक्रेट से डील किया जा रहा है। जब कि होना यह चाहिए कि इसमें आंतरिक जनतंत्र होना चाहिए था, मजदूरों का सेंस आफ इन्वालवमेंट होना चाहिए था। इसमें यह देखने को नहीं मिला। इसमें देखने को यह मिला कि हम इसके अध्यक्ष से बात नहीं कर रहे हैं, किसी सैक्रेटरी से बात कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि सैक्रेटरी का व्यवहार अच्छा नहीं होता। लेकिन भविष्य में आप यह देखने की कृपा करें कि जो कमीशन हो, उसके अध्यक्ष, सदस्य जो हों, उनका व्यवहार एक डेमोक्रेट का होना चाहिए। उनको यह मानना चाहिए कि उन्हें मजदूरों में सेन्स आफ इनवालवमेंट पैदा करनी है ताकि मजदूरों को यह लगे कि कमीशन उनका है, उनके हितों को संरक्षण देने वाला है।

जहां आपने इस एक्ट में बहुत अच्छे प्रावधान किये हैं वहां आपने एक बात छोड़ दी है। आप इसमें सब क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधित्व देने जा रहे हैं लेकिन आपने इसमें मजदूरों को प्रतिनिधित्व नहीं

दिया है। जिनके हितों के संरक्षण के नाम पर आप करोड़ों रुपये का प्रावधान कर रहे हैं, अगर उन मजदूरों का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि इसमें एक बहुत बड़ी कमी रह जाएगी। इस कमी को दूर करने का अब भी आपके सामने अवसर है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कमीशन के अन्दर कम से कम एक प्रतिनिधि मजदूरों का भी होना चाहिए। आपको इस व्यवस्था को करना चाहिए। मैं गिरधारीलाल जी व्यास की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जब तक इसमें मजदूरों को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तब तक एक बहुत बड़ी बात इसमें खटकती रहेगी।

मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि आपने ग्रामीण उद्योगों का विकास करने की बात कही है और इसके लिए आपने अलग से फण्ड की भी व्यवस्था की है। लेकिन आपने इसके लिए जो 15 हजार रुपये की बात कही है, यह बहुत कम धनराशि है। मैं नहीं समझता कि इतनी कम धनराशि में कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हो सकता है, मैं नहीं समझता कि इसके जरिये लोगों के लिए सार्थक रोजगार देने की स्थिति में काम हो सकता है। होना तो यह चाहिए था कि यह धनराशि 50 हजार रुपये होती क्योंकि आजकल के जमाने में यह राशि भी कम है। आप इसे अगर 50 हजार रुपये नहीं कर सकते हों तो इस धनराशि को कम से कम 30-35 हजार रुपये तक तो ले आएं। इस राशि को आप बढ़ाइये।

साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-कौन से उद्योग होंगे, इसको भी डिफाईन करने की जरूरत है। इन उद्योगों के दायरे के अन्दर मनमाने तरीके से आईटम्स को शामिल कर पैसा न बहा दिया जाए। इन उद्योगों के ऐसी आइटम्स आनी चाहिए जिनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता हो, जिनसे हमारी इकोनौमी प्रोस्पर हो। इस प्रकार की छोटी-छोटी आइटम्स इन उद्योगों में आनी चाहिए।

2.54 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

मैं अन्तिम यह निवेदन करूंगा कि जो हमारे ज्यादा पिछड़े क्षेत्र हैं उनकी ज्यादा देखने की जरूरत है। सारे देश में देखा जाए, तो जो एरियाज इकोनोमीकल्ली डवलप्ड है, उन एरियाज में कमीशन की एक्टिविटीज बहुत अच्छी हैं। जो बार्डर एरियाज हैं, हिल्ली एरियाज हैं, अण्डर डवलप्ड एरियाज हैं, वहां कमीशन की एक्टिविटीज बहुत कम हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आपने नैनीताल को चुना है जो हिन्दुस्तान का सबसे डवलप्ड पर्वतीय क्षेत्र है। पिथौरागढ़, चमोली जैसे सबसे पिछड़े हुए पर्वतीय क्षेत्रों को जहां कि हैण्डीक्राफ्ट डवलप्ड है, आपने छोड़ दिया है। वहां आदिवासी और जनजाति के लोग रहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछड़े क्षेत्रों का भी चयन हो जाना चाहिए। इसके लिए कमीशन को कहा जाना चाहिए वह अपने कार्यक्षेत्र में पिछड़े क्षेत्रों को लाये, पिछड़े विकास खण्डों को लाये ताकि उन एरियाज का विकास हो सके। मुझे उम्मीद है जिस तरह से गांधी जी ने खादी को स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ जोड़ा था, उसी तरह हमारे कमीशन के काम भी देश के आर्थिक विकास के आन्दोलन के साथ जुड़ पायेंगे।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और इस कारण करता हूँ कि कानून में जो संशोधन आये हैं, ये इस क्षेत्र में ज्यादा सुदृढ़ और कारगर साबित होंगे।

श्रीमन्, इस अवसर पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो एक कड़वी हकीकत है, जब हम ग्रामोद्योग की बात करते हैं, जैसा अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा, तो हमारा ध्यान आजादी की लड़ाई की तरफ जाता है, गांधी जी की तरफ जाता है, अभी भी मैं समझता हूं कि वह संदर्भ समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन औद्योगिक विकास और वैज्ञानिक प्रगति की जो चकाचौंध है, उससे इन चालीस वर्षों में इसका महत्व बहुत ओझल रहा है। यह कहा जाए तो उचित होगा कि खादी और ग्रामोद्योग का जितना महत्व गांधी जी देश में चाहते थे, उतना हम बनाये रखते तो शायद बेरोजगारी की जो स्थिति देश में है, वह नहीं होती। आज जितने लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, उतने लोग नहीं रहते। हमने लिप सर्विस तो की है, हमने यह कोशिश की है कि आंदोलन जीवित रहे, लेकिन इसको लिविंग फोर्स हम नहीं बना पाए। इसको हमने इस ढंग से चलाया और शायद इसमें हमारी कमजोरी थी कि हम इसको खत्म नहीं कर सकते थे, इसलिए इसको खत्म अभी नहीं किया है, लेकिन लिविंग फोर्स हम नहीं बना पाये।

यह सही है कि आज नई तकनीक की आवश्यकता है, नवीनीकरण की आवश्यकता है, वैज्ञानिक तरीके अपनाएं और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाएं, लेकिन देश की जो इतनी बड़ी जनसंख्या, और देश की जो गरीबी है, उसकी हालात में सुधार हो और खादी-ग्रामोद्योग में ही संभव है, अब भी उसी में हो सकता है। यह थोड़ी सी खुशी की बात है कि शासन ने पिछले दो वर्षों में थोड़ा सा रुख अपनाया है, उसे पर्याप्त तो नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी "समथिंग इज बैटर दैन नथिंग," नई कपड़ा नीति में यह बताया गया है कि हम इसको प्रोत्साहन देंगे, सुदृढ़ करेंगे, लेकिन यह थोड़ा प्रोत्साहन है, सूती कपड़े पर 10% रिबेट थी, इसको 15 प्रतिशत किया है, लेकिन श्रीमन् आप फिगर्स देखें तो पता चलेगा कि एक कार्यकारी दल बनाया गया था और उसकी रिपोर्ट के अनुसार 1985-86 में खादी में आपने 988 लोगों को प्रशिक्षित किया है। इतने बड़े देश में सिर्फ इतने लोगों को प्रशिक्षित किया है और इसी तरीके से ग्रामोद्योग में 7600 लोगों को प्रशिक्षित किया किया है। यही नहीं एक वर्ष में अतिरिक्त रोजगार 1.19 लाख लोगों को दिया गया है, यह आज की हमारी स्थिति है। आज चालीस लाख लोग काम करते हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना का हमने 50 लाख का टारगेट बनाया है, यह दयनीय स्थिति वास्तविक है। इसमें हम निश्चितरूप से सुधार करने जा रहे हैं, इसके लिए कदम उठाये हैं, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि आज हम स्वतंत्रता की चालीसवीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इसमें अगर हम इसके सही महत्व को स्थापित कर सकें तो देश का काफी भला होगा।

श्रीमन् हमारे और भाइयों ने भी कहा, मैं भी इस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि मजदूरों को उचित स्थान दिया जाना चाहिये लेकिन श्रीमन् आपकी रिपोर्ट कुछ कहती है और माननीय मन्त्री जी भोपाल गये थे, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वहां पर गैस पीड़ित लोगों के लिए कुछ वर्कशेड बनाये गए हैं, जहां पर अलग-अलग संस्थायें काम करती हैं, उसमें खादी-ग्रामोद्योग को भी दो शेड दिए गए हैं जहां पर अगरबत्ती, साबुन और माचिस आदि बनवाए जाते हैं, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि वहां पर हमारी जो बहनें काम करती हैं, भाई काम करते हैं, उनको 8-10 घन्टे

काम करने के बाद भी मिनीमम वेज नहीं मिलता । या तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पास कच्चे माल की सहूलियत नहीं है, जिस रेट पर मिलना चाहिए, उस पर नहीं मिलता या प्रोडक्शन कास्ट ज्यादा है ।

3.00 म० प०

पूरे देश में मिनीमम वेज देना चाहते है और हर जिले में मिनीमम वेज निश्चित है तो सात या आठ रुपया लोगों को मिले, मैं समझता हूं यह स्थिति अच्छी नहीं है । खादी ग्रामोद्योग आयोग और जो विभिन्न राज्य हैं, उनके बीच में समन्वय के साथ-साथ इसका कुछ न कुछ नियन्त्रण रहना चाहिए । उनके लिए कच्चे माल और विपणन की व्यवस्था का प्रबन्ध ठीक तरीके से होना चाहिए । राज्य सरकारों को मजबूर करना चाहिए कि उनकी जो आवश्यकतायें हैं, उनमें निश्चित रूप से खादी ग्रामोद्योग आयोग या विभिन्न राज्यों के जो बोर्ड हैं, उनका जो उत्पादन होता है, उसको निश्चित रूप से लेना चाहिए । अगर आपको इस मूवमेंट को एक शक्ति बनाना है तो उसको ईमानदारी के साथ और एक निश्चय के साथ इसको आगे बढ़ाना चाहिए अन्यथा जिस तरह से लिप सर्विस करते आए हैं, वह चलती रहेगी । खादी ग्रामोद्योग का नाम इस दुनिया में तब तक कायम रहेगा जब तक गांधी जी का नाम रहेगा । जैसे उनके उसूलों को हम धीरे-धीरे छोड़ते जा रहे हैं, उसी तरह उनके बुनियादी आंदोलन को भी छोड़ा है । पांच हजार विकास खण्डों में पांच सौ में आयोग के केन्द्र हैं । यह हमारी चालीस साल की प्रगति बता रही है । मुझे आशा है कि सुधार के साथ-साथ गांधी की जो इच्छा थी और आज हमारे देश की आवश्यकता है कि इतनी बड़ी आबादी को रोजगार दिया जाए, गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाए तो सबसे बड़ा अस्त्र खादी ग्रामोद्योग का हो सकता है । मैं समझता हूं, मंत्रीजी इस तरफ ध्यान देंगे । रंगाजी जैसे लोगों की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाइये जो इसमें जान डाल सके और देश के लिए लाभकारी बना सकें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राज कुमार राय (घोसी) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं खादी ग्रामोद्योग आयोग के इस संशोधन का स्वागत और समर्थन करता हूं । यह बहुत ही खुशी की बात है कि वेंगल राव जी जैसे हमारे उद्योग मन्त्री हैं और अरुणाचलम जी जैसे उद्योग राज्य मन्त्री इस काम को देख रहे हैं । चालीस वर्षों की आजादी के बाद हम यह देखते हैं कि जहां हिन्दुस्तान में हर चीज में प्रगति हुई, वहां खादी ग्रामोद्योग आयोग के मामले में हमने कोई प्रगति नहीं की । गांधी जी ने खादी को एक आन्दोलन के रूप में खड़ा किया था, रंगा जी और हमारे पुराने लोग इस बात के साक्षी हैं । उन्होंने इस आन्दोलन को स्वावलम्बन और एक अस्त्र बनाकर खड़ा किया था और गांव-गांव में फैलाया था । इसमें गांव स्वावलम्बी थे । लेकिन आज इसका नगर-उद्योग हो गया है क्योंकि यह नगरों की तरफ बढ़ गया । इस उद्योग का भी अरबनाइजेशन हो गया । आवश्यकता इस बात की है कि जहां इस तरह के योग्यतम लोग बैठे है तो इस विधा पर रोक लगाई जाए और खादी ही रहने दिया जाए । उत्तर प्रदेश की आबादी देश की आबादी का 18 फीसदी और पूरे बजट का सात फीसदी उत्तर प्रदेश को दिया जाता है । 30% लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं । उत्तर प्रदेश का इतना कम बजट है, आखिर कोई क्या कहेगा । आपकी मंशा यह होनी चाहिए कि इस बजट को उन इलाकों में ले जाएं जहां लोग पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं और बेरोजगार हैं तथा काम के बिना तरस रहे हैं कि दिन में चार-पांच घंटे सूत कातें और उन्हें कुछ मिल जाए ।

लेकिन यह बड़े-बड़े अनुदान और बड़ी-बड़ी धनराशियां दी जा रही हैं, यह सब बड़े-बड़े लोगों के पेट में जा रहे हैं । इसका सही उपयोग नहीं हो रहा है इसलिए आप नया कमीशन बना

[श्री राजकुमार राय]

रहे हैं तो आपका नैतिक दायित्व है, कानूनी दायित्व को आप खूब समझते हैं, गांधी जी के नाम पर यह दायित्व है, खादी के नाम पर दायित्व है और भारतीयता के नाम पर दायित्व है, इन सब चीजों का आप पता लगायें। हमारे यहां पर छोटी-मोटी इकाइयां हैं, बलिया में रतनपुर और आजमगढ़ में दोही में सिर्फ नाम का ही काम शुरू हुआ है बड़े-बड़े शहरों में जहां मगरमच्छ लोग बैठे हुए हैं वहां पता नहीं क्या होता है। इसकी आपको साइकलॉजी बदलनी होगी। में एक केस बताना चाहता हूं। मैं अरुणाचलमजी का बड़ा उपकार मानता हूं। मैंने एक ट्रांसफर के लिए, योग्य व्यक्ति, उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि यह हिल बोर्डर कैडर में होता है और जब मैंने 20 केस दिए कि हिल बोर्डर केस को आपने इसमें कैसे कर दिया तो यह करने को तैयार हुए, लेकिन आदेश इस तरह से, चालाकी से कर दिया जब तक कोई व्यक्ति नहीं जायेगा तब तक वह रिलीव नहीं होगा। दो महीने हो गये, न वह जायेगा न उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा। ऐसे आर्डर बेवकूफ बनाने के लिए किए। हमारे सांसदों का प्रिवोलेज है उसका हनन किया। मैंने जिस व्यक्ति के लिए लिखा उसको कहा गया।

[अनुवाद]

"आपके विरुद्ध कार्रवाई क्यों न की जाए क्योंकि एक संसद सदस्य ने आपके पक्ष में लिखा है ?" खादी और ग्रामोद्योग में इस प्रकार की स्थिति है।

[हिन्दी]

नौकरशाही किस तरह से काम कर रही है। मंत्री जी आप मुझ से अपनी मेरिट कहें मैं इनकी मेरिट को समझा और यह आदेश दिया, लेकिन

[अनुवाद]

नौकरशाह तो नौकरशाह हैं। वे सब कुछ हैं। वे बदल नहीं सकते हैं। उनके आदेश बदले नहीं जा सकते। वे मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

हमारी जैनुइस प्राब्लम को नहीं समझ सके। उनके मन में यह नहीं आया कि जब मेम्बर आफ पार्लियामेंट की सिफारिश है, किसी योग्य व्यक्ति के बारे में है तो उसको नहीं करने का औचित्य क्या है।

[अनुवाद]

वे जो कुछ कहते हैं वह वेद वाक्य है और कुछ नहीं।

[हिन्दी]

इसलिए में निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रवृत्ति को जल्दी से जल्दी खत्म करें। मैं अन्तिम बात नामिनेशन के बारे में कहना चाहता हूं। नामिनेशन में सच्चरित्र और ईमानदार लोगों को लें

जिनकी खादी ग्रामोद्योग में आस्था हो, उनको लिया जाए। हमारे जिले में एक ऐसा व्यक्ति जो इंडस्ट्री का डिप्टी मिनिस्टर था अनलाफुल असेम्बली बनाने के लिए जिसको 6 साल की सजा हुई थी यह कह दिया कि वह फीडस फाइटर है। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ हवाई जहाज पर घूमेगा और भत्ता बनायेगा खादी ग्रामोद्योग के बारे में क्या सोचेगा। इन सारी चीजों की छानबीन की जानी चाहिए। अंत में मैं उम्मीद करता हूं ऐसे विद्वान मंत्री जी आप जरूरत नोकरशाही पर अंकुश लगायेंगे और जैसा गांधीजी चाहते थे, विनोबा जी चाहते थे, इन्दिरा जी चाहती थी, हमारे प्रधानमंत्रीजी और रंगा जी चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री नरायण चौबे (मिदनापुर) : सभापति महोदय, मुझे केवल एक बात कहनी है। जैसा कि कांग्रेस के अधिकांश नेताओं और संसद सदस्यों ने बताया है कि चूंकि लगभग 40 लाख श्रमिकों और कारीगरों इसमें लगे हुए है इसलिए उनके हितों की रक्षा के लिए इस विधेयक में कुछ उपबन्ध होने चाहिए।

श्री बेंगल राव : हम उनके प्रतिनिधि हैं हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे।

श्री नारायण चौबे : परन्तु आपको यह समझना चाहिए कि आप एक अस्थायी श्रमिक हैं और नौकरशाह और अधिकारी गण स्थायी है। मुझे केवल यही बात कहनी हैं और कुछ नहीं।

संक्षेप में, मैं कहना चाहूंगा कि यदि आज नहीं तो बाद में आपको उन श्रमिकों और कारीगरों के हितों की रक्षा के लिए कुछ उपबन्ध शामिल करने लिए एक संशोधन लाना चाहिए। जिनके साथ आज भी बड़े लोगों द्वारा बहुत अनुचित ढंग से व्यवहार किया जाता है। मुझे आशा है कि आप इस पर विचार करेंगे और जनता का प्रतिनिधि होने के नाते यह देखेंगे कि कुछ किया जाय और यह कार्य केवल नौकरशाहों के भरोसे नहीं छोड़ेंगे।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं यह एक छोटा विधेयक है परन्तु हमारे ऐतिहासिक विकास को देखते हुए इसका बहुत महत्व है। हम सब खादी और ग्रामीण उद्योगों के साथ भावात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। विधेयक के लिए यह अच्छी बात है कि इस ओर से हमारे प्रथक वक्ता, प्रो० रंगा आंध्र प्रदेश के हैं। विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन में खादी उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय किया गया था। दूसरे इस विधेयक को पेश करने वाले मंत्री महोदय भी आंध्र प्रदेश के हैं, महोदय, उस समय के बाद से खादी के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उस समय उन्होंने खादी के उत्पादन में केवल 3 लाख रुपए निवेश किये थे और अब बैंक खादी बनाने वाले विभिन्न संस्थानों को 80 करोड़ रुपये प्रदान कर रहे हैं और समिति के मतानुसार यह धनराशि भी पर्याप्त नहीं है।

महोदय, यह विधेयक केवल इस दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खादी आयोग को इस देश के ग्रामीण ओद्योगिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बनाता है। महोदय, गांधीजी ने ग्रामीण उद्योगों की वकालत की थी। जिन्हें हमारी नई शब्दावली के अनुसार लघु क्षेत्र भाग में शामिल किया गया है। अब, आयोग का कार्यक्षेत्र बढ़ाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत, जैसा कि गांधी जी ने परिकल्पना की थी, केवल ग्रामीण उद्योग ही नहीं बल्कि ग्रामीण

[श्री आई० एस० महाजन]

क्षेत्रों के सभी उद्योग आयेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योग लग रहे हैं और वे चाहे बिजली का प्रयोग करते हैं चाहे नहीं तथा चाहे वे 10 व्यक्तियों से अधिक की नियुक्ति करते हैं अथवा नहीं। वे खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के अन्तर्गत आएंगे। चूंकि नए उद्योग लगते जा रहे हैं और वे देश में देश में औद्योगिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बनेंगे, इसलिए आयोग की भूमिका बिल्कुल बदल जाएगी और इसका कार्य पहले की तुलना में बिल्कुल भिन्न होगा। यह देश में औद्योगिकरण का एक प्रमुख माध्यम बनने जा रहा है। मेरे विचार से हमारे देश में गरीबी का एक मात्र समाधान ग्रामीण औद्योगीकरण है। अखिरकार, कृषि क्षेत्र में सीमित व्यक्तियों को ही रोजगार दिया जा सकता है; भूमि सीमित है, परन्तु जहां तक उद्योगों का प्रश्न है, महोदय, उद्योगों के विकास की कोई सीमा नहीं है। यह पाठ हम औद्योगिकृत देशों के अनुभव से सीख सकते हैं।

फिर, महोदय, कुछ सदस्यों ने कहा है कि भूमि श्रम और मशीनों पर पूंजी व्यय की। प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये की सीमा बहुत कम है परन्तु अधिनियम में इसमें वृद्धि करने का उपबन्ध है। यदि अनुभव से यह पता चलता है कि यह सीमा बढ़ायी जानी चाहिए, तो इसे बाद में भी बढ़ाया जा सकता है। उपबन्ध कठोर नहीं है।

महोदय, इस अधिनियम से महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। यह दूसरे ढंग से आयोग के कार्य-क्षेत्र को बढ़ाता है और इसमें कहा गया है कि इसे कच्चा माल प्रदान करने, कच्चा माल बैंक स्थापित करने तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी विकास का कार्य भी करना चाहिए। महोदय, इस मामले में आयोग ने गत कुछ वर्षों में काफी अच्छा कार्य किया है। आयोग ने हजारों की संख्या में नये मॉडल चर्खे और आंबर-चर्खे स्थापित किए हैं। लोगों का इन ग्रामीण उद्योगों की ओर आकर्षित न होने का कारण यह है कि उनकी उत्पादकता कम है और उन्हें निम्न जीवन स्तर रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका कार्य अधिक उत्पादनकारी नहीं है और इसलिए विधेयक के अन्तर्गत उन पर विकास करने की जिम्मेदारी डालने से श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ेगी और इससे हम उनकी मजदूरी बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। महोदय, सदस्यों ने शिकायत की है कि उन्हें अधिक वेतन नहीं मिलता है उन्हें राज्य सरकारों द्वारा अपने संबन्धित क्षेत्रों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी मिलती है। महोदय, यदि उत्पादकता बढ़ती है तो मजदूरी में भी वृद्धि हो सकती है।

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्पादकता के साथ-साथ ग्रामीण उद्योगों के कार्य की गुणावत्ता भी बढ़नी चाहिए। ग्रामीण उद्योग की परिभाषा को व्यापक बनाना, आयोग का कार्य-क्षेत्र बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना और कार्य की गुणवत्ता बढ़ाना सातवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपबन्ध हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में, इस क्षेत्र के उत्पादन के मूल्य को 129 करोड रुपये से बढ़ाकर लगभग 2000 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य है। इसमें रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या भी 40 लाख से भी बढ़कर 50 लाख हो जाने की संभावना है। 10 लाख की वृद्धि कोई अधिक नहीं है। महोदय, इस देश मे हम गरीबी की समस्या का समाधान तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम इस समस्या की मूल समस्या अर्थात तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाने की स्थिति में नहीं हो जाते। खैर, अभी मैं उस पहलू पर नहीं बोलूंगा।

गांधीजी ने इस देश को आजाद कराने और इसे आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामीण उद्योगों को एक प्रमुख माध्यम बनाया था। परन्तु यह उद्देश्य तब तक प्राप्त नहीं

किया जा सकता जब तक हम कार्य की गुणवत्ता, उत्पादकता, श्रमिकों की मजदूरी में भी वृद्धि नहीं करते और अधिक से अधिक व्यक्तियों को इन उद्योगों की ओर आकर्षित न करते।

मैं एक अन्य कारण का उल्लेख करना चाहता हूं। जो बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में खादी और ग्रामीण उद्योग तथा उन अन्य कार्यक्रमों के मध्य संबंध होने चाहिए जिनका उद्देश्य रोजगार और लोगों की उत्पादकता में वृद्धि करना हो मैं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रमों और इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रमों जैसे कार्यक्रमों को हवाला दे रहा हूं। यदि इन कार्यक्रमों को खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग द्वारा किए जा रहे कार्य से जोड़ दिया जाय तो आयोग का कार्यकरण कहीं अधिक प्रभावी होगा। मुझे इस पहलू पर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

मैं बस एक टिप्पणी और करना चाहूंगा जो खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के सदस्यों की संख्या के बारे में है विधेयक में यह कहा गया है कि देश के 6 क्षेत्रों से 6 सदस्य लिए जायेंगे। मेरा यह विचार है कि यदि केवल 6 क्षेत्र ही होते है तो प्रत्येक क्षेत्र बहुत बड़ा होगा इनकी संख्या 6 से बढ़ाकर कम से कम 10 अथवा 12 कर दों जाय ताकि क्षेत्रों को भली भांति संभाला जा सके। यदि आपके पास केवल 6 क्षेत्र हैं तो सम्पूर्ण महाराष्ट्र और गुजरात एक क्षेत्र होगा और यदि आप उस क्षेत्र से केवल एक व्यक्ति लेते हैं तो आप यह अपेक्षा कैसे करते हैं कि कार्य वास्तव में प्रभावी होगा? मेरी धारणा है कि आयोग के सदस्यों की संख्या अपेक्षित कार्य के लिये बहुत कम है। इसलिए कृपया उन्हें बढ़ाकर 10 अथवा 12 कर दीजिए। इन टिप्पणियों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूँ कि ग्रामीण उद्योग तथा खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग का कार्य सफल हो।

[हिन्दी]

श्री जगदीश अवस्थी (बिहौर) : महोदय, मैं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। कमीशन को किस प्रकार काम करना चाहिए और इसमें क्या कमियां हैं इस पर हमारे कई माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं।

आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है जो खादी ग्रामोद्योग का उद्देश्य गरीबी दूर करने और रोजगार देने का है, वह पूरा हो। इस काम में खादी ग्रामोद्योग कमीशन कितना सफल हुआ है और कमीशन का काम केवल वित्त पोषण करना ही तो नहीं है यह हमें देखना चाहिए।

आपने कई राज्यों में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भी बना रखे हैं और आप उनको धन देते हैं। इन बोर्डों के माध्यम से ही यह सब काम होता है। देखने में यह आया है कि जिन उद्योगों के लिए कमीशन पैसा देता है उन्हीं उद्योगों के लिए राज्यों के बोर्ड भी पैसा देते हैं। इस डुप्लीकेसी को खत्म करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी देखा जाता है कि इनका आपस में कोई कोआर्डिनेशन नहीं होता है।

प्रदेश स्तर पर जो आपके बोर्ड बने हुए है और उनको जो धन आवंटित करते हैं, उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। ग्रामीण अंचलों के जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनको विशेष रूप से अधिक धन आवंटित करना चाहिए।

[श्री जगदीश अवस्थी]

इसके साथ ही जितना भी इसमें उत्पादन होता है, उसकी विपणन की व्यवस्था नहीं होती है। स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से जो उत्पादन कार्य होता है, उनकी ठीक विपणन की व्यवस्था नहीं है। उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सामान रखा रहता है, बिकता नहीं है, उससे बेकारी बढ़ती है और संस्था को परेशानी होती है, उसके ऊपर आर्थिक भार बढ़ता है जिससे वह संस्था आपको पैसा नहीं दे पाती है। इस बात को आपको देखना चाहिए।

एक निवेदन और करना चाहूंगा कि कमीशन की ओर से जो इकाइयां चलती हैं, धन्धे चलते हैं उनको आपने कुछ छूट दे रखी है, जैसे इनकम टैक्स की छूट दे रखी है और राज्य सरकारों ने सेल्स टैक्स की छूट दे रखी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कुम्हारी उद्योग के अन्तर्गत ईंट के भट्ठों की इकाइयां चलती हैं, जो आपसे वित्त पोषित हैं, 1 जुलाई 1979 से जनता शासन में उन पर सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। इसके पहले कभी उन पर सेल्स टैक्स नहीं लगा था। लेकिन उसके बाद आज भी वह सेल्स टैक्स उन पर लगा हुआ है। वे छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं, उन पर लाखों रुपया सेल्स टैक्स का लाद दिया है जिन्होंने कभी सेल्स टैक्स दिया नहीं था। कई बार उत्तर प्रदेश शासन को लिखा गया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जनता शासन ने कमीशन के उद्देश्य के विरुद्ध इन छोटी औद्योगिक संस्थाओं पर, ईंट भट्ठों पर जो कुल 16 इकाइयां हैं, जो सेल्स टैक्स लगा दिया हैं उसको समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन को आप लिखें वरना ये संस्थाऐं डूब जायेंगी और इनके ऊपर जो आपका पैसा है वह भी ये नहीं दे पायेंगी।

इस विधेयक में आपने इस बात की व्यवस्था की है कि आयोग में 12 सदस्य जो होंगे उनमें 6 सदस्य गैर-सरकारी होंगे और चार और भी गैर-सरकारी होंगे लेकिन वे विशेषज्ञ होंगे। मैं चाहूंगा कि आप जिस वक्त इनको रखें इस बात को देखें कि ऐसे लोग रखे जायं जो ईमानदार हों, जो समर्पित कार्यकर्त्ता हों और जिनका इसमें योगदान हो उन्हीं को नामिनेट करें।

साथ-साथ एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि आप जो अनुदान देते हैं, आज कुछ ऐसे लोग इन संस्थाओं में घुस गये है जो आपके दिये हुए धन का दुरुपयोग करते हैं। उसमें होता क्या है कि दस काम अच्छे करते हैं, दो काम गलत हो जाते हैं, उसमें धन का दुरुपयोग हो जाता है तो उन दो की चर्चा होती है, आठ की चर्चा नहीं होती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस बात को देखें कि क्यों उन दो कामो में धन का दुरुपयोग हो जाता है? इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

कई मित्रों ने कहा कि जो बड़ी संस्थायें हैं खादी की, इनकी जिन संस्थाओं में उत्पादन का काम होता है वहां पर जो लोग काम करते हैं उनको ठीक से वेतन नहीं मिलता है, पूरा पैसा नहीं मिलता है। उनका शोषण होता है। तो आप इसके लिए ऐसा नियम बना दें कि एक संस्था एक यूनिट चलाए। और उस एक यूनिट को ही पैसा दिया जाय। यह नहीं कि एक साथ दस यूनिट वह चलायें और दस यूनिट्स का पैसा उनको दे दें। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि उनमें ऐसे लोग घुसकर आ गये हैं जो लाखो रुपए ले आते हैं और उस रुपये को भिन्न-भिन्न मदों में खर्च नहीं करते हैं बल्कि उसका दुरुपयोग करते हैं। तो आप उसके लिए नियम बना दें कि एक संस्था में एक यूनिट की मदद की जायेगी। और उसको देखें कि वह ठीक काम करें, पैसे का दुरुपयोग उसमें न होने पाए।

बहुत से सदस्यों ने कहा कि बहुत से जो कार्यकर्त्ता हैं उनको ठीक तरह से मजदूरी नहीं मिलती है, उनका शोषण होता है, तो आप इस बात को देखें कि उनको ठीक पैसा मिले।

खादी के सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहता हूं कि खादी का उद्देश्य एक ही था गांधी जी का और वह यह कि गरीबों को काम मिले, वे स्वावलम्बी हो, बेकारी दूर हो। लेकिन आज खादी में क्या हो रहा है ? खादी में आज मिश्रण हो रहा है। आप पोलिस्टर खादी बना रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि शुद्ध खादी बननी चाहिए। हां, अगर विदेशों को भेजनी हो तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिये लेकिन इस देश के अन्दर जो खादी इस्तेमाल हो और बने वह ऐसी होनी चाहिए जो गांधी जी का उद्देश्य था। उसमें आप पोलिस्टर मिलाते हैं या कुछ और मिलाते हैं तो खादी का यह उद्देश्य नहीं था। खादी का वह रूप बने जो गांधी जी का उद्देश्य था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गांधी जी कुछ कहते थे और आज कुछ और चल रहा है।

मैं उम्मीद करता हूं कि मन्त्री जी का इस विधेयक से जो आयोग का गठन करेंगे और उसमें जिनको एप्वाइन्ट करेंगे वे ऐसे लोग होंगे जो खादी के प्रति समर्पित हों जिससे खादी और ग्रामोद्योग की उन्नति हो अन्यथा इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। मैं विश्वास करता हूँ कि हम लोगों ने जो निवेदन किया है और जो सुझाव दिए हैं उनको आप देखेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

*श्री आर० जीवरत्नम् (आर्कोनम) : सभापति महोदय, मैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, 1987 के समर्थन में अपना मत व्यक्त करता हूं।

इस समय खादी वस्त्रों तथा अन्य ग्रामीण उद्योगों से सम्बंधित मामले केवल एक आयोग द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तथापि, इनमें से प्रत्येक की ओर पर्याप्त और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह खादी तथा ग्रामीण उद्योगों के लिए पृथक्-पृथक् आयोगों का गठन करे।

महोदय, खादी स्वतन्त्रता संघर्ष का प्रतीक है। यह हमें अपने उन महान नेताओं की याद दिलाती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। यह हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन की विरासत है, सादगी और अहिंसा का प्रतीक है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह खादी और ग्रामीण उद्योगों में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को रोजगार प्रदान करें।

महोदय, हमें खादी कपड़े के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। हमें खादी के सभी प्रकार के कपड़ों के विक्रयी मूल्य में 30 प्रतिशत की छूट देकर युवा और वृद्ध, सभी भारतीयों को खादी के प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इस समय राज्य सरकारें अन्तरजातीय विवाह करने वाले युगलों को कुछ आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। अन्तरजातीय विवाह करने वाले युगलों को विवाह के समय पहनने के लिए खादी की पोशाक मुफ्त देने हेतु राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष अनुदानराशि दी जानी चाहिए। इससे युवाओं में खादी के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर :

[श्री आर० जीवरत्नम]

महोदय, सर्वोदय संगम खादी के अच्छी किस्म के सूती और रेशमी कपड़े तैयार करता है। सरकारी क्षेत्र के खादी करघों को भी इसी प्रकार की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। खादी के अच्छी किस्म के सूती और रेशमी कपड़े के उत्पादन के लिए सम्पूर्ण भारत में सहकारी बुनकर समितियां स्थापित करने के लिए पर्याप्त धनराशि दी जानी चाहिए। सर्वोत्तम किस्म की खादी के सूती और रेशमी कपड़ों का अन्य देशों को निर्यात किया जा सकता है और इस प्रकार हम काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं।

हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भारतीय खादी के वस्त्रों के विशेष स्टाल लगा सकते हैं और वहां भारतीय खादी की बिक्री करके महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी के अहिंसा और शांतिपूर्ण आदर्शों का प्रचार कर सकते हैं।

इस अधिनियम के अन्तर्गत केवल उन्हीं उद्योगों को छूटें दी जानी चाहिए जो पूर्णतः ग्रामीण उद्योग हैं और ग्रामोन्मुखी हैं। चटाई बुनना, टोकरी बनाना, बांस की कुर्सियां बनाना, गुड़िया बनाना तथा लकड़ी की गुड़ियां बनाना, मूर्तियां और अन्य कला कृतियां बनाने पूरी तरह से ग्रामीण उद्योगों के भाग हैं। औद्योगिक दृष्टि से उन्नत आज के समय में मंत्री महोदय को कृपया इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या साबुन बनाने, कागज बनाने, तेल निकालने के उद्योग को इस अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीण उद्योगों के रूप में श्रेणीबद्ध करने की अधिक आवश्यकता है। इन उद्योगों में अधिक पूंजी परिव्यय की आवश्यकता है और ये अधिक से अधिक यन्त्रीकृत व्यवसाय बनते जा रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह "ग्रामीण उद्योगों" की शब्दावली की पुनः परिभाषा करे ताकि केवल पूर्णतः ग्रामीण उद्योगों, जिनका मैंने पहले उदाहरण दिया है, को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त हो सकें। ऐसे उद्योगों पर खर्च की जाने वाली धनराशि को, जो पूर्णतः ग्रामीण उद्योग नहीं है, उसे पूर्णतः ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए उपयोगी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है।

विधेयक में 15000 रुपए के निवेश सीमा वाले ग्रामीण उद्योगों को शामिल करने का प्रस्ताव है। रुपए की वर्तमान कीमत को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से इस निवेश सीमा को बढ़ाकर 30000 रुपए करने का अनुरोध करता हूं।

इस विधेयक में यह भी सुझाव दिया गया है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रतिनिधित्व करने की दृष्टि से भारत को 6 क्षेत्रों में बांट दिया जाये। परन्तु विधेयक यह उल्लेख नहीं करता कि प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में कितने राज्य होंगे। मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे अपने जवाब में यह बताएं कि प्रत्येक प्रस्तावित क्षेत्र में कौन-कौन से राज्य होंगे?

महोदय, स्वतन्त्रता आन्दोलन के दिनों में राज्यों के बीच खादी उत्पादन का आदान-प्रदान किया जाता था। असम तथा आन्ध्र प्रदेश में बुनी हुई खादी तमिलनाडु में आती थी तथा तमिलनाडु में बुनी गई खादी असम तथा आन्ध्र प्रदेश में आती थी। राष्ट्रीय अखण्डता के हित में राज्यों के बीच खादी के कपड़ों का इस प्रकार का आदान-प्रदान पुनः शुरू किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

3.30 म० प०

11 मई, 1987 को लोक सभा की बैठक के बारे में घोषणा

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, माननीय सदस्यों को मैं यह सूचित करना चाहती हूं कि इस सभा की बैठक 11 मई, 1987 तक बढ़ा दी गई है।

सभापति महोदय : हमें सभा की सहमति प्राप्त करनी पड़ेगी। क्या यह सभा चाहती है कि कि इस सभा की बैठक 11 मई 1987 तक बढ़ा दी जाये ?

माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : 11 मई 1987 को भी इस सभा की बैठक होगी।

3.31 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

36वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हुसेन दलवाई (रत्नागिरि) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 6 मई, 1987 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 36वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 6 मई 1987 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 36वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, विधेयक पुरःस्थापित किये जायेंगे।

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति : उपस्थित नहीं हैं।

3.31½ म० प०

चिकित्सक तथा अभियन्ता (विदेश प्रवास का विनियमन) विधेयक*

[अनुवाद]

डा० पी० वल्लल पेरुमन (चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि चिकित्सकों कौर अभियन्ताओं के विदेश प्रवास का विनियमन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चिकित्सकों और अभियन्ताओं के विदेश प्रवास का विनियमन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा० पी० वल्लल पेरुमन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

3.32 म० प०

उपभोक्ता संरक्षण (गैर-सरकारी क्षेत्र में निर्मित उत्पादों का मूल्य निर्धारण) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि गैर-सरकारी क्षेत्र में निर्मित उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने हेतु एक ब्यूरो स्थापित करने तथा उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि गैर सरकारी-क्षेत्र में निर्मित उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने हेतु एक ब्यूरो स्थापित करने तथा उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

श्री चिन्तामणि जेना : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

---

*दिनांक 8-5-1987 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित ।

3.32½ म० प०

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (कल्याण संघों को मान्यता) विधेयक*

[अनुवाद]

डा० पी० वल्लल पेरुमन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सभी कल्याण संघों को मान्यता तथा सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सभी कल्याण संघों को मान्यता तथा सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० वल्लल पेरुमन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

धार्मिक स्थानों सम्बन्धी विवादों का निवारण विधेयक

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि धार्मिक महत्व के स्थानों सम्बन्धी विवादों का निवारण करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि धार्मिक महत्व के स्थानों सम्बन्धी विवादों का निवारण करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

जो इसके पक्ष में हैं वे कृपया "हां" कहें।

कुछ माननीय सदस्य : "हां"।

सभापति महोदय : जो इसके विपक्ष में हैं वे कृपया "नहीं" कहें।

अनेक माननीय सदस्य : "नहीं"।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि "नहीं" कहने वाले अधिक हैं, "नहीं" कहने वाले अधिक हैं।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

---

*दिनांक 8-5-1987 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

श्री जी० एम० बनातवाला : कारण बताए बिना ही ? यह क्या तरीका है, महोदय ? वे विरोध कर सकते थे। मैं उन्हें स्पष्टीकरण देता। वे कुछ नहीं कहते हैं फिर भी विधेयक को रोकना चाहते हैं। यहां तक कि उन्होंने विधेयक के उपबन्ध भी नहीं पढ़े हैं। यदि वे विधेयक का विरोध करने के लिए खड़े होते तो मैं उन्हें स्पष्ट कर देता तथा मेरे स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात वे निर्णय ले सकते थे। यह क्या तरीका है ? किसी चर्चा को रोकने का यह एक नया अभूत-पूर्व तरीका है।

सभापति महोदय : मैं क्या कर सकता हूँ ? मैंने तो इस पर मतदान करवाया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप उन्हें निदेश दे सकते हैं।

सभापति महोदय : मैं सदस्यों को निदेश कैसे दे सकता हूँ ?

श्री जी० एम० बनातवाला : तर्क संगत चर्चा को रोकने का क्या यही तरीका है ? क्या वे विवादों को जारी रखना चाहते हैं ?

सभापति महोदय : माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता।

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 25 में संशोधन आदि)

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शान्ताराम नायक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक

(धारा 16क का अन्तःस्थापन आदि)

[अनुवाद]

श्री हुसैन दलवाई (रत्नागिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधि-नियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

*दिनांक 8-5-87 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हुसैन दलवाई : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला का

बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक [—जारी]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा 10 अप्रैल 1987 को प्रस्तुत किए गए विधेयक पर आगे चर्चा करेंगे। किन्तु, विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस विधेयक के लिए आवंटित किए गए 4 घन्टे के बजाय इस विधेयक पर पहले ही 4 घन्टे 7 मिनट का समय खर्च हो चुका है। सभा को अब इस विधेयक के सम्बन्ध में समय को बढ़ाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि अभी भी काफी ऐसे सदस्य हैं जो इसमें भाग लेना चाहते हैं। क्या यह सभा चाहती है कि इस विधेयक के लिए 2 घन्टे का समय बढ़ाया जाए ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

श्री चिन्तामणि खेना (बरगढ़) : श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा पुरःस्थापित किए गए इस विधेयक पर कुछ शब्द कहना चाहूंगा। मैं अपनी मातृभाषा उड़िया में बोलना चाहूंगा। इसीलिए इसके लिए एक दुभाषिए का इन्तजाम किया जाए।

*सभापति महोदय, बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक के संबंध में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। मैं अपना भाषण मेरी मातृभाषा उड़िया में देना चाहूंगा। इसीलिए दुभाषिए की सेवाओं का इन्तजाम किया जाए।

महोदय, माननीय सदस्य श्री जी० एम० बनातवाला ने बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक प्रस्तुत किया है। ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में बेरोजगारी की बढ़ती दर देश में एक बहुत बड़ी चिन्ता की समस्या है। अब तक तैयारी की गई हमारी विकास योजनाएं इस समस्या का पर्याप्त हल निकालने में असफल रही है। अपने विधेयक को प्रस्तुत करते समय श्री बनातवाला जी ने इस समस्या के समाधान के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। मैं आशा कर रहा था कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए श्री बनातवाला शायद कुछ कहेंगे। परन्तु जब मैंने उनका भाषण सुना तो मुझे निराश होना पड़ा। अनेक माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के संबंध में अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि बेरोजगारी की यह समस्या का समाधान करने के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाए। किन्तु मैं इस सुझाव से पूर्णरूप से सहमत नहीं हूं

*मूलतः उड़िया में दिये गये अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री चिन्तामणि जेना]

क्योंकि बेरोजगारी की समस्या न केवल भारत में ही बढ़ रही है बल्कि यह समस्या कई अन्य देशों में भी है। विकासशील देशों की तो बात ही छोड़िए विकसित देश भी अपने देशों से बेरोजगारी को दूर करने में सफल नहीं हो पाए। तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार देने से इस देश मे बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है क्या इतने अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना सम्भव है ? इसलिए जब हम यह मत व्यक्त करते हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या किसी देश में किसी सरकार के लिए यह वास्तव में सम्भव है कि वह उस देश के प्रत्येक नागरिक को रोजगार प्रदान कर सके।

महोदय, मैं इस अवसर पर अपने प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस गंभीर समस्या को समझा है। उन्होंने वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने की आवश्यकता महसूस की क्योंकि यह अधिक और अधिक बेरोजगारी उत्पन्न करने के लिए जिम्मेवार महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। तथापि मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने बेरोजगारी की समस्या के उन्मूलन के लिए सरकार के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में नई शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। आपको पता है कि सातवीं योजनाविधि के दौरान शिक्षा के लिए अधिक धनराशि तथा आवंटन किया गया है। स्कूल तथा कालेजों में व्यवसायिक शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम शुरू करने पर अधिक बल दिया गया है। व्यावसायिक शिक्षा से विद्यार्थियों को स्वयं रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने स्वयं रोजगार योजनाएं भी शुरू की हैं। यदि इन उपायों को कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जाए तो बेरोजगारी उन्मूलन में इनसे काफी सहायता मिलेगी।

महोदय, वास्तव में ही यह एक भारी चिन्ता का विषय है कि हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर पाये। स्थिति का सामना करने के लिए सरकार प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की समस्या को अधिक महत्व देती रही है किन्तु इन सभी प्रयासों के बावजूद भी यह समस्या अभी भी उतनी ही गम्भीर है जितनी कि पहले थी। प्रत्येक योजना में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न किये गए हैं, किन्तु बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या अभी भी अधिक है। बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में बढ़ी ही है। वर्तमान में 15-54 आयु समूह में भारत में शिक्षित जन शक्ति कुल श्रम शक्ति के 10 प्रतिशत में लगभग है। 30-6-1986 को मैट्रिक तथा इससे अधिक पढ़े लिखे 150.88 लाख शिक्षित बेरोजगारों के नाम रोजगार कार्यालयों के वर्तमान रजिस्टरों में दर्ज है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार देश में इस विशिष्ट आयु वर्ग की श्रम शक्ति 2698.1 लाख थी। मार्च 1990 तक यह 3060.8 लाख तक बढ़ जाने की आशा है। इस लिये भारत जैसा एक देश इतनी बड़ी संख्या में श्रमिकों को किस प्रकार रोजगार प्रदान कर सकता हैं। एक अन्य आकलन के अनुसार पिछले पाँच वर्षों में बेरोजगारों की संख्या में 200 लाख की वृद्धि हुई है तथा यह 300 लाख से भी अधिक हो गयी है। नौकरी के लिये रोजगार दफतरों में पंजीकृत लोगों की संख्या 1981 में 107.8 लाख 1982 में 109.7 लाख, 1983 में 201.9 लाख, 1984 में 203.5 लाख तथा 1985 में 206.2 लाख थी। 1986 के दौरान बेरोजगारों की संख्या 206.2 लाख से बढ़कर 300 लाख हो गयी है। बेरोजगार व्यक्तियों की राज्यवार समीक्षा से स्पष्ट होता है कि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पिछड़े राज्यों जैसे में उनकी संख्या अधिक

है। 31-12-86 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में रोजगार चाहने वालों की संख्या निम्नलिखित है :—

आन्ध्र प्रदेश	2461.8
असम	812.3
बिहार	2914.5
गुजरात	877.1
हरियाणा	492.8
हिमाचल प्रदेश	346.8
जम्मू और कश्मीर	106.8
कर्नाटक	1084.7
केरल	2764.9
मध्य प्रदेश	1772.0
महाराष्ट्र	2876.6
मणिपुर	258.8
मिजोरम	30.6
मेघालय	22.4
उड़ीसा	858.8
पश्चिमी बंगाल	4252.6
राजस्थान	840.1
त्रिपुरा	107.4
उत्तर प्रदेश	3250.8
नागालैण्ड	22.4
पंजाब	609.6

इन आंकड़ों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार कृषि कामगार सम्मिलित नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार प्रदान करना वास्तव में बहुत कठिन है। यदि हम अपनी शिक्षा का सदुपयोग कर सके तो हम किसी सीमा तक इस समस्या को हल करने में समर्थ हो पाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस देश में विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं को चलाने हेतु हमारे राष्ट्रीय राजकोष से काफी धन खर्च किया जाता है। माता-पिता भी अपने बच्चों की शिक्षा पर काफी धन खर्च करते हैं। यदि हमें परिणाम न प्राप्त हों तो शिक्षा की क्या उपयोगिता है ? अपनी शिक्षा की समाप्ति के पश्चात यदि इस देश का विद्यार्थी आत्म-निर्भर नहीं बनता है तो धन और समय खर्च करने की क्या उपयोगिता है ? इसलिये इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुये, हमें, व्यावसायिक शिक्षा जो, कि शिक्षित युवाओं को स्वयं-रोजगार प्रदान कर सकती है, पर अधिक जोर देना होगा। कल तक हमारा उद्देश्य शिक्षा पूरी होने के पश्चात केवल रोजगार प्राप्त करना ही था। अब चूंकि बेरोजगारी की समस्या बहुत गम्भीर हो गयी है, इसलिए हमें इस दृष्टिकोण में परिवर्तन

[श्री चिन्तामणि जेना]

करना होगा। अब शिक्षा प्राप्त करने का हमारा उद्देश्य आत्म निर्भर बनना है। जैसा मैंने पहले कहा था कि व्यावसायिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं रोजगार प्रदान कर सकती है। इसीलिये हमारे प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया है, माननीय प्रधानमन्त्री को हमें अपना सहयोग देना होगा क्योंकि बेरोजगारी की समस्या के स्थायी हल के लिये नयी शिक्षा नीति में उन्होंने सही निर्देश दिया है।

महोदय, केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय के अनुसार, देश के रोजगार दफ्तरों में प्रतिवर्ष कोई 8 या 9 लाख रिक्तियां अधिसूचित की जाती हैं तथा उन में से आधी भर ली जाती हैं सरकार स्कूल, कालेज तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा को रोजगारोन्मुख करने के बारे में सोच रही है। लेकिन साथ ही श्रम की गरिमा के प्रति सामान्य लोगों के दृष्टिकोण मे परिवर्तन होना चाहिये।

श्री बनातवाला ने अपने विधेयक में बेरोजगारी भत्ते के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिये। इस दिशा में कुछ राज्य सरकारों ने कदम उठाये हैं लेकिन क्या यह योजना उन लोगों के लिए सहायक रही है? उन राज्यों में बेरोजगार व्यक्ति को बहुत कम पैसा भत्ते के रूप में दिया जा रहा है। क्या वे इतनी कम धनराशि से अपना गुजारा कर सकने में समर्थ है महोदय, यह सुझाव तनिक भी लाभदायक नहीं है। अन्य माननीय सदस्यों की प्रतिक्रिया तो मैं नहीं जानता लेकिन मैं इस सुझाव का समर्थन नहीं कर सकता। मैं अपने विचारों का औचित्य बताना चाहता हूं। देश में यदि सभी बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता दे दिया जाए तो वे काम करना नहीं चाहेंगे तब वे घर में बेकार बैठे रहेंगे वे श्रम तथा स्वयं रोजगार की गरिमा को कोई महत्व नही देंगे। प्रत्येक नागरिक का देश के प्रति कुछ कर्तव्य तथा दायित्व होता है? चूंकि देश उन्हें शिक्षा, आवास, भोजन तथा कपड़ा प्रदान करने में काफी धन खर्च करता है इसलिए बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने के विचार का समर्थन मैं नहीं कर सकता। भिन्न-भिन्न पंचवर्षीय योजनाओं, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम, स्वयं-रोजगार योजनाओं आदि में लाखों बेरोजगारों को पर्याप्त रोजगार प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपाय वास्तव में सराहनीय है। आदिवासियों, हरिजनों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के रहन-सहन का स्तर बहुत दयनीय है। हमारी स्वर्गीया प्रधान मन्त्री ने इन दलित लोगों के उत्थान के लिए अनेक कल्याण योजनायें शुरू की थी। लेकिन कार्यान्वयन स्तर पर प्रयासों के अभाव के कारण इन योजनाओं से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नही हुये हैं। तथापि स्वयं रोजगार योजना के प्रभावशाली कार्यान्वयन पर बल देने के लिए मुझे अपने प्रधान मंत्री को बधाई देनी चाहिये। केन्द्र सरकार की इस स्वयं-रोजगार योजना में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जिनसे शिक्षित बेरोजगारी को अपना काम धन्धा शुरू करने में सहायता मिलेगी। प्रति वर्ष 2,50,000 शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वयं-रोजगार के अवसर प्रदान करने का विचार है। लेकिन यह देखना हमारा कर्तव्य एवं संयुक्त जिम्मेदारी है कि केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गयी स्वयं रोजगार योजना का उचित कार्यान्वयन हो तथा जिन बेरोजगार युवकों के लिए यह योजना शुरू की जा रही है, को वास्तव में लाभ हो।

महोदय, हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आदिवासियों, हरिजनों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया था। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम

की समीक्षा की है ग्रामीण लोगों जिनमें अधिकांश गरीब तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग हैं, के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर बनाये जा रहे हैं। प्रधानमन्त्री के निर्देश के अन्तर्गत 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने के लिए अधिक धन आवंटित किया गया है। इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन आवंटित किये गये धन का उचित उपयोग होना तथा जिन लोगों के लिए इसे बनाया गया है उन्हें इसके लाभ प्राप्त होना सुनिश्चित करे इसी तरह स्वयं रोजगार योजना के कारगर कार्यान्वयन तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रसार के लिए पूरी जिम्मेदारी हमें सरकार पर नहीं छोड़नी चाहिए। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा इस देश के एक सच्चे नागरिक की तरह प्रत्येक व्यक्ति का यह देख. । कर्तव्य तथा जिम्मेदारी है कि व्यावसायिक शिक्षा को गतिशीलता प्राप्त हो तथा जिन विद्यार्थियों को यह शिक्षा प्राप्त हुई है, वे व्यावसायिक शिक्षा के अध्ययन से प्राप्त शिक्षा तथा प्रशिक्षण का अच्छा से अच्छा उपयोग करें।

3.47 म० प्र०

[श्रीमती चतुरराजेश्वरी पीठासीन हुईं]

महोदया, रोजगार से डिग्री की संगति समाप्त करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। पहले विभिन्न परीक्षाओं में बैठने के लिए डिग्रीधारक अर्ह थे तथा परीक्षाओं में यदि उनका चयन हो जाता था तो विभिन्न सेवाओं में उन्हें तैनात कर दिया जाता था। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा सम्पन्न करना और डिग्री प्राप्त करना सम्भव नहीं है। अनेक सक्षम व्यक्ति हैं जो डिग्री धारक नहीं है। उनको रोजगार नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पास डिग्रियां नहीं हैं। अब राजीव गांधी के नेतृत्व में हमारी सरकार इस प्रतिबन्ध को उदार बनाने की सोच रही है। यदि ऐसा किया जाता है तो अनेक कुशल कामगारों, किसी क्षेत्र या अन्य में कुशलता रखने वाले सक्षम व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

महोदया, देश हमें, भोजन, आवास तथा अन्य भौतिक आवश्यकतायें प्रदान कर रहा है। हमारी शिक्षा पर देश ने धन खर्च किया है बदले में अपने देश के लिए हमें कुछ करना है देश की अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने के लिये काम करने का प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। चूंकि देश हमें रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है, इसलिए अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए हमें गंभीर प्रयत्न करने होंगे। ऐसा कहने का मेरा उद्देश्य राष्ट्र की सम्पदा को नष्ट होने से बचाना है। हमें महसूस करना चाहिए कि सरकारी सम्पत्ति हमारी संपत्ति है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा आवंटित धन का उचित उपयोग हो। हिन्दी में एक कहावत है जिसका अर्थ है यदि यह सरकारी पैसा है तो इसे आप पानी की तरह बहा सकते हो अपने निजी से सरकारी धन के दुरुपयोग या असावधानी से खर्च करने के विचार को निकाल देना चाहिये। हमें महसूस करना चाहिये कि सरकारी धन या राष्ट्रीय सम्पत्ति अपनी सम्पत्ति है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकारी धन का हमें उचित उपयोग करना चाहिए। यदि सरकार शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिये कोई योजना लागू कर रही है तो उस योजना के अधीन लाभभोगियों को दिये गये धन को उचित तरीके से खर्च किया जाना चाहिये। एक रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम को लागू करने में सरकार बहुत अधिक धन खर्च करती है। इसलिये कार्यक्रम को सफल बनाया जाना चाहिए। यदि कार्यक्रम सफल रहा तो लाभभोगी, जिसने कि सफलता प्राप्त की है, देश के लिये एक सम्पत्ति माना जाता है तथा यदि कार्यक्रम असफल रहता है तो वह

[श्री चिन्तामणि जेना]

व्यक्ति, जिसके लिए कार्यक्रम बनाया गया था, देश के लिए एक बोझ सा समझा जाता है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

महोदया, ब्रिटिश सरकार ने क्लर्क पैदा करने के उद्देश्य से देश में एक शिक्षा व्यवस्था लागू कर रखी थी। चूंकि वे उन्हें विभिन्न कार्यालयों तथा अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रखना चाहते थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसे महसूस किया और कहा कि देश में व्याप्त शिक्षा-व्यवस्था दोषपूर्ण है। यहां तक कि स्वतन्त्रता के बाद भी देश में वही शिक्षा व्यवस्था व्याप्त रही थी। लेकिन अब हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी के निर्देश से नयी शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि नयी शिक्षा नीति देश वासियों को अधिक जिम्मेदारी प्रदान करेगी। रोजगार के लिए हमें डिग्रियां चाहिए और उसके लिए परीक्षाओं में बहुत से विद्यार्थी कभी-कभी अवांछनीय साधन अपनाते हैं। नयी शिक्षा नीति में रोजगार से डिग्रियों को अलग करने से, डिग्रियां प्राप्त करने के लिए परीक्षाओं में अवांछनीय साधनों का प्रयोग करने से विद्यार्थी हतोत्साहित होंगे। धीरे-धीरे शिक्षा की उपयोगिता बढ़ेगी तथा हमारे युवाओं में देश भक्ति की भावना उत्पन्न होगी क्योंकि वे उपयुक्त रोजगार में या किसी धन्धे में व्यस्त होंगे। निराशा और अन्सतोष की भावना उनके दिमाग से समाप्त होगी तथा जिम्मेदारी और देशभक्ति की भावना उनके दिमाग में अपना स्थान बनायेगी। इसलिए नयी शिक्षा नीति को लागू करने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं।

महोदया, शहरी क्षेत्रों में एक या दूसरा रोजगार प्राप्त करने के अनेक अवसर हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उस सीमा तक रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं किए गए हैं। यही कारण है जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या तेजी से बढ़ रही है। जैसा कि आप जानते हैं बेरोजगारी के बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। यह ग्रामीण लोगों की अर्थव्यवस्था नष्ट कर देती है यह पारिवारिक शान्ति को भंग करती है। इसलिए सरकार का कर्त्तव्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करें। मुझे खुशी है कि माननीय श्रम मंत्री यहां बैठे हैं। मैं आशा करता हूं कि वह इस पर उचित ध्यान देंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक उद्योग लगाने के लिए वह उद्योग मंत्री को राजी करें। ग्रामीण दस्तकारों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए। जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में वे अधिक लघु और कुटीर उद्योगों को स्थापित कर सकें। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का विस्तार किया जाता है और अधिक संख्या में स्थापित किया जाता है, तथा अनेक ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार आवश्यक कदम उठायेगी।

अन्त में मैं श्री बनातवाला जी से विधेयक वापस लेने का अनुरोध करता हूं क्योंकि इस विधेयक के माध्यम से उनके द्वारा दिए गए सुझाव हमारे देश की बेरोजगारी की समस्या का एक स्थायी हल नहीं ढूंढते हैं। इन शब्दों के साथ इस विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं तथा अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास सेन्ट्रल) : सभापति महोदया, सर्वप्रथम इमुक की ओर से मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। स्वतन्त्रता के 39 वर्षों के पश्चात् भी हमारे देश में एक बहुत दुःखद स्थिति या एक चिन्ताजनक परिस्थिति बनी हुई है। हम अभी भी बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा ही कर रहे हैं। यदि आप आकड़ों को देखें तो पता

चलेगा कि देश में लगभग 29,000 चिकित्सा स्नातक और लगभग 35,000 इंजीनियरी स्नातक बेरोजगार हैं। कुल मिलाकर हमारे देश में लगभग 3 करोड़ शिक्षित बेरोजगार हैं। इसका क्या कारण है ? यदि आप इसका विश्लेषण करें तो मेरे विचार में हमारे यहां बहुत अधिक निजी कालेजों, इंजीनियरी कालेजों और पालीटेक्निकों का होना है। इस प्रकार कालेजों तथा स्कूलों एवं विभिन्न तकनीकी संस्थाओं में अत्यधिक वृद्धि एक प्रमुख कारण है। आप पालीटेक्निकों, मेडीकल कालेजों तथा इंजीनियरी कालेजों के अत्यधिक विकास को तो प्रोत्साहित कर रहे हैं जबकि उनको पर्याप्त मात्रा के रोजगार के अवसर प्रदान करने में आप असमर्थ हैं। इसलिए बाद में हम खेद प्रकट करते हैं कि लोग बेरोजगार हैं।

दूसरी चीज जो मैं इस सरकार विशेष रूप से कांग्रेस सरकार मंत्री जी से जानना चाहता हूं, वह यह है कि लोगों के लिए उन्होंने क्या किया है। हम स्वतन्त्र हो गये तथा भारत गणराज्य बन गया है। लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है। जब आप विदेश जायें तथा बेरोजगारी की समस्या की तुलना करें, तो देखेंगे यहां यह अनुपात से बाहर है। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि आपके पास एक उचित योजना नहीं है। आपका दृष्टिकोण केवल अल्पावधि का है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों तथा अशिक्षित लोगों, नीचे तबके के लोगों, जिनको कि एक दिन में एक बार भोजन नहीं प्राप्त होता है, के वोटों को पाने के लिये आपके कदम सस्ती लोकप्रियता वाले हैं। इसलिए, संक्षेप में केन्द्र में सत्ताधारी दल पर इन सस्ती लोकप्रियता के उपायों को अपनाने, केवल वोट पाने और सत्ता में आने के अल्पावधि दृष्टिकोण अपनाने का आरोप मुझे लगाना है। एक बार जब वे सत्ता में आ जाते हैं तो वे लोगों से किये हुये लम्बे-लम्बे वादे भूल जाते हैं। चुनाव के समय लोगों से लम्बे-लम्बे वादे किये जाते हैं लेकिन उसके पश्चात् तुरन्त उनको सुविधापूर्वक भुला दिया जाता है। इसलिए समस्यायें वहीं बनी रहती हैं।

मैं व्यक्तिगत रूप से जो महसूस करता हूं वह यह है कि अब से हमें एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और एक दीर्घकालिक योजना तैयार करनी चाहिए। सरकार की योजनायें उत्पादनोन्मुख नहीं है बल्कि केवल चुनावोन्मुख होती हैं। इसी कारण हम लोग नुकसान उठाते हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु को ले लीजिए। औद्योगिक क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं। राज्य सरकार लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र भेजती रहती है लेकिन केन्द्र में आवेदन-पत्र लंबित पड़े रहते हैं। राज्य सरकार को केन्द्र के पास भीख वाले कटोरे के साथ लंबित लाइसेंसों के विषय में याद कराने आना पड़ता है। ताप विद्युत संयंत्रों के विषय में हमने कहा था। आपने इंकार कर दिया। जब दक्षिण का प्रश्न आता है आप सुविधापूर्वक इसे भूल जाते हैं। हम कोयले का आयात नहीं कर सकते हैं। इसी समय हमारे उद्योगों को आप पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति करने के इच्छुक नहीं हैं। कोयला और विद्युत के बिना उद्योग कैसे लगाये जा सकते हैं। यदि कोई उद्योग नहीं है तो स्वाभाविक रूप से कोई रोजगार नहीं होगा। इसका अर्थ है कि वहां कोई रोजगार नहीं होगा।

रोजगार के लिए अभ्यार्थियों का चयन योग्यताओं पर आधारित नहीं होता है। एम. एस. सी. स्नातकोत्तर लिपिकीय संवर्ग में भर्ती हुये हैं। आखिरकार उसने रसायनशास्त्र या जैविकीय रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र या किसी अन्य विशेषज्ञता में एम. एस. सी. तक अध्ययन किया है। लेकिन एम. एस. सी. करने के पश्चात् वे लिपिक के पद पर केवल अपना पेट भरने के लिए या अपने परिवार की देखभाल का दायित्व उठाने के लिए या अपनी बहन का विवाह करने के लिए या गृहस्थी की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवेदन-पत्र भेजते हैं। मैं महसूस करता हूं कि एम. एस. सी. स्नातक

[डा० ए० कलानिधि]

को एक लिपिक पद पर भर्ती करने का कोई औचित्य नहीं है। कुछ निश्चित मानदण्ड होने चाहिए। यदि न्यूनतम अर्हता एस. एस. एल. सी. है तो उस पद पर केवल एस. एस. एल. सी. वाले अभ्यार्थियों का, न कि स्नातकों का चयन होना चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त या तकनीकी शिक्षा प्राप्त अभ्यार्थियों को उच्च पदों पर प्रयोग किया जाना चाहिए। बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार कार्यालय है। लेकिन वास्तव में इस देश का यह दुर्भाग्य है कि रोजगार कार्यालय भारत गणराज्य के प्रतीक चित्रण या कलंक के स्मृति चिह्न हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 40 वर्षों के पश्चात् भी हमारे पास ऐसे रोजगार कार्यालय हैं जो किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। संक्षेप में वे भ्रष्टाचार को उत्पन्न करने वाले स्थान हैं। जब एक व्यक्ति पैसा देता है तब उसे साक्षात्कार कार्ड मिलता है, चयन की तो बात ही छोड़िये। अन्यथा 10 वर्ष या 15 वर्ष के पंजीयन के पश्चात् भी उसे साक्षात्कार-पत्र भी प्राप्त नहीं होता है। जब तक लिपिक को आप बदले में आप पैसा नहीं देते हैं, आपको कार्ड नहीं मिलेगा। इससे मुझे एक तमिल कवि द्वारा हाल ही में लिखी हुई "पुडु कवियाई" कविता का ध्यान आता है :

वेलई थेडीथरुम निरुवनंगल,
इंधा नलिन अवमना चिन्नंगल।
अवईशलई इदित्युय थल्लुगल,
ओरू पट्ठ पेरूक्कवयू वेलई किडईवकदुम॥

तमिल में लिखी गयी यह एक आधुनिक कविता है तथा मैं इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा हूं। उन्होंने कहा :

> "स्वतंत्रता के 39 वर्षों के पश्चात् भी विद्यमान रोजगार कार्यालय कलंक और शर्म के प्रतीक चित्रण हैं क्योंकि उनसे किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। इसलिए सभी रोजगार कार्यालयों को रद्द कर देना चाहिये जिससे कि उसे ढहाने का कार्य करने के लिए कम से कम 10 लोगों को रोजगार मिल जायेगा।"

तमिल कवि ने यही बात कही है। मैंने केवल इसलिए उद्धृत किया है कि मंत्री महोदय इसे समझें तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए समूचे तन्त्र को सही करें। जब मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिए तब इसे ऊंचे स्तर से भी समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि ऊंचे स्तर पर भी लोग भ्रष्ट हैं तो नीचे स्तर पर किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना उचित नहीं है। मैं जो कहता हूं वह यह है कि यहां तक महाकाव्य रामायण में जब प्रभु राम ने सीता पर संदेह किया था तो वह दुखी थीं। क्यों? ऐसा इसलिये क्योंकि वह राम के एकपत्नी धरम के विषय में सोच रही थीं। वह केवल सीता तथा न किसी अन्य बात, के विषय में सोच रहे थे। यदि किसी अन्य व्यक्ति ने उनके चरित्र पर संदेह किया होता तो सीता को दुख नहीं होता। लेकिन चूंकि भगवान राम ने उसके चरित्र पर संदेह किया था, इसलिए तुरन्त उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया, जिसे हम अग्नि प्रवेशम कहते हैं, तथा अपने को सन्देहों से परे साबित किया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई मंत्री यह साबित करेने के लिए कि वे संदेह से परे हैं अग्नि परीक्षा में प्रवेश करे, लेकिन कम से कम आप अपने संसदीय जांच समिति के समक्ष तो उपस्थित कर सकते हैं जिससे कि आप संसार को बता सकें कि आप संदेहों से ऊपर हैं केवल तभी आप अन्य लोगों के भ्रष्टाचार के सम्बंध में उंगली उठा सकते हैं।

4.00 म० प०

जहां तक कम्प्यूटरीकरण के सम्बन्ध में, हम इसका स्वागत करते हैं। हमें आधुनिक विज्ञान और टेक्नॉलाजी, पूरे संसार में तेजी से प्रगति कर रही है, का सामना करना है। लेकिन श्रम की कीमत पर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि हमारे यहां बहुत बेरोजगारी है। यदि आप किसी विशेष वर्ग में कम्प्यूटर शुरू करते हैं तो यह और अधिक बेरोजगारी बढ़ायेगा। कम्प्यूटरीकरण लागू करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई छंटनी न हो या बेरोजगारी में और बढोत्तरी न हो।

भर्ती पर प्रतिबन्ध के संबंध में राष्ट्रपति के अभिभाषण में या बजट भाषण में प्रधान मंत्री या राष्ट्रपति कहते हैं कि यह सरकार और अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए वचनबद्ध हैं और यह कि लोगों को वे बहुत रोजगार देने जा रहे हैं। लेकिन भर्ती पर प्रतिबन्ध अभी भी लगा हुआ है। दो वर्षों से दक्षिण रेलवे में, और अवडी क्लोजिंग फैक्टरी में तथा हैवी वेहिकिल्स फैक्टरी अवडी और अरावान्गड़ फैक्टरी में भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है क्यों ? यदि प्रतिबन्ध उठाया नहीं जाता है तो उन लोगों को, जो रोजगार चाहते हैं, आप कैसे रोजगार प्रदान करेंगे ? सरकार कहती है कि "प्रतिबंध समाप्त करने के लिए हमने एक परिपत्र भेज दिया है लेकिन व्यवहार में इसका थोड़ा भी कार्यान्वयन नहीं हुआ है।" रेलवे भी प्रतिबन्ध लगा रही है क्योंकि आप पर्याप्त धन नहीं आवंटित कर रहे हैं। उदाहरण के लिये, मद्रास शहर की मेट्रो रेलवे के लिए, आपने 4 करोड़ रु० के नगण्य धन को आवंटित किया है। कलकत्ता परियोजना को लगभग 70 करोड़ रु० दिये गये थे। जिसमें से 17 करोड़ रु० का प्रयोग नहीं हुआ और केन्द्र को वापस कर दिया गया। जबकि मद्रास मेट्रो ने 4 करोड़ का उपयोग किया और चूंकि आपने और अधिक धन दिया नहीं, इसलिए धन के अभाव में, वे काम को जारी नहीं रख सके। इसके परिणामस्वरूप आकस्मिक श्रमिकों की छटनी तथा पदच्युति होती है। यदि मुझे आरोप लगाना है तो मैं केन्द्र पर ही आरोप लगाता हूं क्योंकि परियोजना जारी रखने के लिए उसी के द्वारा पर्याप्त धन आवंटित नहीं किया गया है। मंत्री जी कहते हैं कि चल रही परियोजनाओं में भर्ती पर प्रतिबन्ध लागू नहीं है लेकिन साथ ही नयी भर्ती करने की अनुमति नहीं है। रेलवे तथा आयुध कारखानों में यही हो रहा है। भर्ती पर प्रतिबन्ध मात्र से समस्या हल होने वाली नहीं है।

आपको यह रोक हटानी होगी। केवल तभी आप रोजगार दे सकते हैं। सरकार को मैडिकल कालेजों, इन्जीनियरिंग कालेजों और विभिन्न तकनीकी संस्थानों के प्रसार के लिए और अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिए और उनमें उन्हीं लोगों को लिया जाना चाहिए जो वास्तव में विशेष प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त हों। उदाहरण के लिए स्त्री रोग विज्ञान विषय में डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति। वहां उस डाक्टर की जीवाणु-विज्ञानी के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। यदि किसी शल्य चिकित्सक की कार्य चिकित्सक (फिजीशियन) के रूप में नियुक्त कर दी जाती है तो वह वहां क्या करेगा।

सस्ती लोकप्रियता का सहारा मत लीजिये। मैं जोर देकर इस बात को कहता हूं कि कोई भी सरकार जो सत्ता में आती है वह केवल सस्ती लोकप्रियता के सहारे पुनः सत्ता में आने की सोचती है। आप 10 वर्ष पश्चात के भारत के बारे में सोचिए क्योंकि हमारे प्रधान मंत्री हमारे देश को 21वीं सदी में ले जाना चाहते हैं। मैं उनके इस प्रयास की प्रशंसा करता हूं। मैं चाहता हूं कि वे अधिक गतिशील और सहानुभूतिशील हों ताकि वे इस देश को 21 वीं सदी में ले जा सकने में मदद कर सकें। इसके

[डा० ए० कलानिधि]

विपरीत उनकी करनी और कथनी में भारी अन्तर है। उनके जो कार्य हैं, वे देश को 21वीं सदी में ले जाने वाले नहीं हैं इसके बजाय वह देश को 20वीं सदी में वापिस ले जा रहे हैं। लोगों के नक्सलबादी बनने का क्या कारण है ? यह ऐसा इसलिए नहीं है कि वे काम नहीं करना चाहते या वे कुछ लोगों को लूटना अथवा उनकी हत्या करना चाहते हैं। यह सब गरीबी और कुण्ठा के कारण है। स्नातकों, चिकित्सा स्नातकों अथवा इन्जीनियरिंग स्नातकों अथवा जीव रसायन स्नातकों अथवा रसायन स्नातकों को जिसमें डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त स्नातक भी शामिल है–पूर्ण रूप से योग्य होने के बावजूद आप रोजगार उपलब्ध नहीं कर सके हैं। आप रोजगार उपलब्ध कराकर अथवा भोजन या मकान देकर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। केवल इसी बात ने उन्हें यहां तक सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। वे निराश हो गये हैं। वे लड़ाकू बन जाते हैं, नक्सलवादी बन जाते हैं। और आप उन्हें तुरन्त नक्सललवादी मानकर "कोफेपोसा" अधिनियम अथवा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम अथवा अन्य नियमों के अन्तर्गत उन पर कार्यवाही कर देते हैं। उनको जेलों में बन्द करने के लिए आपके पास बहुत से अधिनियम हैं। लेकिन इसके लिए केवल यही एक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का पता लगना चाहिए कि वे नक्सलवादी क्यों बन रहे हैं। और इस कमी को दूर किया जाना चाहिए। तभी आप उनको अधिक शिक्षित कर सकते हैं। उन्हें अधिक रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। अतः मैं सत्ताधारी दल के लोगों को पुनः परामर्श देना चाहूंगा कि वे इस बारे में सोचें और बेरोजगारी से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। केवल थोथी सहानुभूति मत दिखाइये। आप कुछ ठोस कार्य कीजिए और आपकी योजनाओं को उचित रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। आपको राजनैतिक भाषण देने की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे मेरे प्रिय मित्र श्री बनातवाला द्वारा पेश किये गये बेरोजगारी संबंधी विधेयक पर द्रविडमुनेत्रकषगम दल की ओर से अपने विचार प्रकट करने की अनुमति दी।

[हिन्दी]

श्री सलाउद्दीन (गोड्डा) : मैडम चेयरमैन, बनातवाला साहब का जो बिल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में मार्गदर्शन मिलेगा और कोई न कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। इसके लिए बनातवाला साहब बधाई के पात्र हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि बेरोजगारी हमारे देश की एक क्रोनिक बीमारी बन चुकी है और इसका क्या सही इलाज होगा, यह हमें ढूंढना होगा। जब तक इसका सही इलाज ढूंढ नहीं पाऐंगे तब तक मैं ऐसा समझता हूं कि इसका ट्रीटमेंट गलत हो जायेगा। यह बेरोजगारी हमारे देश के लिए चेलेंज है। बेरोजगारी जो कि देश के लिए आवाज है।

[अनुवाद]

यह आज का नारा है, यह समय की मांग है, यह राष्ट्र की चुनौती है।

[हिन्दी]

इसलिए इस समस्या की गम्भीरता को देखते हुए यह कहना उचित होगा कि यही एक सही समय है जब इसके समाधान का रास्ता ढूंढा जा सकता है।

बेरोजगारी जो कि हमारे लिए इकानमिक प्राब्लम है और उससे ज्यादा साइक्लोजिकल प्राब्लम बन गई है, उसका सौल्यूशन शीघ्रातिशीघ्र ढूंढा जाना चाहिए। इस प्राबलम की सोलूशन के लौंग टर्म और शार्ट-टर्म दो सोल्यूशन दो सकते हैं जिससे कुछ हद तक बेरोजगारी की समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। यह कहना कि सुपर-कम्प्यूटराइजेशन की जरूरत है या इन्डस्ट्रीज के नेशनलाइजेशन की जरूरत है, यह सब कहने से पहले हमें इस पहलू पर काफी सोच विचार करना चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में यही कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत ही नाजुक पहलू है।

इस बेरोजगारी को देखते हुए जिस फैक्टरी में जहां भी हम कम्प्यूटराइजेशन के प्रोग्राम को लागू करें तो उससे क्या आफ्टर एफैक्ट्स होंगे उसका निरीक्षण करने के बाद ही सरकार उसकी अनुमति दे। किसी भी प्राईवेट या पब्लिक सेक्टर के कारखाने में कम्प्यूटराइजेशन और नेशनलाइजेशन के प्रोग्राम को लागू करने के पहले सरकार को चाहिए कि वह देखे कि इसका क्या आफ्टर एफैक्ट होगा और हम कैसे उसका सामना करेंगे। हमने क्या उसके लिए फ्रेम वर्क बनाया है और जो इसके आफ्टर एफैक्टस होंगे, जो इससे समस्या पैदा होगी इसका हम कैसे समाधान करेंगे? इसके लिए हमारी क्या योजना है? प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, सरकार इसके लिए एक ब्लू प्रिन्ट बनाकर सामने रखे, उसके बाद ही कम्प्यूटराईजेशन के प्रोग्राम को लागू करने की मान्यता दे।

मैंने बताया दो पहलू हो सकते हैं। एक तो लौंग टर्म प्रोसेस हो सकता है और एक शार्ट टर्म प्रोसेस हो सकता है। जिससे बेरोजगारी की समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। सरकार की जो एजेंसियां काम कर रही हैं 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, मैं देखता हूं कि उस कार्यक्रम की पालिसी और उसके इम्पलीमेंटेशन के बीच एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। जो ऐडमिनिस्ट्रेशन हमारा काम कर रहा है, हमारा काम जो हो रहा है सेंटर में या राज्य में वह मुख्य रूप से यह है--

[अनुवाद]

कुछ व्यापक नीतियां बनाई जायें, कुछ कार्यक्रम तैयार किये जायें। तथा लक्ष्य निर्धारित किए जायें।

[हिन्दी]

ये सरकार के प्रोग्राम हैं। लेकिन दूसरा पहलू हमारा है कि—

[अनुवाद]

सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीति को मंजूरी दी जाए।

[हिन्दी]

यह काम एक्जीक्यूटिव के द्वारा होते हैं और हमारी राज्य सरकारों के द्वारा किए जाते हैं।

[अनुवाद]

लेकिन मैं महसूस करता हूं कि व्यवस्थापकों और प्रशासन के बीच भारी अन्तर है तथा समन्वय की भी कमी है।

[श्री सलाउद्दीन]

[हिन्दी]

एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में कोआर्डिनेशन नहीं होता है। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में कोआर्डिनेशन नहीं होगा तब तक जिस तरह से मैंने अपनी पालिसी बनायी है, प्रशासन ने जिस तरह से अपनी पालिसी बनायी है—

[अनुवाद]

जब तक इसे व्यवस्थापकों तथा संगठनों द्वारा उसी ढंग से नहीं किया जाता है तब तक हमारे मुख्य उद्देश्य पूर्ण नहीं होंगे।

[हिन्दी]

उसी सेंस में उसका उसका इम्पलीमेंटेशन होना चाहिए।

[अनुवाद]

तब तक व्यवस्थापकों द्वारा यह कार्य उसी ढंग से नहीं किया जाता, तब तक हमारे उद्देश्य पूर्ण नहीं होंगे।

[हिन्दी]

जब तक हमारा अनएम्पलायमेंट का प्राब्लम जहां का तहां रह जायेगा। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारे प्रधान मन्त्री ने इस समस्या के समाधान के लिये काफी जोर दिया है। मैं अपने युवा प्रधान मन्त्री को इसके लिये बधाई देना चाहता हूं। लेकिन वह गांवों तक पहुंचना है। हमारा जो बेरोजगारी का समाधान करने के लिये प्रोग्राम है उसको गांवों तक पहुंचाना है। एक आर्गेनाइजेशन उसके लिए हमारे पास होना चाहिये, एक कोआर्डिनेशन होना चाहिए जो कि दिल्ली से इस योजना को भारत के तमाम गांवों तक पहुंचा दे। एक काम्पीटेन्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए चाहिए, एक आनेस्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। आज इसका भारी अभाव है। हमारी मशीनरी काम्पीटेन्ट नहीं है, आनेस्ट नहीं है। इसलिए हमारी जो योजना दिल्ली में है बेरोजगारी समाप्त करने के लिए गांवों तक पहुंचते-पहुंचते उसकी रूप-रेखा ही बिगड़ जाती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस योजना को मैंने दिल्ली में बनाया है बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए गांवों तक पहुंचते-पहुंचते उसकी वही रूपरेखा रहनी चाहिए। उसके लिए मैंने दो बातें कहीं—काम्पीटेन्ट हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन हो और काम्पीटेन्ट स्टाफ हो, ईमानदार हो और काम्पीटेन्ट भी हो, जो कि गांवों तक हमारी योजना को पहुंचा सके। जब तक हम एक ऐसी टीम नहीं बनाएंगे तब तक हमारी योजना दिल्ली में रह जायगी, पटना में रह जायेगी, लखनऊ में रह जायेगी, कलकत्ता में रह जायगी, गांवों तक नहीं पहुंचेगी। गांवों तक हमारी योजना नहीं पहुंचेगी। जैसा मैंने बताया एक तो शार्ट टर्म समाधान हो सकते हैं और एक लांग-टर्म समाधान हो सकते हैं। हमें दोनों को ही साइमल्टेनियसली अपनाना होगा – शार्ट-टर्म सोल्यूशंस को भी और लांग-टर्म सोल्यूशंस को भी क्योंकि यह अनएम्पलायमेंट की जो प्राब्लम है, वह सिर्फ एकोनामिक प्राब्लम नहीं है, बल्कि सोशल प्राब्लम है। इट इज नाऊ ए सोशल प्रोसेस। बेरोजगारी को हम जीवन की एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देख रहे हैं। वह हमारे जीवन का एक अंग बन गई है। इसी दृष्टिकोण से हमें इस बेरोजगारी की प्राब्लम को देखना होगा। मैं समझता

हूं कि इसके लिए कोई भत्ता दिया जाये, अनएम्पलायमेन्ट बोनस दिया जाये या कोई एलाउन्स दिया जाये उसी से हम, यह जो क्रानिक डिजीज है, उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। ऐसे नौजवान जिनकी तरफ उनकी मां ममता से देख रही है, जिनका घर उजड़ा हुआ है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनकी सांत्वना के लिये मैं आवश्यक समझता हूं कि जब तक हम उनको नौकरी नहीं दे पाते हैं तब तक के लिये उनको रिलीफ दी जाये, राहत दी जाये या बोनस दिया जाये। ताकि उसकी मां जो उसका रास्ता देख रही है, उसकी बहन जिसके सिन्दूर नहीं लगा है, उनकी राहत के लिए हम कोई एमाउन्ट देंगे तो उससे उनको बहुत आशा बंधेगी और उनमें एक नई रोशनी आयेगी। इन बातों के साथ ही मैं समाप्त करता हूं।

श्री अनूप चन्द शाह (बम्बई उत्तर) : सभापति महोदय, श्री बनातवाला जी ने सदन के सामने जो बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक प्रस्तुत किया है, उसके पीछे भावना बहुत अच्छी है, जिसका मैं समर्थन करता हूं। साथ ही साथ बेरोजगारी उन्मूलन के लिए हमारी सरकार क्या कर सकती है और इस देश की विशालता तथा जो परिस्थितियां देश में मौजूद हैं, उनको देखते हुए अगर हम विचार करेंगे तो मैं नहीं समझता कि हर चीज में, दूसरे देशों में क्या होता है, उसके साथ हम अपने देश को कम्पेयर कर सकेंगे। हमारे यहां अनएम्पलायमेंट की वजह से क्या हो सकता है उसके सन्दर्भ में हम आज की ही खबर को देखें कि दिल्ली में ही किसी नौजवान ने प्रधान मन्त्री श्री राजीव जी के नाम से किसी को फोन करके क्या करने का प्रयत्न किया और जब उसको अरेस्ट किया गया तो उसने जो बयान दिया वह बयान यह था कि मेरी बीवी है, दो बच्चे हैं और कमाने का कोई साधन नहीं है, मैं अन-एम्पलायड हूं, बेरोजगार हूं इसीलिये मैंने यह सब किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि बेरोजगारी की वजह से इस देश के अन्दर गुण्डागर्दी बढ़ रही है और गुनाहों के साथ हमारे नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी को मिटाया जाये तो केवल बेरोजगारी भत्ता देने से यह बेरोजगारी मिटने वाली नहीं है। आज सरकार की भी कुछ मर्यादा है। अगर हमें किसी को कुछ देना है तो सरकार को किसी से कुछ लेना भी पड़ेगा। अगर हम बेकारी भत्ता देना चाहते हैं, अनएम्पलायमेन्ट एलाउन्स देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कहीं न कहीं से पैसा लाना भी पड़ेगा और उसके लिए जब सरकार कोई नया टैक्स लगायेगी तो मैं समझता हूं कि इस देश का हर नागरिक उसका विरोध करने वाला है।

यदि पैसा नहीं आयेगा, तो सरकार सबको बेरोजगारी कैसे दे सकती है। हमने महाराष्ट्र में एजूकेटेड-अनएम्पलायड की एक छोटी सी स्कीम बनाई है। हम एम्पलायमेंट गारन्टी स्कीम के माध्यम से जो भी आदमी काम के लिए आगे आता है, उसको काम देने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार की स्कीम्स और भी राज्यों में चालू हैं। यह सही है कि सरकार किसी को भी परमानेन्ट बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकती है। लेकिन हमें कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए कि अगर कोई युवा, कोई बेरोजगार अनएम्पलायड ब्यूरो में अपना नाम रजिस्टर करवाता है और रजिस्टर करने के एक साल के अन्दर यदि हम उसको काम उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, तो एक साल के बाद भत्ता देना चाहिए। अगर तीन साल तक उसको कहीं भी काम नहीं दे सकते हैं, तो उसको काम के लिए और दो साल भत्ता देना चाहिए। लेकिन यह अनएम्पलायमेन्ट एलाउन्स उसको परमानेन्ट बेस पर नहीं देना चाहिए। यदि ऐसा हो जाएगा तो हमारे जो एजूकेटेड अनएम्पलायड की एक मनोवृत्ति बन जाएगी और वे काम की ओर नहीं जायेंगे उनको लगेगा कि सरकार की ओर से हमें कुछ-कुछ मिल जाता है और उसके कुछ सालों के बाद वे काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसीलिए हर एजूकेटेड अन-एम्पलायड के मन में यह भावना पैदा होनी चाहिए कि अगर हम सरकार के अनएम्पलायमेन्ट

[श्री अनूप चन्द शाह]

एलाउन्स लेते हैं, तो हमें कुछ काम करना चाहिए और जो एलाउन्स हमें कुछ सालों के लिए मिलने वाला है, उसके बाद भी काम करना चाहिए और काम की तलाश में रहना चाहिए तथा जिस प्रकार का काम मिले, उस काम को करना चाहिए।

आज जिस ढंग से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा काम क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं समझता हूं, जिस ढंग से देश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस ढंग से हम इक्कीसवीं सदी में जाना चाहते हैं, उस ढंग से हम इक्कीसवीं सदी में जा सकेंगे। इसके लिए हमें अपनी शिक्षा नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। इन लोगों के दिमाग में जो क्लेरिकल जॉब की भावना है, पढ़ा लिखा आदमी कहीं-न-कहीं क्लेरिकल जॉब में जाना चाहता है, उनमें हमें यह भावना पैदा करनी पड़ेगी कि जो काम मिलेगा, उस काम को करेंगे। लेकिन एजूकेटेड अनएम्पायड को बेरोजगारी भत्ता देने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। और देशों में हो सकता है। लेकिन हमारे देश की जो भूमि है और इस देश की जो प्रणाली है, उसमें यह सम्भव कैसे हो सकता है। बेरोजगारी भत्ता देने से क्या हम हमारे नवयुवकों को, एजूकेटेड एम्पलायेड लोगों को बैगर बनाना चाहते हैं। बैगर के साथ-साथ उनके दिमाग में यह बात आ जाएगी कि बिना काम किए, कम मेहनत से, गलत रास्ते से, हम पैसा प्राप्त कर रहे हैं। आज हमें उन लोगों की तरफ भी देखना है, तो छोटे-छोटे स्मगलिंग के धन्धे में लगे हुए हैं, नार्कोटिक ड्रग के धन्धे में लगे हुए हैं। ये सब लोग कौन हैं। ये एजूकेटेड अनएम्पलायड है, जिन को कहीं जॉब नहीं मिलता है। अगर उनको सही ढंग से सही रास्ते पर लाना है, तो सरकार को इतना सोचना है कि हमारे देश में कैसे ज्यादा एम्पलायमेंट क्रियेट किया जा सकता है।

हमारे कुछ सम्माननीय सदस्यों ने कहा कि हमने हर जगह पर नई भरती पर बैन लगा रखा रखा है। सच बात यह है कि नई भर्ती के लिए हमने कुछ जगहों पर बैन लगाया हुआ है लेकिन साथ ही साथ यह बात भी हो सकती है कि किसी भी इन्डस्ट्री में, किसी भी डिपार्टमेंट में ओवर-एम्पलायमेन्ट नहीं होना चाहिए। अगर ओवर-एम्पलायमेन्ट होता है, तो यह देश की प्रगति के खिलाफ हो सकता है। एम्पलायमेंट सभी को मिले, ज्यादा काम मिले, हम ज्यादा नौकरियाँ पैदा कर सकें, इसके लिए इस देश के अन्दर इण्डस्ट्री को बढ़ावा मिलना चाहिए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलना चाहिए। कुछ चीजों के लिए आज भी हमें और देशों पर आधारित रहना पड़ता है। इस देश में हर चीज पैदा हो सकती है, हर काम हो सकता है क्योंकि हमारे पास मानव-शक्ति, मैन-पावर बहुत ज्यादा है। मैन-पावर बहुत है। अगर मैन-पावर का सही ढंग से उपयोग करें, तो इस देश में कोई ऐसी बात नहीं है, जो हम न कर सकें। सवाल इतना है कि हम जो पालिसी बनाते हैं, सरकार की जो नीति रहती है, उस नीति पर अमल होना चाहिये। कई जगहों पर उसका सही अमलीकरण नहीं होता है और इसलिये हमारे देश में अनएम्पलायमेन्ट बढ़ रहा है। हमारी सरकार की जो नीति है, सरकार की जो प्रणाली है, सरकार जो चाहती है, और उसको सही ढंग से इम्पलीमेंट किया जावे, तो हमारे देश के अन्दर जो अनएम्पलायमेन्ट बढ़ रहा है, वह जरूर दूर हो सकता है और बनातवाला जी जो बिल लाए हैं बेरोजगारी उन्मूलन के लिए, फिर ऐसे बिल की जरूरत नहीं रहेगी। बिल की भावना अच्छी है लेकिन उसमें जो बेकारी भत्ता देने की बात कही गई हैं, अनएम्पलायमेन्ट एलाउन्स देने की बात कही गई है, उसके देने से इस समस्या का निवारण नहीं हो सकेगा। और सरकार यह बिल एक्सेप्ट भी कर लेती है, तो भी मैं समझता हूं कि हम बेकारी का

निवारण नहीं कर सकेंगे। सवाल यह है कि हमारे मन में इसके लिये सही ढंग से काम करने की भावना हो। एजूकेटेड लोगों को अनएम्पलायमेंट एलाउन्स देकर हम उनको बैगर नहीं बनाना चाहते हैं। हम उनको काम देना चाहते हैं और उनसे काम लेना चाहते हैं ताकि देश की प्रगति हो और हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं और सरकार इसके लिए सही ढंग से प्रयत्न कर रही है। जो नीति है, उस पर सही ढंग से अमलीकरण करके ही हम आगे जा सकते है और यही हम अपेक्षा करते हैं।

मैं इस बिल का तो समर्थन नहीं करता लेकिन इस बिल के द्वारा जो भावना प्रदर्शित की गई है, उसका अभिवादन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : महोदया, मैं बेरोजगारी उन्मूलन वाले इस विधेयक का मन से स्वागत करता हूं। मैं इस विधेयक को पेश करने वाले श्रीमान बनातवाला का भी धन्यवाद करता हूं जिहोंने इस प्रकार का विधेयक पेश किया है। सरकार को यह विधेयक बहुत पहले ले आना चाहिए था। यद्यपि सरकार लोगों की सेवा के लिए वचनवद्ध है लेकिन वह देश के बेरोजगार लोगों के लिए इस प्रकार का क्रांतिकारी कानून बनाने में असफल रही है।

हम संसद सदस्य, चुनाव के समय बेरोजगार लोगों, बेरोजगार लड़के तथा लड़कियों से वायदा करते हैं कि हम उनकी सेवा करेंगे। लेकिन हम इस समय इस विधेयक का समर्थन क्यों नहीं करते ? जबकि ऐसा विधेयक पेश करने वाले सदस्य हमारे पास हैं तो आपमें इतना साहस क्यों नहीं हैं कि आप इस विधेयक का समर्थन कर सकें ? दल बदल कानून के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। यह जनता के प्रतिनिधियों का जनता को दिया गया वायदा है।

महोदय, हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य है संविधान के भाग तीन और चार में लोगों को गारंटी दी, गई है। यदि आप सारे संविधान का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि इसके अनेक अध्यायों में लोगों के कल्याण का वायदा किया गया है। लेकिन यदि आप दूर दराज के स्थानों, विभिन्न गांवों, पहाड़ी क्षेत्रों और पिछड़े इलाकों में जाएं जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग रहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि देश का उतना विकास नहीं हुआ है जितना कि हम आशा करते थे। ऐसा क्यों है ? बेरोजगारी की स्थिति ने खतरे की घंटी बजा दी है और यह स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और किसी भी समय यह ज्वालामुखी फूट सकता है क्योंकि जरूरत पड़ने पर आदमी कानून को भी नजर अन्दाज कर देता है। जो विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हैं और जो विद्यार्थी कालेजों तथा विश्वविद्यालयों से शिक्षा पूरी करके बाहर निकल रहे हैं, अब उनके मन में क्या है उनके मन में केवल दुःख और अनिश्चितता की भावना है क्योंकि उनका भविष्य अनिश्चित है। न तो उनके माता-पिता और न ही सरकार उनके लिए रोजगार की गारन्टी देती है सरकार किसी भी प्रकार का बेरोजगारी भत्ता देने में भी असफल रही है। ऐसा क्यों हैं ? यदि हमारा देश कल्याणकारी राज्य है, यदि सरकार लोगों की सेवा के लिए वचनवद्ध है तो वह इस प्रकार का भत्ता क्यों नहीं दे सकती ? मैं इसके लिए कोई कारण नहीं समझता। आज किन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है ? केवल उन्हीं लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है जिनके पास साधन हैं, जिनका समाज में स्थान है, जो अधिकारी वर्ग और राजनीतिज्ञों के चहेते है। यही वे लोग हैं जिनको इस देश के कानून द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है लेकिन गरीब लोगों को जिनके पास साधन नहीं है, संरक्षण नहीं दिया

[श्री भद्रेश्वर तांती]

जाता है क्या आप सभी लोगों के प्रति वचनबद्ध नहीं है ? आजादी के चालीस वर्षों के बाद भी सरकार कोई ऐसा कानून बनाने में असफल क्यों रही है ? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है इस सम्बन्ध में संविधान भी मूक दर्शक बनकर रह गया है ।

सारे देश में सैकड़ों रोजगार कार्यालय हैं लेकिन यदि कोई बेरोजगार नवयुवक वहां अपना नाम दर्ज कराने जाता है तो वह वहां अपना नाम भी आसानी से दर्ज नहीं करा पाता । वहां के कर्मचारी उनसे अपना नाम दर्ज कराने के लिए पैसे मांगते हैं । जिन लोगों की पहुंच होती है वे किसी भी विभाग अथवा प्राईवेट कार्यालय में साक्षात्कार हेतु अपना नाम भिजवा देते हैं लेकिन जिन लोगों की पहुंच नहीं होती अथवा उनका कोई में सहारा देने वाला नहीं होता है तो उनको रोजगार कार्यालयों द्वारा बुलाया भी नहीं जाता । आज देश में ऐसी स्थिति है । नवयुवकों और महिलाओं को संरक्षण नहीं दिया जाता है । जो लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वे भोजन और आश्रय के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं । श्रमिकों के लिए जो कानून बनाये गये हैं वे किसी भी प्रकार से लाभदायक सिद्ध नहीं हुए हैं सच्चाई तो यह है कि श्रम मन्त्रालय को समाप्त कर दिया जाना चाहिए इस मंत्रालय का कोई महत्व नहीं है क्योंकि यह श्रमिकों की ओर कोई ध्यान नहीं देता है अनेकों कानून बने हुए हैं लेकिन हम श्रमिकों के हितों की रक्षा करने में असफल रहे है । मैंने जीवन के दुःखों को देखा है अभी भी चाय बागानों में चाय की पत्ती तोड़ने वाले श्रमिकों को सस्ते राशन के बदले में 30 पैसे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दिए जाते हैं । यदि रोजगार में लगे हुए लोगों का यह हाल है तो बेरोजगार लोगों का क्या हाल होगा ।

हमने जीवन में दुःख देखे हैं । शायद आपने जीवन में दुःख नहीं देखे हैं । इसलिए आप इस प्रकार का कानून नहीं बनाना चाहते हैं । प्रत्येक व्यक्ति महसूस करता है, प्रत्येक व्यक्ति इसका समर्थन करता है लेकिन उनमें इस विधेयक का समर्थन करने का साहस नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति इसका स्वागत करता है लेकिन उनमें इसका समर्थन करने का साहस नहीं है । हमारा देश एक कल्याणकारी देश है । यदि मैं जनता की सेवा करने को वचनबद्ध हूं, तो महोदया सरकार के लिए इस प्रकार का कानून बनाने के लिए यह उपयुक्त समय है और साथ ही साथ यह देखने का भी सरकार के लिए उचित समय है कि न केवल उसे संसद में पारित कराया जाए बल्कि उसे ठीक प्रकार से कार्यान्वित भी करवाया जाये । यदि आप हजारों कानून बना लेते हैं और यदि आप उनको कार्यान्वित नहीं करते हैं तो इसका क्या अभिप्राय है ?

अब देश की जनता को कानूनों में विश्वास नहीं रहा है । यहां तक कि मां-बाप अपने बच्चों को विद्यालयों में नहीं भेजते हैं क्योंकि वे उन शिक्षित लड़के तथा लड़कियों के बारे में जानते हैं जो अपनी शिक्षा पूरी करके विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों से निकले हैं और जिन्हें रोजगार नहीं मिलता है । यहां तक कि एक शिक्षित व्यक्ति को एक दिन के लिए भी रोजगार नहीं मिलता है । तब अशिक्षित व्यक्ति के बारे में तो कहने ही क्या । इसलिए लाखों बेरोजगार व्यक्तियों के हितों को देखने का यह उचित समय है । चूंकि सरकार ने जनता से वायदा किया है इसलिए कमजोर वर्ग और जनता के बेरोजगार वर्ग के लिए इस प्रकार का विधेयक लाना सरकार की जिम्मेदारी है ताकि सम्पूर्ण देश प्रगति कर सके; अन्यथा देश उन्नति नहीं कर सकता ।

मैं दिल से विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है ।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : सभापति महोदया, श्री बनातवाला जी का यह विधेयक बेरोजगारों के केवल एक वर्ग के सम्बन्ध में ही है। इस विधेयक के खण्ड 3 में यह उल्लेख किया गया है कि सरकार प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी करली है और जिसने अपनी आयु अर्हताओं और क्षमता के अनुसार रोजगार के लिए रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण करा लिया है अतः इस विधेयक मे उन अर्द्धशिक्षित और शिक्षित लोगों के बारे में विचार किया गया है जिन्होंने अपने नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत करा लिये हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक बेरोजगारी है जहां लोग रोजगार कार्यालयों मे अपने नाम पंजीकृत नहीं करा सकते हैं।

रोजगार कार्यालयों में भी एक ओर जहां सभी बेरोजगार व्यक्ति अपना नाम पंजीकृत नहीं कराते हैं वहां दूसरी ओर लोग दो या तीन रोजगार कार्यालयों में अपने नाम पंजीकृत कराते हैं। इन रोजगार कार्यालयों से उपलब्ध बेरोजगार व्यक्तियों से संबंधित आंकडों को बेरोजगारी की मात्रा का मूल्यांकन कराने अथवा बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए विश्वसनीय सूचकांक के रूप मे नहीं लिया जा सकता है।

आबादी विकास और रोजगार एक दूसरे से पूर्णतः संबंधित हैं। विकास से लोगों का जीवन-स्तर बढ़ता है और उनमें छोटे परिवार की भावना पैदा होती है। दूसरी ओर यह भी तर्क दिया गया है कि इससे जनता की जन्म दर में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि विकास से जनता को बड़े परिवारों का पालन-पोषण करने के लिए अधिक साधन उपलब्ध होते हैं। इनमें से जो भी दृष्टिकोण सही हो इस बात को मानने से कोई इंकार नही करता है कि किसी भी देश के लिए तीव्र विकास अत्यन्त आवश्यक है चाहे उसमें बढ़ती हुई आबादी की समस्या हो अथवा न हो। कृषि फार्मों तथा कारखानों में अत्यधिक विकास संबंधी गतिविधियों से अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जैसे-जैसे रोजगार उपलब्ध होते हैं। विकास अपनी निरन्तरता तथा गति को बरकरार रखता है, वैसे-वैसे लोग यह महसूस करते हैं कि वे जितना अधिक काम करेंगे उतना ही अधिक वे कमायेंगे। इससे अधिक काम करने तथा अधिक कमाने की प्रवृत्ति बढ़ती है जिससे वे अपना ज्यादा से ज्यादा समय काम में लगाते हैं। इससे स्पष्टतः जनसंख्या की वृद्धिदर के संबंध में उनमें घटाने की प्रवृत्ति पैदा होती है। ज्यादा आमदनी से बड़े परिवार बनने का सिद्धान्त केवल विकास के प्रारम्भिक चरण में, जब लोग अपने जीवनयापन के लिए आवश्यक कमाई करने के लिए साधन ढूंढना शुरू करते हैं, सही प्रतीत होता है। यह ज्यादा से ज्यादा एक अस्थायी चरण हो सकता है और इस बदलती हुई स्थिति का उन लोगों पर ही मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है जो अपने परिवारों में बढ़ते हुए सदस्यों का भरण-पोषण करने के लिए कमाना अच्छा समझते हैं।

महोदया, अब मैं विधेयक को लेता हूं, यह मेरी पक्की राय है कि रोजगार भत्ता देने से किसी भी दिशा में राष्ट्र के विकास में सहायता नहीं मिलेगी। मैं कनाडा गया था जहां लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। मैंने यह भी देखा है कि वहां इसका लोगों पर क्या बुरा प्रभाव पड़ा है। इस भत्ते के परिणामस्वरूप जनता का एक वर्ग आलसी हो गया है। वे शराब पीने तथा नशीली वस्तुओं का सेवन करने के आदी हो गये हैं। हमारे देश में गरीबी को समाप्त करना आवश्यक है। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में गरीबी को समाप्त करने की जो योजनाएं शुरू की गई हैं उन्हें ईमानदारी से कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके।

[श्री सोमनाथ रथ]

महोदया, अब उदाहरण के लिए कम ब्याज पर शिक्षित बेरोजगारों को दिये गये ऋणों को ही ले लीजिये। दसवीं पास व्यक्तियों को 6000 रुपये तक और स्नातकों को 25,000 रुपये तक ऋण मिलता है। कम ब्याज पर इन ऋणों से उन्हें स्वतः रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इससे उद्योगों के विकास और फलने-फूलने में भी सहायता मिलेगी।

कम ब्याज पर ऋण देने की बजाय यदि आप उन्हें अनुदान या रोजगार भत्ता देते हैं तो यह भी हो सकता है कि वे बिल्कुल काम नहीं करें। लोग खेतों तथा कारखानों में काम नहीं करना चाहेंगे और लोगों की ओर से भी काम करने तथा कमाने के संबंध में कोई उत्साह नहीं दिखाया जायेगा।

मेरा यह सुझाव है कि भत्ता देने की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षित हों और बेरोजगार हों उन्हें कम ब्याज पर केवल ऋण ही दिये जाने चाहिए। लेकिन आपको यह देखना चाहिए कि ऋण केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया गया है जो बेरोजगार हों तथा वास्तव में गरीब हों। ये ऋण धनी व्यक्तियों को नहीं दिये जाने चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं, क्योंकि यह देखने में आया है कि कभी-कभी धनाढ्य व्यक्ति ऐसे ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था कर लेते हैं और वे उन्हें अपने काम-धन्धों में उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार वे बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा ऐसे लाभ प्राप्त करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं।

इसी प्रकार मैं ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि मजदूरों के बारे में भी उल्लेख करना चाहता हूं। महोदया, आप यह जानती हैं कि हमारे देश में 30 करोड़ मजदूर हैं और उनमें से केवल 3 करोड संगठित क्षेत्र में हैं। शेष 27 करोड मजदूर असंगठित क्षेत्र में हैं। इसी कारण से हमारे प्रधान मंत्री ने भी अपने बजट भाषण में ठीक ही कहा है कि हमें यह देखने के लिए एक आयोग गठित करना चाहिए कि इन मजदूरों की किस तरह से अधिक से अधिक सहायता की जा सकती है अथवा उनकी स्थिति को सुधारा जा सकता है।

प्रत्येक राज्य में न्यूनतम मजदूरी अलग-अलग है। यह तमिलनाडु में 8 रुपये है जबकि केरल में यह 20 रुपये से भी अधिक है। मेरा सुझाव है कि श्रम मंत्री को अन्य राज्यों के मंत्रियों से कृषि मजदूरों और अन्य मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी कम से कम 10 रुपये निर्धारित करने के लिए कहना चाहिए। विभिन्न राज्यों में प्रचलित हालातों को ध्यान में रखते हुए यह मजदूरी अधिक भी हो सकती है।

इस तरीके से आप उनकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन इस विधेयक में केवल सरकारी रोजगार या सरकारी उपक्रमों में रोजगार के बारे में बताया गया है। यद्यपि सरकारी उपक्रम भी उम्मीदवारों के नाम भेजने के लिए रोजगार कार्यालयों की सहायता लेते हैं लेकिन गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में क्या स्थिति है ? जो व्यक्ति गैर-सरकारी उपक्रमों में कार्य कर रहे हैं, वे रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार प्राप्त नहीं करते हैं। उन्हें भी रोजगार प्राप्त करने के लिए रोजगार कार्यालयों में अपने नामों का पंजीकरण कराना पड़ेगा। लोग सरकारी नौकरी या सरकारी उपक्रमों की नौकरी को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनमें नौकरी की सुरक्षा होती है।

हमें सभी क्षेत्रों में रोजगार सुविधा पर विचार करना चाहिए और मैं यह आशा करता हूं कि इस मामले पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करने के लिए एक व्यापक विधेयक लाया जायेगा।

श्री बनातवाला जी ने सभा के सामने जो विचार रखा है वह बहुत अच्छा है कि बेरोजगार व्यक्तियों के नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होने चाहिए लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मैं यह दुहराता हूं कि इस समस्या का समाधान, जैसा कि मैंने पहले कहा है। तभी हो सकता है, जब हम जनसंख्या की समस्या और मजदूर समस्या, रोजगार समस्या पर ठीक प्रकार से विचार करें। जनसंख्या, विकास और रोजगार एक दूसरे से संबंधित हैं।

मैं एक बार फिर से श्रम मंत्री महोदय से जोर देकर उन तीन मुद्दों के बारे में कहना चाहता हूं, जिन्हें श्रम विभाग ने उठाया है और वे तीन मुद्दे हैं बाल श्रमिक, न्यूनतम मजदूरी और कृषि तथा अन्य क्षेत्रों का असंगठित क्षेत्र तथा ये सभी कार्यान्वित होने चाहिए। इन तीनों पहलुओं पर ईमानदारी से विचार किया जाना चाहिए। जिससे इस समस्या का अधिक से अधिक सीमा तक समाधान किया जा सके।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सभापति जी, आज देश में यदि कोई प्रोब्लम सबसे ज्यादा उग्र रूप धारण किये हुए है तो वह बेरोजगारी की समस्या ही है। यह ठीक है कि हमारे देश देश ने आजादी प्राप्त होने के बाद हर क्षेत्र में बहुत तरक्की की है, जिसका श्रेय हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री को जाता है। उनके लीडरशिप में हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता गया और 1984 के बाद, जब से श्री राजीव जी के पास सत्ता आयी है, निस्संदेह इस देश में गरीबों के हित में बहुत से कार्यक्रम चले, नया बीससूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया, देश में नये फर्टिलाइजर के कारखाने लगे, नई इन्डस्ट्रियल पौलिसी बनाई गयी, आई. आर. डी. पी., आर. एल. ई. जी. पी., डी. आर. डी. ए., सैल्फ एम्पलायमैंट प्रोग्राम जैसे अनेक कार्यक्रम आरम्भ किए गए, फिर भी हमें देश से बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वही सबसे बड़ी आज हमारे सामने प्रोब्लम है इसमें किसी पार्टी पोलिटिक्स का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह एक कौमन प्रोब्लम है और इसे हमें पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठ कर हल करना है। इस प्रोब्लम के बढ़ने के कारण देश के यूथ्स में फ्रस्टेशन बढ़ता जा रहा है। वैसे हमारे देश में इन्डस्ट्रीज की कमी नहीं है, देश में अनेक प्रोजेक्ट भी हैं, बैंकिंग सैक्टर भी है। पब्लिक अण्डरटेकिंग्स भी हैं, फिर भी मेरा विचार है कि इस समस्या को अकेले सरकार के स्तर पर हल नहीं किया जा सकता। आज हम सबको मिलकर इस समस्या को हल करना होगा। आये दिन हाउस में इस समस्या की चर्चा होती रहती है।

[अनुवाद]

मैं श्रीमती इंदिरा गांधी का उदाहरण देना चाहती हूं। उन्होंने कहा था "हमारी विशाल जनसंख्या तथा उसके विभिन्न समुदायों के किसी वर्ग को यह महसूस नहीं करना चाहिए कि उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उनका अनदेखा करना सामूहिक हानि है"

[हिन्दी]

इस प्रोब्लम से लड़ने के लिए हम सब एम. पीज. को एकसाथ मिलकर आगे आना चाहिए और अपना सहयोग देना चाहिए। यहां कुछ मैम्बर्स की ओर से बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का सुझाव दिया गया, मैं उससे सहमत नहीं हूं क्योंकि हम कुछ समय के लिए अगर किसी को यह भत्ता

[कुमारी ममता बनर्जी]

दे भी दें तो भी उससे यह समस्या हल होने वाली नहीं है। एक महीना, दो महीना, एक साल, दो साल यदि किसी को बेरोजगारी भत्ता मिल भी गया तो भी उसे नौकरी तो नहीं मिलेगी, कोई काम नहीं मिलेगा और इस तरह उसकी बेरोजगारी बनी रहेगी। वैसे तो हमने देश में नई एजूकेशन पौलिसी आरम्भ की है परन्तु अभी तक हमारे देश में जौब औरियेन्टिड एजूकेशन नहीं हो पायी है। जब तक जौब ओरियेन्टिड एजूकेशन नहीं होगी तब तक हमारे देश में यह समस्या विकराल रूप धारण करती जाएगी। आज हमारे देश में लगभग दो करोड़ एजूकेटिड अनएम्पलायड यूथ्य, एक अनुमान के अनुसार, विभिन्न एम्पलायमैन्ट एक्सचेंजिज में दर्ज हैं। इसके अलावा अन-एजूकेटिड अनएम्पलायड यूथ्य की संख्या काफी ज्यादा है। वे तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। इनके अलावा भी कुछ यूथ्य देश में होंगे, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया होगा। देश में एक अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर भी है। सरकार को इनकी ओर अधिक से अधिक ध्यान देना होगा। इस प्रोब्लम को हल करने की दिशा में सरकार को सबसे पहला कदम जौब औरियेन्टिड एजूकेशन की पौलिसी बनाकर बढ़ाना होगा। उसका कारण यह है कि एकाडैमिक क्वालिफिकेशन्स प्राप्त करके, एम. ए., बी ए., इंजीनियरी या डाक्टर की डिग्री प्राप्त करके बहुत से यूथ्स अपने घर में बैठ जाते हैं, और उनकी एम्पलायमेंट का हमारे पास कोई बन्दोबस्त नहीं है। आज यह समस्या इतनी बड़ी हो गयी है कि किसी एक संस्था या पार्टी या सरकार अकेले ही उसे हल नहीं कर सकती। इसलिए मंत्री जी जौब ओरियेन्टिड एजूकेशन की दिशा में गम्भीरता से विचार करें और आफ्टर मैट्रिकुलेशन या एकाडैमिक क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के बाद हर यूथ को जौब प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिए।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहती हूं कि सभी बिग इन्डस्ट्रीज में अप्रैन्टिसशिप कम्पलसरी होनी चाहिए। उनमें टैक्निकल प्रोब्लम्स ज्यादा होती है और इस कारण उनमें अप्वाइंटमैंट्स में भी परेशानी होती है। यदि सभी बड़ी इन्डस्ट्रीज में अप्रैंटिसेज को एब्जौर्व करने की पद्धति अपनाई जाएगी तो फिर टैक्निकल प्रोब्लम्स भी कम होंगी। आज क्या होता है कि बड़ी इन्डस्ट्रीज में दो-तीन या अधिक से अधिक 6 महीने के लिए अप्रैन्टिस रख लिए जाते हैं, उनको 200-300 रुपये माह-वार तनख्वाह दे दी जाती है परन्तु बाद में उनको हटा दिया जाता है, उनको नौकरी नहीं मिलती इस तरह जहां उनकी ट्रेनिंग बेकार हो जाती है, दूसरी तरफ बेरोजगारी समस्या वैसी की वैसी बनी रहती है। हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सभी बड़ी इन्डस्ट्रीज में अप्रैन्टिसेज को एब्जोर्ब कर लिया जाए।

हमारे देश में नेचुरल रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है परन्तु हम उनका समुचित सीमा तक दोहन नहीं कर पाये हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। इसके लिए हमें अपने आई. आर. डी. पी., आर. एल. ई. जी. पी., डी. आर. डी. ए. आदि प्रोग्राम्स को मजबूती से लागू करना होगा। मंत्री जी आप जरा सुनिये। हमने देखा है कि कई स्टेटस में इन प्रोग्राम्स का प्रपर इम्प्लीमैंटेशन नहीं हो रहा है। केन्द्रीय सरकार की तरफ से इन कार्यक्रमों के लिए जितना रुपया दिया जाता है रूरल डैवलपमैंट, बीस सूत्री कार्यक्रम आदि के लिए, वह इन कार्यक्रमों के लिए प्रयोग में न लाकर, उस पैसे का दुरुपयोग होता है। जिन गरीब लोगों की गरीबी दूर करने के लिए हमने पैसा दिया था, उन तक न पहुंच कर, उस पैसे को बिचौलिए या बड़े औफिशियल्स खा जाते हैं। इस तरह गरीब व्यक्ति को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। मेरा निवेदन है कि सरकार को इसके लिए एक मौनिटरिंग सैल का गठन करना

चाहिए ताकि केन्द्र सरकार की ओर से दिये जाने वाले पैसे का समुचित उपयोग हो सके। हमने कई कई स्थानों पर देखा है कि बीस सूत्री कार्यक्रम के लिए यहां से जो रुपया दिया जाता है वह सही दिशा में काम में नहीं लाया जाता, इससे बेरोजगारी की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है।

गवर्नमेंट ने लैण्डलैस के लिए तो आर. एल. ई. जी. पी. का प्रोग्राम दिया है, लेकिन अनएम्पलाइड यूथ के लिए वह नहीं मिलता है। गवर्नमेंट ने अनएम्पलाइड यूथ के लिए 20 हजार रुपए के स्थान पर अब 35 हजार रुपया सेल्फ एम्पलाइमेंट स्कीम के अन्तर्गत देना स्वीकार कर लिया है, यह ठीक है, लेकिन उनको सेल्फ एम्पलायमेंट के लिए डी. आई. सी. के पास जाना पड़ता है, वह आइडेंटीफाई करता है। वहां पर उसको एक-दो वर्ष आइडेंटीफाई करने में लगा लिए जाते हैं उसके बाद वहां से उसको बैंक में भेज दिया जाता है। जिसको कोई एक्सपीरिएंस नहीं होता है कि किस इन्डस्ट्री को कितना रुपया किस परपज के लिए दिया जाए, वह आदमी रुपया देता है। जो डी. आई. सी. भेजता है उनको रुपया नहीं दिया जाता है और उसको एक-दो वर्ष चक्कर लगवाने के बाद बोल दिया जाता है कि पोटेंश्यलिटी नहीं है, वायबिलटी नहीं है। इस तरह से लोगों का हरासमेंट हो रहा है। सरकार ने तो अनएम्पलाइड यूथ को इतनी बड़ी सुविधा अपना रोजगार चलाने के लिए दी, लेकिन बैंक आपके उसमें कोई मदद नहीं कर रहे हैं, तो कैसे वे लोग अपने पांव पर खड़े होंगे।

4.56 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए।]

आज अनएम्पलाइड यूथ फ्रस्टेड हो रही है क्योंकि अनएम्प्लायमेंट प्रोब्लम डे बाई डे इन्क्रीज हो रही है। एजूकेटिड लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। हमें देखना चाहिए और जो ग्रोथ रेट है, उसको कन्ट्रोल करना चाहिए। अनएम्पलाइमेंट को दूर करने के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होना चाहिए। इसमें अकेले गवर्नमेंट की रेस्पांसिबिलटी है, यह मैं नहीं कहती हूं। इसमें तो हम सब की रेस्पांसिबिलिटी है। लेकिन बैंक को भी इसमें मदद करनी चाहिए। बैंक इस कार्य में बिलकुल मदद नहीं कर रहे हैं। बैंक तो यह करते हैं कि 5-5 साल तक यूथ से चक्कर लगवाते हैं और बाद में कहते हैं कि हम तुमको 35 हजार रुपया दे रहे हैं, तुम हमको दो हजार रुपया दे दो। यदि ऐसा होगा तो करोड़ों जो अनएम्पलाइड यूथ हैं, उनका कैसे काम चलेगा।

सभापति महोदय मेरा तो इसमें कहना यह है कि जो अनएम्पलाइड यूथ हैं, जो बैंक से रुपया लेकर बिजनैस करना चाहते हैं उनको आप ट्रेनिंग दीजिए। यदि कोई अनएम्पलाइड यूथ डी. आई. सी. के अन्तर्गत आकर अपना बिजनैस करना चाहता है, तो बैंक्स को बोलिए कि वह उसे ट्रेंड करे और बिजनैस को रुपया दे, लेकिन दो-दो, तीन-तीन वर्ष तक मत घुमाइये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ऐसा लगता है कि आपको बैंकों से एलर्जी है।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : मुझे बैंकों से कोई एलर्जी नहीं है लेकिन बैंकों को लोगों से सहयोग करना चाहिए। यह शत प्रतिशत सही है। आप अपने राज्य में भी देख सकते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, सिक इंडस्ट्रीज भी बहुत बड़ा प्रोब्लम है। जो अनएम्पलायमेंट बढ़ रहा है उसके लिए ये सिक इंडस्ट्रीज भी बहुत बड़ा हैंडीकैप है। 1,19,000 इंडस्ट्रीज अभी सिक इंडस्ट्री के

[कुमारी ममता बनर्जी]

रूप में क्लोज्ड हैं। इनके अतिरिक्त और क्लोज होने वाली हैं। इनमें एक करोड़ एम्पलाइड व्यक्ति थे, जो अनएम्पलाइड हो गए हैं। इनका भी कुछ कीजिए। यह तो ठीक है कि सारी सिक इंडस्ट्रीज को रिवाइव नहीं कर सकते हैं, टेक-ओवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप छोड़ भी नहीं सकते हैं। जब किसी आदमी को बुखार होता है, तो उसे मैडीसिन दी जाती है। यदि वह एलोपैथिक से ठीक नहीं होता है, तो उसे होम्योपैथिक मैडीसिन दीजिए। लेकिन आपको मैडीसिन तो उसको देनी ही चाहिए। अगर उसे मैडीसिन नहीं दी जायगी, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए यह सिक इंडस्ट्रीज भी एक बहुत बड़ी प्राब्लम है। आज एक करोड़ लेबर जो एम्लाइड थे, अब अनएम्पलाइड हो गए हैं। उनको कहां नौकरी दी जाए, इस पर विचार करना चाहिए। सेण्ट्रल गवर्नमेंट में उनको नौकरी दी नहीं जा सकती है क्योंकि रिक्रूटमेंट पर बैन लगा है। यह तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूं। इसी के लिए आपको सोचना चाहिये। जो इण्डस्ट्रीज सिक हो रही हैं, उनके लिये मैनेजमेंट ध्यान देता है। मैनजमेंट नौकरी नहीं देता है। लेकिन जो वर्कर काम करता है, जिसका रुपये से संसार चलता है, वह अपनी फैमिली मेंटेन करता है, वह वर्कर अभी अनएम्पलायड है। आज कन्ट्री में एक करोड़ वर्कर अनएम्पलायड हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि आप सिक इण्डस्ट्रीज को तो रिवाइव नहीं कर सकते हैं लेकिन आप कोशिश कीजिये या प्लान बनाकर उसे माडर्नाइज कीजिए।

5.00 म० प०

हमें मालूम है कि बी. आई. एफ. आर का बोर्ड सट-अप हो गया, लेकिन वह कब चालू होगा, यह हमें मालूम नहीं है। क्या पार्लियामेंट खत्म होने के बाद चालू होगा। एक इण्डस्ट्री को को रिवाइव करने के लिये हम 2 वर्ष से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर रोज सुनते हैं कि देख रहे हैं। देख रहे हैं। हमारे राजीव जी चाहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से काम होना चाहिए। इसे आपको देखना चाहिए। यह हमारा अकेले का प्राबलम नहीं है, प्राबलम सबका है, लेकिन काम थोड़ा जल्दी से जल्दी होना चाहिये। एक फाइल एक टेबिल से दूसरे टेबिल पर जाने के लिये 6 महीने लग जायेंगे तो एक काम के लिये 5 बरस लग सकते हैं। पार्लियामेंट में 5 बरस का दाम क्या है?

एम्पलायमेंट एक्सचेंज जो अन-एम्पलायमेंट यूथ को काल देता है, वह एम्पलायमेंट एक्सचेंज न्यूट्रली काम नहीं करता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि किसी व्यक्ति को एम्पलायमेंट एक्सचेंज से हो लेना कोई जरूरी नहीं है। मैं रिक्वैस्ट करना चाहती हूं कि आप दो एम्पलायमेंट एक्सचेंज कीजिये एक स्टेट गवर्नमेंट के लिये और दूसरा सैन्ट्रल गवर्नमेंट के लिये। स्टेट गवर्नमेंट के लिये स्टेट का एम्पलायमेंट एक्सचेंज का काम कर सकता है और सेन्ट्रल एम्पलायमेंट के लिये सेन्ट्रल एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज काम कर सकता है। आज पोजीशन यह है कि 10 वर्ष से कार्ड रजिस्टर्ड हुआ है, उसको कोई कॉल नहीं आता है, लेकिन जिसका कार्ड एक वर्ष पहले रजिस्टर्ड हुआ है, उसको कॉल आ जाता है। आज ऐसा हो रहा है। इस तरह से बहुत ज्यादा डिस्क्रिमोशन कंट्री में हो रहा है। एम्पलायमेंट एक्सचेंज में गवर्नमेंट के कण्ट्रोल में काम करते हैं, लेकिन वह पोलिटिकल आउटलुक को लेकर काम करते हैं। वह देश के लिये और अन-एम्पलायड यूथ के लिये काम नहीं करते हैं। वह उसमें अपना पर्सनल इन्ट्रेस्ट देखते हैं।

हम यह भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आज पोस्टल आर्डर फीस अनएम्पलायड यूथ के लिए बहुत बड़ा प्राबलम है। रूरल बैल्यू में बहुत गरीब लोग रहते हैं, लेकिन उनमें बहुत से टेलेन्टेड होते हैं। आज अनएम्पलायड यूथ फीस के लिये पोस्टल आर्डर नहीं ले सकता है। हमारी सरकार गरीबों के लिये इतना ध्यान देती है, काफी काम करती है लेकिन पता नहीं वह अनएम्पलायड यूथ के लिये पोस्टल आर्डर को क्यों नहीं एबालिश करती ? अगर पोस्टल आर्डर फीस एबालिश हो जायेगी तो जो टेलेन्टेड लड़के हैं वह एप्लाई कर सकते हैं। आज अगर नौकरी के लिये कोई एप्लाई भी करे तो उसको और 25 रुपये का पोस्टल आर्डर फीस के लिये लगाना पड़ता है जिसको वह गरीब नहीं कर सकता है। हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि - एबालिश दिस पोस्टल आर्डर फीस इन दी इन्ट्रेस्ट आफ दी यूअर पीपल।

एक चीज यह कहना चाहती हूं कि डिग्निटी आफ लेबर भी होना चाहिये। हमें इस तरह करना चाहिये जो काम मिलता है, उसे करें, लेकिन आज यह होता है कि हम यह काम नहीं करेंगे, वह काम नहीं करेंगे। जो काम मिलता है, उसको करना चाहिये। काम कोई बुरा नहीं होता है, सब काम अच्छा होता है। यह तो गांधी जी की बात है। मेरा कहना है कि डिग्निटी आफ लेबर होना चाहिए। जिसको जो काम मिले वह करना चाहिए, इस तरह की फीलिंग आज होनी चाहिये।

अन-डाउटेडली, हमारी गवर्नमैंट ने गरीबों के लिए बहुत प्रोग्राम दिये हैं—आई० आर० डी० पी०, एम० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी०। लेकिन इन नये प्रोग्रामों से अन-एम्पलायमैंट प्राब्लम तभी सौल्व होगी जब हम इस हाउस से यूनैनीमसली कामन प्रौब्लम समझकर एक साथ काम करेंगे। हमारी आपकी एक साथ फीलिंग होगी तो काम कर सकते हैं। अकेले कोई भी प्रोब्लम सौल्व नहीं कर सकते।

हम बनातवाला साहब से रिक्वैस्ट करेंगे कि बिल ले आना बहुत अच्छा है, इन्टैंशन भी बिल के लिए अच्छा है लेकिन अगर अन-एम्पलायड के लिए दिल से करेगा, दिल से सोचेगा तो बहुत अच्छा होगा। बिल के लिए सिर्फ भाषण से ही कुछ नहीं होता है। भाषण देने से भाषण ही होता है। प्रैक्टिकल फील्ड में आप काम करने के लिये तैयार हैं, और हम भी तैयार हैं, ऐसा सोचना अन-एम्पलायड प्राब्लम के लिए एक साथ काम करना जरूरी है। यह प्राब्लम हमारी अकेली नहीं है। यह हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव जो कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी इस प्राब्लम को साल्व करने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

हम सबका नवीन भारत में विश्वास है। हमें इसमें अपना सहयोग देना चाहिए। हमारी एक आवाज होनी चाहिए। हमें अपनी एकता के बारे में सोचना चाहिए। हमारी इच्छा तथा भावना एक ही होनी चाहिए। सामान्य हितों के लिए हमारी प्राथमिकताएं भी सामान्य होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सी. जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति महोदय, श्री बनातवाला साहब का जो बिल आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। रूलिंग पार्टी के साथी एक तरफ बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार की नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।

[श्री सी. जंगा रेड्डी]

20 सूत्री कार्यक्रम, 25 सूत्री कार्यक्रम और नई टेक्सटाइल पालिसी आदि लाकर उन्होंने बेरोजगारी बढ़ा दी है। नई टेक्सटाइल पालिसी के कारण 20 लाख मजदूर जो कि हाथ से कपड़ा बनाने का काम करते थे, वह बेकार हो गये हैं। इसी तरह कपास के भाव गिर जाने से किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। गांवों में, खेतों में किसानों के साथ काम करने वाले जो खेतिहर मजदूर हैं, काम न मिलने के कारण बेकार हो गए हैं। जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से रोजगार दिलाने की जो योजनाएं होनी चाहियें, वह हमारे पास नहीं हैं। नई टेक्सटाइल पालिसी और नई एजुकेशन पालिसी के कारण बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। आजादी मिलने के बाद हर आदमी यही सोचता था कि उसे काम मिलेगा, सुख से जीवन व्यतीत करेगा और खाने को भर-पेट भोजन मिलेगा। लेकिन उनकी आशाओं पर पानी फिर गया।

इससे पूर्व हम खादी ग्रामोद्योग के बारे में चर्चा कर रहे थे। कई माननीय सदस्यों ने इस पहलू पर काफी प्रकाश डाला। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि भारी संख्या में गांवों से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। वैसे तो आप गांव के विकास पर काफी पैसा खर्च कर रहे हैं, गांवों के लोगों को कर्जा दिला रहे हैं। एन. आर. ई. पी., आर. एल. ई. जी. पी. कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन उसका पूरा फायदा गांव के गरीब आदमियों को नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि शहरों की तरफ लोग भाग रहे हैं। आपको इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

शहरों में आज बिजली, सड़कें और पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था है। यही कारण है कि वहां पर काम मिल जाता है जिससे लोग शहरों की तरफ आते हैं। गांवों के लोगों को काम देने के लिए मेरा एक सुझाव है कि आप छोटे-छोटे घरेलू उद्योग गांवों में खोलें। जो चीजें छोटे-छोटे उद्योगों में बन सकती हैं वह चीजें बड़े-बड़े उद्योगों में नहीं बनायी जानी चाहिए। जैसे कि माचिस को हम गांवों में बना सकते हैं। घरेलू उद्योगों में बना सकते हैं। अगर बड़ी मशीनों से उसको बनाते हैं तो हाथ से बनी हुई चीज और मशीन से बनी हुई चीज में कुछ फर्क होता है। हाथ से बनी हुई चीज का भाव भी कुछ ज्यादा होगा। फिर भी हम बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी वस्तुएं गांवों के उद्योगों के लिए, घरेलू उद्योगों के लिए रिजर्व रखें। उसी में हमको उसे बनाना चाहिए ताकि एम्पलायमेंट को बढ़ा सकें। लेकिन हमारी इंडस्ट्रियल पालिसी के कारण से, हमारी औद्योगीकरण पालिसी के कारण से हमारे गांवों में रहने वालों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और शहरों में उसी के कारण से वाटर पौल्यूशन, हवा का पौल्यूशन हो रहा है। यह सब इन्हीं कारखानों की वजह से हो रहा है। इन्हीं कारखानों की वजह से हम रोजाना सुनते आ रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और सारा वातावरण दूषित हो रहा है। इसलिए हमको इस बारे में कुछ सोचना होगा।

हम बातें करते समय खेत मजदूर की बात करते हैं। देहातों में बहुत ज्यादा अनपढ़ लोग हैं जिनके लिए पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है और वे पढ़े लिखे नहीं हैं। उनके बारे में हम सोचते नहीं है। उनके लिए केवल लेबर का, मजदूरी का काम रह जाता है। लेबर के लिए सिंचाई का प्रबन्ध करना चाहिए। सिंचाई का प्रबन्ध करने से हम बहुत सा एम्पलायमेंट अपने आप दे सकते हैं, हर हाथ के लिए काम दिला सकते हैं। मगर आज हमारे जितने भी नवयुवक रजिस्ट्रेशन कराए हैं। वे मैट्रिकुलेशन पास होने के बाद या बी. ए. करने के बाद एम्पलायमेंट एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसी एम्पालायमेंट एक्सचेंज की ओर से बाबू की नौकरी पाकर सफेद कपड़े पहन

कर चार घंटे काम करके 30 दिन में 12 सौ, 13 सौ रुपये जेब में रख कर ले जाते हैं और अपना जीवन सुख से बिताते हैं। ऐसे लोगों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। इसको हमें कम करना चाहिए मगर हम उन्हीं लोगों से डरते हैं।

अभी ममता जी ने डिगनिफाइड लेबर की बात बतायी मैट्रिकुलेशन पास किया, बाबू के सिवाय और कोई काम नहीं करते। कारखानों में काम करने की इच्छा नहीं होती। कारखाने में काम करने से कपड़े काले होते हैं। हर एक आदमी सफेद कागज पर लकीरें खींच कर या लिख कर पैसा कमाने की कोशिश में है। हमारी शिक्षा भी उसी तरह की शिक्षा देती है। इसलिए शिक्षानीति को भी बदलना चाहिए। 40 साल के बाद भी अगर शिक्षा नीति नहीं बदली और उसी प्रकार की की शिक्षा देते रहे तो उससे व्हाइट कलर बाबूओं की संख्या ज्यादा देखने को मिलती रहेगी।

इसीलिए हम चाहते हैं शिक्षा, बुनियादी शिक्षा में तब्दील होनी चाहिए। काम के साथ शिक्षा और शिक्षा के साथ काम-तभी हम बेरोजगारी दूर कर सकेंगे। बाबूओं के काम के लिए डिग्री लेने वालों की संख्या कम कीजिए। कुछ लोग इन्जीनियरिंग पास किए हुए होते हैं। लेकिन वह अपनी डिग्री लेकर बाजारों में घूमते फिरते हैं। मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि तुमने सिविल इन्जीनियरिंग पास की है, तुम अपना कांट्रेक्ट लो, एलेक्ट्रानिक्स पास किए हो, अपना टी० वी० तैयार करो, नई चीजें तैयार करो। मैकैनिकल कोई कारखाना लगाओ। अगर डाक्टर भी होता है तो सरकारी नौकरी की तरफ आता है। डाक्टर गांवों में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। गांवों में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं उनको बोलता हूं कि आपने डाक्टर पास नहीं की, शायद सरकारी हास्पीटल में नौकरी इसलिए करना चाहते हो कि चाहे मरीज मरे या जीये, चिकित्सा दो या न दो, अपनी तन्खवाह तो महीने ने बाद मिलती है, इसीलिए सरकारी नौकरी चाहते हो। प्राइवेट अस्पताल अपना खोलो या प्राइवेट प्रैक्टिस करो तो आप को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, दवा देते समय, पेशेंट को देखते समय यह ध्यान में रखना होगा कि रोगी की चिकित्सा होगी तभी दूसरा रोगी तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें अपनी पढ़ाई के ऊपर आत्मविश्वास नहीं है। इसीलिए गांव में जाकर काम नहीं करते हो। इस प्रकार आत्म-विश्वास दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। शहरों में कई डाक्टर्स मिल जाते हैं। लेकिन गांवों में 10-20 किलोमीटर जाने के बाद भी डाक्टर्स नही मिल पाते। इसलिए डाक्टर्स को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। 10-5 गांवों के लिए किसी एक स्थान पर चिकित्सा सुविधा का प्रबंध करना चाहिये। केवल शहरों में ही हर चीज का केन्द्रीयकरण होता चला जाये यह बात ठीक नहीं है आज के पेपर्स में ही हमने पढ़ा है, हैदराबाद के बारे में कि वहां पानी नहीं है, इसलिए विजयवाड़ा से दो रेलों में पीने का पानी लाकर बांटा जा रहा है। तो ये शहर इतने क्यों बढ़ गए हैं ? इसलिए कि वहां पर इण्डस्टियलिस्टस ज्यादा हो गए हैं। हमने उनको लाइसेन्स दिये इसलिए वहां पर आबादी बढ़ती चली गई। लेकिन जहां पर पानी है वहां पर ये इण्डस्ट्रीज क्यों नहीं जाती हैं ? इसीलिए किसान पूछता है कि जहां पर पानी है वहां पर जनता तो जा सकती है लेकिन जहां पर पानी है वहां पर खेत नहीं जा सकते हैं, पानी को तो खेतों के पास ही आना पड़ेगा तभी खेती की पैदावार बढ़ सकती है और लोगों को रोटी मिल सकती है। आप रेलों में पानी लाकर बांट रहे हैं लेकिन जो इण्डस्ट्रीज हैं उनको ही वहां पानी के पास क्यों नहीं ले जाते हैं। शहरों में केन्द्रीयकरण होने से भी बेरोजगारी बढ़ रही है। आज हैदराबाद में जो पानी की दिक्कत है उसका प्रबन्ध करने के लिए कहा जाता है कि 900 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। लेकिन एक-दो लाख एकड़ की सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए 5 करोड़ की रकम का

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

प्रबन्ध करने के लिए न तो यह सरकार तैयार है और न वह सरकार तैयार है। कारण यह है कि शहर वाले आंदोलन करके रेलें रोकते हैं बसेज रोकते हैं, बसेज जलाते हैं इसीलिए यह सरकार भी उनके आगे झुक जाती है।

ऐसी स्थिति में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रकार की योजनाओं के स्थान पर अपने चालीस साल के अनुभव के आधार पर, अच्छी योजनाएं तैयार कीजिए ताकि इस देश से बेरोजगारी दूर की जा सके। इसके लिए आपको विकेन्द्रीयकरण करना होगा। जैसाकि रंगाजी ने कहा है, जितने भी गांव में हारीजंटल्स हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो छोटे-छोटे धंधे करने वाले हैं, वे बेकार हो गए हैं। जैसे लकड़ी का फर्नीचर वगैरह बनाने वाले लोग आज बेकार हो गए हैं, बाटा के आ जाने से गांवों में जो चप्पल बनाने वाले थे, वे बेकार हो गए। इसी प्रकार से बड़ी-बडी मिलें आ जाने से जुलाहे और हैण्डलूम का जो धंधा था वह भी बेकार हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी पालिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बेरोजगारी दूर हो। हमने कल ही जूट के संबंध में एक बिल पास किया है कि फर्टीलाइजर और सीमेंट इण्डस्ट्री में जूट पैकेजिंग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन फर्टीलाइजर वाले कहते हैं कि प्लास्टिक बैग्ज इस्तेमाल करने से सीमेन्ट की बचत होती है, इसलिए हम सीमेन्ट के लिए प्लास्टिक बेग्ज का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज वाले कह रहे हैं कि उन्होंने चार-पांच सौ करोड़ रुपया इण्डस्ट्रियल बैंक से लिया हुआ है। वह हम किस तरह से लौटा पायेंगे, इसलिए उस बिल के खिलाफ वे आंदोलन करेंगे। वे कहते हैं कि प्लास्टिक फैक्टरीज में बनने वाले बैग्स अगर इस्तेमाल नहीं होंगे, तो फैक्टरी बन्द होगी और मजदूर बेकार हो जायेंगे। उन मजदूरों को मद्दे-नजर रखते हुए हमने लाइसेन्स दिए थे। हम यह चाहते हैं कि लाइसैंस देते वक्त हमको सोचना चाहिए। हम चार सौ बेरोजगारों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए चार हजार बेरोजगार और बढ़ा रहे हैं। मैं आपको वारंगल का एक उदाहरण देना चाहता हूं वारंगल जिले में लकड़ी से तागा निकाल कर रेयन फैक्ट्री बनाई है, उसको चार हजार ऐकड़ जमीन के जंगल दे दिये। चार हजार एकड़ की जमीन के जंगल काटने से कितनी बेरोजगारी होगी, इसका इसका अन्दाजा आप खुद लगा सकते हैं। इससे बारिश कम होगी और जब बारिश नहीं होगी तो पानी कम होने के कारण किसानों को काम नहीं मिलेगा। पानी नहीं होने से खेतों में काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी। जब मजदूरी नहीं मिलेगी तो बेरोजगारी बढ़ती है। इसलिए हम ऐसी फैक्ट्री बनाते हैं, जिससे चार हजार बेरोजगार दूर होते हैं, मगर अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारों की संख्या दुगनी होती है। इसलिए इस चीज को सोच समझकर प्लान बनाना चाहिए और एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज के द्वारा ही नियुक्तियां होनी चाहिए, चाहे जितने भी सरकारी कर्मचारी हों और पब्लिक अंडरटेकिंग्स के कर्मचारी हों।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कम्पीटीशन होता है, तो जो हाल के लोग होते हैं और जिनके दस साल पहले एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज में नाम दर्ज हैं, ये लोग उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते हैं। कारण यह कि कल की मैमोरी और दस साल पहले की मैमोरी में अन्तर पड़ जाता है। कल जो पास करके आता है, वह जल्दी पास कर लेते हैं और जो दस साल पहले का होता है' वह भूल जाता है। इसलिए उसको नौकरी मिलने में दिक्कत पेश आती है। एक बात और एम्पलायर अपने लोगों को नौकरी दिलाने के लिए पेपर में एडवर्टिजमेंट करते हैं। कल जो पास किया है, उसका मेहमान, उसके दोस्त का लड़का या कोई साथी का लड़का रहता है, जो कल पास किया है उसको

तीन दिन के बाद एप्वाइंटमेंट आ जाता है, लेकिन जिसने दस साल पहले किया है, उसको नहीं मिलता है। इसलिये इस व्यवस्था को दूर करने के लिए हमको एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज से ही लोगों को लेना चाहिये और ओपन-पेपर में एडवर्टिजमेंट देने से लोगों को लेना ठीक नहीं है। संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों में काम का अधिकार भी है। इसलिये सरकार को जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा काम के अवसर जुटाने चाहिये। सरकार को बनातवाला जी के बिल को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन होता यह है कि तमाम लोग कहते हैं कि यह बिल देखने में अच्छा है, मगर खाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इस बिल का समर्थन करना होगा और इसे पास करना होगा।

5.25 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

इतना कहते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बनातवाला जी ने जो बिल सदन में पेश किया है, उसकी जो भावना है, उस भावना के साथ मैं अपने आपको जोड़ता हूं।

मान्यवर, कुछ एक मुद्दों पर, विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भावना एक है। इस को कहने में मुझे हर्ष हो रहा है। मैंने अपने पूर्व के वक्ताओं की सारी बातों को बड़े ध्यान से सुना है। मेरे विचार से सबसे पहले इस बात को हमें समझना होगा कि हमारे यहां बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है, इसकी जड़ कहां है। जड़ तक हम नहीं पहुंचेंगे, तना और तने के ऊपर तक हम सोचते जायेंगे, तो मैं समझता हूं कि हम गलत दिशा में चले जायेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह हमारी पापूलेशन कन्ट्रोल प्रोग्राम की है और इस पर हमें गौर करना होगा। हम हर वर्ष एक आस्ट्रेलिया पैदा कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को काफी एचीजमेंट भी मिली है परन्तु अभी हमें और भी बहुत दूर तक इसमें काम करने की आवश्यकता है। अभी जो हमारी ह्यूमेन ग्रोथ रेट है, वह 2 परसेन्ट है जबकि आज के समय में इस पापूलेशन कन्ट्रोल प्रोग्राम में हमारी जो ग्रोथ रेट होनी चाहिये, वह 0·5 परसेन्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमें अभी डेढ़ प्रतिशत की कमी और भी करनी है और इसमें यदि हमने सफलता हासिल की, तो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हम कर पायेंगे, जिसके विषय में आज हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं।

बेरोजगारी में दो तरह के बेरोजगार हैं और क्लासीफिकेशन के अनुसार मैं यह कहना चाहूंगा कि एक तो वे बेरोजगार हैं, जो देहातों में रहने वाले हैं और दूसरे शहरों में रहने वाले बेरोजगार हैं। मान्यवर, 750 मिलियन आबादी में से 550 मिलियन आबादी देहातों में रहने वाली है, जोकि लगभग 73, 74 प्रतिशत है। 550 मिलियन आबादी की बात सबसे पहले की जानी चाहिए मेरी नजर में। अर्बन अनएम्पलायमेंट की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर हम लोगों ने एम्पलायमेंट एक्सचेंज बना दिए हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। जो लोग देहातों से आते हैं और शहरों के जो लोग हैं, वे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं परन्तु देहातों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है, इस पर गौर करना होगा। वे रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं और पूर्व वक्ता ने जो कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं। 550 मिलियन आबादी में टोटल लेबर फोर्स जो है, माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को बताया था और भारतवर्ष के लेबर मंत्रालय में जो फीगर्स हैं, उनके अनुसार टोटल लेबर फोर्स 340 मिलियन है

[श्री मनोज पांडे]

भारतवर्ष में, जिसमें करीब 296 मिलियन लेबर है। इस तरह से एक बहुत बड़ी आबादी एग्रीकल्चर लेबर की है और यही वह अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जिसकी चर्चा बराबर इस माननीय सदन में हम लोगों ने की है और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि इसकी अहमियत को समझते हुए, इस बजट में एग्रीकल्चर लेबर पर मिशन कायम किये हैं और इस तरह से व्यापक रूप से चर्चा करने का मौका एक बार लोगों को मिला है और इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले वर्षों में हम इस एग्रीकल्चर लेबर के विषय में कोई ठोस बात लोगों के सामने ले आवें। हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम में एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० ट्राइसेम, डी०आर०डी०ए०, एस० ए० डी० ए०, फीशरीज के के बहुत सारे कार्यक्रम और प्रोग्राम रख कर बहुत दूर तक कोशिश की गई है और काफी पैसा इसके लिए दिया गया है। धनराशि की कमी नहीं है और बहुत दूर तक कोशिश की गई है भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है, उस पर कुछ काबू पा सकें।

मान्यवर, हमारे पास जो संसाधन मौजूद है, उनसे हम बेरोजगारी को पूरी तरह से हल नहीं कर पायेंगे क्योंकि एक तरफ हम तादाद बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम बेरोजगारी को रोकने की कोशिश कर रहे है। पहले हम तादाद को कम करें और पापुलेशन को कन्ट्रोल करें और तब बेरोजगारी को कन्ट्रोल करने के लिए पूरे पूरे रूप मे अपने आपको सामने लाकर कोशिश करें। इस समय हमारे विरोधी पक्ष के लोग नहीं हैं वरना मैं कुछ कहना चाह रहा था। इसमें सबसे बड़ी कमजोरी हमारे विरोधी दलों की है। यह राजनीतिक बात नहीं है यह एक सामाजिक बात है। इस पापुलेशन कन्ट्रोल प्रोग्राम को 1977, 1978 में एक बहुत बड़ा धक्का लगा। सामाजिक रूप से इतना बड़ा धक्का था कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आने वाले बीस वर्षों तक भी न कर पायें। यह इतना बड़ा धक्का इस प्रोग्राम के अन्तर्गत लगा। हम पापुलेशन कन्ट्रोल प्रोग्राम के बारे में बैठकर चर्चा कर लेते हैं और कुछ बात कर लेते है लेकिन इसकी अहमियत को विरोधी दलो के लोगों ने समझा नहीं है। उनको इस चीज को समझना होगा क्योंकि बेकारी हटाने की बात केवल सरकार ही नहीं कर सकती है। भारत सरकार क्या, विश्व की कोई भी सरकार इसको नहीं कर सकती है जहां कि चार सौ मिलियन लोग नौकरी पाने के लिए हों। अमेरिका की सरकार हो, चाहे वेस्टर्न कन्ट्रीज हों जिनके पास संसाधन मौजूद हैं, कोई भी सरकार हो, कितना भी पैसा खर्च कर ले, लेकिन चार सौ मिलियन लोगों को सरकार नौकरी नहीं दे सकती। यह बात बिल्कुल साफ है और इसके लिये सरकार पर दोषारोपण करना सिर्फ एक दृष्टिकोण से बात करना होगा।

इसके लिए हमको इस बात को समझना होगा कि हम पापुलेशन कन्ट्रोल प्रोग्राम को पहले लागू करें। इसके साथ ही हम बेकार लोगों के लिए ऐसे प्रोग्राम लागू करें जिनसे उन्हें रोजगार मिले। जैसा कि हमने शिक्षा में परिवर्तन किया है। हम वोकेशनेलाइजेशन आफ एजूकेशन की बात करते हैं। हम शिक्षा को किसी न किसी रूप में नौकरी से जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में काफी बड़ी धनराशि शिक्षा के लिए खर्च की जा रही है। नवोदय विद्यालय का कंसेप्ट बना है।

हमने बोकेशनेलाइजेशन आफ एजूकेशन की बात कही है। हम लोगों को एजूकेशन के साथ ट्रेनिंग भी देने जा रहे हैं। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हम इस ट्रेनिंग को फैक्ट्रीज से जोड़ें।

हम फैक्ट्रीज ऐसे ही खोलते जाऐं, यह भी बात नहीं होनी चाहिए। उन्हें सैलेक्शन आफ रा मेटीरियल के आधार पर खोला जाना चाहिए। ऐसी जगहों पर खोला जाना चाहिए जहां पर ज्यादातर ह्यूमन रिसोर्सिज हों। उनका फैक्टरीज में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

चूंकि यह चेप्टर इतना बड़ा है कि इसमें अगर हम एक ही चीज अनएम्पलायमैंट को लेकर ही बात करें तो यह दूर करना सम्भव नहीं हो पायेगा। इससे बहुत सारी बातें जुड़ी हैं। हमारे पास संसाधन कितने हैं, हमारी योजनायें क्या हैं, हम जनता के सामने क्या प्रोग्राम लेकर आए हैं, हमारे फाइनेंशयल कंस्ट्रेंट क्या क्या हैं? ये सारी बातें हैं जिनको लेकर हमें सोचना है।

इसमें एग्रीकल्चर लेबर की बात भी आती है। इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की बात भी आती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में तो स्किल्ड लेबर होती नहीं, अनस्किल्ड ही होती है। हमारे जो बीड़ी मजदूर हैं वे भी एग्रीकल्चर मजदूर है। बीड़ी मजदूरों के बारे में माननीय मंत्री जी पिछले दिनों एक बिल भी लाये थे। उस वक्त बीडी मजदूरों के विषय में चर्चा की गई थी।

मान्यवर, हमारे ग्रामीण इलाकों में जो मजदूर काम करते हैं, वे एग्रीकल्चर मजदूर हैं, वे सारे के सारे खेतीहर मजदूर हैं। उनके पास जब समय बचता है तो उसमें वे बीड़ी बनाकर कुछ कमाने की कोशिश करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी विषमता है। आप जानते हैं कि हमारे यहां ड्राई फार्मिंग भी है। वेस्टलेंड भी है। उन मजदूरों को अपनी जीविका के लिए कुछ-न-कुछ काम करना है और इसलिए ऐसी जगहों पर हमारे बीड़ी मजदूर होते हैं। बिहार में भी काफी बीड़ी मजदूर हैं। हमारे यहां सिर्फ देवधर में एक करोड़ बीड़ी रोजाना बनती है। सिर्फ एक इलाके में चालीस हजार बीड़ी मजदूर हैं। यह मुंगेर जिले में है जहां पर कि एक करोड़ बीड़ियां एक दिन में बनती है। आप समझ सकते हैं कि बीड़ी बनाने वाले मजदूर सिर्फ एक जगह पर हैं। इसी तरह से ये उत्तर प्रदेश में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, पश्चिम बंगाल में हैं और उड़ीसा में हैं। भारत सरकार ने इनकी जो तवज्जह दी है, उसकी मैं सराहना करता हूं, लेकिन ऐसे और बहुत से क्षेत्र हैं, जो लोग देहात में कार्यरत हैं, उनकी तरफ ध्यान देना आवश्यक है। जैसे ईंट भट्टे का बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज माइनाइजेशन हो रहा है। गांवों में भी मकान बन रहे है और काफी तादाद में ईंट के भट्टे लगाए जा रहे हैं। मान्यवर इससे कुछ नुकसान होता है, लेकिन हमारा जो मजदूर उन भट्टों में कार्यरत है, उनकी तरफ हमें कुछ ध्यान अवश्य देना चाहिए। मान्यवर, ईंट बनाने के लिए स्किल चाहिए, यह स्किल्ड लेबर का काम है। इस क्षेत्र में भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफी तादाद में लगे हुए हैं। इसमें हमारे यहां उड़ीसा से लेबर आती है, उसको उड़िया लेबर कहते हैं। एक घण्टे में अगर हमारे यहां का मजदूर 40 ईंटें बनायेगा तो वहा का लेबर 80 ईंटें बनायेगा। इस तरह से यह हाइली स्किल्ड काम है और इस काम में जो लेबरर कार्यरत हैं, वे कांट्रेक्ट लेबरर के रूप में काम करते हैं और कांट्रेक्टर लेबरर का मतलब हम जानते हैं कि "एक्सप्लाइटेशन" और आज वह एक्सप्लाइटेड लेबरर के रूप में काम कर रहे हैं। उड़िया मजदूर आपको दक्षिण में मिलेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में एग्रीकल्चर लेबरर के रूप में मिलेंगे, पंजाब-हरियाणा में मिलेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : बढ़ाया गया समय बीत चुका है। चूंकि एक और माननीय सदस्य को बोलना है और इसके पश्चात एक माननीय सदस्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, हम एक घंटा और समय बढ़ा सकते हैं। अतः हम इस चर्चा के लिए एक घंटे का समय बढ़ा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मनोज पाण्डे : मान्यवर मैं यह कह रहा था कि माइग्रेशन आफ लेबर की जो समस्या है वह यह है कि वे आमतौर पर कांट्रेक्ट लेबर के रूप में काम करते हैं, इनकी देखरेख की एक अलग समस्या है। हम इस समस्या को किस रूप में मानें ? या तो उन राज्यों की समस्या मानें जिनके यहां जाकर ये काम करते हैं या उन राज्यों की मानें जहां से ये काम करने के लिए जाते हैं और पैसा कमाकर लाते हैं। हम लोगों की जानकारी में कई ऐसी भी घटनाएं हैं जहां ऐसे एग्रीकल्चरल लेबरर की बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा में मृत्यु हो गई और जिनके यहां वे काम करते थे, उन लोगों ने इसकी सूचना उनके घर वालों तक को नहीं दी।

[अनुवाद]

प्रो० एन. जी. रंगा (गुंटूर) : हमें उनके आभारी होना चाहिए। वे स्वतः ही रोजगार ढूंढते हैं।

[हिन्दी]

श्री मनोज पाण्डे : उन लोगों में कई अच्छे किसान भी हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो वास्तव में एक्सप्लाइटेशन के अलावा और कुछ नहीं सोचते, उन लोगों ने उनके परिवार तक को खबर नहीं दी और लाश का भी पता नहीं क्या किया, जला डाला या क्या किया और उसकी कोई सूचना नहीं दी। उनके परिवार वाले जब खोजते हुए आए तो वहां के लोगों ने उनको बताया कि आपका आदमी यहां आया था और उसकी मृत्यु हो गई। मान्यवर, कहने का मतलब यह है कि इन सारी घटनाओं की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। इस तरह से माइग्रेटेड फोर्स के रूप में जहां लेबर काम करती है, उनके लिए एक अलग से कार्यक्रम बनाना होगा, उनकी रक्षा करनी होगी। आज यह प्राइवेट सेक्टर में कांट्रेक्ट लेबरर के रूप में एक्सप्लाइट हो रहा है, उनकी ओर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। या तो केन्द्र सरकार इनके लिए एक बोर्ड का गठन करे, जिसके तहत इन श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हो। उसका उत्तरदायित्व हो, कि वह इस बात की जानकारी रखे कि कितने लेबरर किस राज्य से किस राज्य में जा रहे हैं और कितने उसमें से वापिस आते हैं। जो लोग बाहर जाकर काम करते हैं, उन परिवारों के बारे में आपको सोचना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात फार्म लेबर के विषय में है। साल में रबी और खरीफ की दो फसल होती हैं और इन दो फसलों के बीच लगभग सौ दिन का समय होता है, उसमें ज्यादातर एन० आर० ई० पी० और आर. एल. ई. जी. पी. के जो हमारे कार्यक्रम हैं, उसमें कार्यरत हैं। हमारे लिए और विरोधी दल के द्वारा यदि यह कहा जाए कि उन कार्यक्रमों में काम नहीं हो रहा है तो यह सरासर बेइन्साफी होगी। यह बात सही नहीं है क्योंकि इन कार्यक्रमों में काम हो रहे हैं और ऐसे लोगों को फायदा पहुंचा है जो इन सौ दिनों में इन कार्यक्रमों में मजदूरी के रूप में काम करते है। इन सौ दिनों में जो मजदूर कार्यरत हैं और उनकी जो मिनीमम वेज फिक्स की है, वह सही रूप में उनको मिलनी चाहिए। हमने और विरोधी दल के लोगों ने इस बात को बार-बार कहा है कि क्रियान्वयन में हमारी कुछ दिक्कतें हैं क्योंकि क्रियान्वयन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। एन. आर. ई. पी., आर. एल. ई. जी. पी. या ट्रायसेम या और भी जो हम लोगों ने कार्यक्रम बनाए हैं, इनमें मूलभूत रूप से अच्छे काम हुए हैं। इस बात को मानना होगा कि कुछ हद तक हमारे क्रियान्वयन की कमजोरी हुई है जिस पर एक ठोस अंकुश लगाने की बात की है और मानिटरींग के हिसाब से कर रहे हैं। अरबन अनएम्पलायड के बारे में

भी कहना चाहूंगा। एजुकेटेड अनएम्पलायड के बारे विषय में बड़ी भारी चर्चा हुई है। तकरीबन तीन करोड़ लोगों ने अपने नाम एम्पलायमेंट एक्सचेंज में दर्ज कराए हैं। इसमें कुछ लोगों को नौकरी मिली है। अगर घटा बढ़ा दिया जाए तो ढाई करोड़ लोगों ने अभी तक सही मायनों में एम्पलायमेंट एक्सचेंज में अपने नाम दर्ज कराए हैं। पब्लिक सैक्टर के विषय में काफी चर्चा हुई है। हमने पब्लिक सैक्टर में काफी बड़ी धनराशि खर्च की है और पब्लिक सैक्टर को आगे बढ़ाने का हमारा कमिटमेंट है। पब्लिक सैक्टर ने पिछले चालीस वर्षों में अच्छा काम किया है, इस बात को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। पब्लिक सैक्टर में हमने जो धनराशि लगाई है, उसका पूरा मुआवजा हमें नहीं मिला है। पब्लिक सैक्टर से संबंधित तीन मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला मुद्दा मैनेजमेंट का है, दूसरा लेबर और तीसरा प्रोडक्टीविटी का है। इन तीन मुद्दों से ही हम ग्रास डोमेस्टीक प्रोडक्ट की बात करते है। अगर जी. डी. पी. बढ़ता है तो उस हिसाब से हम अपनी आर्थिक नीति को बढ़ाएं। जब भी पब्लिक सैक्टर की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे पब्लिक सैक्टर हैं जिन्हें और भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है।

जिनके मैनेजमेंट में कमियां हैं उन कमियों को बराबर हम लोगों में उजागर किया है माननीय मदन के सामने। जैसे आई. डी. पी. एल. की चर्चा की है इसमें कमियां हैं, इस बात को मानना चाहिए। आई. डी. पी. एल. में सवा दो सौ करोड़ रुपये का घाटा मार्जिन मनि और लोन भी सारा का सारा घाटे में चला गया। ऐसी भी फैक्टरीज हैं पब्लिक सेक्टर में इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तरफ हम पैसा दिये जा रहे हैं उन पब्लिक सेक्टर को और दूसरी तरफ हम उनसे मुनाफा नहीं लें तो हम पब्लिक सेक्टर को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। हमें विशेष रूप से इस पर ध्यान देना होगा। अगर पब्लिक सेक्टर को पैसा देकर सिर्फ इसलिए चलाने की बात करते हैं कि वहां जो लेबर है वह बेरोजगार हो जायेगी, यह आर्थिक नीति के दृष्टिकोण में नहीं चल पायेगा। बहुत अच्छी आर्थिक नीति तैयार की गई है, इसमें अच्छे कार्य हुए हैं और जो पब्लिक सेक्टर है, माननीय प्रधान मंत्री जी ने बहुत ध्यान दिया है हम उसकी सराहना करते हैं। इसमें हमें और भी कड़े तरीके से मानिटरिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही ऐसी जगह है जहां से बेरोजगारी को दूर करने की शुरूआत होती है। अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ आयें, क्योंकि बेरोजगारी दूर करने की जिम्मेदारी केवल पब्लिक सेक्टर पर ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर पर भी है। आज प्राइवेट सेक्टर की हालत बदतर हो रही है। उसने अपने दायित्व को पूरी तरह से नहीं निभाया है। इसमें भी पब्लिक मनि इन्वाल्व्ड है। प्राइवेट सेक्टर को जो लोन दिया गया है इसको पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का नाम दिया जाना चाहिए। यह उनकी अपनी सम्पत्ति नहीं है। इसमें भी जनता का पैसा लगा हुआ है। ऐसे प्राइवेट सेक्टर को जहां आपने लोन दिया माडर्नाइजेशन के लिए, रिसर्च एण्ड डवलपमेंट के लिए, आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं आपने तकनीकी दृष्टिकोण से भी उनको बड़ी से बड़ी धनराशि की व्यवस्था कराई, लेकिन क्या आज उन्होंने अपना दायित्व निभाया ? इस सदन के सारे सदस्यों ने इस बात को कहा है कि प्राइवेट सेक्टर को जो पैसा माडर्नाइजेशन के लिए दिया, रिसर्च एण्ड डवलपमेंट के लिए दिया, उन्होंने वह दूसरी जगह लगा दिया और उससे पूरा-पूरा मुनाफा कमाकर तीसरी जगह मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं और यह सिलसिला बराबर चालू है। प्राइवेट सेक्टर में रहने वाले लोग बराबर इस बात को समझते हैं कि मुनाफा कमाकर घर में रखेंगे। उनका कोई कमिटमेंट भारतवर्ष के लोगों से नहीं है। इस बात को मैं मानता हूं। सवाल यह है कि यदि हमारे पास धन है, अगर हम धन एक बड़े किले में रखें, उसका एक मालिक हो और उसके चारों तरफ टूटी-फूटी झोंपड़ियां हों तो क्या वह किला लम्बे समय तक रह पायेगा। अगर वह धन उस किले

[श्री मनोज पांडे]

में ही समाकर रह जाये, उस धन से हम कोई झोंपड़ी को ठीक नहीं कर पाये, अगर नहीं कर पायेंगे तो वह किला भी झोंपड़ी बन जायेगा, इस बात को समझना होगा। अगर इसको नहीं समझते हैं तो यह कहने की बात नहीं कि उसका जो प्रतिफल होगा वह तीस-चालीस वर्ष में दिखाई देगा। प्राइवेट सेक्टर की जो मनोभावनायें हैं अपनी अट्टालिकायें बनाने की, बड़े-बड़े उद्योग लगाने की उनको सिर्फ अपनी ही चीज समझकर और पैसे को सिर्फ घर में बन्द करने की जो मनोवृत्ति है, यह मनोवृत्ति बहुत दिन चलने की नहीं है। इसे एक दिन उन्हें भुगतना पड़ेगा, जब झोंपड़ियों के लोग बाहर निकल कर बाहर आयेंगे और उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे और उनका अस्तित्व भी मिटा देंगे। रूसी क्रान्ति को पढ़ने के बाद हमने यह महसूस किया है। इसलिए मान्यवर हमें यह समझना होगा। हमें सिर्फ ऐसे ही लोगों को नहीं समझना होगा, उन लोगों को भी समझना होगा जो मात्र अपने धन कमाने की लालसा को अपने में संजोकर इस भारतवर्ष से ऊपर उठ आने के लिए आये हैं। ऐसे लोग भारतवर्ष में बहुत गिने-चुने हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि अगर हम ठीक कर पाये, इसकी हम कोशिश भी कर रहे हैं, यहां हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य, माधव रेड्डी जी भी बैठे हैं, हमने उनकी इस विषय में बहुत अच्छी बातें सुनी, हम उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे उद्योगपतियों पर अंकुश लगाने के लिए वे सरकार की मदद करें और उन्होंने की भी है, हम ऐसा नहीं कहते कि नहीं की। लेकिन हम अगर वहां राजनीति बरतेंगे तो ठीक नहीं होगा। राजनीति के लिए दूसरी जगह बनी हुई हैं, उन क्षेत्रों के राजनीति बरती जा सकती है। आज हमारे सामने बेरोजगारी का जो मुद्दा है, हमें उसके समाधान में लिए एकजुट होकर, एक साथ मिलकर एक जगह पर हिट करना होगा। इस प्रोसैस में हम सबको मिलकर रहना होगा। यदि हम इधर-उधर चले गये, मार्ग में भटक गये या इस मुद्दे को राजनीति ढंग से हल करने की कोशिश की तो वे लोग हमेशा की तरफ बचते रहेंगे। पिछले दिनों भी इस विषय पर काफी चर्चा हुई, मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता, परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि हम मुख्य मुद्दे से हटकर दूसरी तरफ जा रहे हैं। हमें मुख्य मुद्दे को समझना होगा और राजनीति से ऊपर उठकर उसका हल खोजना होगा। मेरी यह मान्यता है कि इस कार्य में हमारे सभी विरोधी दल तो नहीं, ज्यादातर लोग इसे समझकर हमारा सहयोग कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि सभी विरोधी दल के लोगों को इस कार्य में सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। यह काफी कठिन समस्या है क्योंकि देश से बेरोजगारी हटाना कोई आसान काम नहीं है और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार पर ही नहीं है। यदि हमारी नीतियों में कोई कमी है तो आप उसकी ओर इंगित करें, हमें बतायें।

मान्यवर, प्रो० रंगा जी कुछ कहना चाहते हैं इसलिये मैं सिर्फ दो मिनट में ही अपनी बात कह कर बैठ जाता हूं।

मैं यह कह रहा था कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें सामूहिक रूप से कार्य करना होगा। सभी विरोधी दल के लोगों को एकसाथ बैठकर गम्भीरता से इस विषय पर विचार करना होगा। इस विषय पर हमारी और आपकी दोनों की भावनाएं एक जैसी हैं, उनमें कोई अन्तर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि यह पक्ष और विरोध पक्ष दोनों पक्ष मिलकर इस समस्या के बारे में संगठित रूप से विचार कर किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, ताकि इस देश से गरीबी, बेरोजगारी को सदा-सदा के लिए हटाया जा सके और हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस देश से गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन का जो बृत लिया है, हम सबको मिलकर उन्हें सहयोग देना चाहिए तभी यह समस्या हल हो सकेगी।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। रामायण में। प्रसंग आता है जब श्री लंका के नजदीक सागर से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर गुजर रहे थे ताकि मूर्छित पड़े भाई लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी सुंघा कर पुनः सक्रिय किया जा सके, जीवित किया जा सके, उनकी मूर्च्छा दूर हो, तो उस सागर में रहने वाली सुरसा नामक राक्षसी ने हनुमान जी को अपना मुंह फैला कर अन्दर डाल लिया। उसके बाद ज्यों ज्यों हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते जाते त्यों-त्यों सुरसा नाम की राक्षसी भी अपना आकार बढ़ाती जाती थी। वही स्थिति हमारे मन्त्री लोगों की हो गयी है। इस देश में हमारी सरकार गरीबी उन्मूलन या बेरोजगारी दूर करने के लिए जितने कार्यक्रम बनाती जा रही है, सुरसा रूपी बेरोजगारी और गरीबी उतनी ही बढ़ती जाती है। हनुमान जी ने तो अपना आकार इतना विशाल कर लिया कि सुरसा फट गयी, मर गयी, परन्तु मुझे लगता है कि आज के समय में ऐसा कौन सा हनुमान आयेगा जो इस बेरोजगारी रूपी सुरसा का वध कर सकेगा, राक्षसी को समाप्त कर पायेगा। आज हमारी व्यवस्था को यदि किसी चीज से सबसे ज्यादा खतरा है तो वह बेरोजगार लोगों की बढ़ती संख्या से है। बेरोजगार लोगों में आज इतना असंतोष बढ़ गया है कि वर्षों से उनका नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज है वे सड़कों पर चप्पलें चटकाते फिर रहे हैं, उनकी उम्र निकल गयी है परन्तु 10-10 या 12-12 साल तक उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल पाती। वे नौकरी की तलाश में घूमते ही रहते हैं। जब उनकी उम्र निकल जाती है तो वे किसी काम के नहीं रहते और सिर्फ घर वालों के ऊपर बोझ बनकर रह जाते हैं। हमेशा उनका जीवन असंतोष, गरीबी और तकलीफ में चलता रहा है। इस समय मान्यवर 3 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके नाम एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज हैं और ये भी वे सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज हो पाए और वे ऐसे स्थिति में हैं कि रोजगार कार्यालय तक जा सके और एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज के भ्रष्ट अधिकारियों को किसी न किसी रूप में खुश कर सके। कुछ दान-दक्षिणा देकर अपने नाम दर्ज करवा सके। गवर्नमेंट के अपने आंकड़े तीन-साढ़े तीन करोड़ के हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि दस करोड़ लोग ऐसे होंगे जो मूलतः बेरोजगार हैं या बेरोजगारी की स्थिति में होंगे। उनमें भी ज्यादातर ग्रामीण लोग होंगे। शहरी क्षेत्रों के लोग तो किसी न किसी तरह अपने नाम दर्ज करवा लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए रोजगार की कोई आशा ही नहीं रहती है। रोजगार कार्यालय से भी इन्टरव्यू के लिये आशारूपी चिट्ठी बहुत कम पहुंच पाती है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक जनगणना इस आधार पर होनी चाहिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो वास्तव में पूर्णतः बेरोजगार हैं और जिस परिवार में कोई भी व्यक्ति रोजगार में नहीं है, उसके लिए परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार देने की घोषणा करे। अभी पांडे साहब ने कहा है कि इंश्योरेंसस की स्कीम बेरोजगारों के लिए भी लागू होनी चाहिए। मैं उससे थोड़ा सा हटकर कह रहा हूं कि सरकार को इस बात के लिए आगे आना चाहिए कि वह रोजगार की गारन्टी देश के बेरोजगारों को दे। काम देना सरकार फर्ज है और काम करना नागरिक का फर्ज है। यानी सरकार काम की अपार्चुनिटी पैदा करेगी यदि वह लोगों को काम न दे पाए, तो कम से कम ऐसे बेरोजगार लोगों को भत्ता देने को तो मानना चाहिए।

6.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय, जहां सरकार करोड़ों करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से डी. आर. डी. पी. के अन्तर्गत खर्च कर रही है, जहां करोड़ों रुपया उद्योगों में लगा रही है वहां दो-चार सौ करोड़ रुपया बेरोजगारों को भत्ता देने पर भी खर्च करे। जिनके नाम लम्बे अरसे से रोजगार कार्यालयों में दर्ज

[श्री हरीश रावत]

हैं। मैं सरकार से इस समस्या को एक मानवीय समस्या के रूप में देखने की प्रार्थना करना चाहूंगा क्योंकि यह समस्या एक ऐसी समस्या है जिसको हम प्रोडक्टिव है या नॉन प्रोडक्टिव है, क्या देश के लिए तत्काल फायदे के लिए है या नहीं है, इस रूप में नहीं देख सकते हैं। इस समस्या को हमें एक बड़े रूप में लेना पड़ेगा। यदि हमने इस समस्या को मानवीय रूप में नहीं लिया, तो इसके परिणाम कितने घातक होंगे यह आगे आने वाला समय ही बतायेगा। आज आप कहीं भी जाइये किसी भी सांसद् से पूछ लीजिए, मैं समझता हूं कि ऐसा कोई संसद-सदस्य नहीं होगा जिसको प्रति दिन 4-5 सिफारिशें न करनी पड़ती हों। वे लोग भी जानते हैं कि मन्त्री लोग हमारी सिफारिशों को बहुत कम सुनेंगे। हरेक से यही उत्तर आता है कि 'लुकिंग इन टू' 'अन्डर कंसीडरेशन' कोई एकाध होगा जिसने लिखा होगा कि "अंडर एक्टिव कंसीडरेशन"। मैं तो अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं जब राजेश जी कभी मुस्करा कर कह देते हैं कि इस मामले में मैं देख लूंगा। हम तो केवल सिफारिश कर सकते हैं। उस सिफारिश का असर कितना होगा यह तो केवल भगवान जानता है या वह जानता है जिसकी हमने सिफारिश की है। बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं कि कभी इस काम पर लगवा दो कभी उस काम पर लगवा दो। बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार लोगों की है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

सुशील मुनि की अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर की यात्रा एवं प्रो० दर्शन सिंह से उनकी बातचीत के बारे में

[हिन्दी]

****श्री तेजा सिंह दर्दी** (भटिंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, वेशक, रौले रप्पे में बात चली गई, हमारे लीडर ने बात की थी, सुशील मुनि जी दरबार साहब गये और सिंह साहब प्रो० दर्शन सिंह से मिलें। क्या उन्हें गवर्नमेंट ने भेजा ? वह किस तरह से गये हैं ? गृह मन्त्री सरदार बूटा सिंह इस बारे में स्पष्टीकरण करें।

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महोदय आज सुबह भी श्री रामूवालिया जी ने इस मामले को उठाया था और अब श्री दर्दी जी ने इस मामले को उठाया है।

मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार ने प्रो० दर्शन सिंह सहित किसी भी व्यक्ति को स्वर्ण मन्दिर के अन्दर लोगों से बातचीत करने का प्राधिकार नहीं दिया है। यदि कुछ व्यक्ति

****मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

ऐसा प्रयास कर रहे हैं, तो इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि हमने भारत सरकार की ओर से किसी भी व्यक्ति को बातचीत करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया है।

6.02 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार 11 मई, 1987/21 वैशाख, 1909 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : प्रिन्टवैल प्रिन्टर्स, 126 पटपड़गंज, दिल्ली–92